डॉ0 अवधेश चन्द्र मिश्रा,
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा (बाँदा)

के निर्देशन में :-

ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की
समाजशास्त्र विषय में पी-एच0 डी0 उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2002

शोधकर्ता
घनश्याम दास
एम0ए0-समाजशास्त्र

डॉ0 अवधेश चन्द्र मिश्रा
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा, पी0जी0कालेज अतर्रा
(बाँदा) उ0प्र0

निवास-
D-II, 21, डी.एम.कालोनी
बाँदा (उ0प्र0) 210001
☎ 05192-221506(आवास)
☎ 05191-244204(कालेज)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध - **"ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"** घनश्याम दास द्वारा समाजशास्त्र विषय में **'डाक्टर आफ फिलासफी'** उपाधि हेतु प्रस्तुत है । यह शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, के नियमानुसार पूर्ण किया गया है । यह शोध प्रबन्ध **घनश्याम दास** का मौलिक कार्य है । मै इस शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु संस्तुति प्रदान करता हूँ ।

29/12/2002

(डॉ0 अवधेश चन्द्र मिश्रा)
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा, पी0 जी0 कालेज अतर्रा
(बाँदा) उ0प्र0

अपनी बात

ग्रामीण गुटबन्दी पर समाजशास्त्र में विपुल चिन्तन, मनन एवं शोध–अध्ययन नहीं हो सका है । ग्रामीण समाजशास्त्र में जो प्रमाणिक एवं गम्भीर ग्रन्थ सामने आये हैं उनमें ग्रामीण गुटबन्दी से सम्बन्धित कलेवर का अभाव–सा है । अतः ऐसे शोध–अध्ययनों की आवश्यकता बनी रही जो ग्राम–अंचल में बने एवं बन रहे गुटों की तथ्यात्मक व्याख्या करते हुये आधुनिक भारतीय गांवों की जीवनानुभूति को प्रतिबिम्बित कर सके । इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर ही शोधकर्ता का यह प्रयास प्रस्तुत है ।

गुटबन्दी की शाश्वतता पर विचार व्यक्त करते हुये अनुसन्धानकर्ता का मत है कि गुटबन्दी शाश्वत है और उसी प्रकार शाश्वत है जिस प्रकार से समाज । जहाँ तक हम जानते हैं, हर जगह कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वीकृत आचार–विचार के प्रतिमानों को त्यागकर अलग पंक्ति में खड़े हो जाते हैं । इस तथ्य को अस्वीकार करना अच्छा होगा कि गुटबन्दी को पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, और इसकी पूर्ण समाप्ति की स्थिति केवल कल्पना के जगत् में ही हो सकती है ।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता ने बहुत बारीकी से उक्त दशाओं एवं कारकों को उजागर किया है, जो व्यक्ति को परम्परागत व्यवहार की लीक से हटकर गुट–निर्माण करने के लिये प्रेरित करते हैं । अनुसन्धानकर्ता ने अपने शोध अध्ययन में केवल ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी के समस्यागत स्वरूप एवं प्रकृति की विवेचना ही नही की है, प्रत्युत इसकी रोकथाम करने के लिये भी अपना सुझाव प्रस्तुत किया है ।

किसी भी गम्भीर शोधकार्य के लिये आन्तरिक प्रेरणा, रचनात्मक नियोजन एवं बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है । प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध भी इसका अपवाद नहीं है । शोध कार्य की सफलता का श्रेय अनुसन्धान कर्ता के अपने श्रम पर इतना अवलम्बित नहीं रहता, जितना निर्देशक महोदय के कुशल निर्देशन अन्य गुरूजनों, विद्वज्जनों, विज्ञपुरूषों एवं मनीषियों के मार्ग–दर्शन तथा सहयोग पर निर्भर रहता है । प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में जो कुछ भी दृष्टव्य है, वह सब इन्हीं लोगों का प्रतिफल है ।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को व्यवस्थित एवं सुनिश्चित दिशा देने वाले निर्देशक श्रद्धेय ***डॉ0 अवधेश चन्द्र मिश्रा*** जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने गुरू एवं

संरक्षक के दायित्व का एक साथ निर्वाह करते हुये शोधकार्य के दौरान आई सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिये मुझे सक्षम बनाया । उनके अमूल्य विचार–विमर्श और प्रोत्साहन से ही इतना बड़ा शोध–प्रबन्ध, जिसमें प्रारम्भ से सामाग्री का अभाव ही अभाव रहा, पूरा हो सका ।

विषय की दूरूहता और प्रबन्ध सम्बन्धी सामाग्री के अभाव के कारण लगभग पूरा कार्य स्वतन्त्र चिन्तन पर आधारित था । इस चिन्तन में आई शंकाओं का समाधान करने वाले– डॉ वीरेन्द्र सिंह, प्राचार्य, श्री म0रा0द0महाविद्यालय, भुड़कुड़ा, गाजीपुर एवं डॉ0 शीलभद्र सिंह परमार, पूर्व अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, अतर्रा पी0जी0कालेज, अतर्रा, डॉ0 जे0पी0 नाग अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, बांदा, डॉ0 निर्मला व्यास, रीडर, डॉ0 एस0एस0 गुप्ता, रीडर समाजशास्त्र विभाग–महाविद्यालय, बांदा, डॉ0 आर0एस0 त्रिपाठी रीडर, डॉ0 प्रताप सिंह सेंगर, रीडर, डॉ0 के0के0 मिश्रा, रीडर, डॉ0 आर0ए0 चौरसिया रीडर, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा को मैं नमन् करता हूँ जिनके गम्भीर व्यक्तित्व से विषय संगत सुव्यवस्थित दिशा मिली । इसके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित अध्ययन–क्षेत्र नरैनी विकास खण्ड़ के समस्त उत्तरदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरे शोधकार्य को सरल बनाया । साथ ही नरैनी विकास खण्ड़ के वर्तमान ब्लाक प्रमुख श्री रामराज पटेल, वी0डी0ओ0 श्री राजकुमार लोधी एवं अधिकारियों–कर्मचारियों के विशेष सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता, जिनके सहयोग से यह शोध प्रबन्ध पूरा हो सका।

मैं अतर्रा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 राजकिशोर शुक्ल एवं पी0जे0एन0कालेज, बांदा के प्राचार्य डॉ0 एच0क्यू0 हसन तथा डॉ0 राजीव रतन द्विवेदी, डॉ0 पूरन प्रकाश पुरवार तथा अन्य विद्वानों का आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शोधकार्य के समय मुझे प्रोत्साहित किया ।

मैं ***डॉ0 प्रेमलता मिश्रा*** रीडर, हिन्दी विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा के स्नेह एवं प्यार को कभी भुला नहीं पाऊँगा, इन्होंने मुझे पग–पग पर बड़े ही सहज् ढंग से शोधकार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये प्रेरित एवं निरन्तर उत्साह वर्धन किया । एतदर्थ अनुगृहीत एवं कृतज्ञ हूँ ।

मैं अपनी पूज्यनीय स्नेहमयी माता जी एवं श्रद्धेय वत्सल पिता श्री रामप्रसाद बाबू जी के प्रति मैं कृतज्ञ एवं विशेष चिरऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इस नवीन कार्य के योग्य बनाया । यह प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उन्हीं के वास्तविक आशीर्वाद का प्रतिफल है ।

मेरे पूज्य भ्राता श्री शिवपूजन, शिक्षक तथा करूणामयी बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री सन्तप्रकाश (प्रवक्ता, एवं एन0सी0सी0 आफिसर, आर0आई0सी0, मौदहा) का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने समय–समय पर मेरा साहस तथा उत्साहवर्धन, स्नेहशील उदारता संवलित विचारों से आत्म विश्वास बढ़ाते हुये सदैव प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शन किया करते हैं ।

मैं श्री महेश कुमार द्विवेदी लिपिक, श्री रोहित कुमार, प्रवक्ता, श्री रामप्रताप, श्री रामहित, श्री राममिलन, श्री सुन्दरलाल, श्री हीरालाल, श्री नन्दकिशोर, श्री रसिक अन्जुमन, श्री नत्थू प्रसाद, श्री बलबीर प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, श्री वीरेन्द्र तिवारी, श्री रणधीर सिंह, श्री त्रिभुवन सिंह, श्री भवानीदीन, श्री चन्द्रकेश, श्री लीलाअन्जुमन व मेरा प्रिय भांजा प्रवीण कुमार उर्फ दीपू एवं अन्य मित्रों के योगदान के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ । जिन्होंने समय–समय पर मुझे इस कार्य के लिये प्रोत्साहित किया । अतः इसके लिये वे समस्त धन्यवदार्य हैं ।

मैं उन समस्त पूर्व अध्येताओं, विद्वानों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थों, साहित्य एवं विचारों का लाभ इस शोध–प्रबन्ध के लिये प्राप्त किया है।

आभार की अभीष्ट कड़ी में प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने में ***शिवानी कम्प्यूटर्स एण्ड फोटोकापी सेन्टर, बांदा रोड़ अतर्रा*** के प्रबन्धक श्री काशी प्रसाद गुप्त, शिक्षक, कम्प्यूटर टीचर श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री सुरेश कुमार व श्री प्रदीप कुमार (फोटोग्राफर) के यथाशक्ति सहयोग के प्रति उनका आभारी हूँ जिन्होंने बहुमूल्य व संक्षिप्त समायावधि में इस कार्य को सम्पन्न किया है ।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है ।

दिनांक : 28/12/2002

शोधकर्ता

Ghanshyam Das
(घनश्यामदास)

निवास :
भवानीगंज, अतर्रा (बाँदा)
उ0प्र0– 210201
☎ 05191–255638

अनुक्रमाणिका

सारणी – सूची

वन्दना

वीणा–पाणि शारदे, पसारदे दया का हांथ
ज्ञान और गरिमा का समुज्जवल प्रकाश दे ।
सत्य, शिव, सुन्दर बनादे मन मानुष का
रागद्वेष भय से विमुक्त आकाश दे ।

टूटे हुये तार जोड़, जीवन की दिशा मोड़
फिर वही उन्मुक्त ह्रास–परिहास दे ।
समता का भाव जगे, पग पग में पीति पगे
ऐसी आर्य संस्कृति को फिर से विकास दे ।।

ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

गुट एवं गुटवाद की प्रकृति और स्वरूप

भारतीय मनीषियों ने अनादिकाल से मानव और समाज के विषय में अनेक अध्ययन किया है । मनुस्मृति में भारतवासियों के समाजिक जीवन और संरचनात्मक व्यवस्था का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है । भारतीय समाज को यदि हम निवास की दृष्टि से विभक्त करें तो नगरीय समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय के रूप में विभक्त कर सकते हैं । नगरीय समुदाय में संचार संवाहन एवं यातायात की अधिकाधिक सुविधा के कारण औद्योगकीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है । ग्रामीण अंचलों में उपरोक्त साधनों के अभाव में अपेक्षाकृत आधुनिकता कम दिखलाई पडती है । आधुनिकता की एक पहचान शिक्षित समाज का होना भी माना जाता है । नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में शिक्षा का अभाव पाया जाता है । अतः ग्रामीण जन परम्परागत रूढिवादिता की जन्जीरों में जकड़े हुये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे विकास का पथ प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं ।

मानव समाज में सहयोग एवं संघर्ष व्यक्ति के अन्तःक्रिया के दो मौलिक स्वरूप हैं, जो अवधारणात्मक आधार से एक–दूसरे के विरोधी होते हैं । जब व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों, आदर्शो एवं मूल्यों की प्राप्ति हेतु सकारात्मक कार्य करते हैं तब सहयोग की सृष्टि होती है । इसके विपरीत जब सामान्य लक्ष्यों, आदर्शो एवं मूल्यों का ह्रास होता है तब आपस में सहयोग न करके लोग अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहते हैं ऐसे अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार–प्रतिमान के परिणामस्वरूप संघर्ष का उद्भव हो जाता है । सहयोग एवं संघर्ष समूह की परिस्थिति व संस्कृति के सन्दर्भो पर आश्रित होकर विभिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं ।

मानव–जीवन में सहयोग एवं संघर्ष :

व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सहयोग एवं संघर्ष सार्वभौमिकता की कडी के साथ विभिन्न क्रिया–कलापों के विस्तृत क्षेत्र में सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत में आकर्षण एवं विकर्षण शक्तियां विभिन्न पदार्थो की स्थिति को

साथ–साथ क्रियान्वित व निर्धारित करती है उसी प्रकार से सामाजिक जगत में सहयोग एवं संघर्ष दोनों साथ–साथ विद्यमान रहते हैं । **सी0एच0 कूले** के शब्दों में – "सहयोग एवं संघर्ष के संयोग के बारे में जो जितना अधिक सोचता है उसे उतना ही अधिक दिखाई देता है कि संघर्ष और सहयेाग पृथक करने योग्य वस्तुयें नहीं है ।"[1] व्यक्ति जब सहयोग करते हैं तो उनकें हित एक सीमा तक ही सामन्जस्यपूर्ण होते हैं । व्यक्ति के अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध में एक क्षेत्र ऐसा होता हैं, जहां हित परस्पर विरोधा–भाषी होते हैं और मनोवृत्तियों में पूर्णरूपेण सरसता का भाव नहीं होता । परिवार में अत्यधिक सहयोग भी संघर्ष की उत्पत्ति को नही रोक सकता । एक सामान्य उद्देश्यों के प्रति निष्ठा होते हुए भी उसके समर्थकों में तीक्ष्ण मतभेद व परस्पर विरोधी आकांक्षायें उत्पन्न होने की सम्भावनायें विद्यमान रहती हैं । इससे अनुभव होता है कि दूसरे लोगों के साथ हमारे सम्बन्धों मे निरन्तर संघर्ष –तत्व का रहना अनिवार्य है, इसी प्रकार परस्पर सहायता में भी, जीवन की सम्पूर्ण योजना इसकी अपेक्षा करती है, व्यक्ति की शारीरिक बनावट इसकों अवलम्बित करती है, और प्रेम एवं कलह व्यक्ति के मस्तिष्क पर सदैव मिलते है ।[2] परन्तु संघर्ष अपने क्षेत्र और विधि में सामान्यतया उन परिस्थितियों के कारण सीमित रहते हैं, जिनमें संघर्ष के क्षेत्र के आन्तरिक और वाह्य प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्तियों में परस्पर कुछ सहयोग सम्मिलित रहता है । सत्य यह है कि सामाजिक संघर्ष का कोई ऐसा रूप नहीं है कि जैसे द्वन्द्व–युद्ध अथवा वाद–विवाद, दौड की प्रतियोगिता, अत्यधिक जटिल सामूहिक रूप जैसे– आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, जातिगत समूह ये परस्पर संघर्ष के रूप में व्यक्त होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सहयोगात्मक क्रियायें नहीं होती । सत्यता इस बात की है कि सामाजिक संघर्ष का केवल एक रूप जो पूर्णतया कम होने वाला नहीं है और जो किसी भी प्रकार के सहकारी ढाँचे के अन्दर क्रियाशील नही होता, वह मात्र युद्ध है, क्योकि अन्ततः युद्ध बिना नियमों के लड़ा जाता है । इसके विपक्ष में जिस समाज में किसी भी रूप में संघर्ष अनुपस्थित रहता है वहीं सहकारी क्रिया–कलापों के कोई उदाहरण नहीं मिलते ।

---

[1] सी0एच0 कूले – 'सोशल प्रोसेस' न्यूयार्क, 1918 पेज – 30.

[2] सी0एच0 कूले – 'सोशल प्रोसेस' न्यूयार्क, 1918 पेज – 56.

सामाजिक समूहों में द्वन्द्व वाद :

व्यक्ति सामाजिक – समूह मानवीय–मूल्यों की प्राप्ति के लिये और एक निश्चित उद्देश्य या स्वार्थ को प्राप्त करने के लिये सामाजिक समूह या सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करता है, इन सम्बन्धों को भाषावत रखनें कि लिऐ आपस में सहयोग का अदान–प्रदान करते हैं । जब एक व्यक्ति विशेष के लिये समूह का आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि किस सीमा तक उसके मौलिक, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति उस समूह के माध्यम से हो पाती है । यदि कोई व्यक्ति समूह के क्रिया–कलापों एवं अपने मूल्यों में सामन्जस्य नहीं कर पाता तो वह समूह में असंगत तत्व के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर देता है । यदि समूह के सदस्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या, व्यक्तिगत एवं समूह के लक्ष्यों में अपनी स्थिति की व्याख्या के वियोजन के रूप में करता है तब ऐसे लोग अन्तर्सामुहिक सम्बन्धों में एक द्वन्द्व की स्थित उत्पन्न करने लगते हैं । यदि व्यक्ति सार्वजानिक उद्देश्यों और नीतियों की पूर्ति हेतु एक–दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो वे एक असमूह की रचना करते है। ऐसे समूहों को **गुट** या **दल** के नाम से जाना जाता है। अपेक्षाकृत गुट अस्थायी समूह होते हैं जिसका प्रादुर्भाव सम्पूर्ण समूह में एक द्वन्द्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है । जो अन्तर्समूह सहयोग के विस्तृत प्रतिमान में द्वन्द्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जो अन्तर्समूह सहयोग के विस्तृत प्रतिमान में द्वन्द्व के ढंग से कार्य करतें हैं, वे अस्थायी समूहों को छिन्न–भिन्न कर देते हैं ।

गुट मानव सम्पूर्णता के रूप में द्वन्द्व–प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन के द्वारा एक विशेष स्तर पर अलग किया जा सकता है । मानव समूहों में जैसे – राष्ट्र, राज्य, जातियाँ, वंश, औपचारिक संघ और अनेक समुदायों के मध्य इन समूहों में से किसी एक में पाये जाने वाले द्वन्द्व से भिन्न होता है । गुट द्वन्द्व प्रतिक्रियाओं का सहगामी होता है । उसका प्रादुर्भाव कार्य समूह और अस्तित्व के अन्दर होता है । अन्तर्समूह केन्द्र जो कि अन्तः समूह अवलोकन से थोडा सा भिन्न है, वही अन्तः समूह सिद्धान्त परिभाषा का केन्द्र होता है । जहां तक मानव समूह एवं सम्बन्धों की व्यवस्था निर्माण का सवाल है, वहाँ गुट आन्तरिक व्यवस्था प्रक्रिया के सन्तुलित कार्य में एक व्यवधान की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है । द्वन्द्व प्रक्रियाओं के सार्वभौमिकता

अन्तर्व्यवस्था के स्तर पर समय और स्थान में गुटगत स्थिति के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करती है ।

गुट के कार्य एवं सम्बन्ध विस्तृत परिवारों, जातियों, समुदायों से लेकर स्वैच्छिक एवं औपचारिक संघों और राष्ट्र व राज्यों तक देखा गया है । मतभेद सिद्धान्तों, नीतियों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साधनों को लेकर हो सकता है, लेकिन अन्तर्निहित और प्रत्यावर्तित का अभिप्राय व्यक्तियों के साधनों और स्तर तथा शक्ति के लिये संघर्ष का मुद्दा होता है । व्यक्तियों के स्वार्थों और मूल्यों को प्रभावित करने वाले आन्तरिक एवं वाह्य कारकों के प्रत्युत्तर में गुट की सदस्यता समूह–स्थिति के बदलाव के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं । गुट समूह एकता की व्यवस्था पहले से सृजित कर स्वीकार कर लेते हैं जो गुट एवं गुट–स्थिति के तादात्म्य का निर्णायक होता है । इसके अनुसार दो प्रतिद्वन्दी राजनैतिक पार्टियाँ गुट नहीं हैं, बल्कि दो या दो से अधिक उपसमूह हैं जो पार्टी के अन्दर की गतिविधियों को नियन्त्रित करने का प्रयास करते हैं। दो गांवों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि एक गाँव में दो उपसमूहों के बीच की लड़ाई गुट की लड़ाई है । **इन्कार** और **स्पैनिश** आक्रामकों के बीच का युद्ध गुटगत द्वन्द्व नही था, जबकि **पियारों** (Pizzaro) और **अलमेग्रो** (ALMAGRO) के बीच का युद्ध गुटगत द्वन्द्व था । राष्ट्रों के बीच के युद्ध को हम गुटगत नहीं कहते, जबकि गृहयुद्ध, मातृ हत्या सम्बन्धी युद्ध, क्रान्तियाँ और समवर्ती क्रान्तियाँ एक गुटगत सन्दर्भ में कार्य करती हैं । गुट का अस्तित्व उस तथ्य को स्पष्ट करता है कि बड़े समूहों की एकता गम्भीर रूप से भंग हो गयी है । मतभेद से समूह का बन्धन पूर्ण–रूपेण क्षत विक्षत हो गया है । गुट समूहों के रूप में विशाल आपवर्तन के सन्दर्भ में एक अलग अभिज्ञान के साथ विखण्ड़ित होते हैं । इस प्रकार से धार्मिक सम्प्रदाय, राजनैतिक पार्टियाँ, व्यापार संघ, गैर इसाई अस्तित्व वाले राष्ट्र तथा राज्य पैदा होते हैं ।[3]

मानव समुदायों में गुटों की संरचना :

पूर्ववर्ती समीक्षा गुटों के संरचनात्मक पहलुओं का मानव समुदाय के रूप में व्याख्या करता है । गुट अपमान एवं सैद्धान्तिक मतभेदों के सन्दर्भ में समुदाय में पैदा

---

[3] दा लेटेस्ट नेशन स्टेट टू इमर्ज इन दिस वे वाज बांग्लादेश इन दिसम्बर, 1972.

होता है ।[4] ऐसी परिस्थितियों में एक या एक से अधिक समूहों के सदस्य समूह की गतिविधियों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अपने को ढाल पाना सम्भव नहीं समझतें । अपने को एक दूसरे के अनुरूप स्वार्थो के लिये वे एक या एक से अधिक सुयोग्य सदस्यों के साथ संगठित हो जाते हैं । ये सदस्य **गुट के नेता** के रूप में कार्य करते हैं । इस प्रकार गुट समूह–संरचना के अनाधिकृत अंशों के रूप में कार्य करने लगते है । इसके सदस्य उन विशिष्ट लोगों की नीतियों एवं गतिविधियों की उन्नति के लिये कार्य करते हैं जो कि उनके गुट को अन्य गुटों की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं। अतः गुट छोटे अव्यवस्थित ढंग से संगठित अपेक्षाकृत अस्थायी एवं अस्थिर समूहों की एक श्रेणी है । ऐसे समूह एक समूह के अनाधिकृत रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक संरचना के एक भाग नहीं है, लेकिन इन समूहों के कार्यो के मामले में समूह के सदस्यों के विचारों एवं क्रिया–कलापों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं । वे समूह के पूरे आकार के छोटे संयोजक हैं । उनके संगठन की अव्यवस्था पुनः उस समूह के नियमों एवं आचार–विधियों के सापेक्ष होती हैं । उनके अन्दर सामन्जस्य का भाव होता है, लेकिन उनका सामन्जस्य परिवर्तित होता रहता है । उनका अस्थायी, अस्थिर गुण उस समूह की प्रवृत्ति से सम्बन्धित होता हैं, जिसमें वे आपस में मिले होते हैं और आगे की ओर बढने लगते हैं। यदि सैद्धान्तिक अन्तरों को समाप्त कर दिया जाये तो गुटों का अस्तित्व प्रायः समाप्त सा होने लगता है या गुट पुनः किसी विवादास्पद कारणों के आने पर प्रतिक्रिया करने के लिये निष्क्रिय हो जाते हैं, परन्तु दूसरी तरफ यदि अन्तरों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाये और निन्दा तथा तिरस्कार का वातारण बढता जाये तो समूह के कार्यो को हानि पहुंच सकती है । ऐसी परिस्थितियों में दल अस्थायी समूहों के रूप में कायम रह सकता है, और नये समूहों के अन्तर्भाग के रूप में अपनी एक अलग पहचान के साथ सामने आ सकता है ।

यदि समूह के आन्तरिक स्थिति में परिवर्तन होता है तब गुटों की सदस्यता में परिवर्तन आ जाते हैं । सदस्य गण अपनी स्वार्थ–सिद्धि और स्थिति को देखते हुए गुट को त्याग सकते हैं या नये सदस्य गुट में सम्मिलित हो सकते हैं । एक गुट से सदस्यों के बीच सामाजिक सम्बन्ध और उनके नेता एक दूसरे के सामाजिक सांस्कृतिक

---

[4] ओस्कार लुईस – विलेज लाइफ इन नार्दन इण्डिया, यूनिवर्सिटी आफ इलिनोइस प्रेस, 1958 पेज– 30–31.

दशा के अनुसार अन्तर करते रहते हैं । विकास क्षेत्र का सार्वभौमिक सम्बन्ध सामान्य संकट के विरूद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान है । दूसरे संरचनात्मक सम्बन्ध मित्रता, नाता, जाति, क्षेत्र व परस्पर आभार और सामुदायिक सुदृढता के आधार बिन्दू समझे जाते हैं । और यह सम्बन्ध धर्म, जाति, भाषा पर निर्भर करता है । क्योंकि किसी गुट में भाग लेने की प्रक्रिया व्यक्ति विशेष के दूसरे समूह के सदस्यों के साथ सम्बन्धों से सम्बन्धित है । संकटकालीन स्थिति में उस व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा उन लोगों के द्वारा की जा सकती है जो कि उनसे सामाजिक सम्बन्धों के जाल में बंधे हुए है । ऐसी स्थितियों में वह अपने सहयोगियों का सम्बन्ध प्राप्त कर सकता है । पारस्परिक आभार का तरीका व्यक्ति के इस भय से सम्बन्धित है कि वह दूसरों के मामले में उनकी सहायता नहीं करता, तो उसकी आवश्यकता पड़ने पर लोग सहायता नहीं करेंगे । **ए0सी0मेयर** ने 'फिजी' में भारतीय गुट की स्थित की विवेचना में स्पष्ट किया कि 'असामी' अपने जमींदारों की सहायता इसलिये करते हैं कि उनसे उनको पहले लाभ मिलता आया है और भविष्य में भी ऐसा होता रहे। मित्रवत कुटुम्ब (कुल–वंश) जाति एवं समुदाय के सदस्यों को गुटगत गठबन्धन समूह की सुदृढ़ता को सरुक्षित रखने के लिये लाया जा सकता है, बशर्ते वे स्वयं दलगत झगड़ों से त्रस्त न हों ।[5] ब्राहिमपुर में प्रभावशाली जातियों के सदस्यगण अपनी सुदृढ़ता को पारम्परिक ढंग से सुरक्षित रखने के लिए राजनैतिक, आर्थिक प्रभाव के कारण अन्तर्जातीय गुट बनाते देखे गयें ।[6] ऐसी स्थिति में गुटों में व्यक्तियों की भर्ती संरचनात्मक एवं निजी स्वार्थो पर आधारित होती है, जिससे गुट के सदस्यों की बीच संरचनात्मक सम्बंध बढते हुये समूह की सामाजिक संरचना के अनुसार बदलते रहते हैं । क्योकि आपस में एक – दूसरे के पूरक एवं गुट को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता पहुंचाते हैं । उनसे गुटगत गठबन्धन के मूलभूत सिद्धान्त नहीं बन सकतें । गुट से किसी अनबन के सन्दर्भ में जब कुछ व्यक्ति अपने एक तरह के स्वार्थो की सिद्धि के लिये कुछ नियम–कानून बनाते है, तो वही उनका मूल सिद्धान्त होता है ।

इसराइली देहाती समुदाय में प्रवासी नागरिकों में गुट एक ऐसा प्रकरण प्रस्तुत करतें हैं जिनमें कोई संरचनात्मक बन्धन समूह के बनने की प्रक्रिया में उपस्थित

[5] ए0सी0 मेयर – पीजेन्ट इन दा पैसिफिक रूटलेज एण्ड किगन पाल, लन्दन, 1951 पेज – 328–336.
[6] पी0एन0 रस्तोगी – फैक्शन सिच्यूशन एट ब्राहिमपुर मैन इन इण्डिया, 43– 1963, पेज – 328–336.

नहीं था। प्रतिद्वन्दिता में एक–दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से व्यक्ति विभिन्न गुटों में सम्मिलित होता है । एक गुट के सदस्य दूसरे से पहले ही धार्मिक जातिगत या किसी सम्बंध में जुड़े नही होते, बल्कि एक ही तरह के उद्देश्यों से प्रेरित लोग एक गुट मे सम्मिलित होते हैं ।[7] उत्तरी भारत के **पंजाब एवं हरियाणा** के गांवों में इसी प्रकार तथाकथित स्थायी निवासियों एवं पाकिस्तान से आये हुये प्रवासी नागरिकों के बीच एक दरार सी पड़ी है । यहां भी व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थ–सिद्धि में सामाजिक संरचना के परम्परागत सिद्धान्तों का समावेश नहीं है, जो एक समूह की संरचनात्मक दृढ़ता गुटों के बीच में शत्रुता के स्तर को प्रभावित कर सकती है । स्वच्छन्द और बहुवादी समूहों में जहां सदस्य आंशिक रूप से अंश ग्रहण करतें हैं, वहां पर द्वन्द्व का स्तर गुट के साथ सामान्य होने की सम्भावना रहती है । दूसरी तरफ बन्द समूहों में, जिसकी संरचना बहुत मजबूत होती है, गुटबन्दी का स्तर अत्यधिक तीव्र एवं तनावपूर्ण होता है । ऐसे समूहों में सदस्यों का समावेश एवं क्रियाशीलता होनी चाहिए तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की तुलना में समूह के साथ सदस्यों की गतिविधि अत्यधिक सक्रिय होनी चाहिए। ऐसे समूहों में मतभेद एवं सैद्धान्तिक अन्तर सुदृढता के नाम पर धीरे–धीरे विलय होने लगते हैं । ऐसे समूहों में जब कभी द्वन्द्व की स्थित पैदा होती है तो यह द्वन्द्व वर्तमान विषय तक ही सीमित नहीं रहता । यह द्वन्द्व पिछले झगडों से भी सम्बन्धित होता है, जिसका कि कोई हल नही निकाला जा सकता है । दृढ़ संरचनात्मक सिद्धान्तों के साथ स्थगित समहों के उदाहरणों में गिरजाघर, राजनैतिक आन्दोलन, गुप्त समाज एवं क्रान्तिकारी संगठन इत्यादि दृढ़ संरचनात्मक सिद्धान्तों के साथ बन्द समूहों के उदाहरण हैं ।

गुट स्थिति की संरचना :

किसी एक समूह में विशेष प्रकार की परिस्थितियों में गुट उभरते एवं सक्रिय होते हैं । तथा विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ गुट–स्थिति को बनाने में सहायक होती हैं । गुट–स्थिति का सम्प्रत्यय इस तथ्य से सम्बन्धित होता है कि वे पहलू और गुण

---

[7] मोस सोकिड – इम्मीग्रेशन एण्ड फैशनलिज्म ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलाजी वाल्यूम 19 न.4,1968 पेज –386.

जो कि दलगत व्यवहार को समाविष्ट करते है, एक नियमितता को प्रदर्शित करते हैं । ये नियमिततायें तादात्म्य के योग्य एवं अन्योन्याश्रित होती हैं । प्रत्येक व्यक्तिगत गुट–स्थिति एक विलक्षण सामाजिक तथ्य है । व्यक्ति और मूल्य के सन्दर्भ में प्रत्येक गुट–स्थिति की अलग से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समय, स्थान, समूह, संस्कृति निर्माण करते हैं । और गुट के प्रादुर्भाव में अचर तत्वों का एक समूह सम्मिलित हो सकता है, जो प्रत्येक द्वन्द्व–प्रक्रिया के आधारभूत पहलू से सम्बन्धित होता है । ये **चर** तत्व एक गुट–स्थिति के निर्माण में सहायक एवं संरचना दलगत द्वन्द्व के किसी खास मामले से सम्बद्ध विशेष घटना या विवरण से सम्बन्धित होती हैं । अपने सामान्य पहलुओं में गुट स्थितियां समाकृतिक हो सकती है, उनका उद्भव विकास, ठहराव, सेटिंग अलग–अलग हो सकती हैं परन्तु उनकी संरचना निश्चित रूप से एक समान होती है । यह संरचनात्मक समानता उन अचर तत्वों के द्वारा स्पष्ट की जाती है जो कि संरचना के केन्द्र–बिन्दु का कार्य करते हैं ।

गुट–संरचना का केन्द्रबिन्दु :

किसी एक समूह में गुट किसी नेता के साथ विकसित होते हैं और उनके बीच स्वार्थो का टकराव इस गुट–संरचना की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है । स्थिति का उत्तरकालीन प्रारूप झगडें के मौलिक प्रारूप से निश्चित किया जाता है । संरचना में विभिन्नता एवं परिवर्तनशीलता भी हो सकती है । व्यापार संघों में गुटवाद मजदूरी की पद्धति, सुरक्षा, लाभ के प्रकार, श्रेष्ठता–क्रम इत्यादि मामलों में निश्चित होते हैं । ये मुद्दे औद्योगिक स्थापना के विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करते हैं।[8] ऐसे मामलेां में यह शक्ति, संघर्ष ऐसी स्थिति को स्पष्ट करते हैं जिनमें व्यवस्था एवं संघ में मध्य समझौता संघ के द्वारा समर्थित और अनुसमर्थित नही होते । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रण–संघों. में गुटवाद मालिक के प्रति नीति को संयत बनानें कें मामलों पर कारगर सिद्ध हुआ है । कुछ दूसरे मामलों में द्वन्द्व मात्र संघ के ऊपर भक्ति और नियन्त्रण के लिये हो सकता है।[9]

---

[8] रास स्ट्रंगर – फिजियोलोजी आफ इण्डस्ट्रियल कानफ्लिक्ट जान विले, न्यूयार्क, 1956.

[9] जेम्स कोलमैन , एस0एम0 लिपसेट एण्ड एम ट्रो–यूनियन डेमोक्रेसी डबल डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1962 पेज–34.

भारतीय गांवों में गुटवाद भूमि, सिंचाई, पानी, चारागाह, स्थानीय चुनावों, सरकारी विकास कार्यक्रम के द्वारा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये होड़ इत्यादि जैसे मामलों को लेकर उत्पन्न होते हैं । **इसरायली** ग्रामीण समुदायों में द्वन्द्व के मुद्दे ट्रेक्टर, ठेलागाडियों, जन–सेवा और ग्रामीण दुकानों के बंटवारे इत्यादि में देखा जा सकता है । द्वन्द्व की स्थिति तब और भयंकर होती है जब कुछ तथाकथित लोग सारे सुलभ साधनों पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करने लगते हैं ।[10] इसी प्रकार बैंको, व्यापारिक–प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों जैसे भारतीय जन–संघो में गुटवाद तब बहुत ही जोर पकडने लगता है जब इन संस्थाओं के प्रभावशाली लोग खासतौर से अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरियों में वरीयता देने लगते हैं । ऐसे उदाहरणों में जातिगत क्षेत्रवाद के आपत्तिजनक तरीकों के साथ प्रक्रिया का अधिस्थापन किया जा सकता है।[11]

गुट की प्रकृति :

एक सामाजिक समूह में गुट–स्थिति का मुख्य तत्व गुट के प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच स्वार्थो का आपसी टकराव है । और जब इस टकराव का कोई समाधान नही निकलता तो यह द्वन्द्व के रूप में सामने आ जाता है । गुट–स्थिति के दूसरे केन्द्र इसका अनुकरण करते हैं । तदनुसार जहां कहीं संस्थागत या अर्द्धसंस्थागत अन्तर्समूह मतभेदों के नियन्त्रण के लिये हैं वहां गुटवाद उत्पन्न नहीं होगा । ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसी व्यवस्थायें सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के कारण अप्रभावी सिद्ध हो जाँये। गुटगत द्वन्द्व की समाप्ति अभिन्न रूप से निर्मित स्थिति की दुर्व्यवस्था को स्पष्ट करती है। अथवा यह कहिये कि यह संरचना को विस्तृत करने के तरीकों का अधिग्रहण प्रदर्शित करती है। जहां तक इसको प्रभावित किया जा सकता है, गुट–स्थिति नही बनेगी, यद्यपि व्यापक रूप में तनाव उपस्थित रहेगा । गुट–स्थिति की पद्धतियों में संरचना के केन्द्रों के बीच आलोचनात्मक सम्बन्ध से ऐसा होता है । विभिन्न प्रकार के समूहों में द्वन्द्व के नियमन के लिए विभिन्न यन्त्र–विन्यास पाये जाते हैं । सामाजिक स्तरों के प्रकार वर्गीय द्वन्द्व की आपसी तथा सामाजिक मध्यस्थता के द्वारा सामान्य

---

[10] मोसे सोकेड – इम मी ग्रेटियन एण्ड फैशनेलिज्म, ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलोजी वाल्यूम, 19 नं0, 4, 1968, पेज, 386

[11] कास्ट पोलिटिक्स इन एजुकेशन – दा हिन्दुस्तान टाइम्स जनवरी, 9, 1964 ।

मूल्यों पर जोर देकर जनता के मतों के परिचालन के माध्यम से दूसरे यन्त्र–विन्यास, सम्मानित तथा वैधानिक नेतृत्व, संस्थागत और नैत्यीकृत प्रक्रियाओं, विभिन्न युक्तियों और पारस्परिक भूमिकायें जो कि द्वन्द्व को पृथक करने के लिये कार्य करती है, के रूप में विभिन्न प्रकार से हो सकती हैं । और दूसरे संरचनात्मक तत्वों के प्रादुर्भाव का वे प्रतिकार करते हैं ।

गुट–स्थिति के अन्तिम अनिवार्य तत्व :

जब एक गुट–स्थिति का उद्‌गम, विकास, स्थाई करण आनुक्रमिक तत्वों का एक संग्रह रूप प्रस्तुत करता हैं, तब गुट का चरित्र आन्तरिक गतिशीलता और बाह्य कारको के कारण बदलता रहता हैं, जब तक गुट स्थिति अपने पर्यावरण व्यतिक्रम के प्रति निकाय की प्रतिक्रिया को निरूपित करती हैं, व स्थिति अर्द्धस्थायी एवं सन्तुलित निकाय की तरफ बढ़ती हैं जो कि निकाय के नये स्तर के प्रति प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं । इस सन्दर्भ में एक गुट स्थिति को अन्तिम अनिवार्य पाँच तत्वों द्वारा उद्घालित किया गया हैं जो निम्न प्रकार से हैं–

(अ) गुट एक समूह से विलुप्त किया जा सकता है ।

(ब) गुट–विच्छेदन के साथ गुट–समूह विघटित होते हैं और यह विघटन नवीन समूहों को एक प्रथक अभिज्ञान के साथ जन्म देता हैं ।

(स) निकाय के अन्दर समायोजन का एंक प्रारूप समूह के अन्तर्गत गुटों के संस्थाकरण में परिवर्तित होता है । समूह वैधता का एक माप प्राप्त कर समूह–संरचना के एक मान्यता प्राप्त अंग के रूप में कार्य कर सकता हैं ।

(द) किन्ही विशिष्ट समस्याओं पर गुट अस्थायी सदस्यता और संरचना के साथ आन्तरिक रूप से कार्य कर सकते हैं । एक निश्चित अन्तराल पर अति सामान्य निरन्तरता एवं बिना संगठन के आधार के अभिमत समूह के वे प्रारम्भिक गुट स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि निश्चित रूप धारण करने में सर्वथा असफल रहतें हैं ।

(य) गुट की अनिवार्य अन्तिम स्थिति की श्रेणी द्वन्द्व–प्रक्रिया के विपर्यय से सम्बन्धित है, क्योकि द्वन्द्व का उमडता हुआ तरीका स्वयं को उलटा कर सकता है। इस प्रकार द्वन्द्व धीरे–धीरे इस तरह से कम होने लगता है कि समूह की दृढ़ता और

संघटन में बृद्धि होने लगती है । ऐसी स्थिति में संरचनात्मक तत्वों का बहुत ही कम या बराबर नकारात्मक विस्तार होता रहता है, जो कि मापन योजना की प्रकृति पर निर्भर करता है ।

संरचना एवं गतिशीलता :

गुट की स्थिति संरचना एवं गतिशीलता के अन्तिम स्तर की पूर्ववर्ती व्याख्या गुट–स्थिति संरचना और द्वन्द्व–प्रक्रिया के गतिकी के बीच सम्बन्ध का प्रश्न उत्पन्न करती है । एक गुट–स्थिति संरचना के सात अचर केन्द्रो के एक समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित की जाती है । लेकिन इसकी समाप्ति की प्रणाली उपयुर्क्त पांचों में से किसी एक स्थिति के अनुरूप हो सकती है । परिणामस्वरूप ऐसी परिवर्तनशीलता ऐसे निकायों में कैसे आती है जो कि अचर और समाकृतिक संरचना रखता है ? मुख्यतया इसका उत्तर संरचनात्मक तत्वों और वे कैसे एक साथ गतिज विधियों में परिवर्तित होते हैं, के बीच विवेचनात्मक सम्बन्धों की प्रकृति में निहित है ।

गुट का सम्प्रत्ययात्मक विश्लेषण :

गुट का सम्यक बोध प्राप्त करने के लिये इसका सम्प्रत्ययात्मक विश्लेषण आवश्यक है । समाज वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रत्यय को विश्लेषित करनें का बहुत कम प्रयास किया गया है । **फेयर चाइल्ड** का मत है कि "एक द्वन्द्व समूह का प्रकार उद्देश्य से पृथक, अधिक या कम, प्रकृत्या क्षणिक जो आन्तरिक द्वन्द्व की स्थितियों के परिणामस्वरूप समुदायों तथा प्रतिस्थापित संगठनों में सतत विकसित होते हैं ।[12]
मानक हिन्दी शब्द–कोष के अनुसार – गुट किसी विशिष्ट उद्देश्य से बनाया हुआ व्यक्तियों का वह छोटा दल है जो किसी विशिष्ट पक्ष या मत का पोषण करने के लिए बनाया जाता है ।[13] **पोकाँक के शब्दों** में – "गुट का तात्पर्य सम्पूर्ण समुदाय के अन्तर्गत विद्यमान संघर्षपूर्ण समूह से है । यद्यपि संघर्ष गुटों की आन्तरिक आवश्यकता नही है लेकिन इसमें अक्सर समुदायों को विभक्त करने की प्रवृत्ति होती है । गुट

---

[12] फेयर चाइल्ड – डिक्शनरी आफ सोशियोलोजी, एच.पी. फेयर चाइल्ड विजन ,लन्दन, पेज 112.
[13] रामचन्द्र वर्मा (सम्पादक) – मानक हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भाग–2. 1965 पेज– 109.

स्थायी समूह नहीं होता तथा इसकी सदस्यता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से गुट एक संघटक इकाई है ।[14] **चैम्बर डिक्शनरी** के अनुसार – गुट व्यक्तियों का संयुक्त अथवा एक साथ कार्य करने का समूह है । प्रायः इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है ।[15] **इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोसल साइन्सेज** में गुट शब्द साधारणतया किसी बडी इकाई के अंशभूत समूह को निर्दिष्ट करने के लिये प्रयुक्त किया गया है । ऐसा समूह कुछ विशिष्ट लोगों या नीतियों की उन्नति के लिए कार्य करता है।[16]

उक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता द्वारा भी गुट को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत शोध – अध्ययन में गुट का तात्पर्य एक ऐसे लघु समूह से है जिसके सदस्य अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये एकीकृत होते हैं । तथा 'हम की भावना' से ओत–प्रोत होते हैं ।

गुट की विशेषतायें **:** उक्त परिभाषा के आधार पर गुट की निम्न विशेषतायें है :–

1. गुट भी एक अन्य समूहों की भांति सामाजिक समूह है जो आकार में अत्यधिक लघु रूप में होता है । जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है ।
2. गुट का निर्माण किन्हीं स्वार्थो की पूर्ति के लिये निर्मित किया जाता है ।
3. गुट के सदस्य आपस में 'हम की भावना' से एकीकृत होते हैं ।
4. गूट या समूह के सदस्य अपने स्वार्थो की पूर्ति के सन्दर्भ में आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं इसके लिए वे हिंसा एवं अहिंसा के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं ।
5. वर्तमान जीवन में गुट राजनीति और संघर्ष से अधिक प्रभावित हैं । लेकिन यह उनका एक मात्र स्वरूप नहीं है तथा गुट सभी ग्रामीण समाजों में विद्यमान है । तथापि गाँवों में यह सामाजिक संस्था संरचना की आधारभूत विशेषता मानी जाती है ।

---

[14] डेविड पोकाक – दा बेसिस आफ फंक्शन इन गुजरात, ब्रिटिश जनरल आफ सोशियोलोजी, 1957 पेज– 296.
[15] विलियम गेड्डी (ई0डी0) – चैम्बर्स डिक्शनरी, इलाईड पब्लिशर्स, 1964 पेज–38 .
[16] इडविन आर0ए0 सेलिगमैन (ई0डी0) इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज भाग–6, पेज–49.

गुट के निर्माण की पूर्व दशाएँ या स्थिति :

प्रत्येक गुट के सदस्य सदैव कुछ सामान्य स्वार्थो द्वारा बँधे होते हैं तथा गुट को अपने हितों की अधिकतम पूर्ति का एक अभिन्न साधन मानते हैं । यदि उनके हितों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो एक गुट के सभी सदस्य मिलकर उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं । यहीं पर गुट की भूमिका अक्सर संघर्षात्मक भी हो जाती है । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस गुट के विरूद्ध संघर्ष किया जाय उसकें द्वारा यह भूमिका संघर्षात्मक समझी जाती है । लेकिन बाधा का सामना करने वाले गुट के लिये संघर्ष का स्वरूप भी प्रकार्यात्तमक होता है । सामान्य स्वार्थ के अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण अथवा परिस्थितियां होती है । जो किसी गुट के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है इस सम्बन्ध में **लेविस** ने गुट के स्थायित्व के लिये तीन आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया है,[17] जो निम्न है –

1. किसी गुट के लिए सदस्यों का संगठित होना आवश्यक है जिससे वे एक सम्बद्ध इकाई के रूप में कार्य कर सके ।
2. गुट की सदस्य–संख्या इतनी होनी चाहिए कि गुट एक आत्मनिर्भर समूह के रूप में कार्य कर सकें तथा किसी विशेष अवसर पर उसे बाहरी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता न हो । उदाहरण के लिए यदि किसी गुट के सदस्य मिलकर एक धार्मिक उत्सव मनाना चाहें तों गुट के सदस्यों की संख्या इतनी अवश्य होनी चाहिए कि उत्सव से सम्बंधित सभी कार्य और आवश्यकतायें वे स्वयं पूरी कर सकें। वास्तविकता यह है कि विशेषीकरण और परिवर्तन के वर्तमान युग में आज प्रत्येक गुट अनेक अवसरों पर वाह्य सदस्यों का सहयोग भी लेने लगे हैं । ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता को गुट के स्थायित्व को अनिवार्य आधार न मानकर केवल एक सहयोगी आधार के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए ।
3. गुट की स्थिरता के लिये आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त साधन हों जिससे प्रत्येंक स्थिति में गुट के सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं, की पूर्ति की जा

[17] आस्कर लेविस – विलेज लाइफ इन इण्डिया यूनिवर्सिटी आफ इलीनोइस प्रेस अर्बन, 1958, पेज–113–114.

सके। इस दृष्टिकोण से गुट के अन्तर्गत कुछ ऐसे साधन सम्पन्न लोगों का होना आवश्यक है जो गुट के निर्धन सदस्यों को रोजगार, ऋण तथा विभिन्न अवसरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करते रहें । यही कारण है कि गुट के साधन सम्पन्न सदस्य अन्य सदस्यों के लिये कृषि योग्य भूमि, बीज एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करतें हैं । कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि गुट को किसी अन्य समूह अथवा व्यक्ति के साथ संघर्ष करना पडता है तो ऐसी स्थिति में मुकदमें तथा अन्य प्रकार के व्यय का प्रबन्ध भी इन साधन सम्पन्न सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। यही कारण है कि गाँव में अक्सर किसी गुट की शक्ति का मूल्यांकन उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही किया जाता है । इस दृष्टिकोण से भी आर्थिक सम्पन्नता भी गुट के स्थायित्व का महत्वपूर्ण, आधार माना जाता है ।

गुट विश्लेषण के आयाम :

समाज में मानव समूह के अन्तर्गत द्वन्द्व की प्रक्रिया में गुट आकस्मिक सामाजिक अस्तित्व है । इसकी आकस्मिकता, अस्तित्व और परिवर्तन द्वन्द्व स्थिति की प्रगति को स्पष्ट करती है । यदि इनका विश्लेषण किया जाये तो विश्लेषक श्रेणियाँ पद्धति की स्थिति, परिवर्तन की दिशा और प्रकृति को स्पष्ट करेगी । आयाम और विश्लेषण श्रेणियां गुटों की आकृति विज्ञानं को एक सामाजिक इकाई के रूप में भी प्रदर्शित करती है । वे मुख्य प्रसांगिक से वृहद् समझे जाते हैं । प्रसांगिक श्रेणियों की सम्पूर्णता आयाम के साथ उस दौरान पद्धति की स्थिति को प्रदर्शित करती है जो सारणी संख्या 1.1 के अग्रलिखित शीर्षकों के विवेचन से स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या – 1.1 गुट विश्लेषण के आयाम

क्रमांक	आयाम	विश्लेषण श्रेणियाँ				अवशिष्ट पक्ष
		1	2	3	4	
1	गुटों की संख्या	दो	तीन	तीन से अधिक	–	सम्मेलन की प्रणाली यदि कोई हो
2	समूह सदस्यता का अनुपात	आधे से अधिक का	आधे और एक तिहाई	एक तिहाई और एक चौथाई का	एक चौथाई से कम का	समूह संरचना के श्रेणीबद्ध स्तर की सम्बद्धता
3	एक दिये हुये समय के बाद सदस्यता का स्थायित्व	अच्छी तरह से स्थायी	अनावर्ती परिवर्तन	आवर्ती परिवर्तन	–	अर्थपूर्ण सदस्यता या गुट के दूसरे सदस्यों से अलगाव
4	सदस्यता में परिवर्तन का सापेक्षिक महत्व	समूह आकार में आनुपातिक वृद्धि	गुट आकार में समानुपातिक घटाव	परिवर्तन के बावजूद आकार में थोडा सा लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं	–	दल को छोड़ने या उससे सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों का सापेक्षिक महत्व
5	अवनव का प्रारम्भ	समूह के प्रारम्भ से	विशिष्ट घटना या समय	अभिनव या दीर्घ स्थिति	प्रत्यावर्ती स्वभाव	–
6	दिये हुये समय में अवनव की प्रकृति	निरन्तरता	निश्चल	सविराम	–	–
7	झगड़े के मुद्दे	विशिष्ट या प्रसृत	सापेक्षिक रूप में सामान्य या जटिल	एक, दो या अनेक	संकीर्ण या विस्तृत	समाज के प्रत्यक्षीकरण और प्रेक्षक के बीच सामन्जस्य अर्थपूर्ण हो
8	अन्तर्निहित स्वार्थो एवं मूल्यों की प्रकृति	शक्ति एवं स्तर	अहम् की जटिलता की सीमा	स्रोतों का नियन्त्रण	सम्मिश्रण की पद्धतियाँ	झगड़ों का वैचारिकी प्रतिपादन
9	द्वन्द्व की तीव्रता	सामाजिक दूरी एवं परिहार	विवाद कला एवं असहयोग	प्रत्यक्ष उत्तेजक गतिविधियाँ	हिंसा	प्रत्येक क्रमागत श्रेणी अपने पूर्ववर्ती श्रेणियों को सम्मिलित करती है
10	द्वन्द्व का क्षेत्र	उपव्यवस्था स्तर तक सीमित	सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में विस्तृत होती है	वृहद् व्यवस्था के प्रसार के साथ सम्बन्ध	–	–
11	गुट सदस्यों की बीच सामाजिक बन्धन	सामान्य स्वार्थ एवं तिरस्कार पूर्ण भाग	संरचनात्मक बन्धन	मित्रता एवं कृतज्ञता की अन्योन्यता	सम्मिश्रण का ढंग	गुट के सदस्यों के द्वारा स्वार्थी का प्रत्यक्षीकरण
12	द्वन्द्व के निर्णायक तत्वों का स्तर	सक्रिय एवं निष्क्रिय	प्रभावी या अप्रभावी	–	–	–
13	द्वन्द्व के निर्णायत तत्वों की स्थिति	व्यवस्था में आन्तरिक	पूर्ववर्ती व्यवस्था में बाह्य रूप से सम्बन्धित	आन्तरिक एवं बाह्य दोनों	–	–

(१) ***गुटों की संख्या*** : – यह विश्लेषण की प्रथम आवश्यकता है । जिसमें दो गुट या दो ध्रुवीय स्थिति को प्रायः नोट किया जाता है पक्ष और विपक्ष के मामले में, नरम दल और गरम दल, रूढिवादी और प्रकृतिवादी, परित्यक्त और आदरणीय, सैद्वान्तिक एवं संसोधन वादी, आस्तिक और नास्तिक, प्राचीन और नवीन संरक्षक ये कुछ एक–दूसरे के विरोधी शब्द हैं, जिनका विवेचन ध्रुवीय स्थिति में होता है । लेकिन इससे अधिक और स्थितियों का भी अध्ययन किया गया है ।[18] सामान्य तौर पर अनेकों गुट बहुध्रुवीय स्थिति को द्विध्रुवीय स्थिति में बदलने के लिये एक–दूसरे से मिल सकते हैं या सन्धि कर सकते हैं । इस प्रकार के उदारहण के लिये जापान के राजनैतिक पार्टियों में गुटगत सन्धियों को देखा जा सकता है और प्रभावकारी सन्धि सामान्यतया मुख्य धारा समूह के रूप में जानी जाती हैं और मुख्य धारा का विरोधी समूह के द्वारा कभी–कभी विरोध भी होता है।[19]

(२) ***समूह सदस्यता का अनुपात*** :– गुट विश्लेशण का यह द्वितीय बड़ा आयाम है और द्वन्द्व सन्तुलन में गुटों की सापेक्षिक स्थापना को निर्देशित करता है । बहुमत एवं अल्पमत पद सामान्यतः बलों की सापेक्षिक सांख्यिकीय स्थिति को व्यक्त करतें हैं । इसका स्पष्टीकरण 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के विभाजन के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी के 'गुट में संसद के दो–तिहाई से अधिक सदस्य थे लेकिन पार्टी के कार्यकारिणी समिति में आधे से भी कम उनके सदस्य थे ।[20] प्रतिद्वन्दी दलों के सदस्यों के अनुपात में परिवर्तन समूह सामाजिक संगठन में हो रहे परिवर्तनों को प्रदर्शित करेगा।

(३) ***सदस्यता का स्थायित्व*** :– गुट गत सदस्यता के स्थायित्व को नोट करके उपयुर्क्त प्रेक्षण को पुष्टि किया जा सकता है । परिस्थिति आत्मशासित एवं संस्थागत गुटों को लेकर वहां तक पहुंच सकती हैं ।[21] जहां पर व्यापक गुटवाद दलों के निर्माण में तीव्र परिवर्तन उत्पन्न करते हैं ।[22] गुट भी किसी विशेष मामले से

---

[18] पी0एन0 रस्तोगी – पोलिरिजेशन एट ठाकुरपुर दा प्रोसेस एण्ड द पैटर्न, सोशियोलोजिकल बुलेटिन भाग–15, 1966.

[19] आर0 सेल्पिनों एण्ड जे0म्यूसिमी – पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स इन कान्टेमप्रेरी जापान यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस 1962, पेज 89–80

[20] पी0एन0 रस्तोगी – पोलिरिजेशन एट ठाकुरपुर प प्रोसेस एण्ड द पैटर्न सोशियोलोजिकल बुलेटिन भाग–15, 1967

[21] जे0मौसमी – ए प्रोफाइल आफ द जापानीश कान्जरवेटिव पार्टी, एशियन सर्वे बुलेटिन–3 नं0 8 1963 पेज–390–396.

[22] ए वेल्स एण्ड बी सेन्गल – परवेसिव फैशनेलिज्म अमेरिकन एन्थ्रोपोलिजिस्ट, 1960 पेज 62.

सम्बन्धित क्षणभंगुर समूह से लेकर शक्ति के लिये लम्बे संघर्ष में लगे स्थायी समूह तक होता है ।[23] विश्लेषण का यह पहलू प्रारम्भिक स्तर से वर्तमान वस्तुस्थिति का अध्ययन प्रस्तुत करता है ।

(४) *गुट के सदस्यों में परिवर्तन* :– गुट की सदस्यता मे परिवर्तन उनके सदस्यों में स्वार्थो की अनुभूति पर निर्भर करता है । ये परिवर्तन समूह–सदस्यता के अनुपात में छोटे या बडे हो सकते हैं । विभिन्न गुटों में सदस्यता में परिवर्तन का सापेक्षिक विस्तार द्वन्द्व प्रणाली और वातावरण के सापेक्ष समूह की स्थिति में अपने स्थान का अन्दाजा लगाने के लिये मुख्य है ।

(५) *मतभेद का प्रारम्भ* :– स्थिति के प्रारम्भिक स्तर का अध्ययन मतभेद की शुरूआत के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है । इस मतभेद का प्रारम्भ समूह की शुरूआत से ही किसी विशेष घटना को लेकर हो सकता है । मतभेद बहुत पुराना या वर्तमान समय का भी हो सकता है । इस मतभेद का प्रारम्भ या सम्बंध न केवल आन्तरिक बल्कि वाह्य उन सभी घटनाओं और कारकों से है जो कि समूह को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं ।

(६) *काल–परिस्थिति में मतभेद की प्रकृति* :–

इस आयाम का सम्बंध समकालीन पहलुओं एवं बढ़ते हुए तनाव के प्रेक्षण से हैं। गुट अकीर्तिकार कार्यो में लगे हैं या नही या उनके क्रिया–कलाप कुछ निश्चित अन्तर पर हुआ करते हैं–इस श्रेणी में आते हैं । यह विश्लेषण के अन्य पहलुओं को पूरा एवं सुनिश्चित करेगा ।

(७) *झगड़े के मामले* :–

यह आयाम समूह के सदस्यों के अध्ययन से सम्बंधित हैं । झगड़े के मामलों की विशिष्टता एवं व्यापकता का सीधा सम्बन्ध गुट के सदस्यों के द्वन्द्व के प्रत्यक्षीकरण से हैं। ऐसे मामलों की संख्या का एक अन्य प्रासंगिक पहलू भी हैं । द्वन्द्व का सम्बन्ध मूल रूप से एक या दो मामलों से हैं या तमाम विभिन्न महत्व के मामलो से हैं । इन

---

[23] रास स्ट्रंगल फिजिकोलोजी आफ इण्डस्ट्रियल कन्फ्लेक्ट जान विले न्यूयार्क, 1956 .

मामलों पर आधारित आपसी अन्तर या तो सामान्य एवं साधारण होगा या तो बहुत बड़ा एवं जटिल होगा ।

(८) सन्निहित स्वार्थों की प्रकृति :-

जैसे–जैसे द्वन्द्व की तीव्रता बढ़ती जाती है, स्वार्थों का टकराव भी उसी प्रकार वृह्द होता जाता है । वे वर्तमान स्थिति के मूल एवं विकास का आधार होने के मुख्य कारण रहते हैं । जातीय स्तर पर वे मूल रूप से शक्ति स्तर एवं उपायों के लिये संघर्ष से सम्बंधित होते हैं । विशेष स्तरों पर सामाजिक संगठन की प्रकृति से उनको विशेष रूप से माना जाता हैं । गुट व्यापार संघ में मजदूरी–व्यस्था, सुरक्षा–लाभ, वरिष्ठता–श्रेणी और वर्गीकरण करने वाली योजनाएँ जो कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में विभेदीकृत ढंग से विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन करती हैं, के समान सक्रिय होते हैं ।[24] ग्रामीण किसानों में सन्निहित स्वार्थ भूमि एवं सिचाँई की सुविधाओं, चराने के अधिकार और विकास कार्यक्रमों के लाभ आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं । राजनैतिक पार्टियों में स्वार्थ मन्त्रिमण्डल के पद, लाभ के कार्यभार और पार्टी निधि के नियन्त्रण आदि से हो सकते हैं। औपचारिक संगठनों में स्वार्थ पदोन्नति, सीमान्त लाभ, प्रगति के अवसरों आदि से सम्बन्धित हो सकतें हैं । स्वार्थो की विशिष्ट प्रकृति सम्बन्धित समूह के लक्ष्यों, क्रिया कलापों और वातावरण से सम्बन्धित हो सकते हैं ।

(९) द्वन्द्व की तीव्रता :-

द्वन्द्व की तीव्रता का सीधा सम्बन्ध पूर्ववर्ती आयामों से है । कलह की तीव्रता का सम्बन्ध झड़प एवं वाद–विवाद के परिहार एवं आदान प्रदान पर आधारित सामाजिक दूरी से लेकर विपक्ष को अपमानित करने के लिये सहयोग एवं उत्तेजक गतिविधियों के सम्पूर्ण परित्याग तक है । इस प्रकार द्वन्द्व धीरे–धीरे व्यक्तिगत होता जाता है ।[25] बढता हुआ आपसी मनमुटाव और तनाव का मनोवैज्ञानिक संकट समूह को छिन्न–भिन्न करने के लिये जिम्मेदार हो सकता है । कुछ विशेष स्थितियों में जो कि सामाजिक

---

[24] रास स्ट्रंगल फिजिकोलोजी आफ इण्डसट्रियल कन्फ्लेक्ट जान विले न्यूयार्क, 1956 .

[25] गोपालकृष्णन – वन पार्टी डोमिनेन्स डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेन्ड्स सप्लीमेन्ट टू इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाग– 13 नं0 1, 1966, पेज – 19–24.

और ऐतिहासिक सन्दर्भो पर आधारित है, हिंसा उग्र रूप धारण कर सकती है और हत्या का प्रयास, षड़यन्त्र एक बडे पैमाने पर गृह–युद्ध (सिविल वार) की तरह हिंसा भी हो सकती है ।[26] फिर भी हिंसा द्वन्द्व की प्रगाढ़ता से भिन्न होती है । द्वन्द्व की स्थिति में, लक्ष्य की प्राप्ति में, साधनों के चुनाव में हिंसा का भी सम्बन्ध हो सकता है ।

(१०) *द्वन्द्व का क्षेत्र* :

द्वन्द्व के कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध द्वन्द्व की सीमा व्यवस्था जिसमें गुट कार्यरत होते हैं, से है । गुट समूहों में सीमित हो सकता है या वे दूसरे समूहों के गुटों से सम्बन्ध रख सकते हैं । राज्य स्तर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी पिछले दशक में इस तथ्य को स्पष्ट करती है । राज्य सरकार और विधान मण्डल में गुटों की बराबरी राज्य, जिले एवं ब्लॉक स्तर पर बने गुटों से की जाती है । धर्मतान्त्रिक प्रतिमान गुटगत क्रिया–कलापों के लिये मांग एवं संघटन की सहायता से सिर से नख तक तथा अनुयायियों के लाभ के लिये मांग से नख से शिख तक की जाती है । इसी प्रकार जापानी रूढ़िवादी पार्टी में गुटगत जाल विधान सभा तक और राष्ट्रीय पार्टी संगठन तक ही निर्भर नहीं है बल्कि व्यक्तिगत समूह सम्बन्धों के माध्यम से स्थानीय स्तरो तक विस्तृत है ।[27]

(११) *गुट के सदस्यों के बीच सामाजिक सम्बन्ध* :

गुट से सदस्यों में गुट की संख्या के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सम्बन्ध समान स्वार्थो की अनुभूति है । दूसरे सम्बन्ध समूह की प्रकृति और उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं । देखा गया है कि गुरू–शिष्य, पुजारी–अनुयायी सम्बन्ध और मित्रता पण्डितपुर में एक विशिष्ट संस्कृति है ।[28] दूसरे सम्बन्ध मित्रता के आभार विनिमय के, राजा–प्रजा के सम्बन्ध, सामुदायिक सुदृढ़ता एवं राजनैतिक आर्थिक बन्धन के सम्बन्ध से हो सकते हैं । ये सम्बन्ध स्थायी सहायता के साथ एक गुट का नेता प्रदान कर सकता है । भारतीय कांग्रेस पार्टी में गुट स्थानीय स्तर पर सामान्य तौर से

---

[26] फैशन्स कप्स एण्ड सिविल वेयर्स इन दा सोसायटी आफ एशिया अफ्रीका एण्ड लेटिन अमेरिका ड्यूरिंग द 1960–70 डीकेड प्रोवाइड न्यूमेरियस इक्जाम्पल ।

[27] जे मासूमी – ए प्रोफाइल आफ द जापानीस कन्जर्वेटिव पार्टी एशियन सर्वे भाग– 3, नं0 8, 1962 पेज– 390–336.

[28] पी0एन0 रस्तोगी – पोलिरिजेशन एट ठाकुरपुर प प्रोसेस एण्ड द पैटर्न सोशियोलोजिकल बुलेटिन भाग–15, 1967

जाति, रिश्तें एवं व्यक्तिगत भावना पर निर्भर करते हैं । गुट सम्बन्धी वाद, स्वार्थपरायणता एवं आकस्मिक घटनाओं पर आधारित होते हैं । रिश्ता, एक जाति के कारकों का उपयोग, एक नेता के पीछे दलगत सहायता को स्थायी बनाने के लिये किया जाता है । नेता अपने अनुयायियों को आश्रय एवं अनेकों लाभ देकर अपने सम्बन्धेां को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं । **मेयर** के अनुसार कुछ लोगों का एक समूह जो कि किसी चुनाव में एक प्रत्याशी के लिये कार्य कर रहे हैं, क्रिया–स्थिति को प्रदर्शित करता है । केन्द्रीय भारत में कार्य–क्षेत्र की स्थिति में कार्य–स्थिति के सदस्यों के बीच सामाजिक सम्बन्ध को **मेयर** ने प्रस्तुत किया है जो कि जाति सम्बन्ध, पार्टी सम्बन्ध और धार्मिक व्यवसाय के कारकों से बना होता है । नेता एवं उसके अनुयायी, जिनकी भर्ती का आधार भिन्न हो सकता है, के व्यक्तिगत अधिकार के माध्यम से गुट विभक्त हो जाता है । उसके अनुसार गुट सिद्धान्त के मामलों की अपेक्षा कार्य सम्पादन पर निर्भर करता है ।[29]

(१२) *द्वन्द्व प्रस्ताव के तत्व* :

अन्तिम दो आयाम आन्तरिक द्वन्द्व की रोकथाम के लिये कार्य करने, एजेन्सियों की स्थिति और स्तर को नोट करने से सम्बन्धित हैं। ये पद्धतियों के प्रति आन्तरिक या वाह्य दोनों हो सकते हैं । कुछ–कुछ एजेन्सियों में समूह के सदस्यों का सम्बन्ध समूह के अन्दर वातावरण बनाने से होता है । प्रत्येक परिस्थिति में वे क्रियाशील एवं प्रभावी होते हैं, वे तनाव और द्वन्द्व की प्रतिवर्ती प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं । द्वन्द्व प्रक्रिया की प्रगति में उनकी अनुपस्थिति एक उन्नत स्थिति को बनाये रखती है ।

ऊपरी आयाम एवं तत्सम्बन्धित विश्लेषक श्रेणियाँ गुट पार्श्व चित्र की रूपरेखा तैयार करेंगी जो कि समय–समय पर बदलती रहेगी ।

गुट का समाजशास्त्रीय विश्लेषण :

मानव समूह समाजशास्त्र का मूल विषय वस्तु है । जहां तक गुट समूह गत्यात्तमकता के महत्वपूर्ण एव विस्तृत पक्ष का प्रतिनिधित्व करतें हैं, समाज शास्त्रीय विश्लेषण में उनकी भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

[29] ए०सी० मेयर – द सिगनीफेन्स आफ क्वासी ग्रुप इन दा स्टडी ऑफ काम्प्लेक्स सोसायटी, टावीस्टाक पब्लिकेशन लन्दन, 1966, पेज– 116

एक समूह में किसी ऐसे मामले को लेकर मतभेद की स्थिति में जिसका सबन्ध समूह के लक्ष्यों और गतिविधियों से हो, समूह के कार्यभार का तर्क संगत अंग है । उन सैद्धान्तिक मतभेदों को यन्त्र–विन्यास के आधार पर समाप्त किया जाता है । और जब कभी इन मतभेदों का समाप्त होना मुश्किल सा होता है तब गुट उठ खड़े होते हैं । उस गुट का आविर्भाव ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें समूह सदस्यता का महत्वपूर्ण अनुपात अपने स्वार्थो को एक दूसरे से टकराता हुआ पाता है । फूट एवं मतभेदों की गम्भीरता समूह पर पर्यावरण के दबाव का परिणाम हो सकती है । यह दबाव समाप्त होने वाले समाजिक परिवर्तनों को तेजी और विस्तार को प्रदर्शित करता है । ऐसी परिस्थिति में सामाजिक संस्थाओं की नियन्त्रित भूमिका अपर्याप्त हो सकती है और गुटगत द्वन्द्व का संवेग मानव समूह की व्यवहार्यता के प्रति हानिकारक भूमिका अदा कर सकता है ।

गुटों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण उस प्रक्रिया के अध्ययन से सम्बन्धित होगा जिससे गुट का आविर्भाव होता है । यह उस सारी स्थितियों का अध्ययन करेगा जिससे गुट बनते हैं । और धीरे–धीरे समाप्त भी होतें हैं । यह पुनः समूह जीवन में गुटों की स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक भूमिका का अन्वेषण करेगा । सामाजिक परिवर्तन की शर्तो के अन्तर्गत सामाजिक संस्थाओं के असंगठन की प्रक्रिया का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है । ऐसी स्थितियों में गुट कुछ ऐसे कार्यो को अपना सकता है जो साामजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक पर्यावरण के अनुसार समायोजन करने में विलम्ब एवं जड़त्व के कारण नहीं किये जा सकते । गुटवाद की प्रकृति का वस्तुनिष्ठ अर्थ उसके पहलुओं को नियन्त्रित करने के लिए उसके उन्मूलन के स्वरूप के संकेतों को स्पष्ट कर सकता है । गुट की प्रकृति के अध्ययन के बाद अब हम गुटवाद की प्रकृति का अध्ययन सामाजिक द्वन्द्व के एक प्रकार के रूप में करेंगे ।

सामाजिक द्वन्द्व के रूप में गुटवाद :

गुटवाद के द्वन्द्व में मानव अन्तक्रिया का एक विशिष्ट रूप है । सांकेतिक परिभाषा के रूप में गुटवाद को दलों के बीच में द्वन्द्व–व्यवहार के रूप में पारिभाषित

किया जा सकता है । लेकिन हमें इसकी प्रकृति को सामाजिक द्वन्द्व के विशिष्ट रूप में समझने के लिये उसके वास्तविक तर्कसंगत लक्षणों को जानना चाहिए । यह द्वन्द्व व्यक्ति और समूह के बीच स्पर्धा और विवाद को लेकर बडें पैमाने पर दंगा, क्रान्ति, एवं युद्ध तक है । सभी प्रकार के सामाजिक द्वन्द्वों में कुछ उभयनिष्ठ गुण होते हैं । इन्हीं गुणों के परिणामस्वरूप इनमें अन्तर आता है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं । तब गुटवाद को हम सामाजिक द्वन्द्व से इसके अन्तर के परिप्रेक्ष्य रूप में समझ सकते हैं ।

गुटवाद एवं द्वन्द्व के दूसरे रूप :

मानव संघर्ष का तात्पर्य दुर्लभ सामजिक मूल्यों के लिये संघर्ष से है जिसमें एक पक्ष के लोगों का दूसरे पक्ष के लोगों को शून्य, अप्रभावी एवं नष्ट कर देने का प्रयास है। सामाजिक हस्ती, व्यक्ति विशेष से लेकर बड़े पैमाने पर मानव–समूहों में विद्यमान रहती है। अन्तःग्रस्त हस्तियों की प्रकृति द्वन्द्व स्थिति की रूपरेखा को स्पष्ट करती हैं किसी मल्ल–युद्ध में दो व्यक्ति उलझते हैं, किसी प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति विशेष और सामूहिक व्यवसाय संघ जैसी हस्तियाँ झगड़ों एवं दंगों में जाति एवं समुदाय, क्रान्ति एवं गृह–युद्धों में पूरा समाज और व्यापक युद्धों में दो या दो से अधिक देश उलझे होते हैं । गुटवाद में द्वन्द्व की स्थिति का बिन्दु दो सामाजिक हस्तियों के बीच नही बल्कि स्वयं हस्ती में ही निहित होता है । एक दूसरे के विरोधी तत्व मानव समूह के एक अंशभूत अंग हैं । एक समूह की सीमा का निर्धारण एक प्रेक्षक के अध्ययन के केन्द्र के अनुसार होता है । द्वन्द्व स्थिति का अन्तर्समूह एवं प्रकृति गुटवाद के लक्षण का निर्णायक है ।

हिंसा सामाजिक द्वन्द्व को निर्धारित करने वाला दूसरा गुण है । प्रतिस्पर्धा हिंसा रहित होती है । कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां हथियार खेल का आवश्यक अंग होता है, साथ ही वहीं हिंसा प्रतिस्पर्धा में प्रवेश पाती है । मल्ल युद्ध, दंगे, क्रान्ति और युद्ध सामूहिक हिंसा के बढते हुये आधार पर पारिभाषित किये जा सकते हैं । इनमें अस्त्र एवं प्रारम्भिक छोटे हथियारों से लेकर परमाणु हथियारों तक को सम्मिलित करते हैं । गुटवाद प्रतिस्पर्धा एवं द्वन्द्व के दूसरे रूपों के बीच एक माध्यमिक श्रेणी के रूप में स्थित होता है । यह शत्रुता के स्तर से जाना जाता है, जो कि किसी प्रतिस्पर्धा में द्वन्द्व से बहुत ऊँचा होता है लेकिन यह हिंसा की ओर अग्रसर हो सकता है और नही

भी हो सकता है । यह समूह के स्वभाव और वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संवैधानिक राजनैतिक पार्टियों जैसी निकायों में स्वैच्छिक संघ, नौकरशाही, धार्मिक संघ और हिंसा को इस स्थिति से प्रतिबाधित किया जा सकता है जिसका कि गुट के लक्ष्य–प्राप्ति के साधनों से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरी ओर क्रान्तिकारी संघों में, गुप्त समाजों में, ग्रामीण गाँवों में युद्धप्रिय जातियों में हिंसा भीषण शत्रुता का रूप पकड़ लेती हैं ।[30] इस प्रकार गुट द्वन्द्व का एक मात्र रूप है जहां पर प्रत्यक्ष हिंसा उपस्थित रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है । प्रतिस्पर्धा में हिंसा प्रतिद्वन्दियों के लिये इसकी सीमा से बाहर रहती है, लेकिन अन्य सभी चीजों में हिंसा स्थित का अभिन्न अंग होती है ।

प्रक्रिया का दूसरा प्रारम्भिक पहलू व्यवस्था की रूपात्मकता और द्वन्द्व स्थित की समाप्ति से सम्बन्धित है । ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की द्वन्द्व–स्थितियाँ द्वन्द्व को समाप्त करने के लाक्षणिक तरीकों से सम्बन्धित होती है । उदाहरण के लिये प्रतिस्पर्धा का अन्त खेल के नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धियों के बीच हार या जीत के साथ होता है। जबकि द्वन्द्व–युद्ध का अन्त प्रतिद्वन्दीं की मृत्यु या उसकी चोट या क्षमा के साथ होता है। पुश्तैनी, दुश्मनी, नरसंहार जैसे अपराधों पर, मान–हानि स्त्रियों के अपहरण पर प्रायः हो जाया करती है । और अपमानित व्यक्ति का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वह अपने विपक्षी से बदला ले । इस प्रकार के झगड़ों में आगजनी, आक्रमण, हत्यायें तक चल सकती है । लेकिन अपराधियों को सजा देकर या अपमानित कर या क्षतिपूर्ति देकर इन झगडों को निपटाया जा सकता है जिससे कि दोनों पक्षो में समझौता सम्भव हो पाता है।[31] दंगों को समझौते के प्रयासों से यह प्रभावशाली प्रशासनिक कार्यवाहियों से दबाया जा सकता है । क्रान्तियां, गृहयुद्ध दो देशों के बीच युद्ध को समझौते की व्यवस्था, विजय या आत्मसमर्पण से समाप्त किया जा सकता है । गुटगत द्वन्द्व ने सामाजिक रूप में मान्यता प्राप्त खेलों के नियम या द्वन्द्वों को समाप्त करने या उनकों फिर से प्रारम्भ करने के सामाजिक रूप में मान्यता प्राप्त रूपात्मकता प्रकट नहीं होती ।[32] गुट समूह के सदस्यों का अनौपचारिक एवं

[30] पी0एन0 रस्तोगी – पोलिरिजेशन एट ठाकुरपुर द प्रोसेस एण्ड द पैटर्न सोशियोलोजिकल बुलेटिन भाग–15,1967.
[31] लूसी मेयर – सम करेन्ट टाइम इन सोशल एन्थ्रोपोलॉजी आफ सोशियोलॉजी 1963, पेज – 25.
[32] एस0एम0 लिपसेट एण्ड एम ट्रा – यूनियन डेमोक्रेसी डबलडे एण्ड कम्पनी न्यूयार्क, 1962 पेज– 273.

प्रत्याशित गठबन्धन है । समूह के सदस्यों के तिरस्कार पूर्ण क्रिया–कलाप समायोजन के लिये बाध्य करते हैं लेकिन यह समूह के लक्ष्य एवं स्वार्थो के लिये हानिकारक समझे जाते हैं । जब कभी झगडें के मुद्दे सुलझा दिये जाते हैं तो गुट अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं, गुट तब तक अडे रह सकते हैं जब तक कि उनके आविर्भाव व क्रिया–कलाप को पसन्द करने वाली स्थितियां कायम रहें ।

गुट के दूसरे मुख्य लक्षण का सम्बंध प्रतिद्वन्दी सामाजिक हस्तियों के बीच विनियोजन की प्रवृत्ति से है । सारे द्वन्द्व के रूपों में गुटवाद के साथ वियोजन बिल्कुल सुस्पष्ट होतें हैं । द्वन्द्व के मार्ग अच्छी तरह से निर्धारित होते हैं । संघ का भावुक सम्बन्ध या तो अनुपस्थित रहता है या बहुत ही निम्न स्तर पर कार्य करता है । दूसरी तरफ, एक गुटगत द्वन्द्व में वियोजन वाह्य होता है । द्वन्द्व के मुद्दे, समूह के लक्ष्यों एवं मूल्यों की तुलना में बहुत ही कम महत्व रखते हैं । गुट एक समूह का आवश्यक अंग होता है और एक सीमा तक गुट उसी समूह का अंग बना रहता है तथा उसको छोड़ना नहीं चाहता । यह समूह के लक्ष्य एंव मूल्यों को प्रदर्शित करता है । वियोजन एवं झगड़े के मुद्दे मुख्य रूप से समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बनायी गयी नीतियों एवं गतिविधियो पर केन्द्रित होते है । गुट एक ऐसे मार्ग पर चलते है जो कि समूह के मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक होता है । वे गुट समूह के मूल आधारो, दर्शन एवं समूह के मूल्यों पर असहमत नहीं होते । अन्तर मुख्य उपलब्धियों के बजाय बाह्य साधनों पर अधिक केन्द्रित होते हैं ।

गुट की स्थिति में मौलिक उद्देश्य या मूल्य कभी–कभार झगडे के अंग होते हैं। कम्युनिस्टों में द्वन्द्व सिद्धान्तवादियों और सुधारवादियों के बीच होता है न कि कम्युनिस्ट आन्दोलन के मुख्य लक्ष्य पर । एक व्यापार संघ में जो द्वन्द्व होता है वह संघ के आधारभूत लक्ष्यों, कार्यकर्ताओं की भलाई के ऊपर कभी नहीं बल्कि समूह का अधिक से अधिक लाभ कैसे हो इस बात को लेकर होता है । ग्रामीण गुट ग्रामीण एकता के आदर्शो के दूषित करने का एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं । किसी राजनैतिक दल में विभिन्न मतावलम्बी पार्टी के मूलभूत कार्यक्रमों या लक्ष्यों के ऊपर समूह के साथ असहमत नही हो सकते हैं, बल्कि राज्य इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि पार्टी बाहरी मामलों को क्रियान्वित करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रही है । इसी प्रकार के सैद्धान्तिक रूप से बने हुये संघों में गुटगत संघर्ष पवित्रता पर

सारणी संख्या – 1.2 गुटवाद एवं द्वन्द्व के अन्य रूप

क्रमांक	द्वन्द्व का रूप	द्वन्द्व में निहित अस्तित्व	स्थिति एवं लक्षण	निष्कासन	प्रत्यक्ष हिंसा
1	प्रतिस्पर्धा	व्यक्तिगत टीम, व्यवसाय–संघ, संगठन इत्यादि	खेलकूद, परीक्षायें, चुनाव तथा ताजा बिक्री इत्यादि	खेल का नियम	–
2	झगड़े एवं विवाद	व्यक्तिगत सामूहिक अस्तित्व	झगड़े के मुद्दे पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आक्रमण	मध्यस्थता, समझौता और वैधानिक प्रक्रिया	–
3	मल्ल–युद्ध	दो व्यक्तियों में	व्यक्तिगत सम्मान की स्थिति में सहमत हथियारों के साथ लड़ाई	वही	+
4	लड़ाई	व्यक्तिगत गैंग तथा व्यक्तियों का समूह	स्रोतों और प्रभुत्व के लिये हिंसक झगड़े	अधिकारियों के द्वारा दमन और व्यवस्थापन	+
5	पुश्तैनी दुश्मनी	विस्तृत परिवार, वंश तथा सम्प्रदाय	हिंसक क्रिया–कलापों का विस्तृत समय	आर्चिल्ड के माध्यम से समझौता	++
6	दंगे	गैर इसाई समूह तथा सम्प्रदाय	जाति, धर्म, भाषा, सिद्धान्त के मामले पर द्वन्द्व, क्षणभंगुर विस्तृत पैमाने पर	नेताओं के द्वारा समझौते का प्रयास और शक्तिशाली प्रशासन का दमन	++
7	क्रान्ति	क्रान्तिकारी समूह, सत्ता एवं सरकार	हिंसक लोगों के द्वारा सत्तारूढ़ सरकार के विरूद्ध शक्ति का अभिग्रहण	सफलता एवं विफलता	+++
8	सैनिक विद्रोह	सैनिक तत्व एवं सत्तारूढ़ सरकार	सत्तारूढ़ सरकार के विरूद्ध सेना के नेताओं के द्वारा राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण	वही	छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक
9	गृहयुद्ध	राजनैतिक समुदाय	सरकार को नियन्त्रित करने के लिये या स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिये अच्छी तरह से संगठित राजनैतिक समुदायों के द्वारा वृहद् पैमाने पर आन्तरिक युद्ध	वही	+++
10	सम्पूर्ण युद्ध	राज्य, राष्ट्र	प्रभाव एवं सेना के लिये हिंसक द्वन्द्व का बहुत ही विस्तृत रूप	समझौता एवं विजय तथा हार	हिंसा का अत्यधिक स्तर
11	गुटवाद	एक समूह में योगों का संरक्षण	राजनैतिक पार्टियों, व्यापार संघों, सामाजिक समूहों एवं सामाजिक सम्प्रदायों में समूह की गतिशीलता	नियमविहीन खेल एवं चिरस्थाई व्यवस्था का सर्वव्यापी मान्यता अभिजात एवं सामाजिक रूप से अनुमति प्राप्त तरीका	++

या सिद्धान्तों के व्यापार पर केन्द्रित हो सकता है न कि आधारभूत सैद्धान्तिक संरचना पर ।

उपरोक्त सम्बन्धित तर्क जिसका सम्बन्ध द्वन्द्व के जातीय रूप में गुटवाद के मुख्य लक्ष्यों से है सारिणी संख्या 1.2 की तरह प्रदर्शित किया जा सकता है । ऋण, धन और बहुखण्ड धन, प्रत्यक्ष हिंसा कालम के अन्तर्गत हिंसा एवं द्वन्द्व के विशेष प्रकार के लक्षण के रूप में क्रमशः अनुपस्थिति, उपस्थिति एवं विशिष्ट उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं ।

गुट–प्रक्रिया का आन्तरिक लक्षण :

गुटवाद का आन्तरिक लक्षण गुट की संख्या, उसकी सापेक्षिक स्थिरता और उसके बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों के द्वारा शामिल होता है । हालांकि ये सभी सम्बन्धित कारक स्थित–तथ्य एवं समूह के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के ऐतिहासिक पहलू से सम्बद्ध होते हैं ।

द्वन्द्व में निहित हस्तियों की संख्या एक मुख्य पहलू है जो कि प्रक्रिया के प्रारूप को प्रारम्भ करता है । द्विध्रुवीय स्थिति का तर्क बहुध्रुवीय स्थिति से सदैव सौदेबाजी के परिवर्तनशील पद्धति, सम्मिलित एवं स्पर्धात्मक युक्तियों को जन्म देती है । यह स्वार्थो के ध्रुवीय सान्तत्यक, नीति एवं सैद्धान्तिक अन्तरों के साथ मध्यस्थ स्थितियों के एक लम्बे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है । तदनुसार समूह में बढ़ते हुए ध्रुवण को रोकने के लिये और समझौते की राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिये यह कार्य किया जा सकता है । दूसरी ओर एक द्विध्रुवीय स्थिति द्वन्द्व को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होती है । यदि विनियोजन को निश्चित करने वाले कारक सामाजिक परिर्वनों द्वारा कमजोर कर दिये गये हैं, तो दूसरी ओर बहुध्रुवीय स्थित से समूह के क्रिया–कलापों और प्रतिक्रियाओं की निश्चितता बढ़ सकती है । मतैक्य और अर्थपूर्ण कार्य के लिये अन्वेषण में बहुत समय लग सकता है और संकटकालीन समय में समूह प्रतिक्रिया की गति धीमी हो सकती है ।

समाजवैज्ञानिकों की दृष्टि में गुट :

गुट क्षणभंगुर और अर्द्ध–समूह से लेकर स्थायी एवं अर्द्ध–स्थायी समूहों तक फैला रहता है । **शोकायड** ने गुट को एक क्षणभंगूर समूह के रूप में देखा है जो कि विशिष्ट उद्देश्य या द्वन्द्व के रूप में सामने आता है ।[33] **पोकॉक** के अनुसार गुट स्थायी समूह नहीं है बल्कि विशेष परिस्थितियों से सम्बन्धित है ।[34] **मायर** के लिये गुट अस्थायी है जो कि किसी विशेष झगडें को लेकर उत्पन्न होता है ।[35] वे अन्तक्रिया की तरह अर्द्ध–समूह होतें हैं जो कि द्वन्द्व की स्थितियों में अहम् पूर्ण कार्य से सम्बन्धित होतें हैं ।[36] **यादव** की दृष्टि में गुट का स्वभाव क्षणभंगूर होता है और यह तब तक रहता है जब तक कि सदस्यों के लक्ष्य अप्रभावित रहते हैं ।[37] **लासवेल** ने गुट को विवेचित करने की चेष्टा की है । उसके अनुसार गुट किसी बडी ईकाई का एक अंशभूत समूह होता है जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या नीतियों की प्रगति के लिये कार्य करता है ।[38] **फर्थ** के अनुसार गुट वे समूह हैं जो एक दूसरे समूह के विरोध में विकसित होते हैं, जो पूरे समाज के स्वार्थ को छोड़कर अपने ही स्वार्थो की पूर्ति में लगे होते हैं और प्रायः अपने ही कार्यो में व्यस्त रहते हैं ।[39] **मुरडाक** ने गुट को एक स्थायी समाजिक अस्तित्व के रूप में माना है जो कि विरोधी दलों, जातीय आदर्शो और बिकने वाले राजनैतिक विभाजनों को निर्दिष्ट करतें हैं ।[40] **लेविस** ने आश्रितों के साथ प्रभावशाली जाति–समूहों और परम्परा के तौर पर सम्बन्धित निम्न जातियों को अर्द्ध–अस्थायी गुटों के रूप में माना हैं ।[41] **बिल्स एवं सिगेट** ने गुटगत स्थायित्व में दोनों पहलुओं को लिया है वे अपेक्षाकृत स्थायी गुटों के द्विध्रुवीय स्थिति को विच्छेदकारी गुटवाद का नाम देतें हैं ।[42] जबकि व्यापक गुटवाद एक ऐसी स्थिति को

---

[33] मोश शोकेड – इमिगरेशन एण्ड फैशनेलिज्म ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलोजी भाग–19, नं0 4, 1968 पेज–386.
[34] डेविड पोकाक – द बेस आफ फंक्शन इन गुजरात ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलाजी, 1957, पेज– 296
[35] ए0सी0 मायर – पिजैन्ट इन दा पैसिफिक रूटलेज एण्ड कीगन पाल, लन्दन 1961, पेज– 122
[36] ए0एस0ए0 मोनोग्राफ्स – द सिगनिफेन्स आफ क्वासी ग्रुप इन दा स्टडी आफ काम्प्लेक्स सोसायटी दा सोशल एन्थ्रोपोलॉजी आफ कम्प्लेक्स सोसायटीज, टावीस्टाक पब्लिकेशन्स लन्दन, 1961, पेज–92–112.
[37] जे0एस0 यादव – फैशनेलिज्म इन ए हरियाणा. विलेज अमेरिकन एन्थ्रोपोलाजिस्ट भाग–70, नं0–5, 1968 पेज–909
[38] एच0डी0 लासवेल – फैशन, इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्स दा मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क, 1931.
[39] रेमण्ड फिर्थ – फैशन्स इन इण्डिया एण्ड ओवरसस इण्डियन सोसायटी आफ ब्रिटिश जर्नल आफ सोसायटी, 1957, पेज–292,
[40] जार्ज मर्डक – सोशल स्ट्रक्चर दा मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क, 1949 पेज – 90.
[41] ओस्कान लुईस – ग्रुप डाइनेमिक्स इन ए नार्थ इण्डियन विलेज प्लानिंग कमीशन देहली, 1954.
[42] एलन बील्स एण्ड बर्नार्ड सीजल– परवेसिव फैशनेलिज्म अमेरिकन एन्थ्रोपोलाजिस्ट, 1960 पेज–395–417.

प्रदर्शित करता हैं जिसमें गुटों की संरचना ही तेजी से बदलती है । इसी आधार पर सभी समाज–वैज्ञानिक इस मत पर सहमत होतें हैं कि गुट विभिन्न जटिलताओं का एक सामाजिक समूह है । उसकी स्थिरता उन दशाओं की अवधि के अनुरूप होती है जो कि उसके प्रादुर्भाव में सहायक होतें हैं । समूह गतिशीलता में उसकी भूमिका उन स्थितियों पर सम्भाव्य होती है जो कि उसकी भूमिका के निर्वाह में सहायक होतें है ।

गुटवाद में आन्तरिक पक्ष :

गुटवाद में आन्तरिक पहलू का सम्बन्ध गुटों में तनाव–पूर्ण आपसी सम्बंध के स्वभाव से सम्बंधित है । ऐसा माना जाता है कि गुटों की क्रियायें समूह के लक्ष्यों की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करती हैं और तमाम सहयोगात्मक क्रिया–कलापों के समाप्त होने की सम्भावना रहती है । गुट लाभ एवं प्रभाव के लिये स्पर्धा में लगे होते हैं जैसा कि जापानी रूढिवादी पार्टी और फिलीपाइन कस्बें में या झगडें में उलझे हुये व्यापार संघ, प्रजातन्त्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में था । विकल्प के तौर पर तनाव के मनोवैज्ञानिक संवेग में उसका प्रयोग हो सकता है । इससे समूह में द्वन्द्व एवं वाद–विवाद उठ खड़ा होता है, जैसा कि भारत और श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ था । इन स्थितियों के अनुरूप गुटों के प्रयास एक–दूसरे को अपमानित करने के लिये होते हैं । गुटों के बीच तनाव समाजिक दूरी, सम्प्रेषण की कमी, बाहरी आक्रमण, प्रत्यासाओं के भंजक, उत्तेजक क्रिया–कलाप और शारीरिक हिंसा आदि के कारण होते हैं । बढते हुये द्वन्द्व का अन्तिम परिणाम गुट की समाप्ति या एक समूह का कई छोटे–छोटे समूहों में टूटना हो सकता है।[43] धार्मिक गुटों का कई पन्थों एवं सम्प्रदायों में विकास, व्यापार संघों एवं राजनैतिक पार्टियों का खण्डन और अलग–अलग राज्यों की बनावट, एक समूह में भीषण गुटगत मतभेद को प्रदर्शित करतें है ।

गुटगत प्रक्रिया के स्वभाव के सम्बन्ध में आन्तरिक विकास के पाँच क्रमागत रूपों को पहचाना जाता है। वे तार्किक रूप से सम्भव प्रक्रिया के मार्ग को खोजतें हैं । प्रथम रूप में गुट उमडतें हुये दिखाई देतें हैं और समूह के अन्दर मतभेदों के सन्दर्भ में पहचाने जाते हैं । समूह के सदस्य इन व्यक्तियों को प्रत्याशित मिलन के रूप में

[43] दा हिन्दुस्तान टाइम्स – नवम्बर 19 एण्ड 20, 1963.

स्वीकार करतें है और उनकी उपस्थिति को अपने कार्यो के अन्तर्गत सम्मिलित करतें हैं। इस व्यवस्था को 'ध्रुवण' का प्रारम्भ समझा जाता हैं । इससे नयी दिशा उत्पन्न होती है जिसमें असहयोग, आशाओं के भंग होनें, झगड़े, परिहार तथा सम्प्रेषण के समाप्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और इस रूप को प्रत्यक्ष द्वन्द्व का स्वरूप समझते हैं। यह द्वन्द्व निर्धारक तत्वों की क्रियाशीलता को तेज करता है । उनका प्रभाव विनियोजन को पृथक करने, सम्प्रेषण और सहयोग एकत्र करने का कार्य करता है । इस बिन्दु पर गुट–स्थिति समाप्त की जा सकती है । द्वन्द्व के समाधान को बतलाने वाले तत्वों के अप्रभाव के मामले में विघटन का तीव्रीकरण है । इसके अनुसार प्रत्यक्ष प्रदर्शन की अवस्था के बाद मध्यतः अवस्था आती है जो कि असफल होने पर समाप्ति की ओर ले जाती है । दूसरी अवस्था में अव्यवस्था के लक्षण भी दिखाई पडने लगतें हैं । वे उत्तेजक क्रिया–कलापों और उन प्रयासों के द्वारा पूरे किये जाते हैं जो कि तनाव के मनोवैज्ञानिक संवेग में शत्रु को अपमानित करने के लिये अपनाये जातें हैं । हिंसा शत्रुता के एक अंग के रूप में सामने आती है । इस व्यवस्था को द्वन्द्व समाधान–तत्वों से रोका जा सकता है । विकल्प के आधार पर अन्तिम विखण्डन की दशा आती है जिसमें गुट समूहों के रूप में पैदा होते हैं या गुटों में से एक को समाप्त किया जा सकता है ।

गुटगत प्रक्रिया के आन्तरिक गुणों को तभी समझा जा सकता है जबकि इन्हें हम मानव समूह में गुटगत मतभेदों के प्रादुर्भाव को प्रभावित करने वाली दशाओं और परिस्थितियों से सम्बन्धित करके देखें । ये दशायें और परिस्थितियां समूह के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है । इनका सम्बन्ध प्रेरणा की गतिशीलता तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं से है जो कि समूह का निर्माण करतें है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में इन्हीं दशाओं, परिस्थितियों और इनके अन्र्तसम्बन्धों के स्वभावों को पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया है ।

गुटवाद का प्रादुर्भाव :

एक समूह में गुटवाद का प्रादुर्भाव समूह सम्बन्धों में एक मूलभूत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है । यदि इसे निकाय निर्गत समझा जाता है तब निकाय में निवेश का प्रश्न उठता है । स्पष्टतया, निवेश केवल दो दिशाओं से आ सकता है (1)– वाह्य

वातावरण (2)– आन्तरिक तत्व अर्थात व्यक्ति । वाह्य एवं आन्तरिक निवेश एक साथ व्यवस्था के पारस्परिक क्रिया के कारण पर्यावरण के साथ इसके सीमा के बाहर एक साथ काम कर सकते हैं । इसकी व्यवस्थात्मक स्थिति ऐसी होती है जिसमें समूह के पर्यावरण में गुटवाद का प्रादुर्भाव महान परिवर्तनों की अवधि से सम्बन्धित होता है।[44] इस अवधि में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के कार्यो में अनिश्चितता एवं संदिग्धता का अनुभव करता है । ये परिवर्तन समाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक हो सकतें हैं । इनका प्रभाव समूह के आन्तरिक स्थायित्व को अस्त – व्यस्त करता है ।

पर्यावरण सम्बन्धित परिवर्तनों के साथ गुटवाद का सम्बन्ध आदिम जाति समूह से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक राजनैतिक संघों तक की स्थितियों द्वारा कायम रखा जाता है । जातीय समुदायों में गुट सांस्कृतिक संक्रमण एवं आत्मीयताकरण के दबावों को प्रदर्शित करता है । दूसरी दिशाओं में गुटों का विकास हो सकता है । **प्यूबलों इण्डियन्स** में **ह्वीटमैन** ने देखा कि धार्मिक द्वन्द्व सन् इल्डोफेन्स और सैन्टाक्लेरा में है जबकि फ्रेन्च ने देखा कि राजनैतिक फूट आइसलैटा में है और इसे उसने आधुनिक दबाव का उत्पाद माना है ।[45] **स्पीकर** ने बताया कि गुटगत राजनैतिक विवाद अरिजोना योक्वीस में है।[46] **वेन्सटोन** ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनैतिक विवादों के ऊपर फूट डालने वाले झगडे एस्किमों समुदाय में हैं ।[47] **टर्नबुल** ने गुटवाद को वामबुटी एक पारिव्राजक बौना समूह में पाया ।[48] **टर्नर** ने संकट की परिस्थितियों में डेम्बू में दो गुटों के प्रादुर्भाव का उल्लेख किया है. । इन गुटों की संरचना बाद में परिवर्तित होकर पुश्तैनी हो गयी ।[49] चैनकोम में गुटगत झगडे खासतौर से सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण घटित हुये थें । ये तब समाप्त हुये जब नगरीय प्रभाव के प्रति गाँव का सामन्जस्य स्थापित हुआ ।[50] **लेविस** ने टोपोज्लान में अव्यवस्थित रूप से संगठित और अनुशासित राजनैतिक गुटों को पाया

---

[44] बील्स एण्ड सीजल – यूज दा टर्म स्ट्रेस इन दिस कान्टेस्ट.

[45] विलियम व्हाईटमैन – द प्यूपिल इण्डियन्स आफ सन इन्डिफिन्सो : इ चेन्जिंग कल्चर, कोलाम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1947.

[46] ई0एच0 स्पीकर – पोक्कुआ, ए यागुई–विलेज इन एरीजोना, यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस – 1940.

[47] जे0डब्ल्यू. वेन्सटोन – प्वाइन्ट होप, एनएस्किमो विलेज इन ट्रान्जिट यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन प्रेस, 1962.

[48] कोलीन टर्नबुल – दा फोरेस्ट प्यूपिल चाटो एण्ड विन्डस लन्दन 1961.

[49] वी0डब्ल्यू0 टर्नर – सेमी एण्ड कान्टीन्यूटली एन अफ्रीकन सोसायटी मानचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस – 1957.

[50] राबर्टरेड फील्ड एण्ड अलफान्सो रोजस– चानकाम ए माया विलेज शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस–1964

है ।[51] **निकोलस** ने गुटवाद को अपने ईराकी राजनीति और दूसरे मामलों के अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन के साथ गुटवाद के स्थायी सम्बंधो को नोट किया है ।[52]

विडक ने पलाउ में गुटगत द्वन्द्व को विदेशी और ग्रामीण मुद्रा–व्यवस्था, व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रारूप की प्रस्तावना, पलाउ औद्योगीकरण, विनिमय और अंशदायी रिवाजों के कार्यो में परिवर्तन का उत्पाद माना हैं।[53] माइक्रोनेशिया गुटगत विरोध जो कि बदलते हुए पर्यावरण में अनुकूलन के दबाव के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं, का एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों को देखने पर हम वही सम्बंध पाते हैं । भारतीय गाँवों में गुटवाद बढतें हुए राजनैतिक चेतनाओं के अलावा नगरीय सम्पर्को के बढ़ते हुए प्रभाव, प्रजातन्त्रीकरण के दबाव और आधुनिकीकरण को प्रदर्शित करता हैं ।

जमींदारी उन्मूलन, प्रौढ़ मताधिकार का प्रयोग तथा पंचायत राज जैसे कदमों के उठाये जाने पर भारतीय गाँवों में गुटवाद तीव्र हुआ हैं । इससे एक तरफ जमीन्दारों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर आँच आयी हैं तो दूसरी ओर पारस्परिक जातिगत नेताओं की शक्तियों में ह्रास हुआ है । किसी गाँव में झगडे के अधिकाँश मामलों में नेतृत्व के ये प्रकार औपचारिक रूप से मध्यस्थता करते थें, लेकिन अब ऐसा नही हैं और अब तनाव बढ़ रहा हैं । ग्रामीण सहकारिता जैसे अपरिचित संस्थाओं के नये पर्यावरण में अनुकूलन के दबाव के फलस्वरूप गुट ग्रामीण इसराइली अप्रवासियों में विकसित हुआ हैं ।[54] युद्धोत्तर समय में सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप फिलिस्तीनी कस्बे में होने वाले परिवर्तन को **मैकाड़ो** ने अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया है कि गुट पारस्परिक रिश्ते, स्वामिभक्ति और अनुदार अभिमुखीकरण से लेकर पक्ष विनिमय एवं राष्ट्रीय अभिमुखीकरण तक होता हैं । उसने इन परिवर्तनो का सम्बंध राजनीति से युद्ध के पश्चात् जन–सहभागिता में वृद्धि और सामाजिक संगठन के स्तर से लिया है ।[55] आई0टी0यू0 श्रम–संगठन में गुटवाद संगठन के संकट से सम्बन्धित होता है । इन

---

[51] ऑस्कार लुईस – लाईफ इन ए मेक्सिकैन विलेज यूनिवर्सिटी आफ इलमोइस प्रेस, अर्बन, 1951.

[52] राल्फ डब्ल्यू निकोलस – फैशन ए काम्प्रेटिव एनालेसिस, पोलिटिकल सिस्टम एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर, टाविस्कोक पब्लिकेशन लन्दन, 1965.

[53] ए0डे0 विडक – पोलिटिकल फैशनेलिज्म पलाउ पैसिफिक साइन्स बोर्ड एण्ड नेशनल रिसर्च काउन्सिल, वाशिंगटन डी0सी0 मिको 1949.

[54] मोश शोकेड – इमिगरेशन एण्ड फैशनेलिज्म, ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलॉजी भाग– 19, नं04 1968, पेज–403

[55] के0जी0 मैकाडो – चेन्जिंग एस्पेक्टस आफ फैशनेलिज्म फिलिपाइन, लोकल पोलिटिक्स एशियन सर्वे भाग – 11 नं0 12, 1971.

संकटों का सम्बन्ध आक्रमक संगठनात्मक शक्तियों, हडतालों एवं उसके सदस्यो की व्यापक बेकारी से सम्बन्धित है । ऐसे समय में प्रशासन की नीतियों पर सन्देह किया जाता है तथा शक्तिशाली नेताओं के चारों तरफ प्रभावशाली विरोध उत्पन्न हो जाते हैं।[56] प्रबन्ध पर बाह्य नीतियों के दबावों के कारण शोध–संगठनों में गुटवाद विकसित हुआ तथा इसके फलस्वरूप बहुत से शोध कर्मचारियों को इस्तीफा देना पड़ा ।[57]

राजनैतिक पार्टियों के आने पर हम फिर वही मूलभूत अन्तर्सम्बन्धों को पाते हैं । भारतीय कांग्रेस पाटी में नेहरू के बाद के समय में बढते हुये स्पर्धात्मक दबावों के कारण गुट उत्पन्न होने लगें और इन दबावों को कांग्रेस पार्टी ने दूसरी अन्य राजनैतिक पाटियों से महसूस किया । इसी प्रकार पाकिस्तान ने 'मुस्लिम लीग' लियाकत अली खां की मृत्यु के बाद ही जो कि जिन्ना के साथ पाकिस्तान के संस्थापक थे, दो गुटों में टूट गया । अमेरिकी सैन्य शक्ति के दबाव के कारण, सोवियत रूस के साथ बिगडते हुए सम्बन्ध के कारण और आन्तरिक विफलताओं के कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शक्तिसंघर्ष उत्पन्न हुआ । पार्टी के सदस्यों के निष्कासन या अपसरण के माध्यम से रूसी और सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी में गुटवाद समय–समय पर देखा गया है ।[58]

पर्यावरण सम्बन्धी परिवर्तन और गुटवाद के बीच का आवर्ती सम्बन्ध व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये गुट की भूमिका को स्पष्ट रूप से सार्थक सिद्ध कर सकती है । तीव्र परिवर्तन के दौरान सामाजिक संस्थायें, वृहद् और जटिल व्यवस्थाओं की अकर्मण्यता के कारण अपने समायोजन की प्रक्रिया में पीछे छूट जाती हैं । संस्थाओं के सामन्जस्य का अभाव मुख्य रूप से सामाजिक् खण्डीकरण के पुराने रूपों, सामाजिक स्तर एवं आर्थिक स्तर में असामन्जस्य, व्यवहार, वैकल्पिक तरीके, सिद्धान्त की सामन्जस्यहीनता तथा रूढिवादिता में खटकता है या परिलक्षित होता है । स्पर्धात्मक स्थितियों में ऐसी दशाएँ भूमिका और स्तर की अस्पष्टता को पैदा करती हैं, तब रिक्तता को भरने के लिये गुटवाद उठ खडें होते हैं ।[59]

---

[56] जेम्स कोलमैन – एस0एम0 लिपसेट एण्ड एम ट्रो यूनियन डेमोक्रेसी, डबल डे कम्पनी न्यूयार्क, 1962, पेज – 274.
[57] पाउला ब्राउन एण्ड क्लोविस शेफर्ड – फैशनोलिज्म एण्ड आर्गेनाइजेशन चेन्ज इन रिसर्च लैबोरेटरी, सोशल, प्रोब्लेम्स 3, 1956, पेज– 235–246,
[58] डोमियल बेल – द इन्ड आफ आडियोलाजी फ्री प्रेस न्यूयार्क , 1967, पेज – 348.
[59] मोश शोकेड – इमिग्रेशन एण्ड फैशनेलिज्म ब्रिटिश जर्नल आफ सोशियोलॉजी भाग –19न04,1968,पेज 403

भारतीय गाँवो में तथा अन्य अविकसित समाजों में राजनैतिक सहभागिता के प्रजातान्त्रिक आदर्श तथा आधुनिकता के प्रभाव ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हैं जहाँ सामाजिक खण्डीकरण के पारम्परिक नियम बदलने लगे हैं । इससे परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक स्थिति में नयी शक्तियों को सामाजिक संस्तरण के पारम्परिक आदर्शो के बिना पालन किये प्रवेश लेने से नयी स्थिति सन्दिग्धता पैदा करती हैं । ऐसी निराशा की स्थिति में शक्ति, स्तर तथा आर्थिक अवसर के लिये स्पर्धा से गैर परम्परागत आधारों पर स्वार्थ की ओर अग्रसर समूहों का विकास हुआ है । ये समूह या गुट व्यक्तियों को उन स्थितियों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योग्य बनाते हैं जिनमें कि वे प्रचलित समूहों और प्रभावी आदर्शो से कोसो दूर रहें हैं ।

स्वार्थो का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के किसी गुट में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य होता हैं । 'स्वार्थ' शब्द की व्याख्या मूल्य पद्धतियों और व्यक्ति के सांसारिक दृष्टिकोण के आधार पर की जानी चाहिये । इस प्रकार का संघर्ष व्यक्ति आदर्शो, विश्वासों, सिद्धान्तों और शक्ति स्तर पर स्रोतों के लिये करता है । अन्य मुख्य अभिप्रेरणा व्यक्तिगत शत्रुता हो सकती है । व्यक्तिगत प्रेरणा की मनःस्थिति में स्व–अभिमान की सुरक्षा, अहम्भाव तथा भौतिक उपलब्धियाँ समाविष्ट होती हैं । गुट की सदस्यता इस बात को प्रदर्शित करती है कि गतिशील सामाजिक स्थिति के प्रति, अपनी प्रेरणात्मक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया है ? इन पहलुओं का वर्णन हम उन कारकों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे जो सामाजिक व्यवस्था में गुट की धनात्मक तथा ऋणात्मक भूमिका को प्रदर्शित करते हैं ।

द्वन्द्व–प्रक्रिया की गतिशीलता :

एक सामाजिक समूह में गुटवाद का परिवर्तनशील स्वभाव गुट–स्थिति की गतिशीलता से सम्बन्धित है । गतिशीलता का सम्बन्ध संरचनात्मक तत्वों में आपसी सम्बन्धों और अन्तर्क्रिया के स्वभाव से सम्बन्धित है ।

संरचना की गतिशीलता :

गुट–स्थिति के सरंचनात्मक तथ्य गतिशीलता के आधार होते हैं । ये उन बिन्दुओं को प्रदर्शित करते हैं जिनके चारों ओर गतिशील व्यवस्था चक्कर काटती रहती

है । इस उद्देश्य के लिये एक गुट–स्थिति के पक्ष को इसके संरचनात्मक तत्वों के सम्बन्ध में सोचना लाभप्रद हो सकता है । एक गुट–स्थिति एक विशेष समय पर उभड़ती है तथा संरचना के सारे तत्वों को विकसित करने में सफल होती है ।

इस सन्दर्भ में प्रारम्भिक बिन्दु समूह के पर्यावरण में होने वाले महान परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक होते हैं । ये समूह में मतभेद पैदा करते हैं जिससे कि समूह के मुख्य सदस्यो के बीच स्वार्थ–संघर्ष–भय का जन्म होता है ।यह स्वार्थ–संघर्ष इस बात को प्रदर्शित करता है कि समूह के सदस्य समूह की नीतियों और क्रिया–कलापों के अनुसार एक संरेखण में हैं । जैसे–जैसे मतभेद बढ़ता है, वैसे–वैसे प्रतिद्वन्दियों में एक ऐसा संकुचित दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जो उनके स्वार्थो की सिद्धि से सम्बन्धित होता है । यह पहलू समूह के आन्तरिक सम्बन्ध पर बुरा प्रभाव डालता है और परिणामतः समूह में एक असहयोग की प्रवृत्ति बढने लगती है । इस तरह की स्थित का विकास समूह के सदस्यों की सामजिक अन्तर्क्रिया में प्रत्याशा की पारस्परिकता को नष्ट कर देता है । ऐसी दशा में द्वन्द्व काफी खुल्लम–खुल्ला होता है । एक गुट दूसरे गुट को समूह की बर्बादी तथा समूह के लक्ष्य न प्राप्त होने के लिये दोषी ठहराता है । इस स्थिति से मनोवैज्ञानिक तनाव बढने लगते हैं जो कि तब तक बढते जाते हैं जब तक कि आपसी प्रत्याशा पर सहयोग की कमी और समूह के स्वार्थो की क्षति बरकरार रहती है । ऐसी संकटकालीन स्थिति में द्वन्द्व समाधान तत्वों की क्रियाशीलता तनाव को कम कर सकती है । विकल्प के तौर पर यह तनाव प्रतिद्वन्दी पक्ष को अपमानित करने के लिये गुटगत षड़यन्त्र जैसे उत्तेजक क्रियाओं में परिवर्तित हो सकता है । क्रिया–कलाप एक पक्ष से दूसरे पक्ष से उत्तर–प्रत्युत्तर में हो सकता है और इससे क्रिया –प्रतिक्रिया बढ़ सकती है और स्वार्थ संघर्ष का क्षेत्र बढ़ सकता है । प्रारम्भिक मामले वाद के मामले का स्थान ले सकते हैं। इस बिन्दु पर अन्तर्क्रिया और गुट स्थिति की बनावट चक्र पूर्ण होती है ।

गुटवाद की गतिशील संरचना :

गुटगत द्वन्द्व की गतिशील प्रक्रिया स्वार्थो के संघर्ष से प्रारम्भ होती है जो कि समूह के पर्यावरण में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव को प्रदर्शित करती है । यह क्रमागत स्तरों से होकर आगे की ओर बढती है और धीरे–धीरे एक चक्र में पिछले

प्रारम्भिक बिन्दु तक पहुंच जाती है । यह विलम्ब कार्य प्रयोगाश्रित स्थिति और उसमें बदलते हुये स्वभाव पर निर्भर करता है । द्वन्द्व समाधान तत्व, वाह्‌य, जैसे व्यक्ति समूह और समूह की गतिविधियों से सम्बन्धित सामाजिक साधन तथा आन्तरिक जैसे, कुछ असम्बद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं । जब सहयोग की समाप्ति द्वन्द्व को प्रत्यक्ष कर देती है तो उनकी क्रियाशीलता और तेज हो जाती है । गुटों का विकास तथा पतन इन तत्वों के सापेक्षिक प्रभाव पर निर्भर करता है । यदि द्वन्द्व समाधान तत्व अपने प्रयास में सफल हैं अर्थात द्वन्द्व धीरे–धीरे कम होने लगता है । यदि वे आंशिक रूप से सफल हैं तो स्थिति तनावपूर्ण स्तर पर कायम रहेगी । दूसरी ओर यदि वे असफल या परिवेश से अनुपस्थिति है तब स्थिति और खराब हो सकती है –जिससे या तो गुट समाप्त ही हो जायेंगे या दो भागों में विभाजित हो जायेंगे । तथा विकसित रूप वर्तमान व्यवस्था को नष्ट कर देता है ।

समूह के पर्यावरण में होने वाले बड़े परिवर्तन इसी प्रकार द्वन्द्व प्रक्रिया को दो प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं । यदि कुछ विषम परिवर्तन होते हैं जिससे कि समूह पर बाह्‌य दबाव पड़ता है तो उसके परिणामस्वरूप आन्तरिक असमन्जस्य के रूप में स्वार्थ संघर्ष बढ सकता है । दूसरी ओर यदि ऐसे परिवर्तन समूह के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं तो आन्तरिक असामन्जस्य कम हो सकता है और द्वन्द्व का स्तर घट सकता है ।

अध्याय - द्वितीय

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन अभिकल्प

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विगत अध्याय–प्रथम में सम्बन्धित शोध विषय की विवेचना की गयी है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण गुटबन्दी से सम्बन्धित गुट का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, गुटवाद एवं गुटवाद की प्रकृति, संरचना, अनिवार्य तत्व, गतिशीलता आदि को स्पष्ट किया गया है । साथ ही गुट की अवधारणा, विशेषतायें, गुट निर्माण की दशायें एवं गुटों के आयाम आदि को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । इसके अतिरिक्त समाजिक द्वन्द्व के रूप में गुटवाद का प्रादुर्भाव एवं गुटवाद की गतिशील संरचना आदि को स्पष्ट किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में नरैनी विकास खण्ड के अन्तर्गत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । पूर्व में गुट–संरचना पर जितनें भी कार्य हुए हैं, उनकी यह एक मूल मान्यता रही है कि निर्गुटता एक आदर्श स्थिति है । जो समाज जितनी अधिक सीमा तक इस स्थिति के निकट रहता है, उसकी प्रकार्यशीलता उतनी ही अधिक होती है ।[1] प्रस्तुत शोध में इसी मूल मान्यता के सम्मुख प्रश्नचिन्ह लगाकर अध्ययन किया गया है । इस अध्ययन की प्रारम्भिक मान्यता यह है कि गुटविहीन समाज का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है । ऐसे समाज की कल्पना की संगति वस्तुस्थिति से नही बैठ सकती, क्योकि सामान्य सामाजिक व्यापार की स्थिति में स्वाभाविक रूप से गुटों का निर्माण हो जाता है । गुट समाज की अनिवार्य पूर्वावश्यकता है । जिस प्रकार समाज में सामान्य विचलन एक स्वाभाविक स्थिति है, उसी प्रकार गुट–संरचना और गुट–चेतना भी एक सामान्य स्थिति है ।

समाज में गुट–चेतना का आधार स्वार्थ–भाव से जुडा होता है । इसी सामान्य स्वार्थ भाव की स्थिति में सामान्यतया गुट सृजित हो जाते हैं । सम्पूर्ण व्यवस्था के सामान्य प्रवाह एवं प्रचरण में गुटों की भूमिका नकारात्मक होती है । समाज के सामान्य व्यापार में गुट गत्यावरोध उपस्थित करते हैं । इसलिये समाजशास्त्रीय विश्लेषण में इन्हें व्याधिकीय माना जाता है । गुट ऐसे नकारात्मक सामाजिक तथ्य के रूप में

---

[1] पी0एन0 रस्तोगी– द नेचर एण्ड डायनेमिक्स आफ पैक्टोनल कन्फ्लेक्ट द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई, 1975

परिकल्पित किये जाते हैं, जिसे मुक्ति–वांछित स्थिति मानी जाती है । अब तक गुट की संरचना का विश्लेषण विभिन्न परिवेशों में विभिन्न अनुदृष्टियों से किया गया है । यह अनुसंधान कार्य इस समस्या पर आधारित है कि गुट–संरचना के दो पक्ष होते हैं – **प्रथम** स्थायी एवं **द्वितीय** आरोपित । गुट के **स्थायी गुण** सार्वभौमिक एवं सार्वलौकिक होते हैं, परन्तु **आरोपित गुणों** में देश – काल भेद से नये तत्वों का समावेश होता रहता है ।

ग्रामीण परिवेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुट–संरचना के आरोपित तत्वों की व्याख्या विशेषतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत कम ही नही बल्कि नगण्य है । इसी कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन विषय का चयन किया गया है । क्योंकि ऐसे अनुसंधान कार्यो की अपरिहार्यता भारत के कुछ मूर्धन्य समाजशास्त्रियों ने तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के कुछ अध्येताओं ने भी दर्शाया है ।[2] इस स्थिति में अनुसंधान कर्ता के मन–मस्तिष्क में जिज्ञासा जाग्रत हुयी, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ग्रामीण परिवेश का मूल निवासी एवं नरैनी विकासखण्ड़ परिक्षेत्र का उपभोग कर्ता भी है अतः जिज्ञासा की संन्तुष्टि के रूप में यह अनुसंधान कार्य प्रस्तुत है । जो भाविष्य में इस तरह के शोध अध्ययन की कमी की पूर्ति करेगा ।

अनुसंधान कार्य की समस्या :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का अभिप्राय सूक्ष्मस्तर पर ग्रामीण गुटबन्दी का क्रमबद्ध एवं सर्वांगीण अध्ययन करना है । इस अध्ययन को भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश के अत्यन्त पिछडे क्षेत्र मे पाये जाने वाली विभिन्न जाति समूहों (उच्च, मध्यम, निम्न) तक सीमित किया गया है । उक्त प्रक्रिया में अध्ययन, का उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी के समस्यागत स्वरूप एवं प्रकृति पर प्रकाश डालना है । साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में इनकी रोकथाम के लिये सुझााव प्रस्तुत करना है । अध्ययन का प्रधान उद्देश्य यह ज्ञात करना रहा है कि –

1. गुट एवं गुटवाद की प्रकृति क्या है ?

---

[2] ए0आर0 देसाई – विथ यू0पी0 सोशियोलाजिकल कान्फ्रेन्स, 12–13 फरवरी 1983, कानपुर ।

2. गुट के सदस्य कौन है ? और ये सदस्य किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं ?
3. गुट सदस्यों का शैक्षिक एवं आयु, जातीय स्तर क्या है ?
4. गुट सदस्यों का आर्थिक स्तर कैसा है ?
5. ग्रामीण गुटों को प्रभावित करने में जाति की क्या भूमिका है ?
6. वर्तमान राजनीतिक तन्त्र किस सीमा तक गुटबन्दी को प्रभावित करता है, तथा गुटबन्दी किस सीमा तक राजनीतिक तन्त्र को प्रभावित करती है ?
7. गुट सदस्यों का राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तथा अधिकारियों से क्या सम्बन्ध है ?
8. गुट सदस्यों की अप्रकार्यात्मक भूमिका क्या है ?

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत अनुसधान कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. गुट एवं गुटवाद की प्रवृत्ति एवं सदस्यों का अध्ययन करना ।
2. ग्रामीण गुट की रचना एवं स्वरूप का अध्ययन करना ।
3. यह ज्ञात करना कि आजकल किस प्रकार के गुट ग्रामीण क्षेत्रों में उभर रहें हैं तथा उनकी समाजिक विशेषतायें क्या हैं ।
4. गुट एवं राजनीतिक गतिविधियों को ज्ञात करना ।
5. जाति एवं गुट के सम्बन्धों का पता करना ।
6. गुट के प्रकार्यो तथा अप्रकार्यो को ज्ञात करना ।

अनुसंधानकार्य की प्राक्कल्पनायें :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का अभिकल्प अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक है, जिसकी प्रमुख उद्घोषणात्मक प्राक्कल्पानायें निम्नलिखित हैं –

1. वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में ग्रामीण–समाज के परम्परागत रूप से बने जातीय गुटों के स्थान पर हितों के आधार पर नये–नये गुट बन रहे हैं ।
2. गुट की रचना का प्रमुख आधार जाति है ।

3. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यों में राजनीतिक बोध पाया जाता है ।
4. यद्यपि जातीय स्तर और दलगत राजनीतिक परिचय के मध्य कोई व्यवस्थित समानता नहीं है, फिर भी पिछडी तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों की अपेक्षा उच्च जाति के सदस्यों में राजनीतिक चेतना की आवृत्ति अधिक पाई जाती है ।
5. मतदान–प्रक्रिया का जाति स्तर से किसी भी प्रकार का सह–सम्बन्ध नहीं है ।
6. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यों में अपने गुट के सम्वर्द्धन तथा विकास हेतु स्थनीय एवं जनपदीय स्तर के विशिष्ट लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ।
7. गुट एवं गुटतन्त्र सदैव व्याधिकीय ही नही होता अपितु प्रकार्यकारी भी होता है।
8. अधिकांश गांवों में एक से अधिक गुट विद्यमान हैं
9. प्रायः उच्च जाति के गुट सदस्यों का राजनैतिक प्रभाव निम्न जातियों की तुलना में अधिक है ।
10. पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के गुट के सदस्य अब समुदाय में अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगें हैं ।
11. गुट के सदस्यों उनकी जातिगत स्तर तथा राजनीति में अभिरूचि लेने के सदर्न्भ में कोई धनात्मक सह–सम्बन्ध नहीं है ।
12. गुट संरचना तन्त्र में उच्च प्रस्थित जातियाँ ही आवश्यक रूप से प्रभावी जातियाँ नही हैं । प्रत्युत अनेक ग्रामीण गुट तन्त्रों में पिछडी एवं अनुसूचित जातियाँ भी प्रभावी हैं ।
13. ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की अपेक्षा पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्य संगठनात्मतक क्रिया – कलापों में अधिक भाग लेतें हैं ।
14. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यों में राजनीतिक प्रभावोत्पादकता की भाक्ति विद्यमान है ।

अध्ययन क्षेत्र का सामुदायिक परिवेश :

प्रस्तुत अध्ययन भारत के उत्तर–प्रदेश राज्य में स्थित बाँदा जनपद के ऐतिहासिक स्थल नरैनी विकास खण्ड़ में किया गया है । भारत गाँवों का देश कहा जाता है । भारतीय ग्रामीण जीवन में जनमत अपने प्रबल रूप में देखने को मिलता है।

भारत
राज्य, केन्द्र शासित क्षेत्र
एवं
राजधानियां
अफगानिस्तान
जम्मू एवं काश्मीर
श्रीनगर
पाकिस्तान
हि. प्र.
शिमला
पंजाब
चन्डीगढ़
हरियाणा
दिल्ली
चीन
तिब्बत
नेपाल
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
राजस्थान
जयपुर
सिक्किम
गंगटोक
भूटान
ए आर पी
ईटानगर
दिसपुर
असम
नागालैंड
शिलांग
कोहिमा
मेघालय
इम्फाल
मणिपुर
पटना
बिहार
त्रिपुरा
अगरतला
एजवाल
मिज़ोरम
गुजरात
गांधीनगर
भोपाल
मध्य प्रदेश
प. बंगाल
कलकत्ता
बंगला देश
बर्मा
दियू दमन
सिलवासा
महाराष्ट्र
उड़ीसा
भुवनेश्वर
बम्बई
हैदराबाद
अरब सागर
गोवा
पाणजी
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
यनम (पी. वाई)
बंगाल की खाड़ी
पी. वाई. पांडिचेरी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप
बंगलौर
मद्रास
पोर्ट ब्लेयर
माहे (पी. वाई.)
पांडिचेरी
कराइकल
कावारट्टी
तमिलनाडु
लक्ष्यद्वीप
केरला
त्रिवेंद्रम
श्री लंका
हिंद
महासागर
उत्तर प्रदेश
सहारनपुर
मुजफ्फर नगर
बिजनौर
हरियाणा
मेरठ
दिल्ली
गाजियाबाद
मुरादाबाद
रामपुर
नेपाल
पीलीभीत
बुलंदशहर
बरेली
बदायूं
लखीमपुर
खीरी
अलीगढ़
शाहजहांपुर
मथुरा
एटा
बहराईच
राजस्थान
फर्रुखाबाद
हरदोई
सीतापुर
आगरा
मैनपुरी
सिद्धार्थ नगर
गोंडा
लखनऊ
बाराबंकी
बस्ती
गोरखपुर
इटावा
उन्नाव
देवरिया
कानपुर
फैजाबाद
जालौन
रायबरेली
सुल्तानपुर
उरई
मऊनाथ भंजन
फतेहपुर
प्रतापगढ़
आजमगढ़
झांसी
हमीरपुर
बलिया
बेला
गाजीपुर
बांदा
इलाहाबाद
वाराणसी
मिर्जापुर
चित्रकूट
बिहार
ललितपुर
मध्यप्रदेश
सोनभद्र
राज्य की राजधानी
जिला मुख्यालय

भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या – 1027015247 थी, जिसमें से 531277078 पुरूष व 495738169 महिलायें थी । जनसंख्या वृद्धि की दर सन् 1991–2001 के बीच 21.34 प्रतिशत थी । तथा देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों में 933 महिलायें आती हैं ।[3]

भारत अनेक राज्यों में विभाजित है, जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है जिसका क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी0 है । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 166052859 थी, जिसमें से 87466301 पुरूष व 78586558 महिलायें थी। तथा लिंगानुपात 1000 पुरूषों में 898 महिलायें हैं । उत्तर प्रदेश में 70 जिले एवं 17 मण्डल (कमिश्नरियां) हैं । बाँदा जनपद चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आता है।[4]

बाँदा जनपद उत्तर प्रदेश का प्राचीन अति पिछड़ा, ऐतिहासिक तीर्थस्थानों का केन्द्र, धार्मिक ग्रन्थों में प्रमुख रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है । प्राचीन काल में यहां बामदेव ऋषि का निवास स्थान था । उन्हीं के नाम पर **'बाँदा'** का नाम **'बाँदा'** पडा । बांदा जनपद भौगोलिक रूप से **उत्तर** में फतेहपुर, **दक्षिण** में छतरपुर, पन्ना, सतना (मध्यप्रदेश)और पूर्व में चित्रकूट, रीवां, **पश्चिम** में हमीरपुर से जुडा हुआ है । इसका क्षेत्रफल 4112 वर्ग किमी0 है । जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 1500253 थी, जिसमें से 806543 पुरूष एवं 693710 महिलायें थी । यहाँ का जनसंख्या का घनत्व 340 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है । 1991–2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 18.49 प्रतिशत थी । जिले का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूशों में 800 महिलाओं का है, जनपद की साक्षरता दर 54.84 प्रतिशत है ।[5]

---

[3] प्रतियोगिता साहित्य सीरीज– भारतीय जनसंख्या 2001, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हास्पिटल रोड, आगरा वर्ष2001

[4] प्रतियोगिता साहित्य सीरीज– भारतीय जनसंख्या 2001, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हास्पिटल रोड, आगरा वर्श – 2001

[5] प्रतियोगिता साहित्य सीरीज – भारत की जनसंख्या, 2001, साहित्य भवन पब्लिकेशन हास्पिटल रोड, आगरा, वर्ष – 2001 .

नरैनी विकास खण्ड के अन्तर्गत सम्मिलित गांव

1. अतर्रा रूरल • ◦+
2. आऊ ◦
3. ऐंचवारा
4. ओरहा ◦
5. बरछा (ब) • ◦
6. बरकोला कला ◦
7. बहेडा कालींजर
8. बरसडा मानपुर ◦
9. बहादुरपुर कालिन्जर ◦
10. बसरेही •
11. बरियारपुर
12. बरूआ कालिंजर ◦
13. बरेहडा ◦
14. बनई
15. बदौसा • ◦ +
16. बडैछा
17. बघेलाबारी ◦+
18. बरछा डढियां ◦
19. बदौसा सानी
20. बाबूपुर •
21. बिल्हरका ◦
22. बिज्जुपुरवा
23. बिरौना ◦
24. बुलाकीपुर
25. भवानीपुर •
26. भदइयां
27. भुसासी ◦
28. चकला
29. चन्दौसा सारी
30. चन्दौर • ◦
31. चन्द्रपुरा ◦
32. छतैनी ◦
33. छन्तुपुर कला
34. डहुरीकहला
35. डढवा मानपुर • ◦ +
36. डल्हवा
37. दिवली
38. दिखितवारा ◦
39. दुबरिया ◦
40. गजपतिपुर खुर्द •
41. गजपतिपुर कला
42. गढा ◦
43. गर्गपुर
44. गहवारा
45. गाजीपुर •
46. गिरधरपुर
47. गुढाकला ◦ +
48. गोरेमऊकला ◦
49. गोरेमऊ खुर्द
50. गोबरिया •
51. गोरेपुरवा
52. गोपरा ◦
53. गौतमपुर
54. हरिपुर
55. हडहा माफी • ◦
56. जबरापुर ◦
57. जमवारा ◦ +
58. कनाय ◦
59. कन्दौरा
60. करतल • ◦ +
61. कल्याणपुर ◦
62. कसलबल्लोरसिर
63. करारी
64. काराडांडी
65. कालींजर कटरा• ◦+
66. कालींजर तरहटी ◦
67. किन्धौली
68. किशनपुर
69. कुरूहूं ◦
70. कोलौंहा • ◦
71. खलीरी ◦
72. खटेहटा
73. खेरिया ◦
74. लहौरा
75. लहुरेटा • ◦
76. लोधौरा ◦
77. मसौनी
78. मसौनी भारतपुर ◦
79. मदवारा
80. महुटा • ◦
81. महुई
82. मऊ
83. महोतरा ◦
84. मलिकपुर
85. माकट चौकी •
86. मुभागंज
87. मुकेरा ◦
88. मूड़ी ◦
89. नसेनी ◦
90. नगवारा • ◦
91. नहरी ◦ +
92. नकतापुर
93. नजरतपुर
94. नई दुनिया
95. नीबी • ◦
96. नेंढुवा ◦
97. नौगवां ◦
98. नौहाईपुर
99. परसहर ◦
100. पडमई • ◦+
101. पल्हरी ◦
102. पथरा ◦
103. पहाडी कालिन्जर
104. पट्टी तरहटी
105. पहुरूछा •
106. परसिधपुर
107. प्रतापपुर
108. पिपरा ◦
109. पियार ◦
110. पिपरहरी • ◦
111. पुंगरी ◦
112. पुरैनियां ◦
113. पुकारी ◦
114. पेयापुर
115. प्रेमपुर •
116. पौहार ◦ +
117. पंचमपुर ◦
118. फतेहगंज
119. रक्सी ◦
120. रगौली भट्ठपुर• ◦
121. रनखेडा
122. रामनगर ◦
123. रामपुर
124. रामगंज
125. रानीपुर • ◦
126. रेहुंची ◦
127. रंजीतपुर
128. सढ़ा ◦ +
129. सतपहरा
130. साधौपुर •
131. सियारपाखा
132. सिंघौटी ◦
133. सिरसौना
134. सेमरिया कुशल ◦
135. सौंता कालीन्जर •
136. संग्रामपुर ◦
137. संघोर
138. शाहपुर
139. शाहपाटन ◦
140. शंकरपुर •
141. तरसुमा ◦
142. तमराह
143. तुर्रा ◦ +
144. तेरा (ब) ◦
145. टिटिहरा •
146. थनैल ◦
147. उदयपुर ◦

संकेत : चयनित अध्ययन क्षेत्र •	ग्राम पंचायत ◦	न्यायपंचायत +

दैव निदर्शन विधि (नियमित अंकन) द्वारा अध्ययन हेतु चयनित गांव

1. अतर्रा रूरल
2. बरछा (ब)
3. बसरेही
4. बदौसा
5. बाबूपुर
6. भवानीपुर
7. चन्दौर
8. डढवा मानपुर
9. गजपतिपुर खुर्द
10. गाजीपुर
11. गोबरिया
12. हडहामाफी
13. करतल
14. कालीन्जर कटरा
15. कोलौंहा
16. लहुरेटा
17. महुटा
18. माकटचौकी
19. नगवारा
20. नीबी
21. पडमई
22 पहुरूछा
23. पिपरहरी
24. प्रेमपुर
25. रगौली भट्ठपुर
26. रानीपुर
27. साधौपुर
28. सौंता कालीन्जर
29. शंकरपुर
30. टिटिहरा

प्रशासनिक दृष्टि से बाँदा जनपद 4 तहसीलों (बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी) में व 8 विकास खण्डों (बडोखर, तिन्दवारी, जसपुरा, बबेरू, कमासिन, महुआ, बिसण्डा, नरैनी) में विभाजित है । राजनीति की दृष्टि से यहां चार विधानसभा क्षेत्र(बांदा, तिन्दवारी, बबेरू, नरैनी) तथा लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांदा एवं चित्रकूट जनपद शामिल हैं ।

बांदा के आठ विकास खण्डों में से नरैनी विकास खण्ड के ग्रामीण परिवेश को वास्तविक अध्ययन क्षेत्र माना गया है ।

नरैनी विकास खण्ड की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति :

नरैनी विकास खण्ड मुख्यालय बाँदा जनपद मुख्यालय से दक्षिण दिशा में बांदा से सतना (मध्यप्रदेश) राजमार्ग पर 35 किमी0 की दूरी पर है । नरैनी विकास खण्ड के **पश्चिम** में केन नदी एवं महुआ विकास खण्ड, **दक्षिण** में सतना जनपद (मध्यप्रदेश) **पूर्व** में सतना एवं चित्रकूट **उत्तर** में महुआ एवं बिसण्डा विकास खण्ड की सीमायें लगी हुई हैं। विकास खण्ड़ का कुल क्षेत्रफल 83682 हेक्टेयर है । विकास खण्ड मुख्यालय से 20 किमी0 **दक्षिण** दिशा में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कालींजर किला है । किला सतह से 1230 फीट की ऊंचाई पर पर्वत की चोटी पर बना हुआ है । इस किले में सात विशाल प्राचीन दरवाजे हैं एवं हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थस्थल जैसे –मृगधारा, कोटतीर्थ, सिद्ध की गुफा, पाताल गंगा, सीतासेज, नीलकण्ड, भवरग्वाँह आदि दर्शनीय स्थल हैं । यह स्थान ऐतिहासिक कलाकृतियों का केन्द्र कहा जाता है । इस स्थान में प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के महान इतिहासकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, संगीतकार व समाजसेवी जन उपस्थित होतें हैं तथा अनेक कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं । इतना ही नही हजारों की संख्या में यहां लोग कालींजर किले का परिक्रमा लगाते हैं, तथा देश के कोने–कोने से आये संगीतकारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शिनी, मेला आदि का अवलोकन कर आनन्द प्राप्त करते हैं ।

नरैनी विकास खण्ड की स्थापना 02 अक्टूबर 1959 में हुई, विकास खण्ड कार्यालय प्रारम्भ में नरैनी नगर के तत्कालीन सम्भ्रान्त एवं धनाढ्य नागरिक श्री

अनन्तराम तिवारी जी के मकान में सन् 1974 तक चलता रहा, तदुपरान्त 24 जुलाई, 1974 में ही शासन द्वारा निर्मित कार्यालय भवन में स्थानान्तरित हो गया, तब से यह अपने निजी भवन में चल रहा है । यहां के **प्रथम** ब्लाक प्रमुख स्व0श्री कमला प्रसाद चतुर्वेदी जी थे, जो 'नीवी' गांव के स्थायी निवासी एवं सम्पन्न व्यक्ति थे । वर्तमान समय में श्री रामराज पटेल ब्लाक प्रमुख के पद पर एवं श्री राजकुमार लोधी खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) के पद पर कार्यरत हैं ।

नरैनी विकास खण्ड की जनसंख्या एंव अन्य व्यवस्थायें :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड की कुल जनसंख्या 197824 थी, जिसमें से 110685 पुरूष तथा 87139 महिलायें थी । अनुसूचित जातियों की कुल जनंसख्या 43635 थी, जिसमे से 26181 पुरूष एवं 17454 महिलायें थी । विकास खण्ड की सीमा के अन्तर्गत वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 77, न्याय पंचायतों की संख्या 13 तथा कुल गांवों की संख्या 147 है ।[6]

शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से यहाँ प्राथमिक विद्यालयों की सख्या 178 एवं जूनियर हाईस्कूल 122, हायर सेकेण्डरी एवं इण्टरमीडियट कालेज 12 तथा उच्च शिक्षा के लिये ब्लाक मुख्यालय से 15 किमी0 दूर अतर्रा नगर में एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज एवं आयुर्वेदिक कालेज तथा ब्लाक मुख्यालय से 35 किमी0 दूर बांदा जनपद मुख्यालय में 2 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं । इन सुविधाओं के होते हुये भी विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है ।

विकास खण्ड में जन स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 एलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 5 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं । यहाँ पशु औशधालय 5, पशुधन एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या मात्र 3 है ।[7]

---

[6] प्रगति पुस्तिका, विकास खण्ड नरैनी(बांदा) दिनांक – 19.09.2002 के अनुसार ।
[7] प्रगति पुस्तिका, विकास खण्ड नरैनी(बांदा) दिनांक – 19.09.2002 के अनुसार ।

कृषि व्यवस्था :

विकास खण्ड की मुख्य उत्पादित कृषि फसलों में सोयाबीन, मक्का, धान, उडद, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, सनई, कपास, अरहर तथा अनेक फल–फूल व सब्जियां **खरीफ** की फसल के समय देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं **रबी** की फसल के समय गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, मंसूर, मेंथी, धनिया व अनेक जड़ी–बूटियाँ आदि उगाई जाती हैं । विकास खण्ड में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 56422 हेक्टेयर है एवं 583 हेक्टेयर में वन(जंगल) विद्यमान है । कुल कृषि योग्य सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 44133 हेक्टेयर एवं कृषि अयोग्य असिंचित भूमि का क्षेत्रफल 12289 हेक्टेयर है जो पर्वत, बंजर, ऊसर के रूप में देखने को मिलती है । सिंचाई के साधनों में नदियाँ, केन कैनाल हैं । इनके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों की संख्या 82, निजी नलकूंपो की संख्या 675 एवं सिंचाई कूपों की संख्या 258, तालाबों की संख्या 171, कुओं की संख्या 876 के लगभग है ।[8]

यातायात व्यवस्था :

विकास खण्ड में यातायात के साधनों का प्रचुर मात्रा में अभाव पाया जाता है । परिणामतः क्षेत्र का विकास रूका हुआ है । आवागमन की दृष्टि से यहां सडक यातायात ही मौजूद है जिसके लिये बस परिवहन, टैक्सी, तांगा के अतिरिक्त अपनी निजी सुविधा के लिये बैलगाडियों आदि का प्रयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त 15 किमी0 दूर अतर्रा नगर में एवं 35 किमी0 दूर बांदा नगर से रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध है ।

अन्य सुविधायें :

आधुनिकीकरण की दृष्टि से अनेक सुविधायें उपलब्ध हैं जो क्षेत्र के विकास के दृष्टि से आवश्यक हैं, यहाँ 1 भारतीय स्टेट बैंक भाखा, 1 भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास भाखा, 1 सहकारी ग्राम विकास बैंक, 2 सहकारी बैंक, 2 कृषि रक्षा इकाइयाँ, 2 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, 6 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 2 सहकारी पूर्ति

---

[8] प्रगति पुस्तिका, विकास खण्ड नरैनी(बांदा) दिनांक – 19.09.2002 के अनुसार ।

भण्डार/संघ , 1 क्रय–विक्रय सहकारी समिति और 2 विद्युत उपकेन्द्र हैं । यहाँ विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 70, दूरभाष केन्द्र 8, डाकघर 25, एवं लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यहां पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकियाँ भी हैं ।[9]

सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना :

नरैनी विकास खण्ड़ में अन्य क्षेत्रों की भांति सामजिक व्यवस्था एवं संरचना पाई जाती है । सामाजिक दृष्टि से यहां सामान्यतया सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। अधिकांशतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान, जाति के लोगों का ही क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि पर एकाधिकार है । परन्तु यहां के निवासियों का जीवन स्तर अधिकांशतः मध्यम श्रेणी का ही है । इस विकास खण्ड में प्रायः सभी जातियों के ग्राम प्रधानों, विकास खण्ड के सदस्यों (B.D.C.) का प्रतिनिधित्व है । इससे स्पष्ट है कि कुछ समय पूर्व से आज वर्तमान में पिछडी एवं अनुसूचित जातियों का जीवन स्तर प्रत्येक क्षेत्र में विकसित हुआ है । परन्तु यहां प्राचीन जाति–व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया जाता है । इस विकास की परिधि में मुख्यतया हिन्दू एवं मुस्लिम वर्ग के लोग निवास करते हैं जिनकी जाति–व्यवस्था का आधार अलग–अलग है ।

(क) हिन्दू जाति व्यवस्था :

हिन्दू जाति व्यवस्था का आधार प्राचीन मनुवादी वर्ण व्यवस्था ही है । वर्ण एवं जाति में अन्तर है । वर्ण रंग तथा वृत्तिपरक समाजिक स्थिति का बोध कराता है, जाति व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति का परिंचय कराती है ।

ऋग्वेद के दशम् मण्डल के अन्तर्गत ही रूपक का आश्रय लेकर इन आर्य इकाइयों तथा अनार्य समुदायों को चार प्रमुख इकाइयों में विभक्त एवं चित्रित किया गया है ।[10] यह इकाइयाँ वर्ण के नाम से जानी जाती है तथा ये वर्ण थे – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय का

---

[9] प्रगति पुस्तिका, विकास खण्ड नरैनी(बांदा) दिनांक – 19.09.2002 के अनुसार ।

[10] मैकडोनेल एवं कीथ – वैदिक इन्डेक्स, भाग–1, लन्दन, 1935, अध्याय–111, पेज–202. एवं शास्त्राराम इवोल्यूशन आफ कास्ट, लन्दन–1940, पेज–13–14.

प्रादुर्भाव, कटि प्रदेश अथवा उदर से वैश्य की उत्पत्ति तथा पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ, ऐसा माना गया है । सम्पूर्ण समाज का यह व्यक्ति परक रूपक इस ओर संकेत करता है कि व्यवसायों की श्रेष्ठता के आधार पर इन चारों वर्णो, को समाजरूपी शरीर के अवययों के रूप में स्वीकारा गया था । धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि वर्णो के सम्मिश्रण के फलस्वरूप अनेक व्यावसायिक सामाजिक इकाइयों का जन्म हुआ । इस सम्मिश्रण के मूल में अनुलोम–प्रतिलोम तथा वर्ण–संकरता के कारकों को ही प्रमुख गिना गया है ।

आदिकालीन वर्ण व्यवस्था हमें मुक्त सामाजिक वर्गो अथवा स्थितियों का परिचय कराती है । यही मुक्त वर्ण, कालान्तर मे बन्द वर्ग अथवा जाति के रूप में उदित हुये। परवर्ती युगों में वर्णो के अन्तर्मिश्रण ने न केवल नये सामाजिक समूहों को जन्म दिया , वरन् नये व्यवसायों का भी प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक स्थिति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म तथा समूह के परम्परागत व्यवसाय के साथ अभिन्न रूप से जुड गया । प्रत्येक जाति जहाँ जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने लगी, वही अन्तर्विवाह, खान–पान विशयक प्रतिबन्ध एवं सामाजिक तथा धार्मिक विशेषाधिकारों एवं नियोक्ताओं ने भी इन जातियों के सामाजिक दृढीकरण में अपना योगदान दिया । समाज का खण्डात्मक विभाजन तथा संस्तरीकरण इन उभय प्रक्रियाओं ने जाति व्यवस्था को एक बन्द वर्ग वाली सामजिक व्यवस्था के रूप में विकसित कर दिया है ।[11]

वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के इन अखिल भारतीय आधारभूत, तथा संरचनात्मक सिद्धान्तों पर 'नरैनी विकासखण्ड' की समाज व्यवस्था. अवस्थित है । प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक जातियां, उपजातियां, अथवा जाति समूह नरैनी विकास खण्ड के निवासियों में पाये जाते है । इनमें से कुछ यहां के मूल निवासी हैं तथा कुछ अन्य क्षेत्रों से आकर सुदूर भूतकाल में यहां बसे होंगे । अतः इस वैदिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय को उच्च जाति वैश्य को मध्यम जाति एवं शूद्र को निम्न जाति की कोटि में रखा गया है । उच्च, मध्यम, निम्न जातियों में आर्थिक आधार पर कुछ के स्तर ऊँचे पाये गये, कुछ मध्यम किस्म के थे, तो कुछ

---

[11] जी0 एस0 घुर्ये – कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बम्बई, पेज–93.

निम्न कोटि के श्रेणी में आ रहे थे । इस आधार पर प्रत्येक जाति के आर्थिक स्तर को लेते हुये जब विभाजन किया गया तो पांच वर्ग पाये गये – जैसे क्रमशः उच्च स्तर, उच्चमध्यम, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न स्तर के हैं ।

(ख) मुस्लिम जाति व्यवस्था :

भारतीय मुस्लिम समाज में जातिगत संस्तरण की विशेषताओं का अध्ययन एक नवीन घटना है , यद्यपि ब्रिटिशकाल में हिन्दू जातियों या मुस्लिम समाज के अध्ययनों एवं जगगणना रिपोर्टो में मुस्लिम जनसंख्या के जातिगत विभाजन का कुछ प्रारम्भिक विवरण प्राप्त होता है ।[12] तथापि इन अध्ययनों में सैन्द्धातिक अस्पष्टता, सांख्यिकीय भ्रान्तियाँ एवं अपूर्णता पायी जाती है । वास्तविक रूप में मुस्लिम जातियों के अध्ययन का कार्य, स्वतन्त्रता पश्चात किये गये समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय अध्ययन से प्रारम्भ होता है । अंसारी, धौंस, मेरियट मैकिम, जरीना, अहमद, उमागुहा, सतीश मिश्र,

इम्तियाज अहमद आदि के द्वारा किये गये अध्ययन इस क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।[13]

इस्लाम धर्म के प्रवर्तन के पश्चात केरल एवं सौराष्ट्र के तटो पर सामुद्रिक व्यापारी के रूप में इस्लाम धर्म के अनुयायी सर्वप्रथम भारतवर्ष में आकर बसे गये । परन्तु भारत मे इनका मुख्य रूप से आगमन 11वीं भाताब्दी में सिन्धु पर अबूकासिम के आक्रमण से प्रारम्भ होता है । गोरी और गजनवी के आक्रमण ने इस आगमन को और अधिक विस्तृत किया । आरम्भ में आक्रमण कर्ता के रूप में आने वाले इस्लाम धर्म के

---

12 क्रुक डब्ल्यू – ट्राइवल्स एवं कास्ट्म आफ नार्थ रजिस्टर्न प्रोविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध, लन्दन – 1986

- इस्लाम इन इण्डिया – 1920, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्लन्ट, ई0ए0आर0 – 1931, दि कास्ट सिस्टम आफ नार्दन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बेवन जोन्स, बी0आर0 इत्यादि – 1914, बीमेन इन इस्लाम, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस ।
- असरफ, के0एम0 – 1932, लाइफ ऐण्ड कण्डीशन आफ दि प्यूपिल्स आफ हिन्दूस्तान, लन्दन, पेज – 107, वे0स0ए0 – 1921, इथ्नोग्राफी आफ इण्डिया स्टावर्ग वरलान्ग कार्ल ट्रबनर ।

13 अन्सारी धौंस – मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश, ए स्टडी आफ कल्चर कान्टेक्ट, लखनऊ– 1960.

- मेरियट मैकिम – 1060, कास्ट, रैकिंग एण्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन फाइव रीजन्स आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पूना, पेज – 01.
- अहमद जरीना – 1062, मुस्लिम कास्ट इन उ0प्र0 दि इकोनोमिक्स वीकली फरवरी – 17, पेज – 389.
- गुहा, उमा – 1965, कास्ट एमंग रूलर बंगाल मुस्लिम मैन इन इण्डिया, रॉंची, पेज – 167.

अनुयायी भारत वर्ष में शासक के रूप में बस गये । मुसलमान शासक, सैनिक, व्यापारी के साथ–साथ अनेक धर्मप्रचारक के रूप में भारत वर्ष में रहने लगे । एक ओर शासन की कठोरता के कारण धर्म परिवर्तन का कार्य व्यापक स्तर पर किया गया तो दूसरी ओर महान धार्मिक उपदेशकों एवं धर्म प्रचारकों के व्यक्तिगत करिश्मा एवं प्रेरणा के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया । व्यापक धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम समाज में मोटे तौर पर दो वर्गो का उदय हुआ । प्रथम **अशरफ** वर्ग कहलाया, जिसके अन्तरगत विदेशी मूल के मुस्लिम भासक, सैनिक व्यापारी ओर धर्म उपदे ाक सम्मिलित थे । द्वितीय– **अजलफ** वर्ग कहलाया, जिसके अन्तरगत भारतीय मूल के इस्लाम धर्म के अनुयायी एवं अन्तः विवाह के द्वारा उत्पन्न सन्तानों को सम्मिलित किया गया ।

सामाजिक प्रस्थिति विभाजन का यह स्वरूप प्रारम्भिक मुसलमान शासकों एवं अभिजात्य वर्ग की उस मनोवृत्ति का प्रतीक था जिसमें वे अपने को भारतीय मूल के मुस्लिम एवं अन्य सम्प्रदायों की तुलना में श्रेष्ठ और पृथक मानते थे । कालान्तर में यह विभाजन अन्तः विवाह की अधिकता एवं धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के विस्तार के साथ–साथ अधिक जटिल एवं विस्तृत होता गया । इस प्रकार मुस्लिम समाज अनेक जातियों, समूहों में बंटता चला गया । व्यवसायों की बढती हुयी विभिन्नता और राजनीतिक सत्ता के वितरण की प्रक्रिया ने भी इसको बढावा दिया । अतः इस्लाम धर्म की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर **अशरफ** को उच्च जाति में रखा गया है, **अजलफ** के प्रथम वर्ग को मध्य जाति में एवं **अजलफ** के द्वितीय एवं तृतीय वर्ग को निम्न वर्ग में रखा गया है।

नरैनी विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था :

विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है । यहॉं के अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित हैं । यहॉं की धरती अत्यन्त उपजाऊ एवं तीनों फसलें पैदा करने के लिये उपयुक्त हैं । इसके अतिरिक्त यहॉं विभिन्न प्रकार के व्यापार एवं गृह उद्योगों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है । पुरूष अपने अवकाश के समय में गृह उद्योगों में स्त्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं । इनके प्रमुख गृह एवं लघु

उद्योगीय कार्य जैसे – चक्की चलाना, घास काटना, जंगल से जलाऊ लकड़ी लाना, जंगली फल–फूल लाकर शहरों में या अपने नजदीक गाँवों या नगर के बाजार में बेचना, आदि है ।

यहाँ पुरूषों का प्रमुख कृषि कार्य एवं गृह उद्योगीय कार्य में पटसन से सूत काटना, उसकी रस्सियां बनाकर बाजार मे बेंचना, खाट बुनना भी एक कला है, महुवा बीनना, डलिया (झौवा) बनाना, बिछाने वाली पटसन के सूत की दरी जिसे 'टापर' कहते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालना, मिट्टी के बर्तन आदि उनके जीविकोपार्जन में सहायक है ।

सांस्कृतिक संरचना :

नरैनी विकासखण्ड के समस्त परिवारों में माता–पिता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माता–पिता को सर्वोच्च मानकर उनकी सेवा करना कर्तव्य समझा जाता है । इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास यह है कि बिना पुत्र को जन्म दिये पितृ–ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता । पुत्र का महत्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है कि – "कुल को दीपक पुत्र है, धड़ को दीपक प्रान" । पुत्र का महत्व केवल इसी विकासखण्ड के परिवारों में ही नही वरन् सम्पूर्ण भारत में स्वीकारा गया है । पुत्र ही परिवार का भावी कर्ता–धर्ता है । परिवार में परम्परा एवं मर्यादा के अन्दर रहकर चलना पडता है । बुन्देली भाषा में "कुल में दाग लगाने वाले पुत्र को 'कपूत' या 'कुपुत्र' तथा कुल की मर्यादा रखने वाले पुत्र को 'नाम–कमाऊ' कहा जाता है ।"

यहाँ बडे भाई को परिवार में पिता तुल्य स्थान प्राप्त है । पिता की मृत्यु के बाद बडे भाई ही घर की देख–रेख करता है । बडे पुत्र की पित्रवत् प्रतिष्ठा के कारण ही 'बडी बहू के बडे भाग' कहा जाता है यह जनश्रुति है कि भाई जैसा मित्र व भाई जैसा शत्रु संसार में नहीं होता । 'बिन घरनी घर भूत का डेरा' लोकोक्ति से स्पष्ट है कि नारी का महत्व फैला हुआ । यहाँ के समाज में भी पत्नी के रूप में उसका महत्व अधिक है जो कि रीति–रिवाज के अनुसार स्पष्ट प्रकट होता है । महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तो है ही, साथ ही पुरूषों के साथ भी वह कृषि कार्य व अन्य कार्यो की सहायता करती हैं । स्त्री पति के लिये केवल भोग्या मात्र नही वरन् एक अच्छे मित्र के

रूप में भी सामने आती है । माँ के रूप में ही उसका पूर्ण विकास माना जाता है । सास–ससुर की सेवा उससे अपेक्षित है । विधवा होना नारी जीवन का सबसे बडा अभिशाप है । यहां के समाजानुसार उसे समाज में विरक्त जीवन व्यतीत करना पडता है । कुछ उच्च जातियों में तो विधवा का पुनर्विवाह अकल्पनीय है ।

इस क्षेत्र के परिवारों में जब पुत्र जन्म होता है तब थाली बजाकर शोर–शराबा व सोहर गीत गाया जाता है, जिसका आशय है कि हर्शोल्लास की अभिव्यक्ति । किन्तु जब पुत्री पैदा होती है तब एक परिवार में निराशा सी छा जाती है । उच्च वर्ग में कन्या को 'हुण्डी' समझा जाता है जो कि पिता को 10 से 24 वर्ष के मध्य भुगतान करनी पडती है। कन्या का पिता जीवनपर्यन्त उसके भार से मुक्त नहीं हो पाता, प्रायः कहा जाता है कि कन्या की मृत्यु यद्यपि तत्काल दुःखकारी होती है, किन्तु भविष्य में वह सुख को जन्म देती है । विवाह के बाद कन्या किसी का उतार तो किसी का श्रृंगार बन जाती है । अतः पत्नी के रूप में उसके महत्व को वर्णित नहीं किया जा सकता ।

यहाँ महिलाओं की वेश–भूषा भिन्न–भिन्न देखने को मिलती है । महिलायें आधी बाँह की 'ब्लाउज' (झुलौवा) तथा पूरी बाँह का 'सलूका', साडी, लहंगा, व ओढनी तथा मुस्लिम महिलाओं में ज्यादातर सलवार कुर्ता, दुपट्टा आदि पहनती है । शरीर पर आभूषण के रूप में पैजना, बिछिया, हांथों में चूडी, पछिलवा, हरैया, चूडा तथा गले में हार, सुतियाँ, मंगलसूत, पैरों में पायल, लक्ष्क्षा आदि पहनावा पहनती हैं । श्रृंगार की दृष्टि से मांग में सिन्दूर, पैरों में महावर, हाथों में नखूनी, मस्तक में बिन्दियां, आँखों में काजल आदि का प्रयोग किया जाता है ।

ज्यादातर पुरूष में धोती–कुर्ता–पैजामा, गंजी, बनियान, सर पर साफा तथा पाग, अंगौछा, सराई पादुका पहनते है । किन्तु यह वस्त्र मात्र विवाह आदि के अवसरों पर ही प्रयोग में लाया जाता है । पढे लिखें लोग पैन्ट–शर्ट, कुर्ता–पैजामा, धोती आदि भी पहनते है ।

बुन्देली लोकगीतों में यहाँ के खान–पान का उल्लेख मिलता । इन लोकगीतों के अनुसार यहाँ तीन समय के भोजन का उल्लेख है, प्रातःकालीन **कलेऊ**, दोपहर को **भोजन** और रात्रिकालीन **ब्यारी** कहते हैं । तरह–तरह के व्यंजन प्रायः विशेष अवसरों

एवं तिथि–त्यौहारों पर बनाये जाते है । दूध, घी, दही, मक्खन, आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है ।

यहाँ का लोक संगीत ज्यादातर बुन्देली बोली में गाया जाता है । साथ ही कुछ अवधी तथा ब्रजभाषा का मिश्रण लिये हुए संगीत भी प्रचलन में है । यहां की बोली मुख्यतः बुन्देली है, परन्तु कुछ लोग खड़ी बोली भी बोलते हैं ।

अनुसंधान अभिकल्प :

प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक है । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी के समस्यागत, स्वरूप एवं प्रकृति का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है । साथ ही कुछ प्राकल्पनाओं जिनका निर्माण भारतीय ग्रामीण समाज में प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध अनुसंधान सामग्री पर आधारित है, का परीक्षण करना भी है ।

समग्र तथा प्रतिदर्श :

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में स्थित नरैनी विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण परिवेश में किया गया है । इस अध्ययन में ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी के स्वरूप एवं प्रकृति को प्रस्तुत किया गया है । उक्त सन्दर्भ में नरैनी विकास खण्ड एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सभी जातियों का एक ही परिवेश में पाया जाना अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने में अत्यधिक सहयोगी सिद्ध हुआ है । यहाँ कुल गांवों की संख्या 147 है, जिसमें से प्रत्येक गाँव में औसतन 2 सशक्त गुट कार्यशील हैं। जिनके अन्तर्गत कुछ उपगुट भी कार्यशील हैं । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल गुटों की संख्या – 294 के लगभग है । प्रतिदर्श के रूप में अध्ययन क्षेत्र के कुल गाँवों में से 20 प्रतिशत गाँवों का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है । जो समग्र का 29.4 प्रतिशत गांव आते हैं किन्तु सुविधा की दृष्टि से 30 गांवों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है । इस प्रकार पुनः प्रत्येक प्रतिदर्शित गाँव में से 10 गुट सदस्यों का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया हैं । इस प्रकार कुल

मिलाकर 300 गुट सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर दत्त सामाग्री का संकलन किया गया है ।

अध्ययन विधि व उपकरण :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में सम्बन्धित सामग्री का संकलन करने व वांछित सूचनाओं को भलीभांति समझने के लिये संरचित साक्षात्कार – अनुसूची का प्रयोग किया गया है । और ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी सम्बन्धी अनिवार्य तथ्यों जैसे गुट में सम्मिलित सदस्यों का वैयक्तिक परिचय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, गुट एवं जाति का स्पष्टीकरण, राजनीति एव गुट का प्रकार्यान्वयन तथा जागरूकता से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश करके संरचित साक्षात्कार–अनुसूची तैयार की गयी । तत्पश्चात उसकी व्यावहारिकता का मापन करनें के लिये अध्ययन–क्षेत्र में 20 गुट सदस्यों पर परीक्षण के तौर पर उसका प्रयोग किया गया । पूर्व परीक्षण मे जिन कठिनाइयों का अनुभव हुआ, उनके आधार पर साक्षात्कार–अनुसूची में आवश्यक सुधार कर उसे विभ्रमरहित कर लिया गया है । अध्ययन में सांख्यिकीय आंकडों के साथ–साथ साक्षात्कार की अवधि में अवलोकन प्रविधि का उपयोग करते हुये गुणात्मक तथ्यों का संग्रह भी किया गया । तथा अध्ययन–क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से सम्पर्क करते हुए उनके घनिष्टता स्थापित करके वास्तविक साक्षात्कार प्रारम्भ किया गया, जिसमें कि वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूंछे गये, तथा प्राप्त उत्तरों को रिकार्ड किया गया ।

दत्त प्रक्रियाकरण :

दत्त सामाग्री के संकलन के उपरान्त संगृहीत दत्त सामाग्री का प्रक्रियाकरण किया गया है यद्यपि दत्त सामाग्री के संकलन से पूर्व समस्या के समाधान के लिये अनुसंधान अभिकल्प की संरचना करते समय ही भावी दत्त प्रक्रियाकरण की एक पूर्वयोजना बना ली गयी थी तथापि दत्त प्रक्रियाकरण के अभाव में संकलित सामाग्री अव्यवस्थित तथा अर्थहीन होती है जिसे व्यवस्थित तथा पूर्ण करने के लिये अनुसन्धानकर्ता को उसका प्रक्रियाकरण करना पडता है । दत्त प्रक्रियाकरण के अभाव

में दत्त विश्लेषण में आगे न केवल कठिनाई उत्पन्न होती है वरन् दत्तों का विधिवत विश्लेषण करना असम्भव हो जाता है । प्रस्तुत अध्ययन में संकलित दत्तों के प्रक्रियाकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच कार्यप्रणालियों का प्रयोग किया गया है –

1. दत्त सम्पादन
2. वर्गीकरण
3. श्रृंखलाबद्धता
4. संकेतीकरण
5. सारणीकरण

दत्त विश्लेषण एवं निर्वचन :

दत्तों के प्रक्रियाकरण के उपरान्त उनका तर्कसंगत रूप से विश्लेषण तथा निर्वचन किया गया है ।

अभिवृत्ति परीक्षण :

प्रस्तुत अध्ययन में वैद्यता तथा विश्वसनीयता लाने के लिये सर्वयोगकृति मूल्य निर्धारण अनुमापन प्रविधि जिसे सामान्यतया लिकर्ट तकनीकि प्रक्रिया भी कहा जाता है, का प्रयोग किया गया है ।

सांख्यिकीय परिकलन :

प्रस्तुत अध्ययन की उपलब्धियों में प्रमाणिकता लाने के लिये दत्त–सामाग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है दत्त सामाग्री के गुणों या पारिभाषित गुणात्मक परिवर्तनों के अन्तर्गत साहचर्य स्थापित करने के सन्दर्भ में काई–स्क्वायर की गणना की गयी है ।

कठिनाइयाँ :

प्रस्तुत अनुसंधानकार्य में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करते समय अनुसन्धानकर्ता को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पडा है । गुट के अनुयायियों का अध्ययन

करना आसान कार्य नहीं है । साक्षात्कार करते समय अनुसन्धानकर्ता को **प्रथम** कठिनाई यह हुई कि प्रायः गुट के सदस्य अपने गुट—जीवन की या अपने गुट समूह की बातें बताने में हिचकिचातें थे तथा उल्टी—सीधी बातें करके तथ्यों को प्रकट करने में कतराते थे, कभी—कभी उन्हें अनुसंधानकर्ता के बारे में गुप्तचर होने का भी सन्देह हो जाता था और वे अनुमान करते थे कि गुप्तचर आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उनके गुटजीवन की बातों को उद्घाटित कर सकता है जो उनकी वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये घातक हो सकता है । वैद्य तथा विश्वसनीय तथ्यों के संकलन के सन्दर्भ में अनुसन्धानकर्ता को विभिन्न गुटों के सरगनाओं से विशेष सहायता मिली । प्रायः प्रत्येक सरगना का अपने गुट सदस्यों से निकटतम सम्बन्ध होता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की सहायता लेने के पूर्व अनुसन्धानकर्ता को अनेक सरगनाओं की फटकारे भी सुननी पड़ी ।

द्वितीय कठिनाई अनुसन्धानकर्ता को विषय से सम्बन्धित पुस्तकों के सन्दर्भ मे हुयी अतः विषय से सम्बन्धित ज्ञानार्जन की प्यास बुझाने से सन्दर्भ में अनुसन्धानकर्ता को दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, झांसी की यात्रा करनी पड़ी और अन्ततोगत्वा अध्ययन की प्यास बुझी भी ।

उपयुर्क्त कठिनाइयों के अतिरिक्त अनुसन्धानकर्ता को व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है जिसमें पारिवारिक उलझने विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

इन कठिनाइयों के होते हुये भी अनुसन्धानकर्ता प्रस्तुत शोध जिज्ञासा से प्रेरित होकर अन्ततोगत्वा अपने गन्तव्य तक पहुंचने में पूर्णतया सफल रहा है ।

अध्याय - तृतीय

ग्रामीण गुटबन्दी की संरचना

पूर्ववर्ती अध्याय द्वितीय में अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन अभिकल्प, संकलित तथ्यों की व्याख्या प्रविधि तथा नरैनी विकास खण्ड़ का संक्षिप्त ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण गुटबन्दी की संरचना का समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण किया जायेगा ।

ग्रामीण गुट का परिवर्तित महत्व :

प्राचीन काल से ही भारत गाँवों का देश कहा गया है, गाँव को ही भारतीय गणराज्य की एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है । आजादी मिलने के बाद गाँवों की स्वतन्त्र सत्ता को दृष्टिगत रखते हुये, गाँवों को खुशहाल, समृद्धशाली एवं एक पूर्ण इकाई बनाने के उद्देश्य से उत्तर–प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 लागू हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्राम–पंचायतों और न्याय–पंचायतों की स्थापना हुई साथ ही साथ विकास खण्डों का कार्य प्रारम्भ हुआ । इन प्रशासकीय एवं न्यायिक संस्थाओं की स्थापना के साथ ही ग्रामीण जन–जीवन (विशेषकर राजनीति) में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप गाँवों शक्ति सन्तुलन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि परम्परागत नेतृत्व एवं भाक्ति सन्तुलन विघटित होते हुये दिखायी पड़ने लगे । **प्रो0 योगेन्द्र सिंह** का मत है कि ग्रामीण अधिकारियों की परम्परागत आर्थिक और जातीय पद स्थिति सैद्धान्तिक रूप से समाप्त हो गयी है ।[1] प्राचीन ग्रामीण गुट–संरचना का परम्परागत सामन्तवादी स्वरूप नये प्रजातान्त्रिक ढाँचे में परिवर्तित हो गया है । गुट प्रतिदिन के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाने लगे हैं ।

आज प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में निम्न जाति वालों को शासकीय संरक्षण एवं वरीयता के फलस्वरूप निम्न जाति के लोग शक्तिशाली होने लगे हैं, तथा शिक्षा एवं राजनीति के माध्यम से समाज में मान–प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं । क्योंकि भारतीय

संविधान में बालिग मताधिकार की सर्वव्यापी व्यवस्था ने भारतीय नागरिक को यह पूर्ण अधिकार दिया है कि नागरिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुये शासक चुने । इसके प्रभाव ने ग्रामीण जनता और राजनैतिक चेतना के जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य किया है, इस बात पर बल प्रदान करते हुये **प्रो0 देसाई** का मत है कि भारतीय ग्रामीण–समाज में बदलती हुयी राजनैतिक चेतना और कार्यक्रम, मानवीय राजनीतिक जीवन का प्रभावशाली लक्षण है ।[2]

भारत में ग्राम–पंचायत, न्याय–पंचायत और विकास खण्डों की स्थापना का उद्देश्य बालिग मताधिकार के आधार पर शक्ति संरचना को प्रजातान्त्रिक रूप देना है। ग्रामीण नेताओं के निर्वाचन का मुख्य आधार जाति, गुट एवं व्यक्तिगत योग्यता है । इसलिये इस प्रजातान्त्रिक, व्यवस्था में, ग्रामीण समुदाय का प्रत्येक योग्य व्यक्ति गाँव का मान्यता प्राप्त नेता बन सकता है और अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति क्यों न हों ।[3]

अतः उपयुर्क्त परिवर्तनों के फलस्वरूप ग्रामीण गुट संरचना में परिवर्तन आ गया है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अति आवश्यक है । इसके लिये यह जानकारी कर लेना आवश्यक है कि नयी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में ग्रामीण गुट किस प्रकार की समाजिक संरचना से उभर रहा है ? प्रस्तुत अनुसन्धान कार्य के इस अध्याय में अनुसन्धान कर्ता का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों का तथ्यगत विवेचन प्रस्तुत करना है :–

1. ग्रामीण–गुट में जिन्हें स्थान मिल रहा है, वे कौन से लोग हैं ? उनकी शिक्षा, अवस्था, योग्यता क्या है ?
2. ग्रामीण–गुटबन्दी के सदस्य किस सामाजिक, आर्थिक, जातीय स्तर के उभर रहे हैं ?

---

[1] योगेन्द्र सिंह – ए सर्वे आफ सेलेक्टेड विलेज इन इस्टर्न यू0पी0 द इण्डिया सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई पेज – 669– 685.

[2] ए0 आर0 देसाई – रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई पेज – 60.

[3] योगेन्द्र सिंह – ए सर्वे आफ सेलेक्टेड विलेज इन इस्टर्न यू0पी0 द इण्डिया सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई पेज – 669– 685.

3. वर्तमान में ग्रामीण गुटों का स्थान ग्राम पंचायत, सहकारिता और विकास खण्ड़ समिति आदि–आदि जनसंस्थाओं में क्या है ?
4. आज गुट के वर्तमान लक्षण किस प्रकार परम्परागत गुट नेतृत्व से भिन्न हैं ?

यह एक सामान्यीकृत तथ्य है कि व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उसके व्यवहार से घनिष्ठ सम्बंध होता है । व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण से जैसा सीखता है वैसी ही उसकी जीवन पद्धति बन जाती है । जीवन स्वयं जीने की एक कला है, जो कि मानव के सीखने के परिणाम स्वरूप ही विकसित होती है । इस अध्याय में उत्तरदाताओं की उन सभी विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होतें हैं तथा साथ ही उसे समय–समय पर प्रभावित भी करते हैं ।

(१) उत्तरदाताओं की आयु :

यद्यपि आयु एक जैविक तथ्य है तथापि समाज में आयु के अनेक अभिप्रेत अर्थ है । आयु एक ऐसा जैविक तथ्य है जो पद एवं कार्य की सामाजिक परिभाषा की सीमा का निर्धारण करता है । किसी व्यक्ति को किस आयु मे कौन–सा पद प्रदान किया जायेगा तथा उसकी भिन्न–भिन्न सामाजिक समूहों में भूमिका क्या होगी, इसका निर्धारण सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ही करता है । विभिन्न समाजों में पाये जाने वाले आयु वर्गीकरण से आयु के महत्व का पता चलता है ।[4] शैशवावस्था से युवावस्था तक विकास का क्रम जीवन चक्र में विभिन्नतायें उत्पन्न करता है । यह प्रकृति का एक ऐसा सत्य है, जिससे बचा नही जा सकता ।[5] विभिन्न संस्कृतियों में उनकी आयु की विभिन्न अवस्थाओं से भिन्न–भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ।[6] साथ ही समाज के एक ही आयु–समूह के लोगों का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि समाज उससे उस आयु में अपेक्षा करता है ।

---

[4] एस0एन0आईजेन स्टार फ्राम जनरेशन टू जनरेशनः ऐज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर(न्यूयार्क दि फ्री प्रेस–1956)
[5] पारसन्स टालकट – 1942 ऐज एण्ड सेक्स इन दा सोशल स्ट्रक्चर आफ दि यूनाईटेड स्टेट्स अमेरिकन सोशियो लाजिकल रिव्यू, 7 अक्टूबर, पेज– 604–616.

ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी से सम्बन्धित एक बहुत बड़ा भाग 38–47 आयु वर्ग का है । गुटबन्दी में प्रवेश पाने का स्रोत पैत्रृक एवं परम्परागत के अतिरिक्त जातिगत एवं गुटगत भी है । नयी पीढ़ी के ग्रामीण नेता राजनैतिक पार्टियों से प्रभावित है प्रस्तुत अध्ययन में यह प्रेक्षित करने का प्रयास किया गया है कि प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं का आयुवर्ग क्या है ? सारणी संख्या – 3.1 में इस तथ्य पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है –

सारणी संख्या – 3.1

उत्तरदाताओं का आयु–वर्ग

आयु वर्ग	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
18 से 27 वर्ष	26	8.7
28 से 37 वर्ष	85	28.3
38 से 47 वर्ष	135	45.0
48 से 57 वर्ष	37	12.3
58 से ऊपर	17	5.7
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.1 अन्तर्विष्ट दत्तों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अर्थात 45 प्रतिशत उत्तरदाता 38–47 वर्षायु समूह के हैं । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाता ग्रामीण राजनीति में विशेष स्थान रखते हैं एवं ग्रामीण गुट संरचना में मुख्य भूमिका अदा करते हैं । 28–37 वर्षायु के उत्तरदाता 28.3 प्रतिशत पाये गये हैं जो ग्रामीण गुटबन्दी मे द्वितीय स्थान की भूमिका का निर्वाह कर रहें हैं । प्रस्तुत अध्यय से यह बात उभरकर सामने आती है कि वर्तमान समय में ग्रामीण समाज के लोग प्रौढ़ावस्था वालों की सामाजिक क्षमता पर अधिक विश्वास कर रहे हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि सामाजिक गुटबन्दी एक जिम्मेदारी की भूमिका है जिसे निभाने के लिये प्रौढ़ावस्था के सदस्य ही उपयुक्त समझे जाते हैं । भारतीय ग्रामीण जन अब ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि प्रौढ़ावस्था में सामाजिक एवं राजनैतिक दायित्वों को वहन करने की क्षमता

[6] बेनेडिक्ट रुथ, 1938 कान्टीन्यूटीज एण्ड डिस्कान्टीन्यूटीज इन कल्चरल कन्डीशनिंग साइकिट्री भाग–1.

अधिक रहती है । यही कारण है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में प्रौढ़ावस्था के लोग ही प्रविष्ट हो रहे हैं ।

(२) उत्तरदाताओं की धार्मिक पृष्ठभूमि :

धर्म एक सार्वभौमिक घटना के रूप में देखा जा सकता है । इसका अस्तित्व प्रायः संसार के प्रत्येक समाज में है, चाहे वह आधुनिकता से ओत–प्रोत हों, अथवा आदिमयुगीन विशेषताओं वाला हो । धर्म अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिकायें निभाता है । यह सामाजिक मूल्यों तथा व्यक्तियों के लिये आचरण संहिता का निर्धारण करता है । वैयक्तिक जीवन के लिये भी धर्म की महत्ता कम नहीं है ।[7]

धर्म व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा साथ ही वह सामाजिक नियन्त्रण की एक महत्वपूर्ण संस्था भी है । धर्म विश्वासों की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता विद्यमान होती है । व्यक्ति धर्म की ओट में अनेकों आरक्षित एवं अनारक्षित कार्य करता रहता है । ग्रामीण जनों की धर्म में अत्यधिक आस्था होती है, इस आस्था के आधार पर अनेक प्रकार के गुटों का निर्माण एवं इसका गुट पर प्रभाव सम्बन्धी विवरण सारणी संख्या 3.2 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या – 3.2

उत्तरदाताओं की धार्मिक पृष्ठभूमि

धर्म	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
1. हिन्दू	252	84.0
2. मुस्लिम	48	16.0
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण गुटबन्दी प्रक्रिया के तहत 84 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्मावलम्बी एवं 16 प्रतिशत उत्तरदाता इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं

[7] टालकट पारसन्स, 1952 रिलिजियस पर्सप्रेक्टिवस आफ कालेज टीचिंग इन सोशियोलोजी एण्ड साइकोलाजी, न्यू हेवेन दि हैजन फाउण्डेशन पेज – 15

जिनमें अपने–अपने धर्म के महत्व के अनुसार ग्रामीण गुट तैयार करने का कार्य एवं प्रभाव अलग–अलग देखने को मिलता है ।

(3) उत्तरदाताओं का जातीय स्तर :

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा का अस्तित्व है जो कि सामाजिक संस्तरण का आधार रहा है । समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान्य नहीं होती वरन् ऊंच–नीच का एक संस्तरण पाया जाता है । यह जन्म पर आधारित होती है इसलिये इसमें सामान्यतया परिवर्तन सम्भव नहीं होता । पश्चिम में स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, किन्तु भारत में जाति और वर्ग दोनों पाये जाते है । जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान–पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक सहवास सम्बंधी प्रतिबन्ध लागू करता है । इस प्रकार जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है ।[8] जाति एक राजनैतिक इकाई भी है क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उन्हें लागू भी करती है । जाति–पंचायत, उसके कार्य और संगठन राजनीतिक पक्ष के प्रतीक है । जाति के द्वारा विधायिक एवं न्यायिक कार्य भी सम्पन्न होते रहें हैं जिसके कारण इसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है ।[9]

वर्तमान में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक फैशन बन गया है । जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि हो रही है, किन्तु प्राचीन काल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । भारत में जाति की व्यापकता और महत्व को स्पष्ट करते हुये **मजूमदार** ने लिखा है कि "भारत

[8] डॉ आर०एन० सक्सेना, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थायें पेज – 45 .
[9] डॉ आर०एन० सक्सेना, भारतीय समाज तथा सामजिक संस्थायें पेज – 53

में जाति व्यवस्था अनुपम है, भारत विभिन्न सम्प्रदायों की परम्परात्मक स्थली है, यहाँ की हवा में जाति घुली हुयी है, मुसलमान और ईसाई भी इससे अछूते नही हैं ।"[10]

भारतीय ग्रामीण समाज में गुट का मुख्य केन्द्र जातियाँ रही हैं जो आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ विद्यमान है । इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज की पूरी आचारसंहिता, राजनीति संहिता और अर्थसंहिता इस प्रकार समाहित है कि उसने समाज के सभी लोगों को अपने आलिंगन–पाश में बांध रखा है, और साथ ही सभी लोग इसे अपने गले लगायें हुये हैं । यही कारण है कि प्रत्येक गांव वासी जब गुटवाद में आता है तो वह अपने जीवन के तौर – तरीकों को भी अपने साथ लाता है । **प्रो0 मौरिस जान्स** का मत कि जब ग्रामीण जन राजनीति में आतें है तो वे अपने मांगों की सूची के साथ न आकर जीवन के तौर तरीकों के साथ आतें हैं ।[11]

परम्परागत रूप से ग्रामीण जन–संगठनों में उच्च जातियों की संख्या अधिक रही हैं । ग्रामीण गुटबन्दी में इनको प्रमुख स्थान प्राप्त रहा है । ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शक्ति उच्च जाति समूह के हाथ में रही है । उच्च जाति समूह के नेता ग्रामीण राजनैतिक जवीन का मार्ग–दर्शन करते रहे हैं । निम्न जाति समूह आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहें हैं, जिसके कारण वे ग्रामीण राजनीति में अभिरूचि नही लेते रहें । गामीण समाज में उच्च जाति समूहों का निम्न जाति समूहो पर प्रावल्य होनें कें अनेक कारण है, जिसमें आर्थिक मुख्य है । परन्तु अब नये जनतान्त्रिक परिवेश में उच्च जाति–समूहों के अतिरिक्त निम्न जाति–समूहों के लोग भी शक्तिशाली, हो रहे हैं तथा ग्रामीण जन–संगठनों में इनको भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो रहा है ।

ग्रामीण समाज की पिछड़ी जातियाँ जिनके पास सम्पत्ति के रूप में थोडी बहुत जमीन है वो अपने राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग कर ऊपर आ रही हैं और कुछ गाँवों में ये जातियाँ बहुसंख्या में ग्रामीण राजनीति में खुलकर भाग ले रही हैं । अनुसूचित जातियों में हरिजनों का प्रत्येक गाँव की जनसंख्या में महत्वपूर्ण हिस्सा है और अन्य जातियों के विपरीत अभी भी इनमें दृढ़ एकता है । लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण गाँव की राजनीति में इनकी संख्या को देखते हुये इनके हांथ

---

[10] मजुमदार एवं मदान – रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया ।

में कुछ भी नही है । ग्रामीण संगठनों में सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त शायद ही कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो पाता है । **प्रो0 श्रीनिवास** का मत है कि अछूत कहीं भी शक्तिशाली नहीं है ।[12]

प्रजातन्त्रात्मक राज्य में जहाँ प्रत्येक बालिग को एक ही मत देने का अधिकार है, वहाँ जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जातियों को ग्रामीण गुटबन्दी में महत्वपूर्ण स्थान मिलने की आशा की जा सकती है । लेकिन यह तथ्य है कि अनुसूचित जातियों को सुरक्षित स्थान के अलावा भायद ही कोई महत्वपूर्ण स्थान मिल पाता है । अधिकांश अनुसूचित जाति के नेता अपने जाति की पंचायत के चौधरी हैं, जिनका प्रभाव अपने ही जाति के सदस्यों तक सीमित होता है । इस अनुसंधान कार्य में उत्तरदाताओं की जातीय स्तर को भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, सारणी संख्या 3.3 में जातिगत आयाम पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है –

सारणी संख्या 3.3

उत्तरदाताओं का जातीय स्तर

जातीय स्तर	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	66	22.0
क्षत्रिय	44	14.7
वैश्य	11	3.7
पिछड़ी जातियाँ	67	22.3
अनुसूचित जातियाँ	64	21.3
मुसलमान	48	16.0
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.3 में प्रस्तुत किये गये दत्तों का प्रेक्षण करने से स्पष्ट है कि प्रतिदर्शित विकासखण्ड़ में पिछडी जातियों का मुख्य रूप से प्रावल्य है । 22.3 प्रतिशत उत्तरदाता

[11] डब्ल्यू0 एच0 मैरिस जोन्स – इण्डिया पोलिटिकल आइडियम, जार्ज एलन एण्ड उनविन लिमिटेड लन्दन, 1963 पेज–138.

पिछडी जातियों के हैं, 22 प्रतिशत उत्तरदाता ब्राह्मण जाति के हैं । जबकि 21.3 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जातियों के हैं और 16 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम जाति के हैं केवल 14.7 प्रतिशत क्षत्रिय, 3.7 प्रतिशत वैश्य जाति के उत्तरदाता है । ग्रामीण गुटबन्दी में पिछडी जातियों का प्रमुख स्थान इसलिये प्राप्त है कि नरैनी विकास खण्ड़ में इस जाति के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हैं और सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले हैं साथ ही इस जाति को ब्राह्मण एवं वैश्य जाति का प्रश्रय मिला हुआ है गुट कुशलता की दृष्टि से यह जाति कुशल गुट के रूप में सामने तो है ही साथ ही यह जाति शारीरिक बल प्रयोग की शक्ति में भी आगे है यही कारण है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जाति समूहों के गुट नेता भी इन्हें ग्रामीण गुटबन्दी में स्थान देते हैं और समय–समय पर उनसे शारीरिक शक्ति, बल–प्रयोग में मदद लेतें हैं ।

जहां तक अनुसूचित जाति की स्थिति का प्रश्न है उनकी संख्या को देखते हुये उन्हें गुटबन्दी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है । अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग अपनी जाति पंचायत के सरगना हैं जिनका अपनी जाति तक ही परिसीमित होना स्वभाविक है । प्रस्तुत अध्ययन की यह उपलब्धि **प्रो0 एम0एन0 श्रीनिवास** की इस उपलब्धि कि अनुसूचित जाति कहीं भी शक्तिशाली नही है, की पुष्टि करती है ।

(४) लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का स्तर :

सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न मनुष्यों और स्थितियों तथा भूमिकाओं से होता है प्रत्येक संस्कृति में मनुष्यों की सामाजिक स्थितियों, भूमिकाओं में भिन्नता पायी जाती है लिंग भेद के आधार पर पुरूष प्रायः ऐसे कार्य करते हैं जो अधिक कठोर, कष्टदायक, परिश्रम प्रधान होते हैं और स्त्रियां प्रायः घरेलू कार्य करती हैं । कहीं–कहीं स्त्रियां सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक कार्यो में पुरूषों से उच्च स्थिति रखती है और सभी महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन करती है । अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं का लिंग के आधार पर विश्लेषण सारणी संख्या 3.4 में प्रस्तुत किया गया है ।

---

[12] एम0 एन0 श्रीनिवास – इण्डियन विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई, 1963 पेज–7.

सारणी संख्या 3.4

उत्तरदाताओं का लिंग अनुपात

लिंग	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरूष	178	59.3
महिला	122	40.7
योग	300	100.0

उक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 40.7 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें हैं जो गुटीय प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं जबकि शेष 59.3 प्रतिशत उत्त्तरदाता पुरूष हैं । स्पष्ट है कि गुटबन्दी की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रियता भी कम नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में इसीलिये ग्रामीण गुटबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत महिलाओं का स्थान कम नहीं है । सारणी संख्या 3.4 में प्रदर्शित दत्त प्रेक्षण से ज्ञात होता है कि 40.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें राजनैतिक पृष्ठभूमि से लगाव रखती है और शेष 59.3 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता ग्रामीण गुट प्रक्रिया से जुडे हुये हैं इसकी पुष्टि सारणी संख्या 3.4 से स्पष्ट है ।

(५) उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर :

व्यक्ति तथा समाज दोनों के ही दृष्टिकोण से शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व है। शिक्षा का ज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति कराती है और व्यक्ति को पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाती है, इसी से समाज के लिये उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण अपने आप हो जाता है । शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक कुछ भी हो सकता है । ज्ञान स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है । ज्ञान को **एम0 मैकाइवर** ने शक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि ज्ञान वह शक्ति है

जो न केवल भौतिक पदार्थो पर नियन्त्रण रखता है बल्कि इससे लक्ष्यों, नये अवसरों, नये चुनावों, इच्छाओं तथा असीमित धैर्य और साहस का मार्ग भी खुल जाता है जिसमें सभी अज्ञात भय और अन्धविश्वास लुप्त हो जातें हैं । ज्ञान भाक्ति का आधार है और सफलता की पहली शर्त है ।[13] शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ सांस्कृतिक मूल्यों के पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तान्तरण में भी सहायक होती है । सामाजिक जीवन की श्रेष्ठता का आधार शिक्षा ही है, चाहे वह प्राचीनकाल की परम्परागत शिक्षा हो अथवा आधुनिक काल की व्यावसायिक शिक्षा । शिक्षा ने आज औद्योगिक विकास, आर्थिक संरचना, राजनीतिक जीवन, सामाजिक पुनर्निर्माण और व्यक्तित्व के विकास को एक–दूसरे से सम्बद्ध कर दिया है ।

शिक्षा का स्वरूप प्रत्येक युग और स्थान में समान नहीं रहा, कभी शिक्षा को नैतिक विचारों के विकास के लिये आवश्यक माना गया तो कभी इसे सांस्कृतिक विरासत से मिलाकर धार्मिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया जाता रहा । आज शिक्षा को धर्म के दायरे से बाहर लाकर तर्क प्रधान बनाया जा रहा है । परन्तु हर स्थिति में इसका उद्देश्य ज्ञान का संग्रह ही है । परम्परागत समाज में शिक्षा पूर्णतया विशेषीकृत है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक जगत पर नियन्त्रण पा लेना होता जा रहा है ।

शिक्षा का परिवर्तित रूप एवं स्वतन्त्र भारत में बदलती हुई ग्रामीण जीवन की मान्यताओं एवं जटिलताओं ने शिक्षा के महत्व को द्विगुणित कर दिया है । आज हर एक गाँव का सम्बंध पड़ोसी गाँव के साथ–साथ पूरे देश एवं सम्पूर्ण राष्ट्र से हो गया है । विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना का प्रभाव प्रत्येक ग्रामीण के सामान्य जीवन पर पड़ता है। गाँवों की समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है । गाँव राष्ट्रीय राजनीति एवं प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गया है । **प्रो0 ए0आर0 देसाई** ने आधुनिक राज्य में बढ़ती हुई केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को

देखते हुये बताया है कि गाँव राज्य के राजनैतिक प्रशासनिक तन्त्र का अभिन्न अंग बन गया है ।[14] सरकार स्वयं नियोजित ढंग से ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं

---

[13] राबर्ट एम0, मैकाइवर– पुवर ट्रान्सफार्मेड, 1964, द मैकमिलन कम्पनी,, न्यूयार्क, पेज–77.

[14] ए0आर0देसाई – रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, द इण्डियन आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई,पेज88

सांस्कृतिक जीवन को जनतान्त्रिक विकास की ओर ले जा रही है । इसलिये प्रत्येंक ग्रामीण के लिये अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों, कानूनों एवं प्राप्त होने वाली सुविधाओं के प्रति सूचनाओं एवं शर्तों की जानकारी होनी आवश्यक है । अगर साधारण ग्रामीण जन स्वयं पढ़े–लिखें नहीं हैं तो अपने गुट नेताओं से पूर्णरूपेण सजग रहने की प्रत्याशा रखते हैं । **प्रो0 देसाई** ने उचित ही कहा है कि वर्तमान विकास–सम्बंधी कार्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रारम्भिक जानकारी व्यक्ति के लिये अनिवार्य है।[15]

उपयुर्क्त समस्त तथ्यों के अतिरिक्त गाँव के प्राचीन प्रशासनिक एवं न्यायिक जातीय पंचायत–व्यवस्था का स्थान नयी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, ग्राम–पंचायत और न्याय–पंचायत ने ले लिया है । इन सभी संस्थाओं की कार्यवाही के कुछ निश्चित नियम–कानून होते हैं जिनका पालन होना आवश्यक होता है । साथ ही ग्राम–पंचायत और न्याय–पंचायत की सम्पूर्ण कार्यवाही लिखित होती है । इन सभी कारणों से ग्रामीण गुटों में शिक्षा का महत्व बढ़ गया है । सम्पूर्ण ग्रामीण नेतृत्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षित लोगों का है, जो बड़ी लगन से भाग ले रहे हैं और उन्हें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है ।

वर्तमान में ग्रामीण राजनीति 'पद' के स्थान पर प्रसंविदा के सिद्धान्त से अनुशासित हो रही है । ऐसी स्थिति में ग्रामीण गुटबन्दी में शिक्षित लोग अधिक आ रहें हैं और अपना राजनैतिक जीवन ग्रामीण स्तर से प्रारम्भकर जनपद, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहें हैं । उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकांश ग्रामीण गुट नेता अपने गाँव को अप्रकार्यवादी राजनीति से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहें हैं । इसके विपरीत साधारण शिक्षित एवं मध्यम स्तरीय शिक्षित ग्रामीण गुट सदस्यों का एक बहुत बड़ा भाग अपने को गाँव की अप्रकार्यवादी राजनति से ऊपर उठा सका है । इन ग्रामीण गुटबाजों ने अपने सीमित स्वार्थो की सिद्धि के लिये सम्पूर्ण गाँव को अनेक गुटों में बाँट रखा है । वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में अशिक्षित गुट सदस्यों को प्रोत्साहन

---

[15] ए0आर0देसाई – रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, द इण्डियन आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई, पेज – 88.

नही मिल रहा है, इसलिये इनकी संख्या कम होती जा रही है । प्रस्तुत अध्ययन में प्रदर्शित उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर को प्रेक्षित करने का प्रयास सारिणी संख्या 3.5 में किया गया है –

सारिणी संख्या 3.5

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	66	22.0
साक्षर	68	22.7
हाईस्कूल से कम	95	31.7
इण्टरमीडियट	37	12.3
स्नातक	18	6.0
स्नातक से ऊपर	16	5.3
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.5 में प्रस्तुत किये गये दत्तों का प्रेक्षण करने से स्पष्ट है कि सभी उत्तरदाता शिक्षित नहीं है । अधिकांशतः 31.7 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्वमाध्यमिक अर्थात हाईस्कूल से कम की शिक्षा प्राप्त किये है । 22.7 प्रतिशत उत्तरदाता नाम मात्र यानि कि अपनी कार्यविधियों के संचालन के वास्ते केवल साक्षर है जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं उन लोगों को हस्ताक्षर करने का भी ज्ञान नहीं है । वहीं 12.1 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडियट, 6 प्रतिशत स्नातक, 5.3 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक से ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त किये हैं ।

(६) उत्तरदाताओं का पेशा :

अति प्राचीन काल से ही भारतीय गामीण समुदाय का जातिगत पेशें से घनिष्ठ सम्बंध रहा है तथा आज भी किसी न किसी रूप में यह सम्बंध बना हुआ है । प्राचीन काल में प्रत्येक जाति के लिये एक पेशा निश्चित कर दिया गया था । प्रत्येक जाति का सदस्य अपने जातीय व्यवस्था के द्वारा जीविका चलाने का अधिकारी समझा जाता था, और अपने जातीय पेशे को छोड़ना धर्म विरूद्ध आचरण मानता था । प्राचीन

ग्रामीण समुदाय में उच्च और निम्न जातियों के बीच व्यवसाय का बँटवारा, उच्चतम या निम्नतम, आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नही बल्कि व्यवसाय की पवित्रता और जाति की पवित्रता एवं स्वभाव को ध्यान में रखकर किया जाता था । फिर भी उच्च जातियों के पेशें पवित्रता के साथ अधिक आर्थिक लाभ वाले सिद्ध हुए, जबकि कुछ के नहीं ।

ग्रामीण समाज एवं नगरीय समाज में व्यवसाय का भेद विशेष महत्वूपर्ण है । भारत में ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । किसान एवं ग्रामीण एक–दूसरे के पर्याय मानें जाते हैं । इसके विपरीत भारत के शहरी या नगरीय समाज में व्यक्तियों का एक ही पेशा न होकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं । अधिकांशतः लोग वाणिज्य, व्यापार तथा औद्योगिक व्यवस्था में लगे हुए हैं । यह एक मान्य तथ्य है कि व्यवसाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है ।

आज संविधान द्वारा प्रत्येक को अपना मनप्रसन्द पेशा चुनने की स्वतन्त्रता है, फिर भी अधिकाश ग्रामीण गुट नेता अपने जातीय एवं पैतृक व्यवसाय में लगे हुये हैं । यह कटु सत्य है कि ग्रामीण जन में शारीरिक श्रम करने की प्रवृत्ति कम हो रही है । सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के बदल जाने के कारण जिन व्यवसायों को हेंय दृष्टि से देखा जाता रहा है, ग्रामीण जन उन व्यवसायों को छोड़कर कृषि कार्य में लग रहें हैं। यजमानी पेशा जो पूर्व में सबसे पवित्र पेशा था, आज हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है, जिसके कारण यजमानी पेशा वाले सभी ग्रामीण नेताओं ने अपने जातीय पेशे यजमानी को छोड़कर कृषि या नौकरी अपना लिया है ।[16] यही कारण है कि अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के व्यावसायिक स्तर को प्रस्तुत करने का प्रयास सारिणी संख्या 3.6 में किया गया है –

---

[16] जी0एस0 घुर्ये – कास्ट क्लास एण्ड आक्यूपेशन, 1961, पापूलर बुक डिपो बम्बई, पेज – 265

सारणी संख्या – 3.6

उत्तरदाताओं का (पेशा) व्यावसायिक स्तर

पेशा	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि पर आधारित	207	69.0
व्यापार	48	16.0
नौकरी	45	15.0
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.6 में समाविष्ट दत्तों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक 69.0 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में लगे हुये हैं । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का जातिगत व्यवसाय कृषि रहा है । 15 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं कथनीय है कि नौकरी, पेशा तथा व्यापारिक कार्य में संलग्न उत्तरदाताओं का जातिगत व्यवसाय कृषि रहा है ।

उपयुर्क्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्शित उत्तरदाता अपने व्यवसाय का चयन करते समय मुख्यतया तीन बातों का ध्यान रखते हैं जैसे – उच्चतम आर्थिक लाभ, सामाजिक सम्मान एवं प्रस्थिति, शारीरिक श्रम से बचाव । यही कारण है कि अधिकांश 16 प्रतिशत उत्तरदाता जिनके व्यवसाय का सम्बन्ध शारीरिक श्रम से सम्बन्धित था उसे छोड़कर ऐसे व्यवसाय करने लगे हैं जिनमें शारीरिक श्रम कम और पर्याप्त आय प्राप्त हो साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहे ।

(७) उत्तरदाताओं की आय एवं आर्थिक स्तर :

ग्रामीण जीवन में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होने के कारण ग्राम वासियों का जीवन कृषि – भूमि के स्वामित्व से प्रभावित होता रहा हैं । व्यक्ति के पास भू–स्वामित्व

होने के कारण आर्थिक समपन्नता के साथ वह समुदाय पर नियन्त्रण भी करता हैं । भू–स्वामित्व स्थिति निर्धारण का एक कारक है । जिस व्यक्ति के पास अधिक भूमि होती है वह चाहे किसी भी जाति से सम्बन्धित हो उसकी स्थिति प्रभावी होती है । चूंकि भू–स्वामित्व पारिवारिक होता है अतः इसका हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है ।

ग्रामीण क्षेत्र की गुटबन्दी में आर्थिक पृष्ठभूमि, गुट की समाजिक स्थिति को निर्धारित करती है । ग्रामीण गुट में नेता की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति उनके नेतृत्व में चमत्कारिक भाक्ति देती हैं । ग्रामीण गुट का अध्ययन उसके आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर करने पर ज्ञात होता है कि बहुत छोटी आर्थिक स्तर वाले गुट नेता आर्थिक संकट के कारण ग्रामीण राजनीति में न तो समय दे पातें है और न उनका नेतृत्व ही प्रभावशाली होता है । इसके विपरीत बडी अर्थिक स्तर वाले धनी ग्रामीण विशिष्टजन ग्रामीण राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से कम रूचि लेते हैं । ऐसे ग्रामीण जन की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ होने के कारण ये ग्रामीण राजनीति में प्रत्यक्ष, रूप से न आकर परोक्ष रूप से भाग लेते हैं और परोक्ष रूप से ग्रामीण गुट राजनीति को संचालित करते हैं । ये धनी ग्रामीण जन मध्यम वर्ग के ग्रामीण गुट नेताओं के माध्यम से ग्रामीण गुट राजनीति का संचालित करते हैं ओर उनकी आर्थिक सहायता करतें हैं।

ग्रामीण गुटबन्दी की राजनीति में मध्यम वर्ग के नेता अधिक सक्रिय कार्य करते हैं तथा अधिकांश गुट नेता उसी वर्ग से आते हैं । इस वर्ग में कुछ गुट नेता स्वतन्त्र प्रभुत्वशाली होते हैं । और कुछ धनी लोगों से प्राप्त सहायता के कारण उनके प्रभुत्वाधीन गुट नेता होते हैं । इस आय–स्तर के गुट जन उच्च और निम्न वर्ग के बीच की कडी का कार्य करते हैं और दोनों के साथ ताल–मेल बैठाकर कार्य करने में समर्थ होते हैं । वास्तव में राजनीति मध्यम वर्ग के गुटजनों का कार्य है और इसी आय स्तर के लोग सफल राजनीतिज्ञ होते हैं ।[17] प्रस्तुत अध्ययन में यह पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण गुट–संरचना में गुट सदस्यों का आर्थिक स्तर कैसा एवं उनकी वास्तविक आमदनी कितनी है ? इसे सारणी संख्या 3.7 में स्पष्ट किया गया

[17] जे0 ब्लॉण्डेल – वोटर्स पार्टीज एण्ड लीडर्स, काक्स एण्ड वुमैन लिमिटेड ग्रेट ब्रिटेन, 1963 पेज–113.

है तथा आर्थिक स्तर का निर्धारण आय वर्ग के आधार पर किया गया है । उच्च आर्थिक स्तर के अन्तर्गत उन उत्तरदाताओं को शम्मिलित किया गया है जिनकी आय वार्षिक 36000 रूपये से अधिक तथा उच्च मध्यम आर्थिक स्तर में उन्हें सम्मिलित किया गया है जिनकी वार्षिक आय 24000 से 36000 व मध्यम अर्थिक स्तर में माना गया है जिनकी वार्षिक आय 12000 से 24000 से मध्य तथा 6000 से 12000 रू0 आय वाले उत्तरदाता निम्न आय वर्ग या निम्न आर्थिक स्तर वाला माना गया है ।

सारिणी संख्या 3.7

उत्तरदाताओं की आमदनी एवं आर्थिक स्तर

आर्थिक स्तर	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च	44	14.7
उच्च मध्यम	106	35.3
मध्यम	110	36.7
निम्न	40	13.3
योग	300	100.0

सारणी संख्या 3.7 में समाविष्ट दत्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक अर्थात 36.7 प्रतिशत उत्तरदाता मध्यम आर्थिक स्तर वाले हैं, जो सम्पूर्ण ग्रामीण गुट का प्रतिमानिक समूह है उच्च आर्थिक स्तर वाले उत्तरदाताओं की संख्या 14.7 प्रतिशत एवं उच्च मध्यम आर्थिक स्तर वाले 35.3 प्रतिशत और सबसे निम्न आर्थिक वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 13.3 हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यम आर्थिक स्तर के उत्तरदाताओं का ग्रामीण गुटबन्दी में महत्वपूर्ण स्थान है । उच्च आर्थिक स्तर से ग्रामीण गुटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम नहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि अधिक आय वाले ग्रामीणों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है इसलिये ग्रामीण गुटबन्दी की व्याख्या करते समय इस स्तर के ऊपर विशेष ध्यान देना समीचीन प्रतीत होता है । मध्यम आर्थिक स्तर का गुट जहां ग्रामीण गुटबन्दी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वहां उच्च आर्थिक स्तर का गुट ग्रामीण गुटबन्दी को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से

प्रभावित करता है वास्तव में ग्रामीण गुट नेतृत्व उन लोगों का कार्य है जिनके पास पर्याप्त धन एवं समय है । निम्न आर्थिक स्तर वाला व्यक्ति अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगा रहता है ।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता मध्यम आर्थिक स्तरीय है जिनके हांथों में ग्रामीण गुटबन्दी की शक्ति अन्तर्विष्ट है । प्रस्तुत अध्ययन की यह उपलब्धि **जे0 ब्लॉण्डेल** के इस अनुसन्धान उपलब्धि का समर्थन करती है कि अधिकांश ग्रामीण गुटनेता मध्यम आय वर्ग से आतें हैं ।

(८) उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप :

परिवार समाज की आधारभूत संस्थाओं में से एक है, जिसका व्यक्ति के सामाजीकरण से सीधा सम्बंध है । परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है जहाँ पर व्यक्ति के विचार, विश्वास, धारणायें, भावनायें, सामाजिक मूल्य आदि जन्म लेते हैं तथा साथ ही पनपते भी हैं । इन सभी का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उनकी भावी गतिविधियों से सीधा सम्बन्ध होता हैं । इसी से परिवार मानव समाज की एक महत्वपूर्ण ईकाई ही नहीं है बल्कि जीवन के लिये सबसे अधिक आवश्यक भी है ।[18] भिन्न–भिन्न समाजों में परिवार भिन्न–भिन्न रूपों में पाया जाता है । कहीं पर पितृ सत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृ स्थानीय है तो कहीं पर इसका स्वरूप मातृ सत्तात्मक, मातृवंशीय तथा मातृ स्थानीय है ।[19] किसी समाज में परिवार एक विवाही है तो किसी अन्य में बहुपति विवाही अथवा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं ।[20] इतना ही नहीं हिन्दू समाज में संयुक्त प्रकार के परिवारों की प्रधानता तो कहीं अन्य समाजों में एकाकी परिवारों की बहुलता है ।[21] संयुक्त परिवर जहाँ व्यक्ति में समष्टिवादी विचारों का जन्म देते हैं वही एकाकी परिवार उसे व्यष्टिवादी बना देते हैं ।

---

[18] ग्रीन ए0 डब्ल्यू0 सोशियोलाजी, पेज–389.
[19] के0एम0 कपाडिया, 1972, मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया कलकत्ता, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेज –275.
[20] पी0 एन0 प्रभु – 1985, हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन, बाम्बे (पापुलर बुक डिपो) पेज–217

[21] के0एम0 पाणिक्कर – 1956, हिन्दू सोसायटी एट दि क्रास रोड, न्यूयार्क, इन्स्टीट्यूट आफ पेसिफिक रिलेशन पेज–56

ग्रामीण गुटबन्दियों में सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्व होता है । ग्रामीण गुट नेता का महत्व उसके व्यक्तिगत गुणों से कम पारिवारिक ख्याति और शक्ति से अधिक होता है । जिस गुट का परिवार गाँव में प्रभावशाली होता है, वह गुट भी ग्रामीण तन्त्र में शक्तिशाली होता है । यदि गुट का परिवार गाँव में शक्तिशाली अथवा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है तो इस गुट को अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त होगा । इसीलिये ग्रामीण गुटबन्दी में सफल एवं सबल गुट के लिये गुट की पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ होना अति आव यक है । ग्रामीण समुदाय में गुट की सफलता के लिये संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण है और अधिकांश ग्रामीण नेता संयुक्त परिवार से ही आते हैं । संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की अपेक्षा गुट नेतृत्व को विशेष सुविधायें प्राप्त होती हैं । परन्तु एकाकी परिवार में व्यक्ति अपने घन का अकेला मालिक होता है, इसलिये वह अपने पारिवारिक और गृहस्थी के कार्यो को प्राथमिकता देता है, और गुट को गौण–स्थान देता है । जबकि गुट का नेतृत्व सफलता पूर्वक करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है । लेकिन एकाकी परिवार का नेता पर्याप्त समय नही दे पाता है। इन सबके अलावा ग्रामीण–तन्त्र में सफलता प्राप्त करने के लिये गुट के स्वयं के परिवार में सुदृढ़ आर्थिक, सामाजिक और मानवीय शक्ति का होना आवश्यक है । एकाकी परिवार का गुट नेता आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो सकता है लेकिन उसके स्वयं के परिवार में मानवीय शक्ति का सर्वथा अभाव होता है । जिसके कारण अन्य बातों के समान रहने पर संयुक्त परिवार गुट का नेता शक्तिशाली हो सकता है । **आस्कर लेविस** का मत है कि ग्रामीण परिवार अत्यन्त शक्तिशाली है । भारत में सामान्य रूप से संयुक्त परिवार पाये जाते हैं। ये विस्तृत परिवार शक्तिशाली एवं व्यक्तिगत परिचय के लिये आधारभूत इकाई के रूप में है ।[22]

ग्रामीण गुट में संयुक्त परिवार के मुखिया को परिवार की प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्यो के अतिरिक्त गृहस्थी का बहुत कम कार्य करना पड़ता है । गृहस्थी

---

[22] आयशर लेविस – इन दिस आर्टिकल प्रजेन्ट कल्चरल इन इण्डिया मैस्को, ए कम्प्रेटिव एनालिसिस इन दा बुक विलेज इण्डिया, अमेरिकन एन्थ्रोपोलिजकल एसोशियेशन 1953, पेज–54.

एवं कृशि का कार्य परिवार के अन्य लोग करते हैं । परिवार के मुखिया को अधिकतर देख–रेख की करना पड़ता है तथा परिवार, की स्थिति को गाँव में और बाहरी–दुनियाँ में सुदृढ़ करना होता है । इस प्रकार संयुक्त परिवार वाले ग्रामीण गुट नेता के पास काम कम होने के कारण सामाजिक कार्यो के लिये समय अधिक मिलता है जिससे वह अपने गुट के सदस्यों की मदद् करने में समर्थ होता है । इस प्रकार ग्रामीण राजनीति में संयुक्त परिवार का व्यक्ति ग्रामीण गुटनेता के लिये अधिक सहायक होता है । संयुक्त परिवार गुट के लिये एक आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, जिसमें गुट नेता को ग्रामीण राजनीति में प्रवेश करना सुगम या सरल हो जाता है । जहाँ तक उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप का प्रश्न है तो सारणी संख्या 3.8 में संकलित दत्त–सामग्री से स्पष्ट किया गया है –

सारणी संख्या – 3.8

उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप

परिवार का स्वरूप	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
एकाकी परिवार	32	10.7
संयुक्त परिवार	268	89.3
योग	300	100.0

उपयुर्क्त सारणी से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक 89.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार की श्रेणी में आते हैं और 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकाकी है ।

(९) अध्ययन क्षेत्र के गाँव की संख्या के आधार पर गुटों की संख्या :

इस अनुसंधान कार्य में गवेंषक ने यह पाया कि गुट एक प्रकार का स्वार्थ समूह है जो कि पूर्णतः स्वीकार मूलक निजी स्वार्थो पर आधारित है । एक गुट के अन्तर्गत

कुछ परिवार या व्यक्ति होते हैं, जिनके हितों में समानता होती है तथा वे इस दूसरे के हितों के लिये पूरक होतें हैं । प्रत्येक गुट या उप गुट का एक नेता होता है, जो गुट का मार्ग–निर्देशन करता है । सभी गुट और उसके नेता सम्पूर्ण ग्रामीण समाज की एकता में बाधक होते हैं ।[23] ग्रामीण जन इस तरह की गुटबाजी से अपना ऊपरी विकास नहीं कर पाते । ग्रामीण गुट नेताओं में सार्वभौमिक विचारों का सर्वदा अभाव पाया जाता है । अधिकांश गुट नेता व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तथा कुछ नेता अपने को समाज से ही बनने का दावा करते हैं, वे विशिष्टवादी मूल्यों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं । वर्तमान ग्रामीण संरचना में व्यक्तिगत नेतृत्व समाप्त हो चुका है । और उसका स्थान गुट नेतृत्व ने ले लिया है जो अधिक प्रजातान्त्रिक है, लेकिन उतना ही स्वार्थी भी है ।[24]

गुट अपने स्वार्थो की सिद्धि हेतु आपस में संघर्ष करने लगते हैं, इसके परिणामस्वरूप अनेकानेक गुटों एवं उपगुटों का जन्म होता है । बल्कि इनकी संरचना अस्थायी या कम समय तक के लिये होती है । ग्रामीण जन गुटों का परिवर्तन आवश्यकतानुसार समय–समय पर करते रहते हैं । जब तक उनका गुट उनके स्वार्थो की सिद्धि नहीं हो पाती तो वे अपने हित के अनुसार गुट परिवर्तन कर दूसरे गुट की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं । यही कारण है कि ग्रामीण समाज में अनेक गुट दृष्टिगोचर होते हैं । अध्ययन के गांवों की संख्या के आधार पर गुटों की संख्या को जानने का प्रयास किया गया जिसे सारणी संख्या 3.9 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या 3.9

गाँव की संख्या के आधार पर गुटों की संख्या

गाँवों की संख्या	गुटों की संख्या
2	1x2=2
4	2x4=8
4	3x4=12
5	4x5=20
7	5x7=35
8	6x8=48
30	125

[23] एम0एन0 श्रीनिवास – इण्डियाज विलेज, एसिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963, पेज–35.

[24] जी0एस0 सिसोदिया एण्ड ए0एस0 कोलोन– ए स्टडी इन टू विलेज रियेक्शन टू देयर इलेक्टेड लीडर्स इण्डिय सोशियोलोजिकल बुलेटिन, सोसायटी पब्लिकेशन, गाजियाबाद, यू0पी0 भाग– 4 नं02, 1965, पेज–26.

उपरोक्त प्रस्तुत सारणी संख्या 3.9 में प्रतिदर्शित गाँवों में गुटों की कुल संख्या को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है जिनमें से बहुसंख्यक गांव ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक गुट कार्यरत हैं ।

(१०) जाति के आधार पर गुटों की संख्या :

वर्तमान में आज भी सामाजिक व्यवस्था में जाति एक शक्तिशाली परम्परागत संस्था है जिसका नेतृत्व ग्रामीण गुट नेता को विशेष सुविधा, और शक्ति प्रदान करता है । अति प्राचीन काल से सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना का मूलभूत आधार शक्तिशाली जातियाँ रही हैं और आज भी अनेक घात–प्रतिघातों एवं समय के थपेड़ों को ध्यान में रखते हुये जाति एक शक्तिशाली संगठन है । अतः प्रस्तुत अध्ययन में जहाँ एक ओर गाँवों की संख्या के आधार पर गुटों की संख्या को परिप्रेक्षित करने का प्रयास किया गया है, वहाँ दूसरी ओर गुटों की संख्या को जातीय परिप्रेक्ष्य ने आलोकित करने का प्रयत्न किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण सारणी संख्या 3.10 में प्रस्तुत किये गये हैं

सारणी संख्या 3.10

जाति के आधार पर गुटों की संख्या

जाति	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	21	16.8
क्षत्रिय	15	12.0
वैश्य	10	8.0
पिछडी जातियाँ	39	31.2
अनुसूचित जातियाँ	34	27.2
मुसलमान	06	4.8
योग	**125**	100.0

उपरोक्त दत्तों के परिणामों से अवगत होता है । कि बहुसंख्यक (31.2 प्रतिशत) गुट पिछडी जाति के अन्तर्गत हैं । गुटों की अधिकतम संख्या के संस्तरण में द्वितीय स्थान अनुसूचित जाति(27.2 प्रतिशत) तथा तृतीय स्थान ब्राहमणों (16.8 प्रतिशत) को एवं चतुर्थ स्थान क्षत्रिय जाति (12 प्रतिशत) को प्राप्त है तथा (8 प्रतिशत) वैश्य जाति को पांचवां एवं (4.8 प्रतिशत) मुसलमानों को छठा स्थान प्राप्त है।

जाति एवं गुट के दत्त परिणामों को सारिणी संख्या 3.10 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिछडी जाति में गुटों की संख्या सबसे अधिक इसलिये कि स्वभावतः इस जाति के सदस्य आपस में सामान्य विषयों पर टकराते हैं । उल्लेखनीय है कि पहले पिछडी एवं अनुसूचित जाति में गुटों की संख्या सबसे कम होती थी किन्तु अब इन जातियों के सदस्य भी गुटबन्दी की ओर उन्मेषित होते जा रहे हैं तथा ब्राहमण एवं क्षत्रिय जाति के सदस्यों में स्वभावतः टकराने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है ।

(११) गुट सरगना (मुखिया):

ग्रामीण गुट–तन्त्र में सरगना (प्रमुख/मुखिया) की अद्वितीय भूमिका रही है । प्रत्येक गुट का एक सरगना होता है जो अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी, कर्मठता एवं कार्यप्रवीणता तथा गुट–निष्ठा के लिये विख्यात होता है । वह अपनी इन विशेषताओं तथा अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण लोगों पर अपना प्रभाव रखता है । अपने गुट के सम्पूर्ण सदस्यों के लिये सरगना ही वास्तविक शासक, न्यायधीश तथा निर्णायक के रूप में भूमिका अदा करते हैं । तथ्य–संकलन के दौरान अनुसंधानकर्ता ने यह प्रेक्षित किया था कि गाँव में औपचारिक रूप से गठित ग्राम–पंचायत के अध्यक्ष(प्रधान) भी विवादास्पद विषयों पर निर्णय देते समय गुटों के सरगनाओं से परामर्श अवश्य लेते हैं । प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्शित गाँवों में गुटों की संख्या के आधार पर सरगनाओं की संख्या को जानने का प्रयास किया गया है जिसे सारणी संख्या 3.11 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या – 3.11

गुट सरगना

गुटों की संख्या	सरगनाओं की संख्या
02	10
08	12
12	09
20	22
35	44
48	28
योग 125	125

सारिणी संख्या 3.11 में स्पष्ट है कि सरगनाओं की कुल संख्या उसी अनुपात में है जिस अनुपात में गुटों की संख्या है । प्रस्तुत अध्ययन में चूँकि 125 गुट पाये गये हैं अतः उनके सरगना भी 125 ही है ।

(१२) ग्रामीण-गुट चेतना का आधार :

यद्यपि ग्रामीण सामाजिक संरचना में गुटों का प्रमुख आधार जाति रहा है किन्तु आधुनिक जनतान्त्रिक मूल्यों ने परम्परागत जाति–व्यवस्था को कमजोर बना दिया है।[25] परिणामस्वरूप गुटों की रचना जाति के अतिरिक्त भू–सम्पत्ति, मजदूर–वर्ग एवं स्वार्थो के आधार पर भी होने लगी है । जब ग्रामीण समाज में निम्न–स्तर की जातियों में वर्ग–चेतना का भाव जाग्रत हो रहा है । यही कारण है कि निम्न– स्तर की सभी जातियाँ अपने सामुहिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुये उच्च जाति–समूह के विरोध में एक साथ मिलकर खड़ी हो रही हैं । निम्न जाति समूहों में जाति–चेतना का भाव लुप्त हो रहा है और उसके स्थान पर वर्ग–चेतना का भाव उदय हो रहा है ।[26] इसके अतिरिक्त वर्तमान राजनैतिक–तन्त्र का प्रभाव भी ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है, जिसके

---

[25]एम0एन0 श्रीनिवास , अनुवादक नेमीचन्द्र जैन– आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1967, पेज – 113 दृ

[26] ए0आर0 देसाई – रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी आफ इग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, 1961, बम्बई, पेज–38.

कारण ग्रामीण जन सामाजिक–आर्थिक आधार पर अपने सामान्य स्थानों की पूर्ति के लिये एक साथ मिल रहे है ।[27]

इस अध्ययन की एक अनिवार्य प्राक्कल्पना यह भी रही है कि आत्म–सुधार तथा वर्ग–संघर्ष के परिणाम स्वरूप गुट–निर्माण के जातीय आधार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो रहा है । परन्तु संकलित दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में आज भी गुटों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार जाति ही है । अतः सारिणी संख्या 3.12 में स्पष्ट किया गया है –

सारणी संख्या 3.12

गुट चेतना का आधार

गुटों का आधार	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
जाति	254	84.6
भू–सम्पत्ति	12	4.0
श्रमिक वर्ग	11	3.7
स्वार्थ–सिद्धि का भाव	23	7.7
योग	300	100.0

उपरोक्त सारणी में अधिकांश 84.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गाँवों में गुटों का निर्माण जातिगत आधार पर होता है और 7.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में ग्रामीण गुटों का निर्माण स्वार्थ–सिद्धि के आधार पर होता है । इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भू–सम्पत्ति को गुटों का आधार बताया है । शेष 3.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिन्होंने गुटों के आधार के रूप में श्रमिक वर्ग को उत्तरदायी माना है ।

निष्कर्षत हम यह कह सकते है कि आज भी गुटों का निर्माण जातिगत आधार पर हो रहा है । इस प्रकार यहां हमारी उपयुर्क्त प्राक्कल्पना सार्थक सिद्ध होती है ।

[27] एम पैटर्सन – जाति और महाराष्ट्र में राजनैतिक नेतृत्व, आर्थिक सप्ताहिक, पेज–1065–1067.

अध्याय - चतुर्थ

ग्रामीण परिवेश में जाति एवं गुट

पूर्व अध्याय में प्रस्तुत प्रबन्ध के मूल शीर्षक ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी की संरचना का समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है । प्रस्तुत अध्याय में जाति एवं गुट का अन्तर्सम्बन्ध, जातिगत आधार पर बने गुट एवं गुटवाद का परीक्षण किया जायेगा ।

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है । प्राचीन काल से ही भारत में जाति–प्रथा का प्रचलन रहा है । पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण । **डॉ सक्सेना** का मत है कि जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रही है, जिससे हिन्दुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है । हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है।[1] जाति व्यवस्था हिन्दू समाज के वैविध्य की संवाहिका एवं संरक्षिका रही है ।[2] यह हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का एक सबल सामाजिक प्रमाण तथा चिरकालीन सांस्कृतिक प्रघटना है । भारतीय समाज अनेक जातियों तथा उपजातियों का सम्मिश्रण है । भारतीय दर्शन ने ही जाति और व्यवहार–भेद का समर्थन किया है । इस प्रकार जाति हिन्दू जीवन की ऐसी प्रणाली बन गई है, जिसमें कम से कम पारस्परिक सम्बन्ध तथा अन्तक्रियाऐं हैं । यहाँ के सामाजिक संगठन का यही मूल तत्व हैं, जिसके कारण जातियाँ बनी है तथा विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिधारणायें प्रचलित हैं । किन्तु हिन्दू जाति प्रणाली यहाँ एक समाज के विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है, वहाँ दूसरी ओर समाज को अनेक गुटो में विभाजित करने मे भी महत्वूपर्ण भूमिका अदा करती है । जाति प्रथा की कठोरता ने शोषण, अन्याय, विषम तथा भयंकर अमानवीय तत्वों को उद्भूत किया है । इसके अन्तर्गत न केवल अन्तर्जातीय खान–पान, विवाह, धार्मिक

---

[1] डॉ आर0एन0 सक्सेना भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं, पृष्ठ–45

[2] इरावती कार्वे, अनुवादक गोपाल भारद्वाज–हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था, ओरियण्ट लांगमैन–1975, पेज– 16.

कृत्य तथा समाजिक व्यवहार पर कठोर प्रतिबन्ध एवं निषेध लगाकर, समाज में अपरिवर्तनशील क्षैतिज स्तरीकरण को विकसित किया गया है ।

जे0एच0हट्टन का कथन है कि "जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज अनेक आत्म–केन्द्रित एवं एक–दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों (जातियों) में विभाजित रहता है । इन इकाईयों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध ऊँच–नीच के आधार सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं"।[3] प्रत्युत वंशानुक्रम प्रस्थिति निर्धारण के कारण गतिशीलता के क्षेत्र को परिसीमित कर दिया गया है । अतः परिणामस्वरूप जाति के आधार पर समाज विभिन्न गुटों एवं उपगुटों में विभाजित हो गया है । यद्यपि ग्रामीण समाज में जाति के आधार पर गुट–निर्माण की प्रक्रिया अभी सशक्त है किन्तु वर्ग–चेतना का भी ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ रहा है । क्योंकि उच्च जाति समूह के लोग उच्च वर्ग के अन्तर्गत आते हैं और निम्न जाति समूह के लोग निम्न वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इसलिये निर्णय करना कठिन है कि जातीय–चेतना और वर्ग–चेतना का प्रभाव ग्रामीण जीवन के किस क्षेत्र में कितना अधिक या कम पड़ रहा है । यह यथार्थ है कि ग्रामीण गुटवाद के प्रत्येक क्षेत्र में जातीय–चेतना और वर्ग–चेतना का प्रभाव पड़ रहा है । यदि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जातीयता की भावना अधिक कार्य कर रही हैं तो निश्चय ही आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में वर्ग–चेतना की भावनाँए अधिक कार्य कर रही हैं । तथापि जीवन के प्रत्येक–क्षेत्र में दोनों ही प्रकार की चेतनाओं का प्रभाव सम्मिलित रूप से अधिक या कम पड़ रहा है । दोनों प्रकार की चेतनाओं की प्रतिक्रिया का परिणाम समान होता है। इसलिये दोनों का प्रभाव साफ–साफ, अलग–अलग नहीं दिखलाई पड़ता है ।

समाज में उच्च जाति वाले उच्च जाति के आधार पर संगठित होकर गुट–निर्माण कर रहे हों अथवा उच्च वर्ग वाले लोग उच्च वर्ग की चेतना की भावना से संगठित होकर गुटों का निर्माण कर रहे हो, परिणाम दोनों का एक ही है । ऊंची जाति के लोग संगठित हो रहे है । ग्रामीण उच्च जातियों के पास भू–सम्पत्ति है और ये आर्थिक दृष्टि से सशक्त हैं । इसलिये उच्च–जातियाँ उच्च वर्ग के अन्तर्गत आती हैं ।

---

[3] जे0एच0 हट्टन, कास्ट इन इण्डिया पेज – 50.

इसके विपरीत ठीक दूसरी ओर निम्न जाति के सदस्य ग्रामीण समाज में साधन–विहीन एवं निर्धन हैं, जो निम्न वर्ग की रचना करते हैं । ये ग्रामीण निम्न जाति के सदस्य चाहे जातीयता की भावना से अथवा वर्ग चेतना की भावना से संगठित होकर गुटों का निर्माण कर रहें हों, परिणाम एक ही है कि निम्न जाति के लोग संगठित एवं सशक्त हो रहे हैं । **डॉ0 आर0 गाड़गिल** का मत है कि ग्रामीण समाज में यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक उच्च जाति के समूहों के हॉंथ में जमीन और निम्न जाति समूहों के हॉंथ में साधन हैं ।[4] ग्रामीण समाज की संरचना में, उच्च जाति समूह चौतरफा सम्पन्न होने के कारण सामुदायिक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में लाभ उठ रहा है दूसरी तरफ साधनहीन निम्न जाति समूह सामुदायिक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ उठाने में असमर्थ हैं क्योंकि इन योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ उठाने की शर्ते पूरी करने की क्षमता उनके पास नहीं है ।

वाराणसी काशी विद्यापीठ में सन् 1967 में सामुदायिक विकास में जन् सहयोग प्रतिमान की समस्या पर संगोष्ठी आयोजित की गयी थी । इस संगोष्ठी का उद्‌घाटन करते हुए तत्कालीन खाद्यमंत्री **श्री जगजीवन राम** ने बताया कि वर्तमान संस्तरित ग्रामीण खेतिहर आर्थिक–व्यवस्था सामुदायिक विकास में बहुत कुछ हद तक बाधक हैं ।[5] इस सम्बंध में व्याख्या करते हुए **डेबिड़ जी0 मण्डेलवान** ने लिखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से निम्न जातियाँ विशेषकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की भूमि के पुनर्विभाजन अैर सिंचाई आदि से कुछ भी लाभ नही हुआ है । इस कारण उनके पास सुधारने के लिये कुछ है ही नहीं, जिसका वे सुधार या विकास कर सकें । इसलिये इस समूह को योजनाओं से आर्थिक और समाजिक दृष्टि से कुछ भी लाभ नहीं हुआ है । उच्च जाति समूह ने इन योजनाओं से पर्याप्त लाभ उठाया है । जिसके कारण ग्रामीण समाज में उच्च और निम्न जातियों के बीच की आर्थिक दूरी घटने के

---

[4] डॉ0 गाडगिल – टू पावरफुल क्लासेज इन आगरारियन एरियाज इन रूरल सोशियालाजी इन इण्डिया[Ed.] ए.आर. देसाई दा इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स बाम्बे, 1961 पेज – 378,

[5] जगजीवन राम – प्रेसीडेन्टल एड्रेस इन दा सेमिनार, आन पब्लिक पार्टीसिपेशन इन दा कम्युनिटी डेवलपमेन्ट, 3 मई, 1967, काशी विद्यापीठ वाराणसी

बजाय बढ़ गयी है ।[6] चूंकि साधनहीन निम्न जातियों को विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से कुछ भी लाभ नही हो रहा है । इसलिये इन जातियों के सदस्य विकास – कार्यक्रमों में भाग लेने से कतरा रहे हैं । केन्द्रीय खाद्य मंत्री **श्री जगजीवन रामजी** का कथन है कि मुख्य रूप से विकास योजनाओं से उच्च वर्ग को लाभ हुआ है । इसलिये पिछड़ी जातियाँ सामुदायिक विकास कार्यो में न सहयोग दे रही हैं, और न रूचि ही ले रहीं हैं । उनका यह विश्वास है कि यदि पिछड़ी जातियों को इन योजनाओ से लाभ प्राप्त होगा तो ये अवश्य ही सामुदायिक विकास योजनाओं में अपना सहयोग देंगी । सैकड़ो शोषित और पद–दलित लोग आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होने की कोशिश कर रहे हैं और प्रबल जन अपने प्रभुत्व को मजबूत बनानें की कोशिश में लगे हुये हैं ।[7]

ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का जातिगत शक्ति–संरचना पर अब तक हुए अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में अनुसंधानकर्ता का मत यह है कि अभी भी उच्च जातियों का ग्रामीण समुदाय में प्रावल्य है । दूसरी तरफ साधनहीन निम्न स्तर की जातियाँ शक्ति ग्रहण करने मे बहुत पीछे हैं । मध्यम स्तर वाली कुछ जातियाँ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ उठाकर विकासमान हो रही हैं ।

ग्रामीण सामाजिक संरचना और गुटबन्दी :

अनुसंधान कर्ता ने यह देखा कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय सामाजिक आर्थिक आधार पर मुख्य रूप से दो गुटों में विभक्त है –

(1) ग्रामीण समुदाय का सशक्त गुट उच्च जाति समूहों का है जो ग्रामीण समाज का सामाजिक, आर्थिक नेतृत्व करता है तथा अपनें सुदृढ़ आर्थिक समाजिक पृष्ठभूमि के कारण राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करता है । इस श्रेणी में आने वाले सभी जातियाँ ग्रामीण समुदाय की शक्तिशाली जातियाँ अर्थात ब्राह्मण एवं क्षत्रिय हैं जो ग्रामीण

---

[6] डेविड जी0मण्डेलवान – सोशल आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानड कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, इण्डियाज विलेज (संस्क0 एम.एन. श्रीनिवास) एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई, 1963 पेज–18.

[7] जगजीवन राज – प्रेसीडेन्टल एड्रेस इन दा सेमिनार, आन पब्लिक पार्टीसिपेशन इन दा कम्युनिटी डेवलपमेन्ट, 3 मई 1967, काशी विद्यापीठ वाराणसी. ।

स्थिति में वंशगत एवं जातिगत पवित्रता, दृढ़ सामाजिक संस्तरण, सामाजिक दूरी का स्वीकृत प्रतिमान और जमीन का बँटवारा उच्च जातियों के हिस्से मे होने के कारण, वे शिक्षित हैं और ग्रामीण स्तर की राजनीति पर उनका एकाधिकार है ।

(2) ग्रामीण समाज का निर्बल गुट जो सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग है, निम्न जाति समूहों अर्थात पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों का है, जिसमें अधिकांश साधनहीन है और जिनके जीविका का मुख्य साधन मजदूरी है । पुनः सम्पूर्ण निम्न जाति गुट सामाजिक आर्थिक आधार पर दो भागों में बँटा हुआ है । दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी तो नहीं हैं लेकिन विकास की दौड़ में **एक पक्ष** अपने जातीय विशेषताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के कारण आगे निकल गया है और **दूसरा पक्ष** पीछे रह गया है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण समाज को जातीय, सामाजिक और आर्थिक मान्यता के आधार पर **डी०एन० मजुमदार** ने मुख्य तीन भागों में क्रमशः बाँटा है –

(1) ग्रामीण समुदाय की उच्च प्रबल जाति समूह में ब्राह्मण और क्षत्रिय को माना है ।

(2) अहीर, कुर्मी, गड़ेरिया, लोहार, कलवार, नाई, बढ़ई आदि को ग्रामीण समाज का मध्य स्तरीय जाति समूह माना है ।

(3) ग्रामीण समाज के निम्न स्तरीय जाति समूह के अन्तर्गत चमार, धोबी, पासी आदि को माना है ।[8]

रामकृष्ण मुखर्जी ने इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय को आर्थिक वर्ग के आधार पर तीन वर्गो में बांटा है, **प्रथम** उच्च वर्ग में उन लोगों को रखा है । जिनकें पास जमीन–जायदाद और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं । **दूसरे** वर्ग में उन लोगों को रखा है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली तो नहीं कहे जा सकते लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो स्वयं में पूर्ण हैं । **तीसरे** वर्ग में ग्रामीण मजदूरों को रखा है जिनकी स्थिति ग्रामीण समाज में प्रत्येक दृष्टिकोण से

---

[8] डी०एन० मजुमदार – कास्ट एण्ड कम्युनिकेशन इन इण्डिया विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1963 पेज–20

दयनीय है।[9] ग्रामीण समुदाय में निचली स्तर की जातियों में गुट–चेतना के भाव प्रकट हो रहे हैं और निम्न स्तर की सभी जातियाँ अपने सामुहिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर ऊँची जाति–समूह के विरोध में एक साथ मिलकर खड़ी हो रही है । निम्न जाति समूहों में जातीय चेतना का भाव समाप्त हो रहा है । इस मत की पुष्टि **प्रो0 ए0 आर0 देसाई** के मत से होती है जिन्होंने **प्रो0 श्रीनिवास** के संस्कृतीकरण के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है कि वास्तव में जाति–व्यवस्था में परिवर्तन आत्म–सुधार और वर्ग संधर्ष के परिणामस्वरूप हो रहे हैं ।[10]

वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप पहले से बदल गया है क्योंकि इस अनुसंधानकार्य में जिन गाँवों को अध्ययन के लिये माना गया है, उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ है जैसे–(1) ग्रामीण समाज का प्रबल गुट उच्च जाति समूहों का है जिसकी स्थिति ग्रामीण समाज में प्रत्येक दृष्टिकोण से सर्वोच्च है, अर्थात इन्हीं में धनी, एवं ग्रामीण राजनैतिक, शक्ति केन्द्रित है । (2) ग्रामीण समाज का निर्बल गुट निम्न जाति समूहों का है जिसको, मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि –

(अ) उन निम्न जाति समूहों का है जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत, कुछ अच्छी है और वे लोग अपने प्रयासों से प्रजातान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं ।

(ब) वे निम्न जातियाँ जिनकी आर्थिक, सामाजिक, स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं जिसके कारण वे अपने प्रजातान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग भी पूर्णरूपेण नही कर पा रहें । यह जाति समूह ग्रामीण समाज में अत्यन्त शक्तिहीन एवं कमजोर हैं ।

निम्नांकित रेखाचित्र संख्या 4.1 के विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि प्रबल उच्च जाति समूह के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, जातियाँ आती हैं, जिनके पास आर्थिक शक्ति

---

[9] आर0के0 मुखर्जी – रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स बाम्बे, 1961 पेज–325

[10] ए0आर0 देसाई – रूरल सोशियालोजी इन इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, बाम्बे, 1961,पेज–391

भरपूर हैं । आज के ग्रामीण समाज में आर्थिक शक्ति केन्द्रीय शक्ति है जिसके चारों ओर अन्य जातियाँ चक्कर लगाती रहती हैं ।

रेखा चित्र संख्या –4.1

उदीयमान निम्न जाति गुट के अन्तर्गत उच्च जाति समूह को छोड़कर ग्रामीण समाज का सम्पूर्ण निम्न जाति समूह आता हैं । यह गुट ग्रामीण समाज का एक बड़ा भाग होता हैं, फिर भी यह गुट ग्रामीण समाज में शक्तिशाली नही है । यह गुट सामाजिक, आर्थिक मान्यता और शक्ति के आधार पर दो हिस्सों में बँटा हुआ है । आर्थिक स्थिति में सबल उदीयमान निम्न जाति समूह के अन्तर्गत समाज द्वारा मध्यम स्तरीय मान्यता प्राप्त जातियाँ जैसे– अहीर, कुर्मी, लोहार, कहार, भर, नाई, नोनियाँ आदि हैं । ये जातियाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था से लाभ प्राप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है जिसके कारण मध्यम जाति के गुट नेताओं या सदस्यों का प्रभाव ग्रामीण समाज मे पड़ रहा हैं । तथा मध्यम जाति के लोगो में से कोई एक जहाँ बहुसंख्या में हैं और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं वहाँ वह जाति उच्च जाति वालों का मुकाबला करती हैं ।[11] इस जाति समूह के अन्तर्गत आने वाली सभी जातियों के गुट–नेता अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण समाज में शक्ति संग्रहण कर रहे हैं ।

---

[11] डी0एन0 मजुमदार–कास्ट एण्ड कम्युनिकेशन इन इण्डिया विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस,बम्बई, 1963 पेज–25

आर्थिक स्थिति से निर्बल उदीयमान निम्न जातिगत गुट के अन्तर्गत ग्रामीण समाज की सभी अनुसूचित जातियाँ जैसे–चमार, धोबी, कोरी, खटीक, डोम, आदि को ग्रामीण समाज में निम्न स्तरीय मान्यता प्राप्त है । ये जतियाँ आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक कमजोर है, जिससे ग्रामीण राजनीति में अपनी स्थिति को संभाल नही पाती है । जहाँ ये जातियाँ बहुसंख्या में हैं वहां भी ग्रामीण संगठनों में कुछ सुरक्षित पदों के अलावा शायद ही कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर पाती हैं । यदि उन्हें कोई महत्वपूर्ण स्थान या पद प्राप्त हो जाता है तो भी वे अपने पदेन प्राप्त अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं । ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज का प्रतीकात्मक नेता निम्न जाति समूह का होता है । और वास्तविक शक्ति किसी उच्च्व जाति समूह के व्यक्ति के हाथ में होती है जो प्रतीकात्मक नेता का मार्ग–निर्देशन करने के साथ–साथ ही उसे कठपुतली की तरह नचाता भी है । **प्रो0 बरनार्ड एस0 कोन** – ने एक अनुसूचित जाति बहुसंख्यक बस्ती का अध्ययन करने के पश्चात अपना मत प्रकट किया है कि यदि 'चमार' जाति का व्यक्ति गाँव में अपनी सरकार बनाने में सफल हो जायें तो ऊंची–जातियों को कुछ दिनों तक परेशान भले ही कर दे, परन्तु अपने को बहुत दिनो तक सबल एवं सक्रिय स्थिति में नहीं रख सकते हैं ।[12]

इस जाति समूह के अन्तर्गत आने वाली सभी जातियों में अनुसूचित जातियाँ प्रत्येक गाँव में बहुसंख्या में है और आपस में संगठित भी हैं तथा अपनी शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिये सक्रिय एवं सचेष्ट प्रयास कर रहे हैं । और अन्य जातियों की मदद से कहीं–कहीं शक्तिशाली हो रहें हैं । इनकी दयनीय आर्थिक स्थिति और पिछ़ड़ी हुई संस्कृति के कारण इनके गुट, नेता, सदस्य ग्रामीण राजनीति में प्रभावशाली नहीं हो पा रहें हैं । क्योकि इनकी जीविका का मुख्य साधन हल जोतना और मजदूरी करना है । यदि ये लोग उच्च्व जाति के लोगों के विरोध में कोई आन्दोलन करते हैं तो वह आन्दोलन दबा दिया जाता है । यदि कोई आन्दोलन होता भी है तो वह उच्च्व जाति के नेताओं की मदद से ही होता है । अतः ग्रामीण

---

[12] बर्नाड एस. कोन– द चेन्जिंग स्टेटस आफ डिप्रेसड कास्ट ए0आर0 देसाई0–रूरल सोसालाजी इन एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स, बाम्बे, 1961 पेज – 398.

राजनीतिकता में निम्न जाति के गुट उच्च जाति के सदस्यों की मदद् से विकसित हो रहे हैं, और इस प्रकार ग्रामीण नेतृत्व में उन्हें भी स्थान प्राप्त हो रहा है ।

जाति एवं गुटबाजी :

ग्रामीण समाज में जातिगत गुट सम्बंधी उपर्युक्त सैद्धान्तिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि गुटबाजी को प्रोत्साहित करने में जाति की प्रबल भूमिका है । इस सम्बंध में संकलित दत्त सामाग्री से स्पष्ट है कि अधिकांश 84.6 प्रतिशत उत्तरदाता चाहे वे किसी भी जाति स्तर के क्यों न हों सभी ने स्वीकार किया है कि जातिवाद गुटबाजी को प्रोत्साहित करता है। यहां हमारी प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है जो सारिणी संख्या 4.1 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री से पूर्णतया स्पष्ट है । काई–वर्ग के परिकलन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है ।

सारिणी संख्या – 4.1

जाति एवं गुटबाजी

जाति	उत्तरदाता					
	हाँ		नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	52	17.3	14	4.7	66	22.0
क्षत्रिय	34	11.3	10	3.3	44	14.7
वैश्य	08	2.7	03	1.0	11	3.7
पिछड़ी जातियाँ	62	20.7	05	1.7	67	22.3
अनुसूचित जाति	58	19.3	06	2.0	64	21.3
मुसलमान	40	13.3	08	2.7	48	16.0
योग	254	84.6	46	15.4	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भावित स्तर पर महत्वपूर्ण है)

गुटबाजी से सम्बन्धित जातियाँ :

अध्ययन एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि किस जाति के लोग ग्रामीण गुटबाजी से अधिक सम्बन्ध रखते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रियायें हुई, उन्हें सारणी संख्या 4.2 में दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट किया गया है कि प्रायः प्रत्येक जाति एवं समूह के उत्तरदाता दूसरी जाति के सदस्यों को ग्रामीण गुटबाजी से सम्बंधित बताते हैं । और अधिकांश ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उत्तरदाताओं ने वैश्य, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जातियों को ग्रामीण गुटबाजी से सम्बद्ध बताया है । इसके विपरीत पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने क्षत्रिय एवं ब्राह्मण जाति को ग्रामीण गुटबाजी से सम्बंधित बताया है ।

सारणी संख्या – 4.2

ग्रामीण गुटबाजी से सम्बद्ध जातियाँ

जाति	सम्बद्ध जातियां													
	ब्राह्मण		क्षत्रिय		वैश्य		पिछडी जातियां		अनु0जातियां		मुसलमान		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राहमण	—	—	08	2.7	17	5.7	13	4.4	21	7.0	07	2.3	66	22.0
क्षत्रिय	05	1.7	—	—	08	2.7	16	5.3	09	3.0	06	2.0	44	14.7
वैश्य	—	—	04	1.3	—	—	03	1.0	04	1.3	—	—	11	03.7
पिछडी जाति	13	4.3	17	5.7	21	7.0	—	—	07	2.3	09	3.0	67	22.3
अनुसूचित जाति	19	6.3	21	7.0	14	4.7	06	2.0	—	—	04	1.3	64	21.3
मुसलमान	09	3.0	07	2.3	17	5.7	04	1.3	11	3.7	—	—	48	16.0
योग	46	15.3	57	19.0	77	25.8	42	14.0	52	17.3	26	8.6	300	100.0

संकेत : आ0– आवृत्ति, प्रति0– प्रतिशत

यथार्थतः ग्रामीण सामाजिक संरचना में अति प्राचीन काल से ही अपने जातिगत समूह को प्रकार्यकारी मानते रहे हैं, तथा दूसरे जातिगत समूह को अप्रकार्यकारी मानते रहे हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि एक जाति के सदस्य दूसरी जातियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वस्तुतः जातीय पूर्वाग्रह का तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट जातीय समूह के लोगों के प्रति एक नकारात्मक रूख अख्तियार कर लिया गया है ।

जाति एवं जातीय संगठन –

समाज में प्रायः सभी जाति समूह अपने उत्थान के लिए संगठित होकर विविध प्रकार के कार्य करते दिखाई पड़ते हैं । इस सम्बन्ध में जब प्रदर्शित उत्तरदाताओं से पूंछा गया कि क्या निम्न जातियों का जातीय आधार पर संगठित होकर गुटबन्दी करना उचित है ? तो प्रायः बहुसंख्यक 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया, जिसका साख्यिकीय विश्लेषण सारिणी संख्या 4.3 में किया गया है।

सारणी संख्या –4.3

जाति एवं जातीय संगठन

जाति	उत्तरदाता					
	हाँ		नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	50	16.7	16	5.3	66	22.0
क्षत्रिय	39	13.0	05	1.7	44	14.7
वैश्य	07	2.3	04	1.3	11	03.7
पिछड़ी जातियाँ	56	18.7	11	3.7	67	22.3
अनुसूचित जातियाँ	48	16.0	16	5.3	64	21.3
मुसलमान	40	13.3	08	2.7	48	16.0
योग	240	80.0	60	20.0	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भावित स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

पूर्व अनेक अध्येताओं ने यह स्वीकार किया हैं कि जातीय समितियों के उद्भव के परिणाम स्वरूप परम्परागत जाति व्यवस्था अथवा जातिगत –चेतना या जिसें **प्रों0 धुर्ये** जाति–भक्त कहते हैं, का विकास हुआ है । उनका विचार है कि जाति–समितियां जाति सदस्यता को परिभाषित करती है, संस्तरण में प्रस्थिति प्रदान करती है, अध्ययन अनुदान प्रदान करती है, राजनीतिक सत्ता में प्रवेश पाने के उत्सुक अपने सदस्यों के लिये वोट मांगती है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने जातिगत प्रथाओं में आवश्यक

संसोधन करती हैं । इस पक्ष पर प्रकाश डालते हुये **प्रो0 धुर्ये** का मत है कि जाति का सामुदायिक पक्ष बहुत व्यापक, विस्तृत तथा स्थायी बना दिया गया है ।[13]

जातीय आधार पर प्रेक्षित करने पर इस सम्बंध में उच्च एवं निम्न जातियों के प्रत्युत्तरों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है । उच्च एवं निम्न जाति दोनों जाति स्तरों के अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस सम्बंध में स्वीकारात्मक, प्रत्युत्तर व्यक्त किया है । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का आधारभूत विश्वास है कि जातीय आधार पर संगठित होने से एक विशेष जाति के सदस्यों में 'हम की भावना' का विकास होता है। परिणामस्वरूप जाति सुदृढ़ होती है तथा किसी विशेष जाति का विनाश नहीं हो पाता है । इसके अतिरिक्त सारणी संख्या 4.3 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह दृष्टिगोचर होता है कि 20 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिन्होंने उपयुर्क्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का मत है कि गुटबन्दी प्रक्रिया जनतन्त्र के लिये घातक है । ऐसा करने से समाज अनेक खण्ड़ों, विखण्ड़ों एवं उपखण्ड़ों में विभक्त हो सकता है । अतः जातीय आधार पर संगठित होने के प्रक्रिया को वे अनुचित मानते हैं ।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाता भारतीय उत्थान के लिये जातीय आधार पर संगठित होनें की प्रक्रिया को उचित मानते हैं।

उत्तरदाता का पेशा एवं जाति प्रथा का सम्बन्ध :

ग्रामीण–गुट सदस्यों से जब यह पूंछा गया कि क्या आप जाति प्रथा को गुटबाजी का आधार मानते हैं तो प्रायः अधिकांश 83.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जाति–प्रथा को ग्रामीण गुटबाजी का सशक्त आधार माना है, जिसे सारिणी संख्या 4.4 में दत्त सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट किया गया है ।

[13] गोविन्द सदाशिव धुर्ये–जाति–वर्ग और व्यवसाय, पापुलर प्रकाशन, बम्बई, 1961, पेज–47.

सारिणी संख्या – 4.4
पेशा एवं जाति–प्रथा के आधार पर गुटबाजी

पेशा / व्यवसाय	उत्तरदाता					
	हाँ		नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि पर आधारित	174	58.0	33	11.0	207	69.0
व्यापार	39	13.0	09	3.0	48	16.0
नौकरी	38	12.7	07	2.3	45	15.0
योग	251	83.7	49	16.3	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

गुट में विभिन्न जाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्तर पर सहभागिता :

वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में जाति–जाति के लिये है, यह मूल्य समाप्त हो रहा है । यही कारण है कि गुटों का निर्माण केवल एक जाति विशेष के आधार पर नहीं हो रहा है, प्रत्युत स्वार्थ के आधार पर हो रहा है । इस लिए जिन परिस्थितियों में स्वार्थ की अधिकता होती है, वहां जातिवाद महत्व पूर्ण नही होता बल्कि स्वार्थ का प्रत्यक्ष प्रकार्यवादी स्वरूप अधिक निर्णायक होता है । द्वन्द्व और अन्तर्विरोध की स्थिति में जहाँ जातिवाद बढ़ता है , वहाँ सहयोग की स्थिति में जातिवाद घटता है ।

इस अनुसंधान कार्य की एक महत्वपूर्ण प्राक्कल्पना यह रही है कि वर्तमान जनतान्त्रिक गुटों में विभिन्न जाति के सदस्यों की सहभागिता पायी जाती है । संकलित दत्त–सामग्री से अध्ययन की प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है । जिसे सारणी संख्या 4.5 में स्पष्ट किया गया है –

सारिणी संख्या –4.5
ग्रामीण गुट में विभिन्न जाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्तर पर सहभागिता

आर्थिक स्तर	उत्तरदाता					
	हाँ		नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च	31	10.3	13	4.3	44	14.7
उच्चमध्यम	86	28.7	20	6.7	106	35.3
मध्यम	98	32.7	12	4.0	110	36.7
निम्न	33	11.0	07	2.3	40	13.3
योग	248	82.7	52	17.3	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रायः अधिकांश 82.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके गुटों में एक से अधिक जाति के व्यक्ति समविष्ट हैं । इस श्रेणी मे आने वाले उत्तरदाताओं का आधारभूत विश्वास है कि वस्तुतः ग्रामीण जन अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये एक विशिष्ट गुट की सदस्यता स्वीकार करते हैं । इसके विपरीत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके गुटों में विभिन्न जाति के सदस्य समाविष्ट नही हैं । बल्कि स्वजातीय सदस्य ही अन्तर्विष्ट हैं । इस श्रेणी के उत्तरदाता जातिप्रथा की भावना से ओत–प्रोत होते हैं । काई–वर्ग परिकलन से स्पष्ट है।

गुट की प्रभावशीलता :

ग्रामीण गुट को सशक्त एवं प्रभावशील बनाने में अनेक महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हो सकते हैं जैसे– जाति, धर्म, सम्पत्ति, राजनीति आदि । तथापि जातियां ही वह ताना बुनती हैं जिनके आधार पर भारतीय समाज में गुटबन्दी का ढाँचा बुना गया है । जाति सामाजिक संगठन का एक प्रकार का सोपान है । जिसमें थोड़ी सी जातियां शीर्षस्थ है, अधिकांश जातियाँ बीच में हैं और अनेकानेक जातियाँ मूल में स्थित हैं । यह जाति ही है, जो हमारे व्यवसाय, धर्म और दायित्वों को निर्धारित करती हैं । इतना ही नही व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, तथा व्यक्ति की किस्मत गढ़ती है । यह व्यक्ति के विभिन्न दर्जो या सम्बन्धों को प्रदर्शित करती है । साथ ही उच्च जातिके अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों को न्यायानुमोदित करने का प्रयास करती है और इन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों से निम्न जातियों को वंचित करती है । इस विभेदीकरण के परिणामस्वरूप अनेक गुटों का निर्माण होता है । इस अध्ययन में जब उत्तरदाताओं से इस सम्बन्ध में यह पूंछा गया कि वे ग्रामीण गुट को प्रभावशाली बनाने के लिये किन कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं तो प्रायः बहुसंख्यक 34.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर के रूप में बताया कि गुट को प्रभावशाली बनाने में धर्म और जातीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं । अतः सारिणी संख्या 4.6 में प्रस्तुत किये गये है –

सारणी संख्या 4.6

गुट की प्रभावशीलता

आर्थिक स्थिति	उत्तरदाता													
	धर्म एवं जाति को		राजनीतिज्ञों को		उच्च शिक्षित लोगों को		उच्च आर्थिक प्रस्थिति एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को		सरकारी सेवा प्राप्त लोगों को		अन्य को		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
उच्च	07	2.3	05	1.7	08	2.7	13	4.3	06	2.0	05	1.7	44	14.7
उच्च मध्यम	28	9.3	14	4.7	15	5.0	28	9.3	11	3.7	10	3.3	106	35.3
मध्यम	56	18.7	20	6.7	11	3.7	11	3.7	08	2.7	04	1.3	110	36.7
निम्न	12	4.0	09	3.0	04	1.3	07	2.3	04	1.3	04	1.3	40	13.3
योग	103	34.3	48	16.1	38	12.7	59	19.6	29	9.7	23	7.6	300	100.0

संकेत : **आ0– आवृत्ति, प्रति0– प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भावित स्तर पर महत्वपूर्ण है)**

उपरोक्त सारणी के दत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि 16.1 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीति को, ग्रामीण गुट को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण मानते हैं, तो 12.7 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च शिक्षित लोगों को इसके अतिरिक्त 19.6 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणगुट को प्रभावशाली बनाने में उच्च आर्थिक, सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त लोगों को महत्वपूर्ण मानते हैं और 9.7 प्रतिशत सरकारी सेवा प्राप्त लोगों को, शेष 7.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कारकों को ग्रामीण गुट को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण मानते हैं । उपयुर्क्त दत्तों के विश्लेषण के प्रकाश से हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण गुट को प्रभावशाली बनाने में जाति की अद्वितीय भूमिका है । यहाँ अध्ययन की प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है । काई–वर्ग के परीक्षण से भी यह तथ्य उजागर हाता है ।

गुटबाजी में जाति एवं शोषण :

समाज में जाति व्यवस्था के सम्पूर्ण इतिहास का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण करने से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि सदियों से गुटबाजी प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण होता रहा है । उच्च–जाति के सदस्यों ने कभी भी निम्न–जाति के समूहों एवं सम्प्रदायों को शान्तिपूर्वक एक साथ रहने की प्रेरणा नही

दी । उच्च–जाति के सदस्यों ने इस उद्देश्यों से इन समूहों एवं सम्प्रदायों को स्वीकार नही किया है । वास्तव में उच्च जाति के सदस्यों में निम्न जाति के सदस्यों के प्रति उदारता का सदैव अभाव रहा है ।[14]

प्रस्तुत इस अध्ययन की एक महत्वपूर्ण प्राक्कल्पना यह भी रही है कि ग्रामीण गुटबाजी प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्च जाति के सदस्यों द्वारा निम्न जाति के सदस्यों का शोषण होता है । इस शोध अध्ययन की उपलब्धियों से हमारी उपयुर्क्त प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है जिसका विवरण सारिणी संख्या 4.7 में स्पष्ट किया गया है –

सारिणी संख्या– 4.7

जाति एवं शोषण

जाति	उत्तरदाता					
	शोषण करते हैं		शोषण नहीं करते		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	14	4.7	52	17.3	66	22.0
क्षत्रिय	10	3.3	34	11.3	44	14.7
वैश्य	08	2.7	03	1.0	11	3.7
पिछड़ी जातियाँ	62	20.7	05	1.7	67	22.3
अनुसूचित जातियाँ	58	19.3	06	2.0	64	21.3
मुसलमान	40	13.3	08	2.7	48	16.0
योग	192	64.0	108	36.0	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

उपयुर्क्त सारणी में दत्त–सामाग्री से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण होता है, उल्लेखनीय है कि उच्च जाति के सदस्यों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । अधिकांश 10.7 प्रतिशत उच्च जाति के उत्तरदाताओं ने उसके पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया है । परन्तु 36 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार नहीं करते है कि ग्रामीण गुटबाजी की प्रक्रिया में उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के सदस्यों का शोषण होता है । इस श्रेणी के उत्तरदाताओं का आधारभूत विश्वास है कि

[14] डॉ0 नर्मदेश्वर प्रसाद – जाति व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0 दिल्ली 1965.

गुटबाजी प्रक्रम में उच्च जाति के सदस्यों द्वारा निम्न जाति के सदस्यों का शोषण नही होता । सशक्त गुटों द्वारा निर्बल गुटों का शोषण होता है ।

सारिणी संख्या 4.7 में प्रस्तुत किये गये दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में भी अद्यतन उच्च जाति के सदस्यों द्वारा निम्न जाति के सदस्यों का शोषण हो रहा है। यह काई–वर्ग के परीक्षण से पूर्णतया स्पष्ट है ।

समाहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाता भारतीय उत्थान के लिये जातीय आधार पर संगठित होने की प्रक्रिया को उचित मानते हैं ।

अध्याय - पंचम

गुट एवं राजनीति का अन्तर्सम्बन्ध

विगत अध्याय–चतुर्थ में जाति एवं गुट का अन्तर्सम्बन्ध एवं जातिगत आधार पर गुट एवं गुटवाद का परीक्षण किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में गुट एवं राजनीतिक का अन्तर्सम्बन्धात्तमक विश्लेषण एवं राजनीतिक आयामों के मुख्य पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

भारत में सार्वभौमिक रूप से भारतीय संविधान में **बालिग** मताधिकार की सर्वव्यापी व्यवस्था ने भारतीय जनता को यह पूर्ण अधिकार प्रदान किया है कि प्रजातान्त्रिक ढ़ंग से अपने मतों को व्यक्त कर अपना शासक चुने । इस बालिग मताधिकार ने भारतीय ग्रामीण जनता की राजनैतिक चेतना में महत्वपूर्ण क्रान्ति ला दिया है जो ग्रामीण समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है । **प्रो0 देसाई** का मत है कि ग्रामीण समाज में बदलती हुयी राजनैतिक चेतना और कार्यक्रम मानवीय राजनैतिक जीवन का प्रभावशाली लक्षण है ।[1] भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को 'मत' देने का अधिकार प्राप्त है । जो बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग की विशिष्टता के आधार पर 'मत' दे सकता है । वैधानिक रूप से जनतन्त्र में किसी प्रकार के राजनैतिक स्तरीकरण का कोई स्थान नहीं होता है जैसा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने की शक्ति तथा नागरिक प्रस्थिति प्रदान की गयी है । स्तरीकरण के तीन प्रमुख आयामों –सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक की चर्चा करते हुए **टी0एच0 मार्शल** का कथन है कि आधुनिक जनतन्त्र में राजनीतिक आयामों का मतदान शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का कोई स्तरीकरण नही होता है क्योकि यह समान रूप से विकसित होता है । किन्तु एक अलग तर्क यह है कि राजनीतिक तथा सरकारी स्थितियों, प्रभाव, क्रिया इत्यादि के वास्तविक वितरण में से राजनीतिक आयाम पर स्तरीकरण किया जा सकता है ।[2] इस प्रकार यथार्थतः कुछ ऐसे लोग है जो अन्यों की अपेक्षा अधिक सहभागी होते है । समाज में सहभागी होने की पैठ गत अवसरों तथा इन अवसरों का वास्तविक प्रयोग स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार हो सकता है ।

---

[1] ए.आर. देसाई– रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया (दा इण्डियन सोसायटी एण्ड एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स), बम्बई, 1961 पेज – 60.

[2] टी0एच0 मार्शल– क्लास सिटीजनशिप एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट, डबलडे एण्ड़ कम्पनी, न्यूयार्क 1964, पेज– 141.

एक समाज सहभागिता के वितरण के सम्बन्ध में अत्यन्त समतावादी अथवा अत्यन्त श्रेणीबद्ध हो सकता है ।[3]

वर्तमान भारत में सहभागी प्रतिमान का वितरण किस सीमा तक अर्जित श्रेणीबद्ध व्यवस्था पर निर्भर है ? आवेष्ठन प्रभाव का क्रिया के स्तरों द्वारा परिभाषित राजनीतिक श्रेणीक्रम तथा जाति श्रेणीक्रम मे मध्य सामन्जस्य किस सीमा तक है ? प्रस्तुत अध्याय के प्रारम्भिक भाग में ग्रामीण गुटबन्दी प्रस्थिति तथा राजनीतिक आवेष्ठन, प्रभाव तथा क्रिया के स्तरों के मध्य अन्तर्विष्ट सम्बन्धों को परिवेक्षित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ग्रामीण गुटबन्दी के आधार पर राजनीतिक आवेष्ठन का सम्यक् विश्लेषण अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कुछ मौलिक सूचनाओं, जानकारियों को प्रदान करना रहा है । जो कि भविष्य में तुलना करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं ।

गुट के प्रति सामान्य राजनीतिक अभिमुखीकरण:

ग्रामीण गुटबन्दी या राजनीति में व्यक्ति अथवा समूह आत्मनिष्ठ रूप से जिस सीमा तक सम्मिलित होते है, इससे राजनीतिक व्यवस्था से उनके सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है । इससे स्पष्ट है कि किस सीमा तक राजनीतिक जगत ज्ञानात्मक स्तर पर विभिन्न समूहों (गुटों) के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है तथा किस सीमा तक वह राजनीतिक प्रक्रिया में आत्मनिष्ठ रूप से सम्मिलित होता है । तथा ज्ञानात्मक स्तर पर सामान्य राजनीतिक अभिमुखीकरण के उपाय यह सूचित करते हैं कि किस सीमा तक विभिन्न गुट राजनीतिक प्रक्रिया के केन्द्र या परिधि में हैं । इसके अतिरिक्त कुछेक अनुसंधान उपलब्धियों से स्पष्ट हुआ है कि आत्मनिष्ठ आवेष्ठन एक राजनीतिक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तथा वास्तविक राजनीतिक क्रिया की ओर मार्गदर्शित करता है ।[4] प्रस्तुत अध्ययन में संकलित दत्त– सामाग्री को सामान्य राजनीतिक अभिमुखीकरण के चार संकेतकों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है :– राजनीतिक अभिरूचि, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक बोध तथा दलगत तादात्म्य आदि ।

---

[3] सिडनी वर्बा एण्ड नार्मन नई – पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन पोलिटिकल लाइफ, हार्पर एण्ड रो, न्यूयार्क ।

[4] नार्मन नई, बी0 पावेल, जूनियर एण्ड केनिथ प्रीविट – सोशल स्ट्रक्चर एण्ड पोलिटिकल साइन्सेज, रीव्यू 3, नं03 और 4, 1969 पेज– 361–368 और पेज– 808–832.

उत्तरदाताओं की आयु एवं राजनीतिक अभिरूचि :

राजनीतिक अभिरूचि को सारणी संख्या 5.1 से ज्ञात होता है कि अधिकांश प्रतिदर्शी उत्तरदाता चाहे वे किसी भी आयु स्तर के हों राजनीति में अभिरूचि अवश्य रखते है, इसका तात्पर्य यह है कि आयु स्तर तथा राजनीति में कोई धनात्मक सहसम्बधं नहीं है, तथापि दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 38–47वर्षायु के उत्तरदाता अन्य वर्षायु के उत्तरदाताओं की अपेक्षा राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक अभिरूचि लेते हैं । काई–वर्ग के अनुसार आयु स्तर के आधार पर राजनीति में अभिरूचि लेने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अन्तर देखने को मिलता है । यहाँ हमारी प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है ।

सारणी संख्या –5.1

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों की राजनीति में अभिरूचि

आयु – स्तर	राजनीति में अभिरूचि									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	04	1.3	05	1.7	10	3.4	07	2.3	26	8.7
28–37	22	7.3	18	6.0	25	4.3	20	6.7	85	28.3
38–47	34	11.3	40	13.3	35	11.7	26	8.7	135	45.0
48–57	08	2.7	09	3.0	10	3.3	10	3.3	37	12.3
58–ऊपर	03	1.0	05	1.7	04	1.3	05	1.7	17	5.7
योग	71	23.6	77	25.7	84	28.0	68	22.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उत्तरदाताओं की जाति एवं राजनीतिक अभिरूचि :

सारणी संख्या 5.2 में विभिन्न दलगत समूहों में राजनीतिक अभिरूचि के स्तरों के बारे में दत्त–सामाग्री से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता चाहे वे किसी भी जातीय स्तर के हों, राजनीति में अत्यधिक रूचि लेते हैं । इसका तात्पर्य है कि जाति तथा राजनीति में अभिरूचि लेने में कोई धनात्मक सहसम्बंध नहीं है । यहां हमारी प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है । काई–वर्ग के परीक्षण से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.2

जाति के आधार पर गुट के सदस्यों की राजनीति में अभिरूचि

जाति स्तर	राजनीति में अभिरूचि									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	15	5.0	20	6.7	18	6.0	13	4.3	66	22.0
क्षत्रिय	08	2.7	18	6.0	10	3.3	08	2.7	44	14.7
वैश्य	02	0.7	04	1.3	03	1.0	02	0.7	11	3.7
पिछड़ी	09	3.0	28	9.3	22	7.3	08	2.7	67	22.3
अनु0जाति	07	2.3	35	11.7	10	3.3	12	4.0	64	21.3
मुसलमान	12	4.0	15	5.0	13	4.3	08	2.7	48	16.0
योग	53	17.7	120	40.0	76	25.2	51	17.1	300	100.0

संकेत– आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं राजनीतिक अभिरूचि :

सारणी संख्या 5.3 में अन्तर्विष्ट दत्तों के प्रेक्षण से ज्ञात होता है कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाता चाहे वे किसी भी शैक्षिक स्तर के हों, राजनीति में अत्यधिक रूचि लेते है, इसका तात्पर्य यह है कि शैक्षिक स्तर एवं राजनीति में अभिरूचि में कोई धनात्मक सहसम्बंध नहीं है । जिसे सारणी संख्या 5.3 में परिकलित किया गया है –

सारणी संख्या –5.3

शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों की राजनीति में अभिरूचि

शिक्षा स्तर	राजनीति में अभिरूचि									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरंक्षर	13	4.3	15	5.0	18	6.0	20	6.7	66	22.0
साक्षर	29	9.7	22	7.3	09	3.0	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	26	8.7	48	16.0	11	3.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	04	1.3	15	5.0	13	4.3	05	1.7	37	12.3
स्नातक	03	1.0	06	2.0	06	2.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	04	1.3	05	1.7	03	1.0	04	1.3	16	5.3
योग	79	26.3	111	37.0	60	20.0	50	16.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण हैं)**

अतः उपरोक्त दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्नातक एवं स्नातक से ऊपर की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से

कम शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता राजनीति में अधिक अभिरूचि लेते हैं । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

जाति एवं सामान्य जानकारी :

सामान्य जानकारी के सन्दर्भ उत्तरदाताओं से प्रश्न इसलिये पूंछे गये कि यह ज्ञात किया जा सके कि समुदाय या देश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उनकी सामान्य जानकारी किस सीमा तक है ।

जाति के आधार पर गुट के सदस्यों में सामाजिक परिवर्तनों एवं समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखने में कोई साहचर्य नहीं पाया गया है । जिसे निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित किया गया है –

सारणी संख्या –5.4

जाति के आधार पर गुट –सदस्यों की सामान्य जानकारी

जाति स्तर	सामान्य जानकारी									
	अत्यधिक		सामान्य		बहुत कम		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राहमण	20	6.7	18	6.0	15	5.0	13	4.3	66	22.0
क्षत्रिय	18	6.0	10	3.3	08	2.7	08	2.7	44	14.7
वैश्य	04	1.3	03	1.0	02	0.7	02	0.7	11	3.7
पिछडी	22	7.3	28	9.3	08	2.7	09	3.0	67	22.3
अनु0जाति	35	11.7	10	3.3	12	4.0	07	2.3	64	21.3
मुसलमान	15	5.0	13	4.3	12	4.0	08	2.7	48	16.0
योग	114	38.0	82	27.2	57	19.1	47	15.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.4 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री से ज्ञात होता है कि प्रायः प्रत्येक जाति के अधिकांश सदस्य सामाजिक परिवर्तनों एवं समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते है । इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वतन्त्रता के बाद देश के प्रत्येक जाति के सदस्यों में सामाजिक परिवर्तनों तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता विकसित हुयी है। हाँ, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सामान्य जानकारी रखने की प्रवृत्ति उच्च जातियों की अपेक्षा पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों में अधिक पायी जाती है । हमारे संकलित दत्तों से भी इसकी पुष्टि होती है । सारणी संख्या 5.4 के काई–वर्ग परिकलन से भी यह बात पूर्णतया स्पष्ट है ।

शिक्षा एवं सामान्य जानकारी :

शिक्षा तथा सामान्य परिवर्तनों एवं सदस्यों के बारे में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों में राष्ट्र तथा समुदाय में हुए परिवर्तनों तथा समस्याओं के बारे में सदस्यों की सामान्य जानकारी का स्वरूप क्या है ? इस सन्दर्भ में सदस्यों के सम्मुख प्रश्नों को प्रस्तुत करके सामान्य जानकारी को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है ।

सारणी संख्या –5.5

शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों में परिवर्तनों तथा सदस्यों की सामान्य जानकारी

शिक्षा स्तर	राजनीति में अभिरूचि									
	अत्यधिक		सामान्य		बहुत कम		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरंक्षर	18	6.0	13	4.3	20	6.7	15	5.0	66	22.0
साक्षर	22	7.3	09	3.0	29	9.7	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	48	16.0	26	8.7	11	3.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	15	5.0	13	4.3	05	1.7	04	1.3	37	12.3
स्नातक	06	2.0	06	2.0	03	1.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	05	1.7	03	1.0	04	1.3	04	1.3	16	5.3
योग	114	38.0	70	23.3	72	24.1	44	14.6	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण हैं)**

उपरोक्त सारणी संख्या 5.5 में समाविष्ट दत्त–सामाग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों में राष्ट्र व समुदाय में हुए परिवर्तनों एवं परिव्याप्त समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखने में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है । काई–वर्ग से परिकलन से स्पष्ट है कि इसका प्रधान कारण प्रत्येक शैक्षिक–स्तरीय व्यक्ति में राष्ट्र व समुदाय में हो रहे परिवर्तनों एवं उनमें व्याप्त समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखने की प्रवृत्ति का अपेक्षाकृत अधिक विकसित होना है । तथापि हाईस्कूल से कम (31.7 प्रतिशत) तथा साक्षर(22.7 प्रतिशत) स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है । इसका कारण यह है कि अधिकांश शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र में हो रहे परिवर्तनों एवं समस्याओं की जानकारी रखने में अधिक अभिरूचि लेते है। प्रायः शिक्षित व्यक्ति देश में प्रकाशित समकालीन पत्र–पत्रिकाओं के पढ़नें में अधिक

अभिरूचि रखते हैं । परिणामतः उनमें देश के तत्कालीन परिवर्तनों एवं समस्याओं के बारे में अपेक्षाकृत अधिक जानकारी होती है ।

आयु एवं सामान्य जानकारी :

सारणी संख्या 5.6 में दत्त–सामाग्री का प्रेक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि आयु–स्तर के आधार पर गुट के सदस्यों में राष्ट्र में हो रहे नूतन परिवर्तनों एवं व्याप्त समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखनें में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है। जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या –5.6

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों में परिवर्तनों तथा सदस्यों की सामान्य जानकारी

आयु – स्तर	सामान्य जानकारी									
	अत्यधिक		सामान्य		बहुत कम		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	07	2.3	10	3.4	04	1.3	05	1.7	26	8.7
28–37	25	8.3	20	6.7	18	6.0	22	7.3	85	28.3
38–47	40	13.3	34	11.3	35	11.7	26	8.7	135	45.0
48–57	10	3.3	10	3.3	09	3.0	08	2.7	37	12.3
58–ऊपर	05	1.7	04	1.3	05	1.7	03	1.0	17	5.7
योग	87	28.9	78	26.0	71	23.7	64	21.4	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी में 18–27 वर्षायु के सदस्यों की अपेक्षा 38–47 एवं इससे पूर्व 28–37 आयु वाले सदस्यों में राष्ट्र में हो रहे परिवर्तनों एवं व्याप्त समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है ।

स्पष्ट है कि वास्तव में गुट–पीढ़ी के सदस्यों में समाज में हो रहे परिवर्तनों व व्याप्त समस्याओं के बारें में जानकारी रखने की अधिक प्रवृत्ति होती है । पिछले दशक में युवा गतिविधियों ने अनेक देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आदि विभिन्न आयाम उद्घाटित किये हैं । नवोदित राष्ट्रों के न केवल अधिकांश नेता युवा–वर्ग से आते हैं । प्रत्युत इनमें से अधिकांश समाजों की विचारधारा का उन्मेष भी युवा–संगठनों एवं आन्दोलनों से हुआ है । अनेक राष्ट्रों में युवकों ने श्रमिक वर्ग को नेतृत्व प्रदान कर उन्हें वाणी प्रदान की है । यह भी बहुत हद तक सच है कि युवा

नेतृत्व की सामान्य जानकारी अन्य नेतृत्वों की अपेक्षा कहीं अधिक निष्पक्ष व अभिनय रहित होती है ।

राजनीतिक बोध :

राजनीतिक अभिरूचि से सम्बन्धित प्रश्न उत्तरदाताओं के आत्मनिष्ठ आंकलन एवं अभिरूचि के स्तरों का परीक्षण करते हैं । यह सम्भव है कि एक उत्तरदाता स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों में अधिक अभिरूचि लेने वाला समझे जब कि उतनी ही मात्रा में अभिरूचि लेने वाला दूसरा अपने को उतना अधिक अभिरूचि लेने वाला न समझे । राजनीतिक बोध से सम्बन्धित हमारे प्रश्न वैषयिक रूप में ज्ञान के स्तरों का परिमापन करते हैं क्योकि उत्तरदाताओं को सूचित करने वाले स्कोर (अंकों) के सन्दर्भ में उन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने के लिये कहा गया था । उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त उत्तरों को तीन परिवर्त्यो जैसे – जाति, शिक्षा एवं आयु–स्तर के आधार पर प्रेक्षित करने का प्रयास किया गया है ।

जाति एवं राजनीतिक बोध :

सारणी संख्या 5.7 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रायः प्रत्येक जाति के अधिकांश सदस्यों में राजनीतिक बोध पाया जाता है ।इस प्रकार जाति एवं राजनीतिक बोध में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है । सारणी संख्या 5.7 से काई–वर्ग के परिकलन से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है ।

सारणी संख्या –5.7

जाति एवं राजनीतिक बोध

जाति स्तर	राजनीति में अभिरूचि									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	15	5.0	20	6.7	18	6.0	13	4.3	66	22.0
क्षत्रिय	08	2.7	18	6.0	10	3.3	08	2.7	44	14.7
वैश्य	02	0.7	04	1.3	03	1.0	02	0.7	11	3.7
पिछडी	09	3.0	28	9.3	22	7.3	08	2.7	67	22.3
अनु0जाति	07	2.3	35	11.7	10	3.3	12	4.0	64	21.3
मुसलमान	12	4.0	15	5.0	13	4.3	08	2.7	48	16.0
योग	53	17.7	120	40.0	76	25.2	51	17.1	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

शिक्षा एवं राजनीतिक बोध :

सारणी संख्या 5.8 में प्रस्तुत किये गये दत्तों के परिणामों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर तथा उनके राजनीतिक बोध में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है । जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.8

शिक्षा एवं राजनीतिक बोध

शिक्षा स्तर	राजनीतिक बोध									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरंक्षर	13	4.3	15	5.0	18	6.0	20	6.7	66	22.0
साक्षर	29	9.7	22	7.3	09	3.0	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	26	8.7	48	16.0	11	3.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	04	1.3	15	5.0	13	4.3	05	1.7	37	12.3
स्नातक	03	1.0	06	2.0	06	2.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	04	1.3	05	1.7	03	1.0	04	1.3	16	5.3
योग	79	26.3	111	37.0	60	20.0	50	16.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण हैं)**

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाईस्कूल से कम स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुए गुट के सदस्यों में इण्टर तथा स्नातक से ऊपर स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुए गुटों के सदस्यों की अपेक्षा राजनीतिक बोध अधिक पाया गया है । सारणी संख्या 5.8 से काई–वर्ग की परिगणना से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है ।

आयु एवं राजनीतिक बोध :

सारणी संख्या 5.9 में समाविष्ट दत्त सामाग्री को प्रेक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के आयु–स्तर तथा उनके राजनीतिक बोध में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है। तथापि दोनों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 38–47 वर्षायु के सदस्यों में 48–57 एवं इससे ऊपर आयु वाले सदस्यों की अपेक्षा राजनीतक बोध अधिक है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.9

आयु एवं राजनीतिक बोध

आयु – स्तर	राजनीतिक बोध									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	04	1.3	05	1.7	10	3.4	07	2.3	26	8.7
28–37	22	7.3	18	6.0	25	8.3	20	6.7	85	28.3
38–47	34	11.3	40	13.3	35	11.7	26	8.7	135	45.0
48–57	08	2.7	09	3.0	10	3.3	10	3.3	37	12.3
58–ऊपर	03	1.0	05	1.7	04	1.3	05	1.7	17	5.7
योग	71	23.6	77	25.7	84	28.0	68	22.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

दलगत परिचय :

प्रस्तुत शोध – अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि प्रतिदर्शित गुट के सदस्यों में दलगत परिचय का अवबोध कैसा है । क्या वे विभिन्न राजनीतिक दलों से परिचित हैं और यदि परिचित हैं तो किस सीमा तक ? जब हम दलगत परिचय पर दृष्टिपात करते हैं तो संकलित दत्त–सामग्री(सारणी संख्या 5.10) से स्पष्ट होता है कि जातीय स्तरीकरण और राजनीतिक परिचय के मध्य कोई व्यवस्थित असमानता नहीं है । तथापि पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के सदस्यों की अपेक्षा राजनीतिक अभिरूचि या बोध अधिक पाया गया है । जिसका सांख्यिकी स्पष्टीकरण सारणी संख्या 5.10 में देखने को मिलता है, तथा काई–वर्ग के मूल्य से इसकी पुष्टि भी होती है ।

सारणी संख्या –5.10

जाति के आधार पर दलगत परिचय

जाति स्तर	दलगत परिचय									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	08	2.7	32	10.6	20	6.7	06	2.0	66	22.0
क्षत्रिय	05	1.7	28	9.3	08	2.7	03	1.0	44	14.7
वैश्य	02	0.7	04	1.3	03	1.0	02	0.7	11	3.7
पिछडी	05	1.7	32	10.6	24	8.0	06	2.0	67	22.3
अनु0जाति	04	1.3	40	13.3	15	5.0	05	1.7	64	21.3
मुसलमान	05	1.7	20	6.7	19	6.3	04	1.3	48	16.0
योग	29	9.8	156	51.8	89	29.7	26	8.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)**

शिक्षा एवं दलगत परिचय:

उत्तरदाताओं से दलगत परिचय के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गयी तो प्राप्त उत्तरों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या –5.11

शिक्षा के आधार पर दलगत परिचय

शिक्षा स्तर	दलगत परिचय									
	बहुत कम		अत्याधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.
निरंक्षर	04	1.3	35	11.7	20	6.7	07	2.3	66	22.0
साक्षर	09	3.0	29	9.7	22	7.3	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	11	3.7	48	16.0	26	8.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	05	1.7	15	5.0	13	4.3	04	1.3	37	12.3
स्नातक	03	1.0	06	2.0	06	2.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	04	1.3	05	1.7	04	1.3	03	1.0	16	5.3
योग	36	12.0	138	46.1	91	30.3	35	11.6	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण हैं)**

उपरोक्त सारणी संख्या 5.11 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हाईस्कूल से कम (31.7 प्रतिशत) तथा साक्षर(22. 7प्रतिशत) स्तरीय गुट के सदस्यों में दलगत परिचय की आवृत्ति अधिक है इसका कारण यह है कि हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तरीय लोगों में राजनीतिक चेतना इण्टर तथा स्नातक स्तरीय लोगों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है । प्रायः उच्च शिक्षित लोग दलगत परिचय के प्रति बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जैसे–जैसे व्यक्ति के शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जाता है, वैसे–वैसे दलगत परिचय भी घटता जाता है । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है।

आयु एवं दलगत परिचय :

सारणी संख्या 5.12 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से स्पष्ट होता है कि गुट के सदस्यों के आयु–स्तर तथा दलगत परिचय में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है । प्रायः सभी आयु–स्तरीय गुट के सदस्यों में दलगत परिचय रखने की अभिरूचि पायी जाती है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.12
आयु के आधार पर दलगत परिचय

आयु – स्तर	दलगत परिचय									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	07	2.3	10	3.4	05	1.7	04	1.3	26	8.7
28–37	25	8.3	25	8.3	18	6.0	17	5.7	85	28.3
38–47	34	11.3	55	18.3	35	11.7	11	3.7	135	45.0
48–57	07	2.3	15	5.0	10	3.3	05	1.7	37	12.3
58–ऊपर	03	1.0	08	2.7	03	1.0	03	1.0	17	5.7
योग	76	25.2	113	37.7	71	23.7	40	13.4	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

राजनीतिक प्रभाव :

जनतान्त्रिक प्रणाली में आशा की जाती है कि सभी नागरिकों का चाहे वे किसी प्रस्थिति, जाति एवं धर्म के क्यों न हों, कुछ न कुछ राजनीतिक प्रभाव होता ही है, यद्यपि वास्तविक निर्णय–कर्ताओं में कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं । जनतन्त्रात्मक प्रणाली में यह आशा की जाती है कि सामान्य नागरिक निर्णय–कर्ताओं के विचारों एवं निर्णीत विचारों को किसी न किसी रूप में नियन्त्रित करते हैं, किन्तु सामान्य नागरिक जिस रूप में निर्णय कर्ताओं के विचारों को प्रभावित करते हैं, वह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है । सामान्यतया एक प्राक्कल्पना के रूप में यह कहा जा सकता है कि उच्च आर्थिक स्तरीय एवं उच्च–जातिगत प्रस्थिति वाले नागरिकों की राजनीतिक प्रभावोत्पादकता निम्न आर्थिक व निम्न जातिगत प्रस्थिति वाले नागरिकों की अपेक्षा अधिक होती है उसका परीक्षण करने के लिये अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि, अपने स्वयं की राजनीतिक प्रभावोत्पादकत के बारे में नागरिकों के स्वयं का प्रत्यक्षीकरण कैसा है, तथा नीतियों को प्रभावित करने में इनका क्षमतागत अनुभव कैसा है ।

प्रभाव की इस आत्मनिष्ठ भावना का मूल्यांकन करना यद्यपि नागरिकों के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन नहीं है, फिर भी जनतन्त्र में एक नागरिक को कम से कम यह तो अनुभव कराना ही चाहिए, कि वह किस सीमा तक सरकारी तन्त्र को प्रभावित करने में सक्षम है । विश्वास है कि यह भावना जनतन्त्रात्मक प्रणाली में स्वयं अधिक महत्वपूर्ण है । नागरिकों का यह विश्वास है कि वे सरकारी तन्त्र में प्रभावी हैं,

यद्यपि वे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, फिर भी जनतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में हमें सूचित अवश्य करते हैं ।[5]

पुनः आत्मनिष्ठ भावना को वस्तुनिष्ठ यथार्थता से पूर्णतया पृथक् नहीं किया जा सकता है । वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है । विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अध्ययन परिणामों से ज्ञात होता है कि वे व्यक्ति जो अपने राजनीतिक प्रभाव का अनुमान करते हैं, अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय नागरिक होते हैं । और वास्तव में सरकारी तन्त्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ।[6]

राजनीतिक प्रभाव की आत्मनिष्ठ भावना तथा प्रभावोत्पादकता गुटबन्दी प्रक्रिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गुट के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में सरकारी तन्त्र एवं राजनीतिक तन्त्र से किसी न किसी रूप में सम्बंन्धित रहते हैं । प्रस्तुत अध्ययन में दो प्रकार की सामाग्री संकलित की गयी है ।

प्रथम प्रकार की दत्त–सामाग्री सारणी संख्या 5.13 से 5.15 में प्रस्तुत की गयी हैं जो उत्तरदाताओं की राजनीतिक प्रभावोंत्पादकता की आत्मनिष्ठ भावनाओं, सामुदायिक कार्यो में उनकी शक्तियों तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करनें में उनकी योग्यताओं का परिचय देती है । **द्वितीय** कोटि की दत्त–सामाग्री सारणी संख्या 5.16 से 5.18 में प्रस्तुत की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रभावी जाति की रचना का चित्रण प्रस्तुत किया गया है ।

जाति एवं राजनीतिक प्रभावोत्पादकता :

सारणी संख्या 5.13 में प्रस्तुत किये गये दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी जातियों के सदस्यों में राजनीतिक प्रभवोत्पादकता की शक्ति विद्यमान है । प्रायः सभी जाति के सदस्यों को यह विश्वास है कि वे राजनीतिक तन्त्र को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं।

---

[5] गैब्रिल एल्मण्ड एण्ड सिडनी वर्बा – सिविक कल्चर यूनीवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन, 1963 पेज 183.

[6] गैब्रिल एल्मण्ड एण्ड सिडनी वर्बा – सिविक कल्चर यूनीवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन, 1963 पेज 188.

सारणी संख्या –5.13

जाति के आधार पर राजनीतिक प्रभावोत्पादकता

जाति स्तर	प्रभावोत्पादकता का स्तर									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	12	4.0	30	10.0	15	5.0	09	3.0	66	22.0
क्षत्रिय	04	1.3	32	10.7	05	1.7	03	1.0	44	14.7
वैश्य	01	0.3	05	1.7	04	1.4	01	0.3	11	3.7
पिछड़ी	04	1.3	40	13.3	20	6.7	03	1.0	67	22.3
अनु0जाति	05	1.7	35	11.6	20	6.7	04	1.3	64	21.3
मुसलमान	04	1.3	26	8.7	15	5.0	03	1.0	48	16.0
योग	30	9.9	168	56.0	79	26.5	23	7.6	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)**

शिक्षा एवं राजनीतिक प्रभावोत्पादकता :

सारणी संख्या 5.14 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है प्रायः सभी शैक्षिक स्तर के उत्तरदाताओं का मत है कि वे राजनीतिक तन्त्र को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित करते हैं । काई–वर्ग के परीक्षण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.14

शिक्षा के आधार पर राजनीतिक प्रभावोत्पादकता

शिक्षा स्तर	प्रभावोत्पादकता का स्तर									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति.
निरक्षर	05	1.7	48	16.0	10	3.3	03	1.0	66	22.0
साक्षर	08	2.7	45	15.0	12	4.0	03	1.0	68	22.7
हाईस्कूल से कम	10	3.3	50	16.7	30	10.0	05	1.7	95	31.7
इण्टर	04	1.3	20	6.7	10	3.3	03	1.0	37	12.3
स्नातक	03	1.0	08	2.7	05	1.7	02	0.6	18	6.0
स्नातक से ऊपर	02	0.6	09	3.0	04	1.3	01	0.4	16	5.3
योग	32	10.6	180	60.1	71	23.6	17	5.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण हैं)**

आयु एवं राजनीतिक प्रभावोत्पादकता :

सारणी संख्या 5.15 में समाविष्ट दत्त–सामाग्री के परिणाामों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रायः सभी आयु स्तर के उत्तरदाताओं का विश्वास है कि सभी जातियों के सदस्य राजनीतिक– तन्त्र को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित करते हैं । तथापि 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं में यह विश्वास अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है । जो काई–वर्ग से पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.15
आयु के आधार पर राजनीतिक प्रभावोत्पादकता

आयु – स्तर	प्रभावोत्पादकता का स्तर									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	07	2.3	10	3.4	05	1.7	04	1.3	26	8.7
28–37	20	6.7	25	8.3	22	7.3	18	6.0	85	28.3
38–47	34	11.3	40	13.3	35	11.7	26	8.7	135	45.0
48–57	09	3.0	10	3.3	10	3.3	08	2.7	37	12.3
58–ऊपर	05	1.7	05	1.7	04	1.3	03	1.0	17	5.7
योग	75	25.0	90	30.0	76	25.3	59	19.7	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

जाति एवं समुदाय में शक्ति :

उत्तरदाताओं से जब यह पूंछा गया कि समुदायिक मामलों में अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के सम्बंध में उनकी स्वयं की भाक्ति का संस्तरणात्मक स्तर कैसा है ? जिसे निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या –5.16
जाति के आधार पर गुट के सदस्यों की समुदाय में शक्ति

जाति	समुदाय में शक्ति							
	निम्न शक्ति स्तर		मध्यम शक्ति स्तर		उच्च शक्ति स्तर		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	12	4.0	20	6.7	34	11.3	66	22.0
क्षत्रिय	10	3.3	17	5.7	17	5.7	44	14.7
वैश्य	02	0.6	04	1.4	05	1.7	11	3.7
पिछडी	38	12.6	11	3.7	18	6.0	67	22.3
अनु0जाति	35	11.6	14	4.7	15	5.0	64	21.3
मुसलमान	12	4.0	18	6.0	18	6.0	48	16.0
योग	109	36.1	84	28.2	107	35.7	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.16 से स्पष्ट है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के उत्तरदाताओं के सदृश पिछडी एवं अनुसूचित जाति के अधिकांश उत्तरदाताओं ने भी अपने को उच्च शक्ति स्तर पर रखा है । सारणी संख्या 5.16 से स्पष्ट होता है कि पिछडी एवं अनुसूचित जातियां भी अब समुदाय में अपने को शक्तिशाली समझने लगी हैं । जो काई–वर्ग के गणनात्मक मूल्य से स्पष्ट है।

शिक्षा एवं समुदाय में शक्ति :

सारणी संख्या में 5.17 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है वैसे–वैसे लोगों को अपने को समुदाय में शक्तिशाली मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है । सारणी संख्या 5.17 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से स्पष्ट है कि हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तरीय उत्तरदाताओं ने इण्टर तथा स्नातक उत्तरदाताओं की अपेक्षा समुदाय मे अपने को उच्च शक्ति स्तर पर रखा है । काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.17

शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों की समुदाय में शक्ति

शिक्षा	समुदाय में शक्ति							
	निम्न शक्ति स्तर		मध्यम शक्ति स्तर		उच्च शक्ति स्तर		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	15	5.0	20	6.7	31	10.3	66	22.0
साक्षर	18	6.0	24	8.0	26	8.7	68	22.7
हाई.से कम	12	4.0	45	15.0	38	12.7	95	31.7
इण्टर	08	2.6	20	6.7	09	3.0	37	12.3
स्नातक	04	1.3	06	2.0	08	2.7	18	6.0
स्ना.से ऊपर	03	1.0	10	3.3	03	1.0	16	5.3
योग	60	19.9	125	41.7	115	38.4	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

आयु एवं समुदाय में शक्ति :

सारणी संख्या 5.18 में समाविष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं ने 48–57 एवं इससे ऊपर वर्षायु के उत्तरदाताओं की तुलना में समुदाय में अपने को उच्च स्तर पर रखा है । काई–वर्ग के परीक्षण से पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.18

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों की समुदाय में शक्ति

आयु	समुदाय में शक्ति							
	निम्न शक्ति स्तर		मध्यम शक्ति स्तर		उच्च शक्ति स्तर		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
18–27	08	2.7	10	3.3	08	2.7	26	8.7
28–37	20	6.7	30	10.0	35	11.6	85	28.3
38–47	40	13.3	45	15.0	50	16.7	135	45.0
48–57	10	3.3	12	4.0	15	5.0	37	12.3
58 से ऊपर	04	1.3	07	2.4	06	2.0	17	5.7
योग	82	27.3	104	34.7	114	38.0	300	100.0

(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

जाति एवं राजनीतिक प्रभाव :

सारणी संख्या 5.19 में स्थानीय तथा राष्ट्रीय नीति विषयक तीन पदो पर आधारित है उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि इन नीति विषयों के सम्बंध में उनके विचार में उनका कितना प्रभाव पड़ता है । सारणी संख्या 5.19 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से यह स्पष्ट है कि उच्च जाति के उत्तरदाताओं का राजनीतिक प्रभाव अधिक है। काई–वर्ग के साहचर्य–मापन के मूल्यों से पूर्णतया स्पष्ट है।

सारणी संख्या –5.19

जाति के आधार पर गुट के सदस्यों का राजनीतिक प्रभाव

जाति स्तर	राजनीतिक प्रभाव									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	16	5.3	19	6.3	17	5.7	14	4.7	66	22.0
क्षत्रिय	11	3.7	12	4.0	12	4.0	09	3.0	44	14.7
वैश्य	02	0.7	05	1.7	03	1.0	01	0.3	11	3.7
पिछडी	13	4.3	19	6.3	18	6.0	17	5.7	67	22.3
अनु0जाति	17	5.7	18	6.0	16	5.3	13	4.3	64	21.3
मुसलमान	11	3.7	15	5.0	12	4.0	10	3.3	48	16.0
योग	70	23.4	88	29.3	78	26.0	64	21.3	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)**

शिक्षा एवं राजनीतिक प्रभाव :

सारणी संख्या 5.20 में प्रस्तुत की गयी दत्त सामाग्री के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इण्टर तथा स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से कम एवं साक्षर स्तर के उत्तरदाताओं का राजनीतिक प्रभाव अधिक है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह सार्थक सिद्ध हुआ है ।

सारणी संख्या –5.20

शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों का राजनीतिक प्रभाव

शिक्षा स्तर	राजनीतिक प्रभाव									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरक्षर	15	5.0	20	6.7	18	6.0	13	4.3	66	22.0
साक्षर	09	3.0	29	9.7	22	7.3	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	11	3.7	48	16.0	26	8.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	05	1.7	15	5.0	13	4.3	04	1.3	37	12.3
स्नातक	03	1.0	06	2.0	06	2.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	04	1.3	05	1.7	04	1.3	03	1.0	16	5.3
योग	47	15.7	123	41.1	89	29.6	41	13.3	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत **(.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)**

आयु एवं राजनीतिक प्रभाव :

सारणी संख्या 5.21 में प्रस्तुत किये गये दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 48–57 एवं इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की तुलना में 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं का राजनीतिक प्रभाव अधिक है । काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.21

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों का राजनीतिक प्रभाव

आयु – स्तर	राजनीतिक प्रभाव									
	बहुत कम		अत्यधिक		सामान्य		बिल्कुल नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	05	1.7	07	2.3	06	2.0	08	2.7	26	8.7
28–37	18	6.0	20	6.7	22	7.3	25	8.3	85	28.3
38–47	30	10.0	32	10.7	36	12.0	37	12.3	135	45.0
48–57	07	2.3	09	3.0	10	3.3	11	3.7	37	12.3
58–ऊपर	02	0.6	04	1.4	05	1.7	06	2.0	17	5.7
योग	62	20.6	72	24.1	79	26.3	87	29.0	300	100.0

संकेत – आ0–आवृत्ति, प्रति0–प्रतिशत (.05 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर महत्वपूर्ण **नहीं)**

प्रभावशाली जाति :

मानव शास्त्रियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शक्तिशाली एवं प्रभावशाली जातियों का विस्तृत अध्ययन किया है । इस प्रघटना को **श्रीनिवास** ने 'प्रभावशाली जाति' की संज्ञा दी है ।[7]

ग्रामीण शक्ति संरचना को समझाने में प्रभावशाली जाति की अवधारणा उपयोगी सिद्ध हुयी है । प्रभावशाली जातियां ग्रामीण क्षेत्रों में समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियों को नियन्त्रित करती पायी गयी हैं । ऐसा पाया गया है कि जो लोग प्रभावशाली जातियों के सदस्य है वे राजनैतिक रूप से सक्रिय है और राजनैतिक स्तर पर अपने को अधिक प्रभावशाली महसूस करते है । वे काफी कार्यकुशल होते है तथा सामुदायिक कार्यो में अन्य लोगों की अपेक्षा अपने को अधिक शक्तिशाली समझते है । नियमित रूप से मतदान करते है, आन्दोलन सम्बंधी क्रिया कलाप में भाग लेते है तथा राजनैतिक नेताओं एवं सरकारी अधिकारियों से उनका अच्छा सम्बंध होता है ।[8] ऐसी भी मान्यता है कि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति जाति को राजनैतिक ढंग से प्रभावशाली बनाने के लिये जिम्मेदार हैं।[9] प्रस्तुत अध्ययन में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि कौन सी जाति प्रभावशाली जाति है ? क्या निम्न जातियों के लोग भी सामुदायिक कार्यो में उतने ही शक्तिशाली हैं या शक्ति मुख्य रूप से उच्च वर्ग के ही लोगों के हांथों में है ?

प्रभावशाली जातियों को ज्ञात करने के सन्दर्भ में संरचित साक्षात्कार अनुसूची में प्रस्तुत किये गये प्रश्न बिल्कुल खुले थे । उत्तरदाताओं से प्रभावशाली जाति के अस्तित्व के बारे में न केवल हाँ या नहीं के रूप में ही उत्तर की अपेक्षा की गयी थी बल्कि उनसे जातीय नाम भी पूंछा गया था । द्वितीयतः उनसे यह भी पूंछा गया था कि वे यह भी बतायें कि किन–किन कारणों से वे किसी जाति विशेष को प्रभावशाली समझते है । अन्ततः यह पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता इन प्रश्नों का बडी आसानी से उत्तर दे रहे थे । बहुत कम ही उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने नकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया । सारणी संख्या 5.22 में प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं के अनुपात

---

[7] एम0 एन0 श्रीनिवास दा डोमिनेट कास्ट इन रामपुरा, अमेरिकन एन्थ्रोपोलाजिस्ट एल एक्स–1 फरवरी, 1959 पेज 1–16

[8] अनिल भाटिया – कास्ट क्लास पोलिटिक्स, मनोहर बुक सर्विस, न्यू देहली, 1975, पेज – 91

[9] अनिल भाटिया – कास्ट क्लास पोलिटिक्स, मनोहर बुक सर्विस, न्यू देहली, 1975, पेज – 91

जिन्होंने विभिन्न प्रास्थिति जातियों को प्रभावशाली बताया है यह प्रदर्शित करता है कि किस अनुपात के द्वारा जातियां प्रभावशाली बतायी गयी है । उत्तर बहुत ही आशाजनक है । परम्परागत रूप से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातियां ही नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों को भी प्रभावशाली बताया गया है । 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पिछड़ी जाति को प्रभावशाली बताया, 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ब्राह्मणों को शक्तिशाली बताया जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनुसूचित जातियो को प्रभावशाली बताया ।

सारणी संख्या 5.22 प्रभावशाली जाति समुदायों की जाति बनावट पर प्रभाव डालती है एवं उसे निश्चित करने के लिये अनुसन्धानकर्ता ने केवल उन्हीं ग्रामीण समुदाय को रखा है जहां इन समुदाय में से प्रत्येक से 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने किसी जाति विशेष को प्रभावशाली जाति माना है । इस प्रकार, उदाहरण स्वरूप, 25 समुदाय ऐसे थे जहां 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने पिछड़ी जाति को प्रबल जाति माना है और 22 समुदाय ऐसे थे जिनमें 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने ब्राह्मण जाति को प्रभावी जाति माना है ।

सारणी संख्या – 5.22

प्रभावी जातियां

प्रभावी समझी गयी जातियां	उत्तरदाताओं का प्रति शत	समुदायों का प्रतिशत जहां 75 प्रतिशत या इससे अधिक उत्तर दाताओं ने एक जाति के विश्लेषण को प्रभावशाली माना है	प्रभावी जाति समुदायों का कुल प्रतिशत
ब्राह्मण	23	22	29.3
क्षत्रिय	17	08	10.7
वैश्य	12	03	4.0
पिछडी जाति	27	25	33.3
अनुसूचित जाति	18	15	20.0
मुसलमान	03	02	2.7
योग	100	75	100.0

संकलित दत्त सामाग्री (सारणी संख्या 5.22) से स्पष्ट होता है कि कुल 75 समुदायों में से 15 समुदाय ऐसे पाये गये जिनमें अनुसूचित जातियां प्रभावित थी । 08 समुदाय ऐसे पाये गये जिनमें क्षत्रिय जातियां प्रभावीं थी तथा 03 समुदाय ऐसे पाये गये

जिनमें वैश्य जातियां प्रभावी थी । शेष 2.7 प्रतिशत समुदाय ऐसे पाये गये जिनमें मुस्लिम जातियां प्रभावी थी । स्पष्ट होता है कि अब उच्च स्तरीय जातियां भारतीय गांवों में अनिवार्य रूप से प्रभावशाली नहीं है । पिछडी तथा अनुसूचित जातियां भी बहुत से गांवों मे प्रभावी है । वास्तव में पिछडी जतियां भी एक अच्छी संख्या में गांवों में प्रभावी पायी गयी हैं । यदि प्रभावशाली जातियों का वर्गीकरण विभिन्न समुदायों में प्रभाव के आधार पर किया जाये तो इसका क्रम पिछडी जाति प्रथम, ब्राह्मण द्वितीय, अनुसूचित जाति तृतीय तथा क्षत्रिय जाति चतुर्थ एवं वैश्य जाति पंचम, मुस्लिम जाति छठवें स्थान में हैं ।

आवश्यक रूप से उच्च जातीय प्रस्थिति ग्रामीण कार्यो में प्रभाव के लिये कोई आधार नहीं है । प्रभाव के आधार पर प्राप्त उत्तरों के द्वारा भी यह निश्चित होता है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि वे किस जाति विशेष को प्रभावशाली मानते है और प्रभावी जाति मानने का उनका आधार क्या है ? अधिकांश उत्तरदाताओं ने यही बताया कि उच्च जातीय प्रास्थिति प्रभाव का आधार नहीं है । अन्य सभी कारणों से तुलना करने पर पता चलता है कि केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने किसी जाति को उसकी उच्च प्रस्थिति के आधार पर उसे प्रभावी बताया है । इस लिये आधुनिक भारत में जाति स्तर प्रभाव का कारण नहीं बन सकता ।

राजनीतिक सहभागिता :

अब यहां राजनीतिक क्रियाकलापों के बीच सम्बंध का अध्ययन किया गया है । राजनीतिक सहभागिता को चार भागों में विभाजित किया जायेगा ।

1. मतदान
2. आन्दोलन
3. सहयोगात्मक क्रियाकलाप एवं
4. जनकल्याण के लिये राजनैतिक नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क ।

भाग लेने वाले अध्येताओं ने ऐसा पाया है कि हर प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां, यद्यपि वे आपस में अन्तर्सम्बन्धित होती है लेकिन अन्तर्परिवर्तनीय नहीं होती है । इसलिये विभिन्न प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में एक विशिष्टता की

आवश्यकता होती है और यह विशिष्टता क्रियाकलापों में अन्तर्निहित जातियों के आधार तथा विभिन्न कार्यो में लगे हुये लोगो की संख्या पर आधारित होती है । दोनो मापदण्ड़ एक–दूसरे से बहुत ही सम्बन्धित होते है । जब कोई कार्य बहुत कठिन होगा तो उसमें लगे हुये लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है । **लेस्टर मिलब्रेथ** ने तर्क प्रस्तुत किया है, "सहभागिता का राजनैतिक संस्तरण राजनैतिक कार्यो के मूल पर निर्भर करता है "[10] उनके अनुसार मतदान करना, राजनीतिक चर्चा करना तथा पार्टी का बिल्ला लगाना यह बहुत ही आसान कार्य है । इन कार्यो को करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है । वह उनको दर्शक गतिविधियों की संज्ञा देता है राजनैतिक गोष्ठी में भाग लेना, आर्थिक सहयोग देना आदि दर्शक गतिविधियों की अपेक्षा और कठिन कार्य है और इन कार्यो को करने वालों की संख्या भी कम होती है। ये कार्य क्रान्तिकारी कार्य कहलाते है । संस्तरण के शिखर पर तलवारियां कार्य होते है, जैसे – आन्दोलन करना, राजनीतिक कोष का समृद्ध करना, नेतृत्व की स्थिति को बनाये रखना इत्यादि, जो कि बहुत ही कठिन है और इसमें बहुत ही कम लोग भाग लेते है ।

बली तथा **नी** इन चारों सहभागिताओं मे भी विशिष्टता कायम करते हैं –मतदान करना, सहयोग तथा सम्पर्क सम्बंधी क्रिया कलाप इस आधार पर निश्चित होते है कि क्रियाकलाप नागरिकों के विभिन्न प्रकार के राजनैतिक परिणामों को प्रदान करते हैं ।[11] सहभागिता के विभिन्न तरीके हो सकते है । इनमें पुरस्कार तथा सन्तोष को विशेष महत्व दिया जा सकता है । इन पुरस्कारों के माध्यम से कुछ ऐसे भी परिणाम प्राप्त हो सकते है जो किसी व्यक्ति विशेष को या पूरे समाज को प्रभावित कर सकते है ये व्यक्ति की क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकते है जहां एक–दूसरे के साथ सहभागी क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकते है । जहां एक–दूसरे के साथ सहभागी होता है और वहीं प्राप्त परिणामों पर बहुत मामूली प्रभाव रखता हैं । जनकल्याण से सम्बन्धित सम्पर्को में सहभागी होने वाला स्वयं सम्पर्क की विषयवस्तु को निश्चित करता है, वह या तो अकेले काम करता है या एक दो लोगों के साथ

---

[10] लेस्टर डब्ल्यू मिलब्रेथ – पोलिटिकल पार्टीसिपेशन शिकागो, रैन्ड एम सी–नैली, 1965, पेज – 1722

[11] सिडनी वर्बा एण्ड नार्मन नई एण्ड़ निकैण्ड, जाईकिम– दा मोडस आफ डेमोक्रेट पार्टिसिपेशन : एक्रास नेशनल कम्प्रेटिव पोलिटिक्स सर्विसेज, नं0 10–13, बावर्ली हिल्स 1971, सेज पब्लिकेशन्स चेप्टर – 1

काम करता है । परिणाम का और विशिष्टीकरण होता है और वह व्यक्ति इसके बाद भी सहभागी हो सकता है । सहभागिता के चार विशिष्ट तरीके हैं ।[12]

इस प्रकार की विशिष्टता इस अध्ययन के लिये प्रमुख है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हमारा उद्देश्य जाति–संस्तरण के आधार पर राजनैतिक क्रिया–कलापों के विभाजन का अध्ययन करता है । सहभागिता के तरीकों की विशिष्टता हमकों न केवल जाति–वितरण की जांच के योग्य बनाती है, प्रत्युत सहभागिता के प्रभाव की जांच के योग्य भी बनाती है । ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रकार की राजनैतिक गतिविधि दूसरे प्रकार की गतिविधियों की अपेक्षा किसी जाति विशेष से सम्बन्ध रखती हो और इसी बात से सम्बन्धित यह भी तथ्य है कि सहभागिता के आधार पर हर जाति एक समान नही हो सकती । निम्न जातियों के पास सहभागिता के सारे माध्यमों का उपयोग करने का साधन नहीं हो सकता है, फलस्वरूप कुछ खास प्रकार की सहभागिता के लाभों से लोग वंचित रह सकते हैं या उनके सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की सहभागिता पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ सकता है। उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति को अपनी निम्न प्रस्थिति के कारण अपनी समस्या के समाधान के लिए नेताओं और प्रशासकों से सम्पर्क करना मुश्किल पड़ सकता है । विशिष्ट लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की क्रिया तथा मतदान करने की क्रिया में जो भेद है वही भेद निम्न एवं उच्च जातियों में हो सकता है । इसलिये इस विश्लेषण का सम्बन्ध राजनैतिक क्रिया–कलापों के प्रकार एवं गति दोनो से है।

मतदान :

मतदान सहभागिता का प्रारम्भिक रूप है तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार प्राप्त है । इसके अन्तर्गत जनता अपनी पसन्द का अपना शासक चुन सकती है और यह एक ऐसी विधि है जिसमें शासक को जनता से भिन्न करना पड़ता है[13] । लेकिन मतदान सहभागिता का अवसर एक निश्चित अन्तराल के बाद प्रदान करता है । यह अपेक्षाकृत बहुत आसान है । प्रस्तुत विकल्पों मे से किसी एक को

---

[12] सिडनी वर्बा एण्ड नार्मन नई एण्ड़ निकैण्ड, जाईकिम– दा मोडस आफ डेमोक्रेट पार्टिसिपेशन : एकास नेशनल कम्प्रेटिव पोलिटिक्स सर्विसेज, नं0 10–13, बावर्ली हिल्स 1971, सेज पब्लिकेशन्स चेप्टर – 1

चुनने के लिये व्यक्ति के पास बहुत ही मामूली अधिकार होता है और उसका मूल परिणाम एक निजी प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अपने विकल्प कितने अन्य लोग चुनते हैं ।

सहभागिता के अधिकांश अध्ययनों से यही पता चलता है कि मतदान सहभागिता का बिल्कुल प्रारम्भिक स्वरूप है और वे लोग जो सिर्फ मतदान करते हैं उनकों सहभागिता के रूप में बहुत महत्व नहीं दिया जाता । **विमर्थ** ने इसको सहभागिता संस्तरण में निम्न स्तर पर रखा है किन्तु यह अपेक्षाकृत सरल कार्य है और मतदान करनें में किसी राजनैतिक कार्य की अपेक्षाकृत अधिक लोग इसमें सहभागी होते हैं । इसलिए मतदान की प्रक्रिया को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए [14] । वे व्यक्ति जिनकों समाज में बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त है और जो जाति–संस्तरण में बहुत ही निम्न स्तर पर हैं उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर जितना ही निम्न होता है उसके लिये मतदान का महत्व उतना ही अधिक होता है

इसका एक इतिहास है कि तमाम समाजों में जहाँ कि उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, निम्न जाति के लोग बराबर इसके लिए संघर्ष कर रहे है। कि उनको भी मतदान का पूरा–पूरा अधिकार मिलना चाहिये ताकि वे भी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकें । भारत में इसका उदाहरण है कि निम्न जाति के लोग अपना प्रभाव जमाने में तथा शक्ति को प्राप्त करने में अपने मतदान की शक्ति के बल पर सफल हुए हैं[15] । सामूहिक एवं राजनैतिक संस्थाओं में उच्च जाति के लोग अपने मतदान के बल पर कई बार सफल हुए हैं चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते समय राजनैतिक पार्टियां प्रायः उसी व्यक्ति को चुनती हैं जिस जाति के लोगों का उस क्षेत्र में बाहुल्य होता है । इस मतदान के अधिकार ने बहुत ही निम्न–स्तरीय जातियों को भी उनकी संख्या शक्ति के आधार पर राजनैतिक रूप से शक्तिशाली बनाया है । हम इस तथ्य की तरफ आयेंगे और विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त परिणामों का अध्ययन करेंगे । अब हम जाति–व्यवस्था पर खुले स्पर्धात्मक, राजनैतिक प्रजातान्त्रिक संरचना, विधि और प्रक्रियाओं के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे । यहाँ इसका उल्लेख किया जा सकता है ।

---

[13] सिडनी वर्बा एण्ड बशीर अहमद – रेस, कास्ट एण्ड पोलिटिक्स, ए कम्प्रेटिव स्टडी आफ इन्डिया एण्ड दा यूनाईटेड स्टेटसए बावर्ली हिल्सए सेज पब्लिकेशन्स, 1977 पेज – 96.

[14] लेस्टर डब्ल्यू मिलब्रेथ – पोलिटिकल पार्टीसिपेशन शिकागों रैन्ड मैकनेली, 1965 पेज – 18

[15] बर्नांड कोहिया – चेन्जिंग डिप्रेसड कास्ट इन विलेज इन्डिया बाई मैकिम मैरियोटए यूनीवर्सिटी आफ सिकागो प्रेस, सिकागो, 1955.

कि मतदान द्वारा वास्तविक एवं शक्तिशाली दोनों ओर के मतप्राप्त करने की प्रक्रिया ने निम्न स्तरीय जातिका अधिक शक्ति प्रदान किया हैं। निम्न स्तरीय समूहों के स्वाभिमान को ऊंचा करने में इसके प्रतिकारात्मक मनोवैज्ञानिक मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जाति के आधार पर गुट के सदस्यों में चुनाव में सहभागिता :

सारणी संख्या 5.23 में विभिन्न जातियों के मतदान करने की प्रक्रिया पर दत्त–सामाग्री प्रस्तुत की गयी है । दत्त–सामाग्री बहुत ही आकर्षक है । साहचर्य के माप का मूल्य बहुत ही कम है और वह प्रदर्शित करता है कि उच्च जातीय स्तर और मतदान में सहभागिता का कोई व्यवस्थित एवं मजबूत तरीका नहीं है । स्तरीय जातियों के मध्य कुछ अन्तर अवश्य है, लेकिन वह अन्तर बहुत ही तुच्छ है । विशेषकर जब अन्तर वर्तमान होता है, तब जाति–स्तर के आधार पर उनको नहीं आंका जाता । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के उतने ही लोग नियमित रूप से मतदान करते है। जितना कि पिछडी एवं अनुसूचित जाति के सदस्य । इसलिये मतदान–स्तर, जाति–स्तर से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है । जिसका उल्लेख निम्न सारणी से स्पष्ट है –

सारणी संख्या – 5.23

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं की सहभागिता

जाति	चुनाव							
	नियमित		कभी–कभी		कभी भी नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	24	8.0	22	7.3	20	6.7	66	22.0
क्षत्रिय	16	5.4	15	5.0	13	4.3	44	14.7
वैश्य	02	0.7	05	1.7	04	1.3	11	3.7
पिछडी जाति	20	6.7	22	7.3	25	8.3	67	22.3
अनु0जाति	24	8.0	21	7.0	19	6.3	64	21.3
मुसलमान	18	6.0	16	5.3	14	4.7	48	16.0
योग	104	34.8	101	33.6	95	31.6	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन करने से तो स्पष्ट होता है कि नियमित रूप से मतदान करने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियो की अपेक्षा पिछडी

तथा अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता अधिक सजग एवं जागरूक है, तथापि संस्तरणात्मक तौर पर हम कह सकते है कि नियमित मतदान करने की प्रक्रिया में पिछडी जाति के उत्तरदाता (22.3 प्रतिशत) प्रथम स्तरीय हैं, ब्राह्मण जाति के उत्तरदाताओं(22 प्रतिशत) को द्वितीय स्तर प्राप्त है जब कि अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं (21.3 प्रतिशत) को तृतीय स्तर एवं मुसिलम जाति के उत्तरदाताओं(16 प्रतिशत) को चतुर्थ स्तर प्राप्त है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

शिक्षा के आधारपर गुट के सदस्यों में सहभागिता :

सारणी संख्या 5.24 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि नियमित रूप से मतदान करने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में इण्टर (12.3प्रतिशत) तथा स्नातक (6प्रतिशत) शैक्षिक स्तरीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से कम (31.7 प्रतिशत) तथा साक्षर (22.7प्रतिशत) स्तरीय उत्तरदाता अधिक चैतन्य है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.24

शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं की सहभागिता

शिक्षा	चुनाव							
	नियमित		कभी–कभी		कभी भी नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निरंक्षर	24	8.0	22	7.3	20	6.7	66	22.0
साक्षर	25	8.4	22	7.3	21	7.0	68	22.7
हाई. से कम	33	11.0	32	10.7	30	10.0	95	31.7
इण्टर	16	5.3	11	3.6	10	3.4	37	12.3
स्नातक	07	2.3	06	2.0	05	1.7	18	6.0
स्ना.से ऊपर	04	1.3	07	2.3	05	1.7	16	5.3
योग	109	36.3	100	33.2	91	30.5	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों की सहभागिता

सारणी संख्या 5.25 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि नियमित रूप से मतदान करने के सन्दर्भ में 48–57 एवं इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं

की तुलना में 38–47 वर्षायु के उत्तरदाता अधिक चैतन्य एवं जागरूक है । जो काई–वर्ग के परिकलन से पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.25

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं की सहभागिता

आयु	चुनाव							
	नियमित		कभी–कभी		कभी भी नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
18–27	10	3.4	09	3.0	07	2.3	26	8.7
28–37	28	9.3	32	10.6	25	8.4	85	28.3
38–47	50	16.7	45	15.0	40	13.3	135	45.0
47–57	15	5.0	12	4.0	10	3.3	37	12.3
58 से ऊपर	07	2.4	06	2.0	04	1.3	17	5.7
योग	110	36.8	104	34.6	86	28.6	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियाँ :

आन्दोलन में सहभागिता को अपेक्षाकृत एक अत्यन्त कठिन कार्य समझा जाता है । इसके लिये अधिक समय, प्रयास एवं क्षमता की आवश्यकता होती है इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति उच्चस्तरीय रूचि को प्रदर्शित करते हैं तथा मतदान की अपेक्षा आन्दोलन में कम लोग भाग लेते है । इसलिये राजनीतिक सहभागिता–संस्तरण में आन्दोलन को अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्रदान किया गया है ।[16]

जाति के आधार पर गुट के सदस्यों की आन्दोलन में सहभागिता :

जाति के स्तर पर सारणी संख्या 5.26 में विभिन्न स्तर की जातियों के आन्दोलन कार्यो के स्तर का आँकड़ा प्रस्तुत किया गया है । सामान्यतः एक सामान्य प्राक्कल्पना यह है कि अपेक्षाकृत बहुत ही कम लोग इन कार्यो में भाग लेते हैं जो कि आन्दोलन में भाग लेना पसन्द नहीं करते है। सारणी संख्या 5.26 से ऐसा पता चलता है कि पिछड़ी जाति के लोग ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति एवं अनुसूचित जाति की अपेक्षा

[16] लेस्टर डब्ल्यू मिलब्रेथ – पोलिटिकल पार्टीसिपेशन शिकागों रैन्ड मैकनेली, 1965 पेज – 18

आन्दोलन में भाग लेना प्रायः अधिक पसन्द करते है। फिर भी जातियों के मध्य का यह अन्तर बहुत अधिक नहीं है बल्कि जातीय स्तर और क्रियाशीलता के स्तर के बीच सम्बन्ध संगठन के माप से प्रदर्शित होता है जैसा कि सारणी संख्या 5.26 में अन्तर्विष्ट दत्तों से एवं काई–वर्ग की गणना से पूर्णतया स्पष्ट है।

सारणी संख्या – 5.26

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं की आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियां

जाति	गतिविधि का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
ब्राह्मण	32	10.6	20	6.7	08	2.7	06	2.0	66	22.0
क्षत्रिय	28	9.3	08	2.7	05	1.7	03	1.0	44	14.7
वैश्य	04	1.3	03	1.0	02	0.7	02	0.7	11	3.7
पिछडी जाति	32	10.6	24	8.0	05	1.7	06	2.0	67	22.3
अनुसूचित जाति	40	13.3	15	5.0	05	1.7	04	1.3	64	21.3
मुसलमान	20	6.7	19	6.3	05	1.7	04	1.3	48	16.0
योग	156	51.8	89	29.7	30	10.0	25	8.3	300	100.0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

शिक्षा के आधार पर गुट के सदस्यों की आन्दोलन में सहभागिता :

उत्तरदाताओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधि को निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.27

शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं की आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियां

शिक्षा	गतिविधि का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरंक्षर	40	13.3	20	6.7	04	1.3	02	0.7	66	22.0
साक्षर	40	13.3	20	6.7	06	2.0	02	0.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	50	16.7	30	10.0	12	4.0	03	1.0	95	31.7
इण्टर	20	6.6	10	3.3	05	1.7	02	0.7	37	12.3
स्नातक	10	3.3	05	1.7	02	0.7	01	0.3	18	6.0
स्नातक से ऊपर	09	3.0	04	1.3	02	0.7	01	0.3	16	5.3
योग	169	56.2	89	29.7	31	10.4	11	3.7	300	100.0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

सारणी संख्या 5.27 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से स्पष्ट होता है कि इण्टर (12.3प्रतिशत) तथा स्नातक(6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से कम (31.7 प्रतिशत) तथा साक्षर(22.7प्रतिशत) उत्तरदाता आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियों में अधिक सक्रिय होते हैं । जिसे काई–वर्ग के मूल्यांकन से पूर्णतया स्पष्ट किया गया है।

आयु के आधार पर गुट के सदस्यों में आन्दोलन की सहभागिता :

सारणी संख्या 5.28 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि 48–57 एवं इससे ऊपर आयु समूह के उत्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु के उत्तरदाता आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते है । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.28

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं की आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियां

आयु	गतिविधि का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
18–27	11	3.7	09	3.0	04	1.3	02	0.7	26	8.7
28–37	35	11.7	25	8.3	20	6.7	05	1.6	85	28.3
38–47	60	20.0	40	13.3	30	10.0	05	1.7	135	45.0
48–57	20	6.7	10	3.3	05	1.6	02	0.7	37	12.3
58 से ऊपर	11	3.7	03	1.0	02	0.7	01	0.3	17	5.7
योग	137	45.8	87	28.9	61	20.3	15	5.0	300	100.0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

सहयोगात्मक क्रियायें :

इस क्रिया का सम्बन्ध उस क्रिया से है जिससे व्यक्ति या तो अन्य लोगों के साथ कार्य करता है अथवा किसी औपचारिक समूह या अनौपचारिक संगठन के साथ कार्य करता है । किसी समुदाय या समूह की समस्या को हल करने के लिये यह

क्रिया आवश्यक है और यह मतदान तथा आन्दोलन दोनों से अधिक कठिन है क्योंकि इसके लिये व्यक्ति के पास बहुत समय, लगन तथा रूचि होनी चाहिए ।

संगठनात्मक क्रिया–कलाप का सम्बन्ध प्रायः विशिष्ट क्रियाओं से होता है । सामान्यतया इसका सम्बन्ध व्यक्ति विशेष या समूह विशेष से होता है । निम्न जातियों के लिये यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है और यह सरकार को प्रभावित करने के लिए प्रभावशाली तरीका हो सकता है ।

जाति एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया :

यदि हम सारणी संख्या 5.29 पर दृष्टिपात करें जिसमें कि सहयोगात्मक गति विधियों का आँकड़ा प्रस्तुत किया गया है तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की अपेक्षा पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के लोग संगठनात्मक क्रिया–कलापों में अधिक भाग लेते हैं । संगठनात्मक प्रक्रिया में पिछडी एवं जाति के लोग अधिक सजग है । जिसे काई–वर्ग के मूल्यांकन से स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या – 5.29

जाति के आधार पर सहयोगात्मक प्रक्रिया

जाति	सहयोगात्मक प्रक्रिया का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति.	आ.	प्रति.
ब्राह्मण	29	9.7	18	6.0	15	5.0	04	1.3	66	22.0
क्षत्रिय	35	11.7	04	1.4	03	1.0	02	0.6	44	14.7
वैश्य	04	1.4	02	0.7	03	1.0	02	0.6	11	3.7
पिछडी जाति	48	16.0	06	2.0	07	2.3	06	2.0	67	22.3
अनुसूचित जाति	45	15.0	10	3.3	06	2.0	03	1.0	64	21.3
मुसलमान	28	9.3	09	3.0	05	1.7	06	2.0	48	16.0
योग	189	63.1	44	16.4	39	13.0	23	7.5	30 0	100. 0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

शिक्षा एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया :

अग्रांकित सारणी संख्या 5.30 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से यह स्पष्ट होता है कि इण्टर(12.3 प्रतिशत) तथा स्नातक (6प्रतिशत) शैक्षिक स्तरीय उत्तरदाताओं की

अपेक्षा हाईस्कूल से कम (31.7 प्रतिशत) तथा साक्षर (22.7 प्रतिशत) उत्तरदाता संगठनात्मक क्रिया–कलापों में भाग लेने में अधिक सक्रिय है । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.30

शिक्षा के आधार पर सहयोगात्मक प्रक्रिया

शिक्षा	सहयोगात्मक प्रक्रिया का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0
निरंक्षर	20	6.7	18	6.0	15	5.0	13	4.3	66	22.0
साक्षर	29	9.7	22	7.3	09	3.0	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	48	16.0	26	8.7	11	3.7	10	3.3	95	31.7
इण्टर	15	5.0	13	4.3	05	1.7	04	1.3	37	12.3
स्नातक	06	2.0	06	2.0	03	1.0	03	1.0	18	6.0
स्नातक से ऊपर	05	1.7	04	1.3	04	1.3	03	1.0	16	5.3
योग	123	41.1	89	29.6	47	15.7	41	13.6	300	100.0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

आयु एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया :

सारणी संख्या 5.31 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से यह स्पष्ट होता है कि 48–57 एवं इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु के उत्तरदाता संगठनात्मक क्रिया–कलापों में अधिक भाग लेते है । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.31

आयु के आधार पर सहयोगात्मक प्रक्रिया

आयु	सहयोगात्मक प्रक्रिया का स्तर									
	अत्यधिक सक्रिय		सामान्य सक्रिय		बहुत कम सक्रिय		कभी नहीं		योग	
	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति0	आ0	प्रति.	आ.	प्रति.
18–27	10	3.4	07	2.3	05	1.7	04	1.3	26	8.7
28–37	25	8.3	22	7.3	20	6.6	18	6.0	85	28.3
38–47	35	11.7	34	11.3	40	13.3	26	8.7	135	45.0
48–57	10	3.3	10	3.3	09	3.0	08	2.7	37	12.3
58 से ऊपर	05	1.7	05	1.7	04	1.4	03	1.0	17	5.7
योग	85	28.4	78	25.9	78	26.0	59	19.7	300	100.0

संकेत–आ0–आवृत्ति, प्रति0.प्रतिशत (.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नही)

नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क :

इस क्रियाशीलता का अर्थ है कि किसी विशेष समस्या के समाधान के लिये अधिकारियों या चुने हुए नेताओं से सम्पर्क करना । व्यक्तिगत सम्पर्क बनाना या अपने और सरकारी अधिकारियों के मध्य एक मध्यस्थ का होना प्रायः बहुत ही आवश्यक समझा जाता है । यदि व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी से किसी समस्या का समाधान ढूँढना है, तो उसे एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है या किसी अन्य को अवश्य मध्यस्थ रखने की चेष्टा की जाती है । अन्य समूहों की अपेक्षा निम्नस्तरीय समूहों की समस्यायें बहुत अधिक होती है सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना इनके लिए एक अत्यन्त कठिन कार्य है । अतः सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये इन्हें एक मध्यस्थ की महती आवश्यकता होती है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के आँकडे यह भी प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्यायें अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्यायें होती हैं और इन समस्याओं के सन्दर्भ में पिछडी तथा अनुसूचित जातियां विशेष रूप से प्रभावित है । इसी लिये पिछडी तथा अनुसूचित जाति के लोगों को सम्पर्क की सबसे अधिक आवश्यकता होती है । परन्तु हीनता की भावना से आहत पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्य उच्च सरण्कारी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम नहीं होते । परिणामतः इन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उन्हें प्रभुत्व प्राप्त जाति के अभिजात सदस्यों को मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता होती है । ये मध्यस्थ ही उनके सही प्रतिनिधि होते हैं।[17]

जाति के आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता :

सारणी संख्या 3.32 में जाति के आधार पर उत्तरदाताओं की नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है । प्राप्त तथ्यगत सामाग्री से स्पष्ट होता है कि प्रायः प्रत्येक जाति में ऐसे लोग है जिन्होनें सरकारी अधिकारियों एवं विशिष्टजनों से कभी सम्पर्क ही स्थापित नहीं किया है । वस्तुतः सम्पर्क स्थापित करने

---

[17] सिडनी वर्बा एण्ड बशीर अहमद एण्ड अनिल भट्ट – रेस, कास्ट एण्ड पोलिटिक्स, ए कम्प्रेटिव स्टडी आफ इन्डिया एण्ड दा यूनाईटेड स्टेटस ए बावर्ली हिल्स ए सेज पब्लिकेशन्स, 1977 पेज – 126–137.

के सन्दर्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं पिछडी जाति तथा अनुसूचित जातियों में बहुत अधिक अन्तर नहीं है । सम्पर्क करने के सन्दर्भ में सबसे अधिक वंचित जाती अनुसूचित जाती ही है इस प्रकार काई–वर्ग के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि जातिगत आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है ।

सारणी संख्या – 5.32

जाति के आधार पर सरकारी तथा विशिष्टजनों के साथ नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क

जाति	सम्पर्क					
	किसी विशिष्ट व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया		विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया ।		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	30	10.0	36	12.0	66	22.0
क्षत्रिय	22	7.3	22	7.4	44	14.7
वैश्य	06	2.0	05	1.7	11	3.7
पिछड़ी जाति	34	11.3	33	11.0	67	22.3
अनुसूचित जाति	35	11.7	29	9.6	64	21.3
मुसलमान	24	8.0	24	8.0	48	16.0
योग	151	50.3	149	49.7	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

शिक्षा के आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता :

शिक्षा के आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.33

शिक्षा के आधार पर सरकारी तथा विशिष्टजनों के साथ नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क

शिक्षा	सम्पर्क					
	किसी विशिष्ट व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया		विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया ।		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रति0
निरंक्षर	33	11.0	33	11.0	66	22.0
साक्षर	30	10.0	38	12.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	45	15.0	50	16.7	95	31.7
इण्टर	19	6.3	18	6.0	37	12.3
स्नातक	10	3.3	08	2.7	18	6.0
स्नातक से ऊपर	09	3.0	07	2.3	16	5.0
योग	146	48.6	154	51.4	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.33 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता हैं कि इण्टर तथा स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तरीय उत्तरदाताओं में नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता अधिक हैं । तथापि काई–वर्ग के मूल्यांकन से स्पष्ट होता हैं कि शैक्षिक आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नही हैं ।

आयु के आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता :

सारणी संख्या 5.34 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता हैं कि 48–57 तथा इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की तुलना में 38–47 वर्षायु वाले उत्तरदाता नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क करने की क्षमता अधिक रखते हैं । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता हैं कि आयु के आधार पर नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नही हैं ।

सारणी संख्या – 5.34

आयु के आधार पर सरकारी तथा विशिष्टजनों के साथ नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क

आयु	सम्पर्क					
	किसी विशिष्ट व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया		विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया ।		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
18–27	12	4.0	14	4.7	26	8.7
28–37	44	14.7	41	13.6	85	28.3
38–47	70	23.3	65	21.7	135	45.0
48–57	19	6.3	18	6.0	37	12.3
58 से ऊपर	09	3.0	08	2.7	17	5.7
योग	154	51.3	146	48.7	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

विशिष्ट जनों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता :

जाति के आधार पर– सारणी संख्या 5.35 में विशिष्टजनों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यक योग्यता पर दत्त सामाग्री प्रस्तुत की गयी हैं । यह सारणी

यह प्रदर्शित करती हैं कि प्रत्येक जाति के अधिकांश 56.5 प्रतिशत सदस्य स्थानीय विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान समझते हैं, जबकि जनपद स्तर के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करना इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता हैं । काई–वर्ग के मूल्यों से स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.35

जाति के आधार पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

जाति	विशिष्टजनों से प्रत्यक्ष सम्पर्क					
	स्थानीय विशिष्टजन		जनपदीय विशिष्टजन		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	40	13.3	26	8.7	66	22.0
क्षत्रिय	30	10.0	14	4.7	44	14.7
वैश्य	03	1.0	08	2.7	11	3.7
पिछड़ी जाति	22	7.3	45	15.0	67	22.3
अनुसूचित जाति	50	16.6	14	4.7	64	21.3
मुसलमान	25	8.3	23	7.7	48	16.0
योग	170	56.5	130	43.5	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

शिक्षा के आधार पर – सारणी संख्या 5.36 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री से स्पष्ट होता हैं कि इण्टर एवं स्नातक उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम तथा साक्षर उत्तरदाता जनपदीय तथा स्थानीय विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में अधिक आगे हैं। काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.36

शैक्षिक स्तर पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

शिक्षा	विशिष्टजनों से प्रत्यक्ष सम्पर्क					
	स्थानीय विशिष्टजन		जनपदीय विशिष्टजन		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निरंक्षर	36	12.0	30	10.0	66	22.0
साक्षर	50	16.7	18	6.0	68	22.7
हाईस्कूल से कम	20	6.7	75	25.0	95	31.7
इण्टर	17	5.6	20	6.7	37	12.3
स्नातक	08	2.7	10	3.3	18	6.0
स्नातक से ऊपर	09	3.0	07	2.3	16	5.3
योग	140	46.7	160	53.7	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

आयु के आधार पर – सारणी संख्या 5.37 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के साख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हैं कि 48–57 तथा इससे ऊपर वर्षायु वाले समूह के उत्तरदाताओं की तुलना में 38–47 वर्षायु वाले उत्तरदाता स्थानीय तथा जनपदीय स्तर के विशिश्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत आगे हैं। काई वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.37

आयु के आधार पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

आयु	विशिष्टनो से सम्पर्क					
	स्थानीय विशिष्टजन		जनपदीय विशिष्टजन		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
18–27	15	5.0	11	3.7	26	8.7
28–37	50	16.7	35	11.6	85	28.3
38–47	75	25.0	60	20.0	135	45.0
48–57	20	6.6	17	5.7	37	12.3
58 से ऊपर	10	3.3	07	2.4	17	5.7
योग	170	56.6	130	43.4	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की आवश्यकता :

जाति स्तर पर –मध्यस्थों की आवश्यकता को निम्न सारणी में स्पष्ट किया गया है –

सारणी संख्या 5.38

जाति स्तर पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की आवश्यकता

जाति	मध्यस्थ की आवश्यकता की आवृत्ति					
	आवश्यक समझते हैं		आवश्यक नहीं समझते		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्राह्मण	36	12.0	30	10.0	66	22.0
क्षत्रिय	22	7.3	22	7.4	44	14.7
वैश्य	06	2.0	05	1.7	11	3.7
पिछड़ी जाति	33	11.0	34	11.3	67	22.3
अनुसूचित जाति	29	9.6	35	11.7	64	21.3
मुसलमान	24	8.0	24	8.0	48	16.0
योग	150	49.9	150	50.1	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

सारणी संख्या 5.38 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकी विश्लेषण से स्पष्ट होता हैं कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की तुलना में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के अधिकांश सदस्यों ने यह स्वीकार किया हैं कि स्थानीय तथा जनपदीय स्तर के विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में उनकों मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है । काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

शैक्षिक स्तर पर – सारणी संख्या 5.39 में समाविष्ट दत्त सामाग्री का प्रेक्षण करने से ज्ञात होता हैं कि इण्टर तथा स्नातक शैक्षिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुए उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तरीय उत्तरदाता विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की आवश्यकता स्वीकार करते हैं । काई वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या – 5.39

शैक्षिक स्तरों पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की आवश्यकता

शिक्षा	मध्यस्थ की आवश्यकता की आवृत्ति					
	आवश्यक समझते हैं		आवश्यक नहीं समझते		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निरंक्षर	33	11.0	33	11.0	66	22.0
साक्षर	38	12.7	30	10.0	68	22.7
हाईस्कूल से कम	50	16.7	45	15.0	95	31.7
इण्टर	18	6.0	19	6.3	37	12.3
स्नातक	08	2.7	10	3.3	18	6.0
स्नातक से ऊपर	07	2.3	09	3.0	16	5.0
योग	154	51.4	146	48.6	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

आयु स्तर पर – सारणी संख्या 5.40 में प्रस्तुत की गयी दत्त सामाग्री के परिणामों से यह विदित होता है कि 38–47 वर्षायु समूह के श्रेणियो में आने वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा 48–57 तथा इससे ऊपर वर्षायु समूह की श्रेणी मे आने वाले उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया हैं कि विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में उन्हें मध्यस्थो की महती आवश्यकता पड़ती हैं । काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट हैं ।

सारणी संख्या 5.40

आयु स्तर पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापितकरने में मध्यस्थों की आवश्यकता

आयु	मध्यस्थ की आवश्यकता की आवृत्ति					
	आवश्यक समझते हैं		आवश्यक नहीं समझते		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
18–27	14	4.7	12	4.0	26	8.7
28–37	41	13.6	44	14.7	85	28.3
38–47	65	21.7	70	23.3	135	45.0
48–57	18	6.0	19	6.3	37	12.3
58 से ऊपर	08	2.7	09	3.0	17	5.7
योग	146	28.7	154	51.3	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

गुट सदस्यों में सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता :

जातीय स्तर पर – गुट के सदस्यों में सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता जनपदीय स्तर के विशिष्ट एवं स्थानीय विशिष्ट लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.41

जातीय स्तर पर आवश्यकता पडने पर आसानी से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

जाति	सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता							
	नही पाते हैं		आसानी से नहीं पाते हैं		आसानी से पाते हैं		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रतिशत
ब्राह्मण	12	4.0	20	6.7	34	11.3	66	22.0
क्षत्रिय	17	5.7	10	3.3	17	5.7	44	14.7
वैश्य	02	0.6	04	1.4	05	1.7	11	3.7
पिछडी जाति	11	3.7	18	6.0	38	12.6	67	22.3
अनुसूचित जाति	14	4.7	15	5.0	35	11.6	64	21.3
मुसलमान	12	4.0	18	6.0	18	6.0	48	16.0
योग	68	22.7	85	28.4	147	48.9	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.41 में अन्तर्विष्ट दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जाति के प्रायः आधे से अधिक (48.9 प्रतिशत) उत्तरदाता स्थानीय व जनपदीय स्तर के विशिष्ट लोगो से सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में बहुत आसानी से मध्यस्थ पा लेते हैं । सारणी के दत्त परिणामों से यह भी स्पष्ट होता हैं कि (28.4 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जो इस सन्दर्भ में मध्यस्थ तो पा जाते हैं

किन्तु आसानी से नही, प्रत्युत अनेक कठिनाइयों के पश्चात ही वे मध्यस्थ पाने में सफल होते हैं । इस सन्दर्भ में उन्हें रिश्वत तक देना पड़ता हैं । शेष(22.7 प्रतिशत)उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें मध्यस्थ विल्कुल ही नहीं मिल पाते हैं ।

प्रस्तुत किये गये दत्तों का यदि संस्तरणात्मक विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होता है कि मध्यस्थ आसानी से पाने के सन्दर्भ मे क्षत्रिय एवं ब्राह्मण जातियों के सदस्यों का प्रथम स्थान है, जब कि पिछडी जाति के सदस्यों का द्वितीय स्थान और अनुसूचित जाति के सदस्यों का तृतीय स्थान है ।

शैक्षिक –स्तर पर – सारणी संख्या 5.42 में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि विभिन्न लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में इण्टर(12.3प्रतिशत)तथा स्नातक (6प्रतिशत)शैक्षिक–स्तरीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से कम(31.7प्रतिशत)तथा साक्षर(22.7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को आसानी से मध्यस्थ मिल जाते है। यहां शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट है । काई–वर्ग के मूल्यांकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

सारणी संख्या –5.42

शैक्षिक स्तर पर आवश्यकता पडने पर आसानी से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

शिक्षा	सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता							
	नही पाते हैं		आसानी से नहीं पाते हैं		आसानी से पाते हैं		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रति.
निरंक्षर	20	6.7	15	5.0	31	10.3	66	22.0
साक्षर	18	6.0	24	8.0	26	8.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	12	4.0	38	12.7	45	15.0	95	31.7
इण्टर	08	2.6	09	3.0	30	6.7	37	12.3
स्नातक	04	1.3	06	2.0	08	2.7	18	6.0
स्नातक से ऊपर	03	1.0	03	1.0	10	3.3	16	5.0
योग	65	21.6	95	31.7	140	46.7	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

आयु–स्तर पर – अग्रांकित सारणी संख्या 5.43 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट जनों से सम्पर्क स्थापित करने में 48–57 इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं को मध्यस्थ आसानी से

मिल जाते हैं । यहाँ भी आयु का प्रभाव है जो काई–वर्ग के मूल्यों से पूर्णतया स्पष्ट है।

सारणी संख्या – 5.43

आयु के आधार पर आवश्यकता पडने पर आसानी से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता

आयु	सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता							
	नही पाते हैं		आसानी से नहीं पाते हैं		आसानी से पाते हैं		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ.	प्रति.
18–27	08	2.7	08	2.7	10	3.3	26	8.7
28.–37	20	6.7	30	10.0	35	11.6	85	28.3
38–47	40	13.3	45	15.0	50	16.7	135	45.0
48–57	10	3.3	12	4.0	15	5.0	37	12.3
58 से ऊपर	04	1.3	06	2.0	07	2.4	17	5.7
योग	82	27.3	101	33.7	117	39.0	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

गुट के सदस्यों में विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण :

अनेक लोग सरकारी अधिकारियों या राजनैतिक नेताओं से विभिन्न कारणों से सम्पर्क स्थापित करने में अक्षम रह सकते है । वे सोच सकते है कि सम्पर्क से कोई विशेष लाभ नहीं है । अधिकारी बात का जवाब नहीं देते वे बातों पर ध्यान नहीं देते, वे भ्रष्ट हैं, घूस चाहते है । कुछ लोग परिस्थिति अवरोध का अनुभव कर सकते है कि हम गरीब हैं, अधिकारी बड़े लोग हैं, हम लोगों की बात कौन सुनता है । या कभी–कभी लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है कि किससे सम्पर्क किया जाय । कुछ लोग बहुत ही सुस्त प्रक्रति के होते हैं । तथा कुछ लोगों के पास कोई समस्या ही नहीं होती । उत्तरदाताओं से सम्पर्क न करने के कारणों को पूंछा गया तब उनका उत्तर मुख्य रूप से जाति पर निर्भर था जिसे सारणी संख्या 5.44 में प्रस्तुत किया गया है । प्रश्न बहुत ही खुले थे क्योंकि उत्तरदाताओं के सम्मुख कारणों का एक समूह नहीं प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से कि उनको कुछ उपयुक्त कारणों को चुनना था । इसके परिणामस्वरूप तरह–तरह के उत्तर प्राप्त हुए । प्राप्त उत्तरों के सभी प्रकारों को अर्थपूर्ण ढंग से श्रेणीबद्ध करना बडा मुश्किल है । इसमें त्रुटि की भी अधिक संभावना

है । इसलिये इस विश्लेषण में लक्ष्य बहुत ही सीमित है । हमारा मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि क्या जातिक्रम के आधार पर उत्तर प्राप्त हुये हैं या जाति–अवरोध के आधार पर । जाति अवरोध श्रेणी दो जातियों के मध्य के अन्तर को ही नहीं समेंटती, बल्कि उन उत्तरों से भी सम्बन्ध रखती है जो कि सामान्य व्यक्ति से सम्बद्ध हैं इसमें इस प्रकार के उत्तर आते है, हमारा अस्तित्व क्या हैं, वे बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा, लोग उनसे सम्पर्क स्थापित करने में डरते हैं ।

जाति के आधार पर – सारणी संख्या 5.44 यह प्रदर्शित करती है कि सभी जातियों के अधिकांश (55.5 प्रतिशत) लोग विशिष्ट लोगों पर ही दोषा रोपण करते हैं । वे ऐसा अनुभव करते हैं कि लोग नेताओं एवं विशिष्ट–जनों से इसलिये सम्पर्क नहीं करते हैं कि अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे भ्रष्ट हैं और घूस चाहते हैं । इसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.44

जाति के आधार पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण

जाति	विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण							
	विशिष्टजनों को दोषी मानते हैं		लोग स्वयं ही सम्पर्क नही कर पाते हैं		परिस्थिति या कारणवश		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रतिशत
ब्राह्मण	25	8.4	22	7.3	19	6.3	66	22.0
क्षत्रिय	18	6.0	15	5.0	11	3.7	44	14.7
वैश्य	05	1.7	03	1.0	03	1.0	11	3.7
पिछडी जाति	48	16.0	09	3.0	10	3.3	67	22.3
अनुसूचित जाति	50	16.7	10	3.3	04	1.3	64	21.3
मुसलमान	20	6.7	18	6.0	10	3.3	48	16.0
योग	166	55.5	77	25.6	57	18.9	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण है)

उपरोक्त सारणी में अन्तर्विष्ट दत्त–सामाग्री से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः एक अच्छी (25.6प्रतिशत)संख्या में प्रत्येक जातीय–स्तर के उत्तरदाता सामान्य जन को भी इसके लिये दोषी ठहराते हैं उनका कहना है कि यदि लोग विशिष्ट जनों के यहां नहीं जाते हैं तो यह उनका ही दोष है । हो सकता है कि उनके पास कोई समस्या ही न हो या वे बहुत आलसी हैं इत्यादि । बहुत कम (18.9 प्रतिशत) लोगों ने प्रस्थिति अवरोध को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य उच्च जातियों

की तुलना में पिछडी एवं अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग 'प्रस्थिति अवरोध' के कारण सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाये इसके लिये वे दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं । परन्तु दत्त–सामाग्री का संकलन करते समय अनुसन्धाता इस निर्णय पर पहुंचा है कि पिछडी तथा अनुसूचित जाति के लोग अपने निम्न स्तर के कारण ही सम्पर्क लाभ से वंचित रह जाते हैं । उल्लेखनीय है कि अनुसूचित एवं पिछडी जाति के लोग अपेक्षाकृत सम्पर्क स्थापित करने की अधिक आवश्यकता महसूस करते हैं । लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि विशिष्टजनों से सम्पर्क करते है या सम्पर्क करने का साहस कर पाते हैं । वे लोग जो कि मध्यस्थ की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस करते हैं, मध्यस्थ खोजने में निम्नस्तरीय जाति स्तर के कारण अपने को असमर्थ पाते हैं । सारणी संख्या 5.41 में पिछडी जाति के 3.7 प्रतिशत उत्तरदाता एवं अनुसूचित जाति के 4.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे जो कि विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित नही कर पाते हैं । काई–वर्ग के मूल्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि जातीय स्तर तथा विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारणों के बीच महत्वपूर्ण साहचर्य पाया गया है ।

शिक्षा के आधार पर – विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारणों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.45

शैक्षिक आधार पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण

शिक्षा	विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण							
	विशिष्टजनों को दोषी मानते हैं		लोग स्वयं ही सम्पर्क नहीं कर पाते हैं		परिस्थिति या कारणवश		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रतिशत
निरक्षर	45	15.0	16	5.3	05	1.7	66	22.0
साक्षर	48	16.0	12	4.0	08	2.7	68	22.7
हाईस्कूल से कम	55	18.3	25	8.4	15	5.0	95	31.7
इण्टर	25	8.4	08	2.6	04	1.3	37	12.3
स्नातक	12	4.0	04	1.4	02	0.6	18	6.0
स्नातक से ऊपर	10	3.3	04	1.4	02	0.6	16	5.0
योग	195	65.0	69	23.1	36	11.9	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.45 में अन्तर्विष्ट दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि प्रायः प्रत्येक शैक्षिक स्तर के अधिकांश उत्तरदाता सम्पर्क स्थापित न करने के कारण के सन्दर्भ में विशिष्टजनों पर ही दोषारोपण करते हैं । उनका मत है कि वे समस्याओं का समाधान नही करते हैं, यदि वे उनकी समस्याओं का समाधान करते भी है तो इस शर्त पर कि उन्हें कुछ मौद्रिक लाभ हो । काई–वर्ग के परिकलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर तथा विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने के मध्य कोई धनात्मक साहचर्य नहीं है ।

आयु के आधार पर–निम्न सारणी में सम्पर्क स्थापित न करने के कारणों को दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 5.46

आयु के आधार पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण

आयु	विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारण							
	विशिष्टजनों को दोषी मानते हैं		लोग स्वयं ही सम्पर्क नहीं कर पातें हैं		परिस्थिति या कारणवश		योग	
	आ0	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आ0	प्रति.
18–27	16	5.4	08	2.7	02	0.6	26	8.7
28.–37	56	18.6	20	6.7	09	3.0	85	28.3
38–47	100	33.3	30	10.0	05	1.7	135	45.0
48–57	20	6.7	10	3.3	07	2.3	37	12.3
58 से ऊपर	12	4.0	03	1.0	02	0.7	17	5.7
योग	204	68.0	71	23.7	25	8.3	300	100.0

(.05 प्रतिशत संभाविता स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं)

उपरोक्त सारणी संख्या 5.46 से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी आयु स्तर के अधिकांश उत्तरदाता सम्पर्क स्थापित न करने के संदर्भ में विशिष्टजनों पर ही दोषारोपण करते हैं । काई–वर्ग के परिकलन से यह बात पूर्णतया स्पष्ट है ।

अध्याय - षष्ठम

ग्रामीण गुट के प्राकार्यान्वयन की क्रियायें

पूर्वगामी अध्याय में गुट एवं राजनीति का अन्तर्सम्बान्धात्मक विश्लेषण एवं राजनीतिक आयामों के मुख्य पक्षों का विवरण स्पष्ट किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण गुट के सदस्यों का समाज के प्रति या ग्रामीण विकास के लिये गुट सदस्यों के द्वारा सहयोगात्मक क्रिया–कलापों का विशद विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रचलित है तथा ग्रामीण समाज में गुट सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । व्यक्तिपरक सदस्यों की श्रेणी में आने वाले एक ओर जहाँ ग्रामीण समाज के सम्वर्द्धन तथा विकास के सन्दर्भ में अनेकों प्रकार के कार्य रहे है । वही दूसरी ओर लोगों की व्यक्तिगत कठिनाइयों एवं दुःखों के निराकरण के सन्दर्भ में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । व्यक्तिपरक विशिष्ट जन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय से सम्बन्धित कार्यो के लिये समर्पित रहें हैं । परन्तु वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में ग्रामीण सामजिक, संरचना में व्यक्तिपरक नेतृत्व का स्थान गुट–नेतृत्व ले रहा है, जो अपने विशिष्ट गुट के सम्वर्द्धन तथा विकास तक ही परिसीमित होता है । ऐसा मानना है कि गुटों की संरचना स्थायी नहीं होती । गुट के सदस्य समय–समय पर अपने स्वार्थो के अनुसार गुट बदलते, रहते है । इस सन्दर्भ में गुटबाजी परिसीमित स्वार्थो को लेकर सहयोगात्मक प्रक्रिया भी है जिससे व्यक्ति और समूह की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है ।[1] परिणामतः जनतान्त्रिक परिवेश के राजनैतिक चेतना से अनेक स्थान एवं पद प्राप्ति के लिये लोग अपने पुरातन गुट को छोड़कर नवीन गुटों से सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं ।

सम्प्रति गुट का नेता अपने हित व स्वार्थ के अनुसार ग्रामीण जनता की मदद करता है, ताकि उसकी सामाजिक शक्ति, प्रस्थिति और नेतृत्व में दृढ़ता बनी रहे । यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले व्यक्तिपरक नेता ग्रामीण जनता की सहायता, मानवतावादी और परार्थवादी मूल्येां के अनुसार करते थे । जबकि अब गुट के नेता जनता की सहायता अनेक गोचर तथा अगोचर परिणामों के आधार पर करतें हैं । गुट नेता अपनी व्यक्तिगत शक्ति, प्रतिष्ठा के आधार पर ग्रामीण जनता की 'सेक्रेड एवं सेक्यूलर' कार्यो

---

[1] धीरेन्द्र मजूमदार –"छोर का एक गाँव", एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1960, पेज– 65 .

में सहायता करते है । इस क्षेत्र में गुट–नेता अपने शक्ति प्रस्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये अपने क्षेत्र के विकास खण्ड व जनपद अधिकारियों से प्रकार्यात्मक सम्बंध स्थापित करते हैं । वे इन प्रभावशाली लोगों का प्रयोग अपने स्वार्थो की सिद्धि, अपने आदमियों की हितों की पैरवी और कभी – कभी सम्पूर्ण गांव के हित में उठाये गये कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सफलता के लिये करते है । इस उद्देश्य से गुट नेता इस बात का प्रयत्न करते है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एवं विकास खण्ड समिति व जिला परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों, सरकारी अधिकारियों एवं उनके कार्यालय के कर्मचारियों, विधान सभा एवं लोक सभा के सदस्यों से घनिष्ट प्रकार्यवादी सम्बंध हो जाये । कुछ गुट नेताओं का उपर्युक्त अधिकारियों से विरोध भी पाया जाता है । इनके विरोध का मुख्य कारण उनके हितों की पूर्ति में बाधा है । प्रायः गुट नेताओं का सम्बधं व विरोध उन्हीं अधिकारियों से होता है जिनके यहां उनकी जरूरते पडा करती है । शीघ्र ही स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों से गुट नेताओं का घनिष्ट सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है ।

इस प्रकार ग्रामीण समाज में गुट की भूमिका अनेक कारणों से निर्णायक होती है। गुट के नेता के पास लोग अपनी आवश्यकतायें व समस्यायें लेकर आते है । प्रतिदिन के जीवन में नेता यह प्रयास करता है कि नेतृत्वाधीन लोगों की उन्नति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर वह लोकप्रिय और अपनी भूमिका में प्रकार्यवादी होगा तथा उसकी शक्ति के स्रोत उसी वंश में दृढ़ होंगे । जनजीवन में उसका स्थान महत्वपूर्ण होगा । लोग इस पर विश्वास करेंगे और चाहेंगे कि हर प्रकार की समस्याओं में नेता उनका साथ दें ।

जनसाधारण की प्रत्याशायें इतनी विविध प्रकार की होती है कि गुट के नेता किसी भी सिद्धान्त का अनुकरण करने में बडी कठिनाई का सामना करता है । जन्म–मरण, बीमारी, विवाह, घरेलू झगड़े, आर्थिक झगड़े, जातीय झगड़ें, मनोरंजन के नियमों का उल्लंघन, पैरवी, सिफारिश आदि अनेक प्रकार के कार्य उसे करने पडते है । वह किसी को निराश नहीं कर सकता । परिणाम यह होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग उसके पास आते है । गुट का नेता अपने हितानुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । प्रस्तुत अध्याय में हम उन सभी प्रकार्यो का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिन्हें गुट के सदस्यों को दैनिक जीवन में करना पडता है ।

गुट के सदस्यों द्वारा निर्बलों एवं पीड़ित व्यक्तियों के लिये कल्याण कार्य :

निर्बल एवं पीड़ित व्यक्ति से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी 'सेक्रेड एण्ड सेक्यूलर' समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ होता है जैसे, किसी बीमारी से ग्रसित होना, किसी जबर्दस्त आदमी से शोषित होना, भुखमरी का शिकार होना, पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा आतंकित किया जाना, विवाह एवं कर्ज की स्थिति में मदद मांगना तथा खेती के साधनों के लिये मदद मांगना आदि ऐसी समस्यायें है जिनका समाधान करने में ग्रामीण व्यक्ति अपने को सक्षम नहीं पाते है । ऐसे पीडित व्यक्ति अपनी समस्याओं के निराकण हेतु गुट के सदस्यों के पास जाते है और आवश्यक सहायता की प्रार्थना करते है । गुट सदस्य यथा संभव अपने गोचर एवं अगोचर अभिप्रायों से ऐसे लोगों की सहायता करते है । इस सन्दर्भ में जब गुट सदस्यों से यह पूंछा गया कि आपने पीडित व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार की है, उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को सारणी संख्या 6.1 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी सख्या – 6.1

निर्बलों एवं पीड़ितों के लिये कल्याण कार्य

कल्याण कार्य के प्रकार	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
आर्थिक सहायता	120	40.0
निजी परिश्रम एवं पैरवी	20	6.7
शिक्षा व्यवस्था	15	5.0
सरकारी सहायता	40	13.3
आवास निर्माण में सहायता	20	6.7
दान के रूप में सहायता	10	3.3
संघर्ष में सहायता	20	6.7
नौकरी या रोजगार दिलवाना	25	8.3
केवल सहानुभूति रखना	30	10.0
योग	300	100.0

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हुआ कि गुट के सदस्यों ने गांवों में पीडित जनता की सहायता के लिये कोई ठोस रचनात्मक कार्य नहीं किया है जिससे भविष्य में

भी पीडित ग्रामीण जनता लाभान्वित हो सके । प्रायः व्यक्तिगत पहुंच के आधार पर गुट के सदस्यो ने पीडित व्यक्ति विशेष की सहायता की है, जिसने उनसे सहायता मांगी है। सारणी संख्या 6.1 में समाविष्ट दत्त सामाग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत ग्रामीण गुट के सदस्यों ने मुख्यतः आर्थिक सहायता प्रदान किया है । गुट के सदस्यों ने सरकारी सहायता प्रदान करने में उनकी आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान किया है। आवश्यकतानुसार से हमारा तात्पर्य लगभग हर प्रकार की मदद से है । आर्थिक मदद के अतिरिक्त बल प्रयोग, पैरवी, मुदकमें या अफसरों के यहां पैरवी, नैतिक साहस दिखाना आदि सम्मिलित किये जा सकते है । 6.7 प्रतिशत गुट सदस्यों ने है अपने निजी परिश्रम एवं पैरवी द्वारा सहायता प्रदान किया है । 6.7 प्रतिशत सदस्यों ने संघर्ष के समय सहायता प्रदान किया है । 8.3 प्रतिशत गुट के सदस्यों ने नौकरी या रोजगार दिलाने में सरकारी मदद या नौकरी दिलवानें की सुअवसरों की पैरवी किया है । 10 प्रतिशत गुट सदस्यों ने ग्रामीण जनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया है । दान के रूप में 3.3 प्रतिशत सहायता प्रदान करने वाले नेताओं का उद्देश्य उन लोगों को दान देने से है जो गांवों में प्रायः भिक्षावृत्ति अपनाते हैं या कुटिया के साधू–सन्त होते हैं ।[2]

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण समाज में ऐसे नेताओं का नितान्त अभाव है जो निःस्वार्थ रूप से सहायता करते है । कभी–कभी गुट नेता अपनी सहायता के पीछे कुछ शर्ते लगा देते हैं, जैसे – उनके गुट की सदस्यता स्वीकार करना, किसी व्यक्ति विशेष से अपना सम्बंध तोड देना, राजनैतिक प्रचार करना, वोट प्राप्त करना, किसी मुकदमें में गवाही करना, उनके यहां कुछ दिनों के लिये श्रमिक के रूप में कार्य करना या उनका हल जोतना, किसी व्यक्ति के घर में सेंध लगाना, किसी का पशु चुरा लेना, किसी की खडी फसल को नष्ट करना आदि । ग्रामीण गुट सदस्य पीडितों की सहायता इस लिये भी करते है कि वे अधिक से अधिक लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें या अधिक लोगों को अपने गुट में मिलाकर रख सकें । जिनका उपयोग चुनाव में वोट प्राप्त करने में किया जा सकें।

[2] रघुराज गुप्ता – डीसिजन मेकर्स इन गुरूधाम विलेज प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्सटीट्यूट , प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, लखनऊ यू0पी0 पेज – 27 .

गुट के सदस्यों की समाज विरोधी तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया :

समाज विरोधी या असामाजिक तत्वों से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या समूहों से हैं जो स्वयं शक्तिशाली होते हैं और साधारण अफवाह उडाने से लेकर बल प्रयोग द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार करना, मारपीट करना, अपमान करना, चोरी करना, सरकारी अफसरों से मिलकर साजिश करना तथा तीव्र परिस्थितियों में हत्या तक कर देना इत्यादि, इनका कार्य होता है । गांवों में पुलिस तथा न्याय की व्यवस्था सतर्क नहीं होती है, थाने दूर–दूर तक होंते है, इसलिये समाज विरोधी लोगों का आतंक ग्रामीण जीवन की एक प्रमुख परिस्थति बन गयी है । ग्रामीण समाज में जहां सीधे–साधे और सरल लोग निवास करते हैं, वहां असामाजिक तत्वों की कमी भी नहीं है । ये ग्रामीण आततायी लोग अपेक्षाकृत अपने से कमजोर लोगों का शोषण करते हैं । सताये जाने वाले व्यक्ति इनका मुकाबला करने में समर्थ नहीं होते है । इसलिये ग्रामीण गुट सदस्यों के यहां मदद की प्रत्याशा में जाते हैं । ग्रामीण समाज में समाजिक न्याय के प्रति गुट नेताओं में जागरूकता है, या नहीं । अतः सामाजिक न्याय के प्रति गुट नेताओं में जागरूकता जानने के लिये उनसे जब प्रश्न पूंछा गया कि आपने दूसरों को पीडित करने वालो के साथ कैसा व्यवहार किया, तब इस सन्दर्भ में उनकी जो प्रतिकिया हुई उसकों सारिणी संख्या 6.2 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी संख्या – 6.2

गुट के सदस्यों की समाज विरोधी तत्वों के प्रति – प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
यथोचित न्याय	100	33.4
घृणा का व्यवहार	10	3.0
कानूनी कार्यवाही	25	8.4
कठोरता का व्यवहार	20	6.7
सामान्य व्यवहार	12	4.0
सामाजिक विरोध	100	33.4
समझाना–बुझाना	13	4.4
कुछ नहीं करते	20	6.7
योग	300	100.0

उपरोक्त सारणी संख्या 6.2 में दिये गये दत्तों से स्पष्ट है कि (33.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समाज विरोधी तत्वों का समाजिक विरोध किया है । इसके अतिरिक्त 8.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिन्होंने समाज विरोधी तत्वों के साथ कानूनी कार्यवाही किया है । 4.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिन्होनें ऐसे तत्वों को समझा–बुझाकर सही रास्ते में लाने का प्रयास किया है । ये ग्रामीण गुटों के शक्तिशाली सदस्य हैं तथा ग्रामीण समाज के विरोधी तत्वों का दमन करने की क्षमता रखते है । इन सदस्यों को न्याय के प्रति जागरूक एवं शक्तिशाली सदस्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है । 33.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज विरोधी तत्वों के साथ यथोचित न्यायात्मक व्यवहार किया है । 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामान्य व्यवहार किया है, यह मानकर कि वे कोई असामाजिक व्यवहार किये ही नहीं है । सारणी में दिये गये दत्तों से यह भी स्पष्ट होता है कि 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज विरोधी तत्वों के प्रति घृणा का व्यवहार किया है । 6.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होने समाज विरोधी तत्वों के साथ कठोरता का व्यवहार किया है । शेष (6.7 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे है जिन्होनें इन समाज विरोधी तत्वों के सन्दर्भ में कुछ भी कार्य नहीं किया है ।

असामाजिक तत्वों का खुलकर विरोध करना सभी ग्रामीण गुट सदस्यों के शक्ति से परे होता है । केवल हर तरह से पुष्ट और शक्तिशाली गुट सदस्य ही विरोध कर सकते हैं या करते हैं । यही कारण है कि अधिकांश ग्रामीण गुट सदस्य असामाजिक तत्वों का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ मिले रहते हैं और समय–समय पर उनकी मदद भी करतें हैं जिससे समय आने पर उनका प्रयोग किया जा सके । अधिकांश सीधे–सीधे ग्रामीण गुट के सदस्य इनसे दूर ही रहना पसन्द करते हैं और इनके किसी पकार के कार्य–कलापों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते ।

सरकारी विभागों में पैरवी करने या कराने का स्वरूप:

आजकल सरकारी विभागों तथा जन–संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात से सभी लोग ऊब चुके हैं । ग्रामीण गुट–सदस्य तथा जनसाधारण सभी लोग इस

व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में है । सभी लोग सरकारी विभागों तथा जन–संस्थाओं में ईमानदारी बरते जाने की जोरदार मांग कर रहे हैं । यह सत्य है कि ग्रामीण गुट सदस्यों में विचलनकारी प्रवृत्ति पायी जाती है जिसके कारण वे सामाजिक मूल्यों, परम्पराओं और कानूनों का उल्लंघन कर अपने स्वार्थो की सिद्धि चाहते हैं, किन्तु इनकी मुख्य विशेषता यह है कि वे दूसरों से अपने हित में ईमानदारी और पक्षपातहीन व्यवहार की प्रत्याशा रखते है । इसके लिये उत्तरदाताओं से प्रश्न पूंछा गया कि 'जब आपका कोई कार्य सरकारी विभागों में पड़ता है तो क्या आप अधिकारियों से सिफारिश द्वारा कार्य करा लेना उचित समझते हैं ? तो उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों को व्यवस्थित रूप से सारणी संख्या 6.3 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या – 6.3

सरकारी विभागों में पैरवी करने या कराने का स्वरूप

स्वरूप	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ, उचित समझता हूँ	225	75.0
नहीं, सामान्य रूप से करा लेना चाहता हूँ	65	21.7
हमारा कोई सरकारी कार्य नहीं पडा है	10	3.3
योग	300	100.0

उपरोक्त प्रतिक्रिया के सन्दर्भ में इन गुट सदस्यों में से अधिकांश 75 प्रतिशत सदस्यों ने यह बताया कि सरकारी विभागों में प्रभावशाली लोगों से पैरवी कराये बिना कोई कार्य सम्भव नहीं होता । इसके विपरीत 21.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो सरकारी विभाग में किसी कार्य के सम्पादन हेतु कोशिश या पैरवी करना पसन्द नहीं करते हैं, बल्कि सामान्य रूप में करना चाहते है । शेष 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने यह बताया कि सरकारी कार्यालयों में उनका कोई कार्य अब तक नहीं पड़ा है। निष्कर्षतः सारणी संख्या 6.3 की आवृत्ति के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी विभागों में कोशिश या पैरवी करके अपना कार्य कराना पसन्द करतें हैं ।

रिश्वत लेन-देन एवं पैरवी करने का माध्यम :

पुनः जब उत्तरदाताओं ये यह पूछा गया कि 'क्या आप सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देकर अपना कार्य या अपने गुट के सदस्यों का कार्य सम्पादन कराना पसन्द करते हैं' ? इस सम्बन्ध में उनकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे निम्नलिखित सारणी संख्या 6.4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या –6.4

रिश्वत लेन–देन एवं पैरवी करने का माध्यम

रिश्वत, पैरवी करने का माध्यम	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ, रिश्वत देने की आवश्यकता है	225	75.0
नहीं, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है	75	25.0
योग	300	100.0

सारणी संख्या 6.4 में समाविष्ट दत्त–सामाग्री के परिणामों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 75 प्रतिशत उत्तरदाता उचित और अनुचित सभी कार्यो के लिये रिश्वत देना उचित समझते हैं । इनका ऐसा मत है कि वर्तमान 'भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र में बिना रिश्वत दिये कोइ कार्य हो ही नहीं सकता ' । जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का क्षेत्र हो अथवा कृषि व्यापार का क्षेत्र, उद्योग–धन्धे का क्षेत्र हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र हो, खान–पान का क्षेत्र हो या आवागमन का, कचेहरी–अदालत का क्षेत्र हो या शिक्षा का ही क्यों न हो, जिस ओर देखिये भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं । आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला है । छोटे से छोटे चपरासी से लेकर बडे से बडे अफसर तक के यहाँ इस रोग के कीटाणु जा पहुँचे हैं । व्यापार और ठेकेदार, अफसर और कहीं–कहीं मन्त्री तक इन अनैतिक कार्यो में संलग्न देखे जाते हैं । कानून की आँखों में, सरकार की आँखें में धूल झोंककर अपनी हवेली खडी करने की जो भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, वह सारे राष्ट्र को पतन की दिशा में तीव्र गति से ढकेल रही है । परिस्थितियों में जकडी आवश्यकताओं से विवश गरीब

जनता इसके कराल पाश में जकडी त्राहि–त्राहि कर रहीं है पर किसी को इसकी पुकार पर ध्यान देने की फुरसत नही । ज्ञातव्य है कि इस श्रेणी में आने वाले सभी उत्तरदाता बहुत समृद्ध लोग ही नहीं हैं। बल्कि गरीब तबके के लोग भी हैं । शेष 25 प्रतिशत उत्तर दाता ऐसे हैं जो कार्य सम्पादन हेतु सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देना आवश्यक नहीं समझते है। दत्त संकलन के दौरान इन उत्तरदाताओं ने अनुसन्धाता को यह बताया कि, 'कर्मचारी तन्त्र की स्थापना इन सामान्यजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये ही की गयी है । अतएव हम उन्हें रिश्वत क्यों दें अर्थात् नहीं देंगे ।' अनुसन्धाता को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उत्तरदाता ईमानदारी के चिन्तन से काफी प्रभावित थे ।

सरकारी कार्यालयों में पैरवी की समस्या और गुट सदस्यों की भूमिका :

सरकारी कार्यालयों में ग्रामीण व्यक्तियों को घूस देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है । यद्यपि वे घूस देना बिल्कुल नही चाहते, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी अड़चने उत्पन्न कर दी जाती है । जिनके कारण वे सरकारी कर्मचारियों की जेब गरम करने के लिए विवश हो जाते हैं । सामान्यतः जब वे किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो उन्हें पूरे दिन लग जाते है और उस दिन वे गृहस्थी का कार्य नही कर पाते हैं । साथ ही, सरकारी विभागों के कार्यालय गांव से दूर होते हैं, जहां पहुँचने के लिये उन्हें वाहन–खर्च देना पड़ता है । जब पूरा दिन कार्यालय में वह व्यतीय करते हैं तो उन्हें दोपहर के भोजन के लिये खर्च करना पड़ता है । इस प्रकार किसी ग्रामीण को सरकारी कार्यालय से सम्बंध स्थापित करने में पर्याप्त समय, श्रम और धन का व्यय करना पड़ता है । सरकारी विभागों में किसी साधारण कार्य के लिये भी अभ्यर्थी को हफ्तों व महीनों निष्प्रयोजन दौड़ना पड़ता है । अक्सर छोटे और बड़े सरकारी कर्मचारी गण साधारण घूस के लिये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे ग्रामीण व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाये कि उसके आने–जाने से ही कार्य नहीं हो सकता है प्रत्युत वह जितने दिन तक उस कार्य के लिये कार्यालय में जायेगा उतना ही उसका समय और निजी खर्च बढता जायेगा ।

अतः उक्त परिस्थितियों में वह घूस देने के लिये बाध्य हो जाता है अथवा विचलनकारी व्यवहार की ओर उन्मुख हो जाता है ।

सरकारी कार्यालय में पैरवी के उदाहरण :

1. अनुसन्धानकर्ता को एक उत्तरदाता ने साक्षात्कार के दौरान सरकारी कार्यालयों में पैरवी का एक ऐसा उदाहरण बताया, जब उसे विकास खण्ड से ऋण लेने में सम्बन्धित कर्मचारी को अनुचित पैसे देने पड़े । उत्तरदाता ने बताया कि जब वह ऋण देने वाले सम्बन्धित कर्मचारी से मिला और शिष्टाचार के नाते उसने उसे नमस्कार किया तो उस कर्मचारी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । जैसे उसके कानो तक उसका नमस्कार ही न पहुँचा हो । फिर जब वह बड़ी विनम्रता से ऋण सम्बन्धी कागजात उसके सामने बढाते हुये उसका ध्यान आकर्षित करना चाहा तो उसने कागज देखते ही कहा, आज तो बडी भीड़ है, 2 बजे के बाद आइये या अच्छा होगा कि आप अगले दिन आवें । कई बार विनम्रता से प्रार्थना करने के बाद भी उसने एक भी न सुनी । अन्ततः उत्तरदाता अपने गावं चला गया । दूसरे दिन पुनः वह उस कार्यालय में आया किन्तु उक्त बाबू ने पूर्ववत वही उत्तर दिया । तीसरे, चौथे, पांचवे, एवं छठे दिन तक इसी प्रकार का उत्तर मिलता रहा । अन्ततोगत्वा एक व्यक्ति ने उत्तरदाता को बताया कि उसका कार्य बिना रिश्वत दिये नहीं हो सकता है अतः लाचार होकर उत्तरदाता को उसके कार्यालय के एक चपरासी के माध्यम से उस बाबू को 50 रूपये रिश्वत के रूप में देने पड़े । परिणाम स्वरूप वह कार्य तत्क्षण सम्पादित हो गया।
2. पैरवी का दूसरा दिलचस्प उदाहरण तहसील में तहसीलदार साहब के कक्ष में घूस लेने का प्रकरण सामने आया । एक उत्तरदाता ने यह बताया कि जब वह तहसीलदार महोदय के कक्ष में प्रवेश करने लगा तो वहां के कर्मचारी ने उसे रोका और वहां पर लगी गांधी जी की एक फोटो की ओर इशारा किया इस फोटो में गाधी जी एक हांथ से आशीर्वाद देते हुये दर्शाये गये थे । नौकर ने कहा, कमरे में घुसकर साहब से मिलने की फीस 10

रूपये है, देखों स्वयं गांधी जी अपने हांथ से 10 रूपये देने का संकेत कर रहें हैं । अन्ततोगत्वा उत्तरदाता को 10 रूपये देने पड़े ।

ग्रामीण जन कल्याण में गुट के सदस्यों की भूमिका :

ग्रामीण सामाजिक सरंचना में गुट के सदस्य अपनी लोकप्रियता तथा अपने गुट का स्वामित्व बनायें रखने के लिये अपने क्षेत्र में अनेकानेक 'सेक्रेड एवं सेक्युलर' कार्य सम्पादित करते हैं । यद्यपि ग्रामीण गुट सदस्यों में रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर कोई विशेष झुकाव जान नहीं पड़ता है । तथापि सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में ये सदा योगदान देते है । जिसे सभी स्वीकार करते हैं । जिन गांवों में गुट के सदस्य ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में अधिक रूचि दिखाते हैं, वहां अन्य गांवों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ है । उत्तरदाताओं से जब यह पूंछा गया कि गांव में जनकल्याण के लिये आप क्या कार्य करते हैं ? तो प्राप्त उत्तरों को सारणी संख्या 6.5 में प्रदर्शित किया गया है –

सारणी संख्या – 6.5

ग्रामीण जन–कल्याण में गुट के सदस्यों की भूमिका

जन–कल्याण कार्य	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
गांव में शिक्षा व्यवस्था करना	42	14.0
गांव में त्यौहारों और मनोरन्जन की व्यवस्था करना	60	20.0
धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना	30	10.0
असहाय एवं अनाथों की सहायता करना	40	13.3
ग्रामीणों को नौकरी या रोजगार की व्यवस्था करना	18	6.0
पंचायतघर की व्यवस्था करना	16	5.4
दंगल, खेल–कूद, मेला और नुमाइश लगवाना	18	6.0
महिला विकास एवं साक्षरता कार्यक्रम	08	2.7
दवा–दारू एवं चिकित्सालय की व्यवस्था	40	13.3
किसान, खेतिहर मजदूरों का आन्दोलन	12	4.0
सरकार के विरूद्ध आन्दोलन	06	2.0
कोई कार्य नहीं किया	10	3.3
योग	300	100.0

ग्रामीण गुट सदस्यों के जनकल्याण कार्यो में सारणी संख्या 6.5 में दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि गुट सदस्य साधारण मदद लेकर गांव की शिक्षा–दीक्षा, सड़क, कुआं निर्माण तथा सुधार आन्दोलन करने का प्रयत्न करते है । कारण यह है कि इन कार्यक्रमों द्वारा उन्हें सफलता से लोकप्रियता प्राप्त होती है और उन्हें संगठित करने में समान सहयोग प्राप्त होता है । दत्त सारणी के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 20 प्रतिशत गुट सदस्य गांव के त्यौहार एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों में हाथ बंटाते हैं । असहाय एव अनाथों को सहायता प्रदान करने वाले गुट सदस्यों की संख्या 13.3 प्रतिशत है जबकि बेकार लोगों को नौकरी दिलाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 6 प्रतिशत रही है । इसी तरह से 5.4 प्रतिशत पंचायत घर, 6 प्रतिशत दंगल एवं खेल–कूद, मेला और नुमाइश लगवाना, 2.7 प्रतिशत महिला विकास एवं साक्षरता कार्यक्रमों, 13.3 प्रतिशत दवा–दारू, एवं चिकित्सालय की व्यवस्था, 4 प्रतिशत किसान खेतिहर मजदूरों का आन्दोलन, 2 प्रतिशत सरकार के विरूद्ध आन्दोलन में भी कुछ प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । शेष 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी मिले हैं जिनका जन कल्याण कार्य में कोई योगदान नही हैं ।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण जन कल्याण हेतु गुट सदस्य अनेकानेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अनुसन्धानकर्ता यह उल्लेख करना चाहेगा कि ग्रामीण गुट सदस्य एक मत होकर यदि जन कल्याणात्मक कार्य सम्पादित करें तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का विकासात्मक भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है ।

गुट सदस्यों का अप्रकर्यात्मक व्यवहार :

अब तक अनुसन्धानकर्ता ने ग्रामीण गुट सदस्यों के प्रकार्यो के समस्त पक्षों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । अतः यहां उनके अप्रकार्यात्मक पहलू पर भी प्रकाश डालना समीचीन प्रतीत होता है । निःसन्देह किन्हीं परिस्थितियों में एक ही कार्य विषय एक के लिये प्रकार्य है तो दूसरे के लिये अप्रकार्य हो सकता है । परिणामतः प्रकार्य विश्लेषण बहुत ही जटिल एवं कठिन कार्य है ।[3] कुछ परिस्थितियों में अप्रकार्य कार्यो के होते हुये भी संलग्न व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपनी सत्ता को बलात्पूर्वक बनायें

---

[3] राबर्ट के0 मर्टन – सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर ग्लेनको–तृतीय , दा फ्री प्रेस, 1957 पेज 27–84.

रखने में तत्पर रहते हैं । समाज अपनी कानूनी मर्यादा द्वारा उनकी सत्ता नष्ट करने के लिये तैयार रहता है किन्तु अभाग्यवश वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है ।

गुट सदस्यों की स्थिति सर्वथा भिन्न है । वे अपने अस्तित्व को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये समाज के स्वैच्छिक समर्थन पर निर्भर है । वे अपने अस्तित्व के लिये समाज पर दबाव नहीं डाल सकते हैं । अतः ऐसी स्थिति में वे अपनी अप्रकार्यात्मक भूमिका न करके प्रकार्यात्मक कार्य सम्पादित करें तो उनका अस्तित्व रह सकता है अन्यथा कालचक्र उनके अस्तित्व को इतिहास में परिवर्तित कर सकता है । गुट सदस्यों के अप्रकार्यान्वयन की विवेचनात्मक अध्ययन की सुगमता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं में रखकर प्रस्तुत कर सकते हैं

(1) समाज का खण्ड़ात्मक विभाजन : गुट व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज विभिन्न दलगतीय खण्डों तथा उपखण्डों में विभाजित हो जाता है प्रत्येक गुट सदस्य की प्रस्थिति तथा भूमिका सुस्पष्ट तथा सुनिश्चित रूप से परिभाषित होती है । गुट के सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना होती है । तथा गुट के नियमों तथा आदर्शो के अनुरूप कार्य करना वे अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं । परिणामस्वरूप हमारे देश में राष्ट्राभिमान उत्पन्न होने की अपेक्षा गुटीय अभिमान उत्पन्न हुआ है जिससे सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हुयी है । गुट गत भेद के कारण ही विरोधी आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला करने में हमारी सरकार असमर्थ हैं ।

(2) राजनैतिक एकता में अवरोधक : गुटबन्दी राजनैतिक एकता की शत्रु है । हमारे समाज में राजनैतिक अनेकता बहुत सीमा तक इसी व्यवस्था का दुष्परिणाम रही है । कहना न होगा कि आज भी भारत में लोकसभा, विधानसभा आदि के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु दलबन्दी के आधार पर चुनाव लड़ने के लिये राजनैतिक दलों से टिकट प्रदान किये जाते हैं ।

(3) देश की सर्वांगीण प्रगति में बाधक : गुटबन्दी देश की प्रगति में बाधक है क्योकि यह राष्ट्रीयता की भावना के विरूद्ध है । इसके कारण 'हम की भावना' की जगह 'अहम् की भावना' का विकास होता है । परिणामस्वरूप देश का खण्डात्मक विभाजन होता है । कुल मिलाकर हम यह कह सकते है कि भूतकाल में गुटबन्दी की चाहे जो भी उपादेयता रही हो पर आज देश के सर्वांगीण विकास में यह महावरोधक बनी हुयी है ।

प्रस्तुत अनुसन्धानकार्य में गुट के सदस्यों के अप्रकार्यो को ज्ञात करने के लिये प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं से जब यह प्रश्न पूंछा गया कि गुटबाजी के क्या परिणाम है ? तो उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को सारणी संख्या 6.6 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या – 6.6

गुटबाजी का परिणाम

गुटबाजी के परिणाम	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
समाज सशक्त हो रहा है	64	21.3
संघर्ष बढ़ रहा है	89	29.7
स्वस्थ प्रतियोगिता हो रही है	17	5.7
सामाजिक विघटन हो रहा है	18	6.0
बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं	96	32.0
ग्रामीण एवं सामाजिक विकास हो रहा है	16	5.3
योग	300	100.0

उपरोक्त सारणी में स्पष्ट है कि अधिकांश अर्थात 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गुटबाजी के अप्रकार्यात्मक पक्षों की ओर संकेत किया है । इसके अन्तर्गत उत्तरदाताओं ने यह मत व्यक्त किया है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप समाज में निम्नलिखित बुराइयां उत्पन्न हो रही है । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का विचार है कि गुटबाजी के परिणाम स्वरूप –

(क) समाज के निर्बल व्यक्तियों का भोशण हो रहा है ।

(ख) मुकदमेंबाजी की दर में वृद्धि हो रही है ।

(ग) स्वार्थवाद का विकास हो रहा है ।

(घ) राजनैतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं ।

(ड) लोगों में तिरोहण की प्रवृत्ति बढ रही है तथा लोगों में द्वेश एवं कलह की भावना बलवति होती जा रही है ।

पुनः 29.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में यह बताया कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप समाज में संघर्ष बढ रहा है । इस सन्दर्भ में अनेक

उत्तरदाताओं का विचार है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है । सारणी संख्या 6.6 में प्रस्तुत किये गये दत्तों से यह भी स्पष्ट होता है कि 32.3 प्रतिशत प्रयुक्त उत्तरदाताओं ने गुटबाजी के प्रकार्यात्मक परिणामों की ओर भी संकेत किया है । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का विचार है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप जहां समाज एक ओर सशक्त हो रहा है वहां दूसरी ओर गुटबाजी स्वस्थ प्रतियोगिता का संकेतक भी है। जिससे ग्रामीण एवं सामाजिक विकास भी हो रहा है । शेष 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि समाज में गुटबाजी से बुराइयां उत्पन्न हो रही है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं ने गुटबाजी के अप्रकार्यात्मक परिणामों की ओर संकेत किया है । सारणी संख्या 6.6 में इस तथ्य पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है ।

गुटवाद की सक्रियता :

प्रस्तुत अनुसन्धान कार्य में गुटवाद की सक्रियता को पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि गुटवाद की सक्रियता जाति संघर्ष के समय पर, चुनाव के अवसर पर, दूसरे गुटों से स्पर्धा के समय पर, झगडें एवं मुकदमें के अवसरों पर अत्यधिक पायी जाती है जिसे उत्तरदाताओं से पूंछने पर प्राप्त उत्तरों को सारणी संख्या 6.7 में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 6.7
गुटवाद की सक्रियता

गुटवाद की सक्रियता	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
जाति–संघर्ष के समय पर	50	16.7
चुनाव के अवसर पर	145	48.3
दूसरे गुट से स्पर्धा के समय	20	6.7
झगड़े एवं मुकदमें के अवसर पर	85	28.3
योग	300	100.0

उपरोक्त दत्त सामाग्री के साख्यिकीय विश्लेषण व सारणी संख्या 6.7 की आवृत्ति से स्पष्ट होता हैं कि 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया हैं कि चुनाव के अवसर पर गुटवाद अधिक सक्रिय होता हैं ।

विरोधी गुटों में खतरा :

ग्रामीण समाज में प्रत्येक स्तर के ग्रामीण गुट सदस्य समस्या और परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार गुट नेतृत्व की भूमिका अदा करते हैं । गुट सदस्यों की सफलता, कुशल और गम्भीर नेतृत्व पर भी निर्भर करती हैं यदि गुट सदस्यो का सफल नेतृत्व हो जाता हैं तो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के साथ गुट सदस्यो की स्थिति ग्रामीण समाज में सुदृढतर हो जाती हैं । लेकिन यदि किसी कारण से गुट सदस्यो का नेतृत्व असफल हो जाता हैं, तो उनके उद्देश्यो की पूर्ति नही होती हैं । गुट सदस्यों की शक्ति–स्थिति कमजोर हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त गुट सदस्य शक्तिशाली नही हैं तो उनको अनेक गम्भीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जान से मार डालने का खतरा, खुले अपमान का खतरा, परिवार के सदस्यो को खतरा । इस सन्दर्भ में जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि आपको अपने गुटो से कौन–कौन से खतरे हैं ? तो उनकी प्रतिक्रियाओं को सारणी संख्या 6.8 में रखकर प्रस्तुत किया गया हैं –

सारणी संख्या – 6.8

विरोधी गुटो से खतरा

विरोधी गुटों से खतरा	उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत
अविश्वास का प्रस्ताव	60	20.0
जान–माल का खतरा	75	25.0
खुले अपमान का भय	100	33.3
परिवार के सदस्यों को खतरा	65	21.7
योग	300	100.0

उपरोक्त दत्तो के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता हैं कि उत्तरदाताओं को अपने विरोधी गुटो से चार प्रकार के खतरे होने की अशंका हैं । जैसे अविश्वास का प्रस्ताव 20 प्रतिशत, जान–माल का खतरा 25 प्रतिशत, खुले अपमान का भय 33.3 प्रतिशत, परिवार के सदस्यो को खतरा 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया हैं।

निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट है कि एक तिहाई से कुछ अधिक उत्तरदाताओं को अपने विरोधी गुटों से प्रकट रूप से अपमानित होने का भय या खतरा है ।

अध्याय - सप्तम

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के पूर्ववर्ती अध्यायों में ग्रामीण परिवेश में गुट का सृजन तथा स्वरूप, संरचना एवं विभिन्न आयामों का विशद विश्लेषण करते हुये जाति एवं गुट का अन्तर्सम्बन्ध ग्रामीण परिवेश में जातिगत आधार पर गुट एवं गुटवाद का परीक्षण, गुट एवं राजनीति के तथ्यात्मक सम्बंध जैसे–आयु, जाति, शिक्षा, का समाचीन विश्लेषण राजनीति के क्षेत्र में कितना, कहां योगदान है, का विवरण दिया गया है, और ग्रामीण गुट के प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक क्रियाओं का भी विश्लषण किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में पूर्ववर्ती समस्त अध्यायों का निष्कर्ष या सारांश प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें अनुभाविक उपलब्धियों को इस प्रकार रखने का प्रयास किया जायेगा कि विविध अध्यायों में प्रस्तुत तथ्य एक श्रृंखला में आबद्ध हो सके । एवं ग्रामीण गुटबन्दी समस्यागत स्परूप एवं प्रकृति की विवेचना ही नही की है, प्रत्युत इनकी रोकथाम करने के लिये अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे ।

प्रस्तुत शोध की प्राथमिक मान्यता यह है कि गुट–विहीन समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं है । ऐसे समाज के कल्पना की संगति वस्तुस्थिति से नहीं बैठ सकती । सामान्य सामाजिक व्यापार की स्थिति में स्वाभाविक रूप से गुटों का निर्माण हो जाता है । गुट समाज की अनिवार्य पूर्वावश्यकता है । जिस प्रकार समाज मे सामान्य विचलन एक स्वाभाविक स्थिति होती है उसी प्रकार गुट–संरचना और गुट–चेतना भी एक सामान्य स्थिति है ।

गुट चेतना का आधार स्वार्थ से जुडा हुआ है । सामान्य स्वार्थ की स्थिति में सामान्यतया गुट बन जाते हैं । सम्पूर्ण व्यवस्था के सामान्य प्रवाह एवं प्रचरण में गुटों की भूमिका नकारात्मक होती है । समाज के सामान्य व्यापार में गुट गत्यावरोध उपस्थित करते हैं । इसलिये समाजशास्त्रीय विश्लेषण में इन्हें व्याधिकीय माना जाता हैं।

गुट ऐसे नकारात्मक सामाजिक तथ्य के रूप में परिकल्पित किये जाते हैं जिसे मुक्ति–वांछित स्थिति मानी जाती हैं । अब तक गुट की संरचना का विश्लेषण विभिन्न परिवेशों में विभिन्न अनुदृष्टियों से किया गया हैं । प्रस्तुत शोध–अध्ययन इस समस्या

पर आधारित हैं कि गुट–संरचना के दो पक्ष होते हैं –स्थायी एवं आरोपित । गुट के स्थायी गुण सार्वभौमिक एवं सार्वलौकिक होते हैं परन्तु आरोपित गुणों में देश काल भेद से नये तत्वों का समावेश होता रहता हैं ।

ग्रामीण परिवेश एक ऐसी स्थिति हैं जिसमें गुट–संरचना के आरोपित तत्वों की व्याख्या विशेषताः समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत कम ही नही प्रत्युत नगण्य हैं । इस कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध का चयन किया गया हैं । ऐसे शोध की अपरिहार्यता भारतीय समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद के अध्येताओं ने भी दर्शाया हैं ।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन की सम्पूर्ण सामग्री को **सात** अध्यायों में रखकर प्रस्तुत किया गया हैं । **प्रथम–अध्याय** के अन्तर्गत गुट एवं गुटवाद की प्रकृति एवं स्वरूप का सैंद्धातिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत मानव समूहों में द्वन्द्व, गुटों की संरचना, गुट स्थिति की संरचना, संरचना का केन्द्र बिन्दु, गुट की अभिन्न प्रकृति, गुट स्थिति का अन्तिम बिन्दु संरचना एवं गतिकी, गुट का सम्प्रत्ययात्मक विश्लेषण, गुट की विशेषताएँ, गुट–निर्माण की पूर्व दशाएँ, गुट विश्लेषण के आयाम, गुट का सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक द्वन्द्व के रूप में गुटवाद, गुटवाद में आन्तरिक पक्ष, गुटवाद का प्रादुर्भाव, द्वन्द्व प्रक्रिया की गतिशीलता, संरचना की गतिशीलता एवं गुटवाद की गत्यात्मक संरचना आदि उप शीर्षकों को समाविष्ट किया गया हैं ।

गुट का सम्प्रत्ययात्मक विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में गुट का तात्पर्य ऐसे लघु समूह से हैं जिसके सदस्य अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये एकीकृत होते हैं तथा 'हम की भावना' से ओत–प्रोत होते हैं ।

गुट की विशेषताएँ :

उपर्युक्त परिभाषा के प्रकाश में गुट की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं–

1. अन्य समूहों के समान गुट भी एक सामाजिक समूह है ।

2. यह समूह आकार में अत्यधिक छोटा होता है ।
3. गुट का निर्माण किन्ही स्वार्थो की पूर्ति के लिये होता है ।
4. गुट की सदस्यता ऐच्छिक होती है ।
5. गुट के सदस्य आपस में एकीकृत होते हैं तथा इनमें 'हम' की भावना होती है।
6. गुट के सदस्य अपने स्वार्थो की पूर्ति के सन्दर्भ में आने वाली समस्त बाधाओं का सामना करने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं । इस सन्दर्भ में वे हिंसा एवं अहिंसा के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं ।
7. गुट सभी समूहों में विद्यमान हैं, यद्यपि गाँवो की सामाजिक संरचना की यह आधारभूत विशेषता है ।

गुट की संरचना :

गुट अपमान एवं सैद्धान्तिक मतभेदों के सन्दर्भ में समुदाय में पैदा होते हैं[1] । ऐसी परिस्थितियों में एक या एक से अधिक समूहों के सदस्य समूह की गतिविधियों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अपने को डाल पाना सम्भव नहीं समझते । अपने को एक दूसरे के अनुरूप स्वार्थो के लिये वे एक या एक से अधिक सुयोग्य सदस्यों के साथ संगठित हो जाते हैं । ये सदस्य गुट के नेता के रूप में कार्य करते हैं । इस प्रकार गुट–संरचना के अनाधिकृत अंशो के रूप में कार्य करने लगते हैं । इसके सदस्य उन विशिष्ट लोगो की नीतियों एवं गतिविधियों की उन्नति के लिये कार्य करते हैं जो कि उनके गुट को अन्य गुटों की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं ।

इस प्रकार गुट छोटे अव्यस्थित ढंग से संगठित अपेक्षाकृत अस्थायी एवं अस्थिर समूहों की एक श्रेणी हैं । ऐसे समूह एक समूह के अधिकृत रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक संरचना के एक भाग नही हैं, लेकिन इन समूहों के कार्यो के मामले में समूह के सदस्य के विचारों एवं क्रिया कलापों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं । वे समूह के पूरे आकार के छोटे संयोजक हैं । उनके संगठन की अव्यवस्था पुनः उस समूह के नियमों

---

[1] आस्कर लुइस – विलेज लाइफ नार्थन इण्डिया, यूनिवर्सिटी आफ इलीनोइस प्रेस, 1958, पेज – 30–31.

एवं आचार–विधियों के सापेक्ष होती है । उनके अन्दर सामन्जस्य का भाव होता है । उनका अस्थायी, अस्थिर गुण इस प्रवृत्ति से सम्बन्धित होता हैं, जिसमें वे आपस में मिले होते हैं और आगे बढ़ने लगतें हैं । यदि सैद्धान्तिक स्तरों को समाप्त कर दिया जाये तो गुटों का अस्तित्व समाप्तप्राय सा होने लगता हैं या गुट पुनः किसी विवादास्पद कारणेां के आने पर प्रतिक्रिया करने के लिये निष्क्रिय हो जातें हैं । दूसरी तरफ यदि अन्तरों को ज्यों का त्यौं रहने दिया जाये और निन्दा तथा तिरस्कार का वातावरण बढ़ता जाये तो समूह के कार्यो को क्षति पहुंच सकती है । ऐसी परिस्थितियों में गुट अस्थायी समूहों के रूप में कायम रह सकता है और नये समूहों के अन्तर्भाग के रूप में अपनी एक अलग पहचान के साथ सामने आ सकता है ।

गुटों की सदस्यता समूह स्थिति के आन्तरिक परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है । अपनी स्वार्थ–सिद्धि और स्थिति को देखते हुए लोग गुट–विशेष एवं किसी दूसरे गुट के सदस्य बन सकते हैं, को छोड़ सकते हैं ।

गुट स्थिति की संरचना :

एक समूह में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में गुट उभरते हैं और सक्रिय होते हैं। ये विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ गुट–स्थिति को बनाने में सहायक होती हैं । गुट–स्थिति सम्प्रत्यय इस तथ्य से सम्बन्धित होता है कि वे पहलू और गुण जो कि दलगत व्यवहार को समाविष्ट करते हैं, एक नियमितता को प्रदर्शित करते हैं । ये नियमिततायें तादात्म्य के योग्य एवं अन्योन्याश्रित होती हैं । प्रत्येक व्यक्तिगत गुट–स्थिति एक विलक्षण सामाजिक तथ्य है । समय, स्थान, समूह, संस्कृति, व्यक्ति और मूल्य के सन्दर्भ में हर गुट–स्थिति को ऐतिहासिक हस्ती बनाते है । एक गुट के प्रादुर्भाव में अचर तत्वों का एक समूह लगा हो सकता है । इन तत्वों में से प्रत्येक द्वन्द्व–प्रक्रिया के आधारभूत पहलू से सम्बन्धित होता है। ये अचर तत्व एक गुट–स्थिति की संरचना व दलगत द्वन्द्व के किसी भी खास मामले से सम्बन्धित विशेष घटना या विवरण से सम्बन्धित होते हैं । अपने सामान्य पहलुओं में गुट–स्थितियां समकृतिक हो सकती है । उनका प्रादुर्भाव, विकास, ठहराव, सेटिंग भिन्न हो सकती है परन्तु उनकी

संरचना निश्चित रूप से समान होती है । यह संरचनात्मक समानता उन अचर तत्वों द्वारा प्रकट की जाती है जो कि संरचना के केन्द्रबिन्दु का कार्य करते हैं ।

संरचना का केन्द्र-बिन्दु :

एक गुट–स्थिति मूल रूप से उन तत्वों से बनाई जाती है जो मतभेदों को पैदा करते है। विभाजन के सन्दर्भों, स्वार्थो के आपसी टकराव पर आधारित हो सकते हैं । एक समूह में गुट किसी नेता के साथ विकसित होते है और उनके बीच स्वार्थो का टकराव प्रक्रिया को गति प्रदान करता है । स्थिति का उत्तरकालीन प्रारूप झगडे के मौलिक प्रारूप से निश्चित किया जाता है । संरचना में विभिन्नता एवं परिवर्तन शीलता भी हो सकती है। व्यापार संघों में गुटवाद मजदूरी की पद्धति, सुरक्षा लाभ के प्रकार, श्रेष्ठता–क्रम इत्यादि मामलेां पर निश्चित होते हैं । ये मुद्दे औद्योगिक स्थापना मे विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करते हैं।[2] ऐसे मामलों में एक शक्ति–संघर्ष ऐसी स्थितियों को स्पष्ट करता है जिनमें व्यवस्था एवं संघ के बीच समझौता संघ के द्वारा समर्थित और अनुसमर्थित नहीं होते । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रण–संघों में गुट और गुटवाद मौलिकता के प्रति संयत बनानें में युद्धप्रिय नीति के मामलों पर कारगर सिद्ध हुआ है । कुछ दूसरे मामलों में द्वन्द्व मात्र संघ के ऊपर हो सकता है । पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित एक अभियान्त्रिक संघ में वामपन्थी एवं दक्षिणपन्थी दलों में आपसी अर्न्तसंघीय प्रतिद्वन्दिता के कारण प्रायः हड़तालें और विघटन हुए । यह द्वन्द्व पूरे पश्चिमी बंगाल और भारत में वामपन्थी एवं दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टों के बीच शुद्ध दलगत द्वन्द्व का एक विस्तार था । यहां पर कर्मचारियों की मजदूरी एवं उनका आर्थिक लाभ पूरे भारत में अधिक था, लेकिन उत्पादन के एकाएक रूक जाने से संयन्त्र निष्क्रिय हो गया । हर वर्ग यह चाहता था कि प्रबन्ध तन्त्र कर्मचारियों को पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में महसूस करे । कर्मचारियों का आर्थिक लाभ व्यवस्था एवं कर्मचारियों के बीच तनाव का मुद्दा नही था ।

भारतीय गाँवों में गुटवाद का सृजन भूमि, सिंचाई, पानी, चरागाह, स्थानीय चुनावों, सरकारी विकास–कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये होड़

इत्यादि जैसे मामलों को लेकर होता है । इजराइली ग्रामीण समुदायों में द्वन्द्व के मुद्दे, ट्रेक्टर, बैलगाडियों, जन–सेवा और ग्रामीण दुकानों के बँटवारे इत्यादि में देखा जा सकता है । द्वन्द्व की स्थिति तब और भयंकर होती है जब कुछ तथाकथित लोग सुलभ साधनों पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करने लगते हैं । इसी प्रकार बैंकों, व्यापारों और विश्वविद्यालयों जैसे भारतीय जन–संघों में गुटवाद तब बहुत ही जोर पकडने लगता है जब इन संस्थाओं के प्रभावशाली लोग खासतौर से अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरियों में वरीयता देने लगते हैं । ऐसे उदाहरणों में जातिवाद, क्षेत्रवाद के आपत्तिजनक तरीकों के साथ प्रक्रिया का अधिस्थापन किया जा सकता है ।

परिस्थिति जिसके अन्तर्गत एक स्थिति का विकास होता है, कुछ भी हो स्वार्थो का आपसी टकराव प्रायः वस्तुनिष्ठ होता है तथा द्वन्द्व वास्तविक होता है । लेकिन ऐसी भी तमाम स्थितियां उठ सकती हैं जिनमें तनाव का मुद्दा प्रतिष्ठा या समाजिक स्तर को लेकर हो सकता है । ऐसी हालत में उन लोगों के द्वारा लिया गया किसी झगडें का वस्तुनिष्ठ पहलू निरर्थक हो सकता है । एक बहुत पुराने रईस खनदान एवं नये–नये धनी परिवार के बीच का द्वन्द्व इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता है । उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर और रामपुर जिलों के गांवों में संघातिक दलगत द्वन्द्वों में तमाम हत्यायें तथाकथित सम्मान एवं प्रतिष्ठा के मामले को लेकर हुई । फिर भी भौतिक मामले वास्तविक द्वन्द्व का रूप पकड़ सकते है ।

गुट–निर्माण की पूर्वदशायें :

गुट की विवेचना में एक प्रमुख प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि गुट–निर्माण किन आधारों पर होता है तथा वे कौन से आधार है जो गुटों को स्थायित्व प्रदान करते हैं ? वास्तव में गुट के स्थायित्व का प्रमुख कारण उसके सदस्यों का सामान्य स्वार्थ है । प्रत्येक गुट के सदस्य सदैव कुछ सामान्य स्वार्थो के द्वारा बँधें होते हैं तथा गुट को अपने हितों की अधिकतम पूर्ति का एक साधन मानते हैं । यदि उनके हितों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है । तो एक गुट के सभी सदस्य मिलकर उसे दूर करने का

---

[2] रास स्ट्रन्गर – फिजिकोलोजी आफ इण्डस्ट्रियल कनफ्लेक्ट जान विले, न्यूयार्क, 1956, पेज–24.

प्रयत्न करते हैं । यहीं पर गुट की भूमिका संघर्षात्मक हो जाती है । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस गुट के विरूद्ध संघर्ष किया जाय उसके द्वारा यह भूमिका संघर्षात्मक समझी जाती है । लेकिन बाधा का सामना करने के लिये संघर्ष का स्वरूप प्रकार्यात्मक होता है । सामान्य स्वार्थ के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण अथवा परिस्थितियां हैं जो किसी गुट के स्थायित्व के लिये महत्वपूर्ण समझी जाती है । इस सम्बन्ध में **लेविस** ने गुट के स्थायित्व के लिये तीन आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया है –

1. एक गुट के लिये सदस्यों का संगठित होना आवश्यक है, जिससे वे एक सम्बद्ध इकाई के रूप में कार्य कर सकें ।
2. गुट की सदस्य संख्या इतनी होनी चाहिये कि गुट एक आत्मनिर्भर समूह के रूप में कार्य कर सके तथा किसी विशेष अवसर पर उसे बाहरी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता न हो । उदाहरण के लिये किसी गुट कें सदस्य मिलकर एक धार्मिक उत्सव मनाना चाहें तो गुट में सदस्यों की संख्या इतनी अवश्य होनी चाहिये कि वे उत्सव से सम्बन्धित सभी कार्य और आवश्यकतायें स्वयं पूरी कर सकें । वास्तविकता यह है कि विशेषीकरण और परिवर्तन के वर्तमान युग में आज प्रत्येक गुट अनेक अवसरों पर बाहरी सदस्यों का सहयोग भी लेने लगे हैं । ऐसी स्थिति में आत्म–निर्भरता को गुट के स्थायित्व का अनिवार्य आधार न मानकर केवल एक सहयोगी आधार के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिये ।
3. गुट की स्थिरता के लिये आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन हों जिससे प्रत्येक स्थिति में गुट के सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । इस दृष्टिकोण से गुट के अन्तर्गत कुछ ऐसे साधन सम्पन्न लोगों का होना आवश्यक है जो गुट के निर्धन सदस्यों को रोजगार, ऋण तथा विभिन्न अवसरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे । यही कारण है कि गुट के साधन–सम्पन्न सदस्य अन्य सदस्यों के लिये कृषि योग्य भूमि, बीज एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं । कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि गुट को किसी अन्य समूह अथवा व्यक्ति के साथ संघर्ष करना पडता है, तो ऐसी

स्थिति में मुकदमें तथा अन्य प्रकार के व्यय का प्रबन्ध भी इन साधन–सम्पन्न सदस्यों द्वारा ही किया जाता है । यही कारण है कि गांव में अक्सर किसी गुट की शक्ति का मूल्यांकन उसकी आर्थिक शक्ति के आधार पर ही किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी आर्थिक सम्पन्नता गुट के स्थायित्व का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है ।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन के **द्वितीय–अध्याय** में अनुसन्धान अभिकल्प का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत अनुसन्धान की समस्या, अध्ययन के उद्देश्य, प्राक्कल्पना, समग्र एवं प्रतिदर्श प्रविधि एवं उपकरण तथा सांख्यिकीय परिकल्पना आदि का विश्लेषण किया गया है ।

अनुसन्धान की समस्या :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रधान उद्देश्य यह ज्ञात करना रहा हैं कि –

1. गुट एवं गुटवाद की प्रकृति क्या हैं ?
2. गुट सदस्य कौन हैं ।
3. वे किस सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं ?
4. उनका शैक्षणिक–स्तर, जातीय–स्तर और आयु –स्तर क्या हैं ?
5. गुटों को प्रभावित करने में जाति की क्या भूमिका हैं ?
6. वर्तमान राजनीतिक तन्त्र किस सीमा तक गुटबन्दी को प्रभावित करता हैं तथा गुटबन्दी किस सीमा तक राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तथा अधिकारियों से सम्बद्ध हैं । गुट सदस्यों की अप्रकार्यात्मक भूमिका क्या हैं ?

अध्ययन के उद्देश्य :

उपयुर्क्त समस्याओं के सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के प्रधान उदेदश्य निम्नलिखित थे –

1. गुट, गुटवाद की प्रकृति एवं गुट के सदस्यो का अध्ययन करना ।
2. ग्रामीण गुट की रचना एवं स्वरूप का अध्ययन करना ।

3. यह ज्ञात करना कि आजकल किस प्रकार के गुट ग्रामीण क्षेत्रों में उभर रहें हैं तथा उनकी सामाजिक विशेषताएँ क्या हैं ?
4. जाति एवं गुट के सम्बन्धों को पता करना ।
5. गुट की राजनीतिक गतिविधियो को ज्ञात करना ।
6. गुट के प्रकार्यों तथा अप्रकार्यो को ज्ञात करना ।

प्राक्कल्पना :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का अभिकल्प अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक हैं, जिसकी प्रमुख उद्‌घोषणात्मक प्राक्कल्पनाएँ निम्नलिखित थी –

1. वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में ग्रामीण समाज के परम्परागत रूप में बने जातीय गुटों के स्थान पर हितों के आधार पर नये–नये गुट बन रहें हैं।
2. गुटों की रचना का प्रमुख आधार जाति हैं ।
3. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यो में राजनीतिक बोध पाया जाता हैं ।
4. यद्यपि जातीय–स्तर और दलगत राजनीतिक परिचय के मध्य कोई व्यवस्थित समानता नही हैं, फिर भी पिछड़ी तथा हरिजन जातियों के सदस्यों की अपेक्षा उच्च जाति के सदस्यों में राजनीतिक चेतना की आवृत्ति अधिक पायी जाती हैं ।
5. मतदान–क्रिया का जाति स्तर से किसी भी प्रकार का सह सम्बंध नही हैं।
6. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यों में अपने गुट के सम्बर्धन तथा विकास हेतु स्थानीय एवं जनपदीय स्तर के विशिष्ट लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती हैं ।
7. गुट एवं गुटतन्त्र सदैव व्याधिकीय ही नही होता अपितु प्रकार्यकारी भी होता है ।
8. अधिकांश गांवों में एक से अधिक गुट विद्यमान हैं
9. प्रायः उच्च जाति के गुट सदस्यों का राजनैतिक प्रभाव निम्न जातियों की तुलना में अधिक है ।

10. पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के गुट के सदस्य अब समुदाय में अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगें हैं ।

11. गुट के सदस्यों उनकी जातिगत स्तर तथा राजनीति में अभिरूचि लेने के सदर्न्भ में कोई धनात्मक सह–सम्बन्ध नहीं है ।

12. गुट संरचना तन्त्र में उच्च प्रस्थित जातियाँ ही आवश्यक रूप से प्रभावी जातियाँ नही हैं । प्रत्युत अनेक ग्रामीण गुट तन्त्रों में पिछडी एवं अनुसूचित जातियाँ भी प्रभावी हैं ।

13. ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की अपेक्षा पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्य संगठनात्मतक क्रिया – कलापों में अधिक भाग लेतें हैं ।

14. प्रायः गुट के अधिकांश सदस्यों में राजनीतिक प्रभावोत्पादकता की शक्ति विद्यमान है ।

समग्र :

प्रस्तुत अध्ययन को समग्र के रूप में उत्त्तर प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित नरैनी विकास खण्ड़ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण परिवेश में विद्यमान गुटों के सदस्यगण हैं ।

प्रतिदर्श :

यद्यपि ग्रामीण गुट संरचना एवं उनसे सम्बन्धित सदस्यों की यथार्थ संख्या की जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर कार्य हैं तथापि अध्ययन–क्षेत्र के प्रभावशाली जातियों से सम्पर्क स्थापित कर तथा अवलोकन के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में स्थित गाँवों में कार्यशील गुटों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया हैं । अध्ययन क्षेत्र में कुल गाँवों की संख्या 147 है । प्रत्येक गाँव में औसतन दो सशक्त गुट कार्यशील हैं जिनके अन्तर्गत कुछ उपगुट भी कार्यशील हैं । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल सशक्त गुटों की संख्या 294 के लगभग हैं । प्रतिदर्श के रूप में अध्ययन क्षेत्र के कुल गाँवों में से 20 प्रतिशत गाँवों का चयन दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है जों समग्र का 29.4 प्रतिशत गांव आते हैं । किन्तु सुविधा की दृष्टि से

30 गांवों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है । इस प्रकार पुनः प्रत्येक प्रतिदर्शित गाँव से 10 गुट सदस्यों का चयन दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 300 गुट सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर दत्त सामग्री का संकलन किया गया है ।

दत्त सामग्री की प्रविधि व उपकरण :

प्रस्तुत अध्ययन में दत्त सामग्री का संकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची की एक सुस्पष्ट झलक पाने के लिए तथा उनके अनुकूलन हेतु अपनी योजनाओं में आवश्यक तैयारी करने के लिए अनुसन्धाता द्वारा 20 गुट सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर तथा अनुसूची के प्रश्नों को पूछकर आवश्यक संशोधन कर उन्हें विभ्रम रहित कर लिया गया । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन के प्रयोग में लयी गयी संरचित अनुसूची का अन्तिम रूप पूर्वगामी सर्वेक्षण तथा पूर्व परीक्षण के उपरान्त ही सम्भव हो सका है ।

सांख्यिकी परिकलन :

प्रस्तुत शोध की उपलब्धियों में प्रमाणिकता लाने के लिए दत्त सामाग्री का सांख्यिकीय विश्लेशण भी प्रस्तुत किया गया है । दत्त सामग्री के गुणों या परिभाषिक गुणात्मक परिवर्तनों के अन्तर्गत साहचर्य स्थापित करने के सन्दर्भ में **काई–वर्ग** की गणना की गयी है।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के **तृतीय– अध्याय** में ग्रामीण गुट की संरचना का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों का तथ्यगत विवेचन प्रस्तुत करना रहा है–

(अ) वे कौन से लोग हैं जिन्हे ग्रामीण गुट में स्थान मिल रहा हैं, इनकी आयु, शिक्षा और योग्यता क्या है ?

(ब) किस सामाजिक स्तर (आर्थिक एवं जातीय) के लोग गुट में उभर रहें हैं?

(स) वर्तमान ग्रामीण गुटों का स्थान, ग्राम पंचायत, सहकारिता और विकास –खण्ड समिति आदि जन– संस्थाओं में क्या है ?

(द) वर्तमान गुट के लक्षण किस प्रकार परम्परागत गुट नेतृत्व से भिन्न हैं ।

जहाँ तक उत्तरदाताओं के आयु स्तर का प्रश्न है, संकलित दत्त सामग्री से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण गुट का एक बहुत बडा भाग 38–47 आयु वर्ग का है । ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय मे ग्रामीण समाज में लोग प्रौढ़वस्था वालो की सामाजिक क्षमता पर अधिक विश्वास करने लगे है । सामाजिक गुटबन्दी एक जिम्मेदारी की भूमिका है जिसे निवाहने के लिये प्रौढ़ा–अवस्था के सदस्य ही उपयुक्त समझे जाने लगे हैं । भारतीय ग्रामीण जन अब ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि 38–47 आयु समूह के लोगो में ही सामाजिक एवं राजनैतिक दायित्वों को वहन करने की क्षमता है ।

जहाँ तक उत्तरदाताओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रश्न, संकलित दत्त सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि 31.7 प्रतिशत हाईस्कूल से कम स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हैं। और 12.3 प्रतिशत इण्टर स्तर तक, 6 प्रतिशत स्नातक स्तर, 5.3 प्रतिशत स्नातक से ऊपर शिक्षा प्राप्त किये हैं तथा शेष 22.7 प्रतिशत साक्षर एवं 22 प्रतिशत निरंक्षर उत्त्तरदाता हैं । जहाँ तक उत्तरदाताओं के व्यावसायिक स्तर का प्रश्न है, संग्रहीत दत्त सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रायः 69 प्रतिशत उत्तरदाता कृ षि कार्य में लगे हुए हैं । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का जातिगत व्यवसाय कृ षि रहा हैं ।

भारतीय ग्रामीण समाज में गुट का मुख्य केन्द्र जातियाँ रही हैं जो आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ विद्यमान हैं । चूँकि ग्रामीण समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति का समाजीकरण उसके जातीय संस्कारों के ही अनुरूप होता है। यही कारण है कि प्रत्येक ग्रामीण नागरिक जन जब गुटवाद के प्रवाह में आता है तो वह अपने जीवन के तौर तरीकों को भी अपने साथ लाता है । इसी से मिलता मत **प्रो0 मोरिस जाँन्स** ने व्यक्त किया है। उनका मत है कि जब ग्रामीण जन राजनीति में आते हैं तो वे अपनी मांगों की सूची के साथ न आकर जीवन के तौर–तरीकों के साथ आते हैं ।[3] संकलित दत्तों का प्रेक्षण करने से स्पष्ट है कि प्रतिदर्शित विकास–खण्ड में पिछड़ी एवं ब्राम्हण

[3] डब्लू0 एच0 मोरिस जांस– इण्डियाज पोलिटिकल आइडियाज जार्ज एलेन एण्ड अनबिन लि0 लन्दन, 1963, पेज–188

जाति का मुख्य रूप से प्रावल्य है । ग्रामीण गुटबन्दी में पिछड़ी जाति को प्रमुख स्थान प्राप्त है । जहां तक ग्रामीण गुटबन्दी में अनुसूचित जाति 21.3 प्रतिशत की स्थिति का प्रश्न है, उनकी संख्या को देखते हुए उन्हें ग्रामीण गुटबन्दी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अधिकांश अपनी जाति पंचायत के सरगना हैं जो अपनी ही जाति तक सीमित हैं ।

ग्रामीण गुटबन्दी में आर्थिक पृष्ठभूमि गुट की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है । संकलित दत्त–सामाग्री के परिणामों से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक अर्थात् 36.7 प्रतिशत उत्तरदाता मध्यम आय वर्गीय हैं जो सम्पूर्ण ग्रामीण गुट का 'माडल ग्रुप' है । इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मध्यम आर्थिक स्तर के उत्तरदाताओं का ग्रामीण गुटबन्दी में महत्वपूर्ण स्थान है । उच्च आर्थिक स्तर से ग्रामीण गुंटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम नहीं कही जा सकती, क्योकि आर्थिक आय वाले ग्रामीणों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है । इसलिये ग्रामीण गुटबन्दी की व्याख्या करते समय इस स्तर के ऊपर विशेष ध्यान देना समीचीन प्रतीत होता है । मध्यम आर्थिक स्तर का गुट जहां ग्रामीण गुटबन्दी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वहां उच्च आर्थिक स्तर का गुट ग्रामीण गुटबन्दी के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने आता है । वास्तव में ग्रामीण गुट नेतृत्व उन लोगों का कार्य है जिनके पास पर्याप्त धन और समय है । निम्न आर्थिक–स्तरीय व्यक्ति अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा रहता है ।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता मध्यम आर्थिक स्तरीय है जिनके हांथ में ग्रामीण गुटबन्दी की शक्ति अन्तर्विष्ट है । यह उपलब्धि **जे0ब्लॉण्डेल** की इस अनुसन्धान उपलब्धि का समर्थन करती है कि अधिकांश ग्रामीण गुट नेता मध्यम वर्ग से आते हैं ।[4]

ग्रामीण गुटों में सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्व होता है । ग्रामीण गुट नेता का महत्व उनके व्यक्तिगत गुणों से कम और पारिवारिक ख्याति और शक्ति से अधिक होता है । जिस गुट का परिवार गांव में प्रभावशाली होता है, वह गुट भी ग्रामीण तन्त्र में शक्तिशाली होता है । यदि जिस गुट का परिवार गाँव में शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है तो उस गुट को अपेक्षाकृत कम महत्व

---

[4] जे0ब्लॉण्डेल – वोटर्स, पार्टीज एण्ड लीडर्स, कॉस एण्ड वाईमैन लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन, 1963, पेज – 113.

प्राप्त होता है । इसलिये ग्रामीण गुटबन्दी में सफल एवं सबल गुट के लिये गुट की पारिवारिक स्थिति का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है । ग्रामीण समुदाय में सफल गुट के लिये संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण कारक है और अधिकांश ग्रामीण नेता संयुक्त परिवार से ही आते हैं । जहां तक उत्तरदाताओं के संयुक्त परिवार का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पशट है कि बहुसंख्यक 89.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप संयुक्त प्रकृति का है । जहां तक लोगों की संख्या के आधार पर गुटों की संख्या का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट है कि प्रदर्शित गाँवों में बहुसंख्यक गाँव ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक गुट कार्यरत हैं ।

ग्रामीण सामाजिक–व्यवस्था में जहां तक जाति के आधार पर गुटों की संख्या का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक अर्थात 31.2 प्रतिशत गुट पिछड़ी जाति के अन्तर्गत हैं । गुटो की अधिक संख्या के संस्तरण में द्वितीय स्थान अनुसूचित जाति को, तृतीय स्थान ब्राह्मणोंको एवं चतुर्थ स्थान क्षत्रिय जाति को प्राप्त है ।

ग्रामीण गुट तन्त्र में सरगना (मुखिया) की अद्वितीय भूमिका रही है । प्रत्येक गुट का एक सरगना होता है । जो अपनी ईमानदारी, कर्मठता, कार्यप्रवीणता तथा गुट–निष्ठा के प्रति प्रख्यात होता है । वह अपनी इन विशेषताओं के कारण तथा अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण लोगों पर अपना प्रभाव रखता है । अपने गुट के सम्पूर्ण सदस्यों के लिये सरगना ही वास्तविक शासक, न्यायाधीश तथा निर्णायक के रूप में भूमिका अदा करता है । तथ्य संकलन के दौरान अनुसन्धाता ने यह प्रेक्षित किया है कि गाँवों में औपचारिक रूप से गठित ग्राम पंचायत के प्रधान भी विवादास्पद विषयों पर निर्णय देते समय गुटों के सरगना से परामर्श अवश्य लेते हैं । प्रायः प्रत्येक गुट का एक ही सरगना होता है । अतः प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्शित गाँवों में जितनी संख्या गुटों की है उतनी ही संख्या सरगनाओं की भी है ।

यद्यपि ग्रामीण सामाजिक संरचना में गुटों का प्रमुख आधार जाति रहा हैं, किन्तु आधुनिक जनतान्त्रिक मूल्यों ने परम्परागत जाति–व्यवस्था को कमजोर बना दिया है । परिणामस्वरूप गुटों की रचना जाति के अतिरिक्त, भू–सम्पत्ति, मजदूर वर्ग एवं स्वार्थो के आधार पर भी होने लगी है । अब ग्रामीण समुदाय में निम्न–स्तर की जातियों में भी

वर्ग–चेतना का भाव उदय हो रहा है । यही कारण है कि निम्न–स्तर की सभी जातियां अपने सामूहिक स्वार्थ को ध्यान में रहते हुए उच्च–जाति समूह के विरोध में एक साथ मिलकर खडी हो रही हैं । निम्न जाति समूहों में जाति–चेतना का भाव लुप्त हो रहा है और उनके स्थान पर वर्ग–चेतना का भाव उदय हो रहा है । इसके अतिरिक्त वर्तमान राजनीतिक तन्त्र का प्रभाव भी ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है । जिसके कारण ग्रामीणजन सामाजिक, आर्थिक आधार पर अपने सामान्य स्वार्थो की पूर्ति के लिये एक साथ मिल रहे हैं। जहां तक गुटों के आधार का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि आज भी गुटों के निर्माण का सशक्त आधार जाति है । उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गाँवों में गुटों का निर्माण जातिगत आधार पर होता है ।

चतुर्थ अध्याय में जाति एवं गुट का अन्तर्सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण सामाजिक संरचना और गुट, जातिवाद एवं गुटबाजी, गुटबाजी से सम्बन्धित जातियां, जाति–प्रथा एवं गुट बाजी, गुटों में विभिन्न जाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्तर पर सहभागिता, गुट की प्रभावशीलता, जाति एवं जातीय संगठन को पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया है ।

वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप पहले से बदल गया है और वर्तमान शोध में जिन गाँवों को लिया गया है, उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ है । ग्रामीण–समाज का प्रबल गुट उच्च जाति समूहों का है जिनकी स्थिति ग्रामीण समाज में प्रत्येक दृष्टिकोण से शीर्षस्थ है अर्थात् ग्रामीण समाज का यह समूह सबसे धनी है, यह उच्च जातियों का समूह है तथा ग्रामीण राजनैतिक शक्ति इन्ही लोगों के हाँथ में है ।

ग्रामीण समाज का दूसरा निर्बल गुट निम्न जाति समूहों का है जिसकी मुख्य रूप से दो भागों में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है । पहला भाग उन निम्न जाति समूहों का है जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कुछ ठीक है और अपने प्रयासों से प्रजातान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं । दूसरा भाग उन निम्न

जातियों का हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं जिसके कारण वे अपने प्रजातान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग भी पूर्णरूपेण नही कर पा रहें हैं । यह समूह ग्रामीण समाज में शक्तिहीन हैं । प्रबल उच्च जाति समूह के अन्तर्गत ब्राम्हण, क्षत्रिय जातियां आती हैं जिनके पास आर्थिक शक्ति भरपूर हैं । आज के ग्रामीण समाज में आर्थिक शक्ति केन्द्रीय शक्ति हैं जिसके चारों ओर अन्य जातियाँ चक्कर लगाती हैं।

जहाँ तक गुटबाजी में प्रोत्साहित करने में जाति की भूमिका का प्रश्न है, प्रस्तुत शोध–कार्य की उपलब्धियां से स्पष्ट है कि गुटबाजी को प्रोत्साहित करने में जाति की मुख्य भूमिका है । संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक अर्थात 84.6 प्रतिशत उत्तरदाता चाहे वे किसी भी जाति–स्तर के क्यों न हों, सभी ने यह स्वीकार किया है कि जातिवाद गुटवाद को प्रोत्साहित करता है । प्रायः प्रत्येक जातीय समूह के उत्तरदाता दूसरी जाति के सदस्यों को गुटवाद से सम्बद्ध बताया है । इसके विपरीत पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के बहुसंख्यक उत्तरदाताओं में क्षत्रिय एवं ब्राह्मण जाातियों को गुटवाद से सम्बन्धित बताया गया है । यद्यपि ग्रामीण सामाजिक संरचना में अति प्राचीन काल से ही लोग अपने जतिगत समूह को प्रकार्यकारी मानते हैं तथा दूसरे जाति–समूह को अप्रकार्यकारी मानते रहे हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि एक जाति के सदस्य दूसरी जातियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते रहे हैं ।

जहाँ तक गुटों में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों की आर्थिक स्तर पर सहभागिता का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रायः अधिकांश 82.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके गुटों में एक से अधिक जाति के व्यक्ति समाविष्ट हैं । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का आधारभूत विश्वास है कि वस्तुतः ग्रामीण–जन अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये एक विशिष्ट गुट की सदस्यता स्वीकार करते हैं । गुट को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में अनेक महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे –जाति, धर्म, सम्पत्ति तथा राजनीति आदि । तथापि जातियां ही वह ताना बुनती हैं जिसके आधार पर भारतीय समाज में गुटबन्दी का ढाँचा बुना हुआ है । जिसमें थोड़ी सी जातियां शीर्ष पर हैं, असंख्य जातियाँ बीच में और अनेकानेक जातियाँ मूल में स्थिति हैं । यह जाति ही है

जो हमारे व्यवसाय, धर्म और दायित्वों को निर्धारित करती है । यह हमें जीवन प्रदान करती है, हमारी किस्मत गढ़ती है। यह हमारे दर्जो या सम्बन्धों को प्रदिष्ट करती है । प्रस्तुत शोध–कार्य की उपलब्धियों से स्पष्ट है कि गुट को प्रभावशाली बनाने के लिये जाति ही प्रमुख कारक है ।

जहाँ तक जाति को प्रभावशाली बनाने में जाति–विशेष की भूमिका का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि गुट को प्रभावशाली बनाने में जातीय कारक महत्वपूर्ण होता है । संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान जनतान्त्रिक परिवेश में भी अद्यतन उच्च जाति के सदस्यों द्वारा निम्न जाति के सदस्यों का शोषण हो रहा है । प्रायः सभी जाति–समूह अपने उत्थान के लिये संगठित होकर विविध प्रकार के कार्य करते दिखलायी पड़ते हैं ।

जहाँ तक जाति के आधार पर जातीय संगठनों के संगठित होने का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रायः बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि जाति के आधार पर संगठित होकर गुटबन्दी करना उचित है ।

प्रस्तुत शोध–ग्रन्थ के **पाँचवें अध्याय** में गुट एवं राजनीति का अन्तर्सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके अन्तर्गत राजनीतिक आयामों के तीन पक्षों का विवेचन किया गया है ।

(अ) राजनीति में मनोवैज्ञानिक आवेष्ठन, चेतना, सूचना, अभिरूचि, पक्षपात ।

(ब) क्षमता तथा प्रभाव एवं

(स) क्रिया ।

आत्मनिष्ठ आवेष्ठन एक राजनीतिक प्रेरक के रूप में कार्य करता है तथा वास्तविक राजनीतिक क्रिया की ओर मार्गदर्शित करता है । प्रस्तुत अध्याय में संकलित तथ्य सामान्य राजनीतिक अभिमुखीकरण के चार संकेतकों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं । राजनीतिक अभिरूचि, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक बोध तथा दलगत तादात्म्य ।

जहाँ तक उत्तरदाताओं की राजनीतिक अभिरूचि का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट है कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाता चाहे वे किसी भी जातीय–स्तर, शैक्षिक–स्तर तथा आयु–स्तर के क्यों न हों राजनीति में अत्यधिक रूचि रखते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि जाति, शिक्षा तथा आयु परिवर्त्यो का राजनीति में अभिरूचि लेने में कोई धनात्मक सह–सम्बन्ध नहीं है ।

जहाँ तक राजनीतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी का प्रश्न है, दत्त–सामाग्री से अवगत होता है कि प्रायः प्रत्येक जाति के अधिकांश सदस्य सामाजिक परिवर्तनों एवं समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं । पुनः यद्यपि दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के आधार पर गुट से सदस्यों में राष्ट्र व समुदाय में हुए परिवर्तनों एवं परिव्याप्त समस्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखने में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है तथापि हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है।

इसी तरह दत्त–सामाग्री का प्रेक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि आयु–स्तर के आधार पर गुट के सदस्यों मे राष्ट्र में हो रहे नूतन परिवर्तनों एवं व्याप्त समस्याओ के बारे में जानकारी रखने में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है, तथापि 38–47 वर्षायु के सदस्यों में 48–57 एवं इससे ऊपर वाले सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र में हो रहे परिवर्तन एवं व्याप्त समस्याओं के बारे में जानकारी रखने की प्रवृत्ति अधिक पाई गयी है ।

जहाँ तक राजनीतिक बोध का प्रश्न है, संकलित दत्त सामग्री से ज्ञात होता है कि प्रायः प्रत्येक जाति के अधिकांश सदस्यों मे राजनीतिक बोध पाया जाता है । उत्तरदाताओं के शैक्षिक तथा उनके राजनीतिक बोध में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है । तथापि दत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाईस्कूल एवं साक्षर स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुए गुट के सदस्यों मे इण्टर तथा स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुये गुटों के सदस्यों की अपेक्षा राजनीतिक बोध अधिक पाया गया है । इसी तरह उत्तरदाताओं के आयु–स्तर तथा उनके राजनीतिक बोध में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है । तथापि दोनों के

सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 38747 वर्षायु के सदस्यों में एवं 48–57, इससे ऊपर वाले सदस्यों की अपेक्षा राजनीतिक बोध अधिक पाया जाता है ।

जब हम 'दलगत परिचय' पर दृष्टिपात करते हैं तो संकलित दत्त सामग्री से स्पष्ट होता है कि जातीय स्तरीकरण और राजनीतिक परिचय के मध्य कोई व्यवस्थित असमानता नहीं है । तथापि पिछडी तथा अनुसूचित जातियों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के सदस्यों की अपेक्षा राजनीतिक अभिरूचि या बोध अधिक पाया गया है । शिक्षा के आधार पर पर्यवेक्षण करने से स्पष्ट होता है कि हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तरीय गुट के सदस्यों में दलगत परिचय की आवृत्ति अधिक है । इसी तरह गुट के सदस्यों के आयु–स्तर तथा दलगत परिचय में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं पाया गया है । प्रायः सभी आयु–स्तरीय गुट के सदस्यों में दलगत परिचय रखने की अभिरूचि पायी जाती है ।

राजनीतिक प्रभाव की आत्मनिष्ठ भावना तथा प्राभावोत्पादकता गुटबन्दी प्रक्रिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गुट के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ मे सरकारी–तन्त्र एवं राजनीतिक तन्त्र से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित रहते हैं । प्रस्तुत शोध में दो प्रकार की दत्त–सामाग्री संकलित की गयी है – प्रथम प्रकार की दत्त–सामग्री सारणी संख्या 5.13 से 5.15 में प्रस्तुत की गयी है । जो उत्तरदाताओं की राजनीतिक प्रभावोत्पादकता की आत्मनिष्ठ भावनाओं, सामुदायिक कार्यो में उनकी शक्तियों तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने में उनकी योग्यताओं का परिचय देती है । द्वितीय कोटि की दत्त–सामाग्री सारणी संख्या 5.16 से 5.18 में प्रस्तुत की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रभावी जाति की रचना को प्रस्तुत किया गया है।

जहाँ तक उत्तरदातओं के राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न है, संकलित दत्त सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी जाति, शिक्षा, आयु–स्तर के सदस्यों को यह विश्वास है कि वे राजनीतिक तन्त्र को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं ।

सामुदायिक मामलों में अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी स्वयं की शक्ति का संस्तरणात्मक स्तर कैसा है ? इसको ज्ञात करने के सन्दर्भ में

यह पाया गया है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के उत्तरदाताओं के सदृश पिछडी एवं अनुसूचति जाति के अधिकांश उत्तरदाताओं ने भी अपने को उच्च शक्ति स्तर पर रखा है । इससे स्पष्ट होता है कि पिछडी एवं हरिजन जातियां अब समुदाय में अपने को शक्तिशाली समझने लगी हैं । संकलित दत्त सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढता जाता है । वैसे–वैसे लोगों में अपने को समुदाय में शक्तिशाली मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है । दत्तों से स्पष्ट है कि हाईस्कूल से कम तथा साक्षर–स्तरीय उत्तरदाताओं ने अन्य उत्तरदाताओं की अपेक्षा समुदाय में अपने को उच्च शक्ति स्तर पर रखा है । जहाँ तक आयु का प्रश्न है 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं ने अपने को 48 से 57 वर्षायु एवं इससे ऊपर के उत्तरदाताओं की तुलना में समुदाय में उच्च स्तर पर रखा है ।

जहां तक उत्तरदाताओं के राजनैतिक प्रभाव का प्रश्न है, संकलित दत्त सामाग्री से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति के उत्तरदाताओं का राजनीतिक प्रभाव अधिक है । शिक्षा के आधार पर देखने से स्पष्ट होता है कि 48–57 वर्षायु एवं इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की तुलना में 38–47 वर्षायु के उत्तरदाताओं का राजनीतिक प्रभाव अधिक है।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि जो लोग प्रभावशाली जातियों के सदस्य हैं वे राजनैतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं एंव राजनैतिक स्तर पर अपने को और अधिक प्रभावशाली महसूस करते हैं । वे काफी कार्यकुशल होते हैं तथा सामुदायिक कार्यो में अन्य लोगों की अपेक्षा अपने को अधिक शक्तिशाली समझते हैं। नियमित रूप से मतदान करते है, आन्दोलन सम्बन्धी क्रिया–कलापों में भाग लेते हैं तथा राजनैतिक नेताओं एवं सरकारी अधिकारियों से उनका अच्छा सम्बन्ध होता है । परन्तु अब पिछडी एवं अनुसूचित जाति के सदस्य भी राजनीतिक तन्त्र में प्रभावशाली होते जा रहे हैं । इस सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध–ग्रन्थ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अब उच्च जातीय प्रस्थिति प्रभाव का आधार नहीं है । अन्य सभी कारणों से तुलना करने पर पता चला है कि केवल कुछेक उत्तरदाता ही ऐसे थे जिन्होंने किसी जाति को उसकी उच्च प्रस्थिति के आधार पर प्रभावी बताया है । इसी लिये आधुनिक भारत में जाति–स्तर प्रभाव का कारण नहीं बन सकता ।

उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता को जानने के सम्बन्ध में राजनीतिक सहभागिता को चार भागों में विभाजित किया गया है– मतदान, आन्दोलन, सहयोगात्मक क्रिया–कलाप एवं जन–कल्याण के लिये राजनैतिक नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क ।

सहभागिता का राजनैतिक संस्तरण राजनैतिक प्रकार्यो के मूल पर निर्भर करता है । मतदान करना, राजनीतिक चर्चा करना तथा पार्टी का बिल्ला लगाना ये बहुत ही आसान कार्य है । इन कार्यो को करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है । वह उनकों दर्शक गतिविधियों की संज्ञा देता है । राजनीतिक गोष्ठी में भाग लेना, आर्थिक सहयोग देना आदि दर्शक गतिविधियों की अपेक्षा और कठिन कार्य हैं और इन कार्यो को करने वालों की संख्या भी कम होती है । ये कार्य क्रान्तिकारी कार्य कहलाते है । संस्तरण के शिखर पर तलवारिया कार्य होते है, जैसे– आन्दोलन करना, राजनीतिक कोष को समृद्ध करना, नेतृत्व की स्थिति को बनाये रखना इत्यादि, जो कि बहुत ही कठिन है और इसमें बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं । **बली** तथा **नी** इन चारों सहभागिताओं में भी विशिष्टता करते हैं । मतदान करना, सहयोग तथा सम्पर्क सम्बन्धित क्रिया–कलाप इस आधार पर निश्चित होते हैं कि ये क्रिया–कलाप नागरिकों के विभिन्न प्रकार के राजनैतिक परिणामों को प्रदान करते हैं । सहभागिता के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, इनमें पुरस्कार तथा सन्तोष को विशेष महत्व दिया जा सकता है । पुरस्कारों के माध्यम से कुछ ऐसे भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को या पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं । ये व्यक्ति की क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं । जहाँ एक दूसरे के साथ सहभागी होता है और वहीं प्राप्त परिणामों पर बहुत मामूली प्रभाव रखता है । जन–कल्याण से सम्बन्धित सम्पर्कों में सहभागी होने वाला स्वयं सम्पर्क की विषय–वस्तु को निश्चित करता है । वह या तो अकेले काम करता है या एक दो लोगों के साथ कायम रहता है । परिणाम का और विशिष्टीकरण होता है और वह व्यक्ति इसके बाद भी सहभागी हो सकता है । सहभागिता के चार विशिष्ट तरीके होतें हैं ।[5]

---

[5] सिडनी वर्बा, नी एण्ड किम जैक – द मोडस आफ डेमोक्रेटिक पार्टीसिपेशन एक्रास नेशनल कम्प्रेशन कम्प्रेटिव पोलिटीज सर्विसेज नं. 10–13, बरेली हिल्स, सेज पब्लिकेशन्स 1971, पेज – 1.

इस प्रकार की विशिष्टता इस अध्ययन के लिये प्रमुख है । जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि हमारा उद्देश्य जाति–संस्तरण के आधार पर राजनैतिक क्रिया–कलापों के विभाजन का अध्ययन करना है । सहभागिता के विभिन्न तरीकों की विशिष्टता हमको न केवल जाति–विवरण की संख्या जाँच के योग्य बनाती है, प्रत्युत सहभागिता के प्रभाव की भी जांच के योग्य बनाती है । ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रकार की राजनैतिक गतिविधि दूसरे प्रकार की गतिविधियों की अपेक्षा किसी जाति–विशेष से सम्बन्ध रखती हो और इसी बात से सम्बन्धित यह भी तथ्य है कि सहभागिता के आधार पर हर जाति एक समान नहीं हो सकती है । निम्न जातियों के पास सहभागिता के सारे माध्यमों का उपयोग करने के साधन नहीं हो सकते हैं, फलस्वरूप कुछ लोग खास प्रकार की सहभागिता के लाभों से वंचित रह सकते हैं या उनको सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की सहभागिता पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड सकता है । उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति को अपनी निम्न प्रस्थिति के कारण अपनी समस्या के समाधान के लिए नेताओं और प्रशासकों से सम्पर्क स्थापित करना मुश्किल पड़ सकता है । विशिष्ट लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की क्रिया तथा मतदान करने की क्रिया में जो भेद है, वही भेद निम्न एवं उच्च जातियों में हो सकता है । इसलिये इस विश्लेषण का सम्बन्ध राजनैतिक क्रिया'कलापों के प्रकार एवं गति दोनों से है ।

सहभागिता के अधिकांश अध्ययनों से यह पता चल सकता है कि मतदान सहभागिता का बिलकुल प्रारम्भिक स्वरूप है और वे लोग जो सिर्फ मतदान करते हैं उनको सहभागिता के रूप में बहुत महत्व नहीं दिया जाता । **मिलब्रेथ** ने सहभागिता–संस्तरण को निम्न स्तर पर रखा है क्योंकि यह अन्य राजनैतिक कार्यो की अपेक्षा सरल कार्य है । किसी अन्य राजनैतिक कार्य की अपेक्षा मतदान करने में अधिक लोग सहभागी होते है । इसलिये मतदान की प्रक्रिया को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिये । वे व्यक्ति जिनकों समाज में बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त है और जो जाति–संस्तरण में बहुत ही निम्न स्तर पर हैं, उनके लिये मतदान का अधिकार बहुत बडा अधिकार होता है । वस्तुतः जिस समूह का आर्थिक और सामाजिक स्तर जितना ही निम्न होता है उसके लिये मतदान का महत्व उतना ही अधिक होता है ।

उन समाजों में जहां कि उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, निम्न जाति के लोग बराबर इसके लिये संघर्ष कर रहे है कि उनको भी मतदान का पूरा–पूरा अधिकार मिलना चाहिये ताकि वे भी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकें । भारत में इसका उदाहरण है कि निम्न जाति के लोग अपना प्रभाव जमाने में तथा शक्ति को प्राप्त करने में अपने मतदान की शक्ति के बल पर सफल हुए हैं । सामूहिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में उच्च जाति के लोग अपने मतदान के बल पर कई बार सफल हुये है । चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते समय राजनैतिक पार्टियाँ पुनः उसी व्यक्ति को चुनती हैं जिस जाति के लोगों का उस क्षेत्र में बाहुल्य होता है । इस मतदान के अधिकार ने बहुत ही निम्न–स्तरीय जातियों को भी उनकी संख्या–शक्ति के आधार पर राजनैतिक रूप से शक्तिशाली बनाया है । कहना न होगा कि भारत में मत प्राप्त करने की प्रक्रिया ने निम्न–स्तरीय जातियो को शक्ति प्रदान किया है । निम्न –स्तरीय समूहों के स्वाभिमान को ऊंचा करने में इसके प्रतिकारात्मक मनोवैज्ञानिक मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जहां तक चुनाव में जाति के आधार पर सहभागिता का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के उत्तरदाता उतने ही नियमित मतदान करते हैं जितना कि पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्य । इसलिये मतदान–स्तर जाति–स्तर से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है । सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि नियमित रूप से मतदान करने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की अपेक्षा पिछडी तथा अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता अधिक सजग एवं जागरूक हैं । शैक्षिक स्तर पर मतदान करने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में हाईस्कूल से कम तथा साक्षर स्तर के उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं । इसी तरह आयु के आधार पर गुट के सदस्यों की मतदान के सहभागिता के अन्तर्गत 48–57 एवं उससे अधिक वर्षायु की तुलना में 34–47 वर्षायु के उत्तरदाता अधिक सक्रिय हैं ।

आन्दोलन में सहभागिता अपेक्षाकृत कठिन कार्य है । इसके लिये अधिक प्रयास एवं समय की आवश्यकता होती है । इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति उच्च स्तरीय रूचि को प्रदर्शित करते हैं, परन्तु मतदान की अपेक्षा आन्दोलन में कम लोग भाग लेतें हैं ।

इसलिये राजनीतिक सहभागिता संस्तरण में आन्दोलन को अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्रदान किया गया है ।

जहाँ तक उत्तरदाताओं के आन्दोलन में सहभागिता का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामग्रियों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के लोग पिछडी और अनुसूचित जातियों की तुलना में आन्दोलन में अधिक भाग लेना पसन्द करते हैं । यदि पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्य भाग लेते भी हैं तो वे सक्रिय नहीं रहते । इसी तरह से शिक्षा के आधार पर आन्दोलन में सहभागिता को ज्ञात करने से यह स्पष्ट होता है कि इण्टर तथा स्नातक शैक्षिक स्तरीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा हाईस्कूल से कम तथा साक्षर उत्तरदाता आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियों में अधिक सक्रिय होते हैं ।

आयु–स्तर के आधार पर हम कह सकते हैं कि 48–57 एवं इससे ऊपर आयु–समूह के उत्त्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु के उत्तरदाता आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ।

जहां तक उत्तरदाताओं की सहयोगात्मक प्रक्रिया का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों की अपेक्षा पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के लोग संगठनात्मक क्रिया–कलाप में अधिक भाग लेते हैं । संगठनात्मक प्रक्रिया में पिछडी एवं अनुसूचित जातियों के लोग अधिक सजग हैं । इसी तरह से उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर पर सहयोगात्मक प्रक्रिया को ज्ञात करने से स्पष्ट होता है कि इण्टर तथा स्नातक शैक्षिक स्तरीय उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम एवं साक्षर उत्तरदाता संगठनात्मक क्रिया–कलाप में भाग लेने में अधिक सक्रिय हैं । जहां तक आयु–स्तर पर सहयोगात्मक प्रक्रिया का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि 48–52 एवं इससे ऊपर वर्षायु वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु के उत्तरदाता संगठनात्मक क्रिया–कलाप में अधिक भाग लेते हैं ।

जहां तक नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क स्थापित करने की क्षमता का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट है कि सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में सबसे अधिक वंचित जाति वैश्य जातियां हैं । सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं पिछडी, अनुसूचित जातियों में बहुत अधिक अन्तर नहीं है। फिर भी

दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नागरिक प्रवर्तित सम्पर्क एवं जातीय–संस्तरण तथा शैक्षिक स्तर और तथा आयु स्तर में कोई महत्वपूर्ण साहचर्य नहीं है।

प्रत्येक जाति के अधिकांश सदस्य स्थानीय विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान समझते है जबकि जनपद स्तर के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करना इनके लिये अपेक्षाकृत कुछ कठिन होता है।

जहां तक स्थानीय एवं जनपदीय विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि इन्टर तथा स्नातक स्तरीय उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम एवं साक्षर उत्तरदाता स्थानीय तथा जनपदीय विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में अधिक आगे हैं । आयु के आधार पर पर्यवेक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि 48–57 तथा इससे ऊपर वर्षायु वाले समूह के उत्तरदाताओं की तुलना में 38–47 वर्षायु वाले उत्तरदाता जनपदीय स्तर के विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत अधिक आगे हैं ।

जहां तक विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की आवश्यकता का प्रश्न है, संकलित दत्त –सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के सदस्यों की तुलना में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के अधिकांश सदस्यों को स्थानीय तथा जनपदीय स्तर के विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थों की अधिक आवश्यकता पडती है । इसी तरह, इण्टर तथा स्नातक शैक्षिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुये उत्तरदाताओं की तुलना में हाईस्कूल से कम तथा साक्षर उत्तरदाताओं को विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थ की अधिक आवश्यकता पडती है । पुनः जहाँ तक आयु–स्तर पर विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थों की आवश्यकता की प्रवृत्ति का प्रश्न है, संग्रहीत दत्त–सामग्री के परिणामों से स्पष्ट होता है की 48–57 एवं इससे ऊपर वर्षायु समूह की श्रेणियों में आने वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा 38–47 वर्षायु समूह की श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं को विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित करने में मध्यस्थों की अधिक आवश्यकता पड़ती है ।

जहां तक गुट के सदस्यों में विशिष्टजनों से सम्पर्क स्थापित न करने के कारणों का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी जातियों के अधिकांश उत्तरदाता विशिष्ट लोगों पर ही दोषारोपण करते हैं । वे ऐसा अनुभव करते हैं कि लोग नेताओं एवं विशिष्टजनों से इसलिये सम्पर्क नहीं करते हैं कि 'वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते', 'वे भ्रष्ट हैं और घूस चाहते हैं' । इसी तरह प्रायः सभी आयु–स्तर के अधिकांश उत्तरदाता सम्पर्क स्थापित न करने पर ही दोषारोपण करते हैं ।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन के **षष्ठम अध्याय** में गुट के प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक व्यवहार का विशद् विश्लेषण के अन्तर्गत उन सभी प्रकार्यो एवं दुष्प्रभावों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें गुट सदस्यों को अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है । जहां तक गुट के सदस्यों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के लिये कल्याणात्मक कार्य सम्पादित करने का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण गुट के सदस्यों ने मुख्यतः आर्थिक सहायता प्रदान की है । इसी तरह से 13.3 प्रतिशत गुट के सदस्यों ने सरकारी सहायता प्रदान करने में उनकी आवश्यकतानुसार मदद की है । कुछ 6.7 प्रतिशत गुट सदस्यों ने अपने निजी परिश्रम एवं पैरवी के द्वारा सहायता प्रदान किया है । कुछ 6.7 प्रतिशत सदस्यों ने संघर्ष के समय सहायता प्रदान किया है, 8.3 प्रतिशत सदस्यों ने नौकरी दिलवाने में सरकारी मदद या नौकरी दिलवाने के सुअवसरों की पैरवी की है तो कुछ 10 प्रतिशत सदस्यों ने ग्रामीणजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है । 3.3 प्रतिशत दान के रूप में सहायता प्रदान करने वाले सदस्यों का उद्देश्य उन लोगों को दान देने से है जो गाँवों में भिक्षावृत्ति अपनाते हैं या किसी कुटिया के साधु–सन्त हैं । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण समाज में ऐसे नेताओं का नितान्त अभाव है जो निःस्वार्थ रूप से सहायता करते हैं । कभी–कभी गुट नेता अपनी सहायता के पीछे कुछ शर्ते लगा देते हैं, जैसे – उनके गुट की सदस्यता स्वीकार करना, वोट प्राप्त करना, किसी मुकदमें में गवाही करना, उनके यहाँ कुछ दिनों के लिये श्रमिक के रूप में कार्य करना । ग्रामीण गुट सदस्य पीड़ितों की सहायता इसलिये करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की

सहानुभूति प्राप्त कर सकें या अधिक लोगों को अपने गुट में मिलाकर रख सकें, जिसका उपयोग चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिये किया जाता है ।

जहाँ तक गुट–सदस्यों का समाज–विरोधी तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामग्री के परिणामों से स्पष्ट है कि एक–तिहाई (33.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समाज–विरोधी तत्वों का विरोध किया । इसके अतिरिक्त 8.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने समाजविरोधी तत्वों के साथ कानूनी कार्यवाही की है । 4.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे तत्वों को समझा–बुझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है । ये ग्रामीण गुटों के शक्तिशाली सदस्य हैं तथा ग्रामीण समाज के विरोधी तत्वों का दमन करने की क्षमता रखते हैं । इन सदस्यों को न्याय के प्रति जागरूक एवं शक्तिशाली सदस्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है । 334 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज विरोधी तत्वों के साथ न्याय से सम्बन्धित व्यवहार किया है। 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज–विरोधी तत्वों के प्रति घृणा का व्यवहार किया है 6.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने समाज–विरोधी तत्वों के साथ कठोरता का व्यवहार किया है । शेष 6.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने इन समाज विरोधी तत्वों के सन्दर्भ में कुछ भी कार्य नहीं किया है ।

जहाँ तक सरकारी कार्यालयों में पैरवी करने के सन्दर्भ में गुट के सदस्यों की भूमिका का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामग्री के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रायः अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने लोगों के कार्य–सम्पादन हेत सरकारी कार्यालयों में जाकर पैरवी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है । इसी सम्बन्ध में रिश्वत देने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है । दत्त–सामग्री के विश्लेशण से स्पष्ट है कि 75 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो कार्य–सम्पादन हेतु सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देना आवश्यक समझते हैं ।

ग्रामीण सामाजिक संरचना में गुट के सदस्य अपनी लोकप्रियता बनाये रखने, गुट को स्थायित्व प्रदान करने तथा सामाजिक हित में अपने त्याग के प्रमाण स्वरूप, सार्वजनिक कल्याणात्मक कार्यो को सम्पादित करने में संलग्न रहते हैं । अपने गुट के तथा खुद के व्यक्तित्व का आकर्षण बनाये रखने के लिये और समाज को यह बताते रहने के लिये कि जनता के प्रतिदिन के जीवन को सुखमय बनाने के लिये वे कितना

अधिक सहयोग और बलिदान करते हैं, ग्रामीण गुट सदस्य धार्मिक निर्माण कार्य एवं धर्म–निरपेक्ष निर्माण–कार्य यथा – कुँआ, तालाब, स्कूल, सड़क, चिकित्सा–सुविधा, सामाजिक हित में तल्लीन संस्थाओं को विशेष दान, नैतिक एवं संगठनात्मक सहयोग एवं अनेकानेक लोकोपकारी कार्यो को सम्पादित करने में सदैव अग्रणी रहते हैं ।

यद्यपि ग्रामीण गुट सदस्यों ने रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर कोई विशेष झुकाव नहीं जान पड़ता है, परन्तु सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जन–कल्याणकारी कार्यक्रमों को सम्पन्न बनाने में वे सदा योगदान देते हैं जिसे सभी स्वीकार करते हैं । जिन गुटों के सदस्य ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में रूचि दिखाते हैं, वहां अन्य गाँवों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ हैं ग्रामीण गुट के सदस्यों में रचनात्मक मनोवृत्ति के अभाव के कारण बहुमुखी सामुदायिक विकास योजनाओं से गाँवों का जितना विकास होना चाहिये था, नहीं हो पाया है ।

जहाँ तक ग्रामीण जन–कल्याण में गुट के सदस्यों की भूमिका का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री से स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रतिदर्शित गुट–सदस्य 20 प्रतिशत गाँव के त्यौहार एवं मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमों में हाँथ बंटाते हैं । असहाय एवं अनाथों की सहायता करने वाले गुट सदस्यों की संख्या 13.3 प्रतिशत है । जबकि बेकार लोगों को नौकरी दिलवाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 6 प्रतिशत रही है । इसी तरह 14 प्रतिशत शैक्षिक व्यवस्था, 10 प्रतिशत धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, 5.4 प्रतिशत पंचायत घर, 6 प्रतिशत दंगल–मेला और नुमाइश तथा 13.3 प्रतिशत दवा–दारू, 4 प्रतिशत किसान आन्दोलन, 2 प्रतिशत सरकार के विरूद्ध आन्दोलन में प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । शेष 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी है जिनका जनकल्याणात्मक कार्यो में कोई योगदान नहीं है।

जहाँ तक ग्रामीण जन–कल्याण में गुट–सदस्यों की भूमिका का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण गुट–सदस्य यदि जन–कल्याण कार्य में रूचि लें तो इतनी मात्रा में कार्य कर सकते हैं कि लोगों को तत्काल राहत मिल सके । इस दिशा में बहुत से गुट–सदस्य प्रयत्नशील भी होते हैं ।

अगर वे ऐसा न करें तो उनकी लोकप्रियता घटेगी और गुट–शक्ति–स्थिति छिन्न–भिन्न हो सकती है । अतः सामूहिक हित में कुछ कर दिखलाना उनका लक्ष्य होता है ।

प्रस्तुत शोध–अध्ययन में जहाँ एक ओर गुट के सदस्यों की सामान्य प्रक्रियाओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर गुट के प्रकार्यो के बारे में उनके विचारों को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है । जब उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि 'गुटबाजी के क्या परिणाम होते हैं' तो अधिकांश अर्थात 35.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गुटबाजी के अप्रकार्यात्मक पक्षों की ओर संकेत किया है । इसके अन्तर्गत 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह मत व्यक्त किया है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप समाज में अनेकानेक बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का विचार है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप –

(क) समाज के निर्बल व्यक्तियों का शोषण हो रहा है ।

(ख) राजनैतिक संघर्ष बढ़ रहा है ।

(ग) मुकदमेंबाजी की दर में वृद्धि हो रही है ।

(घ) लोगों में तिरोहण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा लोगों में द्वेष एवं कलह की भावना बलवती होती जा रही है ।

पुनः 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में यह बताया है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है । इसके विपरीत 53.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गुटबाजी के प्रकार्यात्मक परिणामों की ओर संकेत किया है । इस श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं का विचार है कि गुटबाजी के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर समाज सशक्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर गुटबाजी स्वस्थ प्रतियोगिता का संकेतक है ।

निष्कर्शतः हम कह सकते हैं कि अधिकांश प्रतिदर्शित उत्तरदाताओं ने गुटबन्दी के अप्रकार्यात्मक परिणामों की ओर संकेत किया है ।

प्रस्तुत शोध – कार्य में गुटवाद की सक्रियता को भी पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया है । संकलित दत्त–सामाग्री के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि चुनाव के अवसर पर गुटवाद बहुत अधिक सक्रिय होता है । जहाँ तक गुट–सदस्यों को अपने विरोधी गुटों से खतरे

का प्रश्न है, संकलित दत्त–सामाग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने को विरोधी गुटों से क्षतिग्रस्त या आहत होने की आशंका व्यक्त की है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गुट के सदस्य एक ओर जहाँ प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करते हैं वहीं दूसरी ओर अप्रकार्यात्मक भूमिका भी अदा करते है । यद्यपि ग्रामीण सदस्यों में रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर कोई विशेष झुकाव नही जान पड़ता है, तथापि सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जन–कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनानें में वे सदा योगदान देते हैं, जिसे सभी ग्रामीण स्वीकार करते हैं । ऐसे गाँव जहाँ के गुटों के सदस्य रचनात्मक कार्यक्रमों में अधिक अभिरूचि रखते हैं, वहाँ अन्य गाँवों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ है । अनुसन्धाता का यह मत है कि ग्रामीण गुट के सदस्यों में रचनात्मक मनोवृत्ति के अभाव के कारण बहुमुखी सामुदायिक विकास योजना से गाँवों का जितना विकास होना चाहिये था, नहीं हो पाया है ।

अन्ततः सुझाव के रूप में अनुसन्धानकर्ता का मत है कि गुट–सदस्य यदि अपनी अप्रकार्यात्मक भूमिका का परिहार कर प्रकार्यात्मक भूमिका की ओर उन्मेषित हों तो निस्संदेह समाज का चतुर्दिक विकास हो सकता है ।

सन्दर्भ -ग्रन्थ

असरफ के0एम0 –1932, लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ दि प्यूपिल आफ हिन्दूस्तान, लन्दन ।

अहमद जरीना –1062, मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश दि इकोनोमिक्स वीकली फरवरी–17.

आइजेन एस0एन0 –1956, स्टार फ्राम जनरेशन टू जनरेशन ऐज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, दि प्रेस न्यूयार्क ।

ब्लाण्डेल जे0 –1963, वोटर्स पार्टीज एण्ड लीडर्स कॉस एण्ड बेमैन लि0, ग्रेट ब्रिटेन ।

बेमन जोन्स बी.आर. इत्यादि – 1914, बीमैन इन इस्लाम, लखनऊ, पब्लिशिंग हाउस नार्दन इण्डिया आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ।

बिडक ए0डे0 –1949, पोलिटिकल फैशनेलिज्म पलाउ पैसिफिक साइन्स बोर्ड एण्ड नेशनल रिसर्च काउन्सिल वाशिंगटन,डी0सी0 मिको ।

बेल डोमियल –1967, द इण्ड आफ आडियोलोजी, फ्री प्रेस न्यूयार्क ।

भाटिया अनिल –1975 कास्ट क्लास पोलिटिक्स, मनोहर बुक सर्विस न्यू देहली ।

कूले सी0एच0 –1918, सोशल प्रोसेस न्यूयार्क ।

कोलमैन जेम्स –1962, एस0एम0 लिप्सेट एण्ड एम. ट्रो–यूनियन डेमोक्रेसी डबल डे कम्पनी, न्यूयार्क

चाइल्ड फेयर –डिक्शनरी आफ सोशियोलोजी, एच0पी0 फेयरचाइल्ड विजन, लन्दन ।

कीथ एवं मैकडोनल –1935, बैदिक इन्डेक्स भाग 1, अध्याय 3, लन्दन ।

कारवे श्रीमती इरावती –1975, अनुवादक गोपाल भारद्वाज– हिन्दू समाज एवं जाति व्यवस्था, ओरियण्ट लांगमैन ।

बर्नार्ड एस0 कोन –1961, द चेन्जिंग स्टेटस आफ डिस्प्रेसड कास्ट ए . आर. देसाई – रूरल सोशियोलोजी इन एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स बाम्बे ।

देसाई ए0आर0 –1987, विद यू0पी0 सोशियोलाजिकल कान्फ्रेन्स–12,13 फरवरी, कानपुर ।

देसाई ए0आर0 –1961, रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स ।

द लेटेस्ट नेशन –1972, दिसम्बर, स्टेट टू इमर्ज इन दिस वे वाज बांग्लादेश

द हिन्दुस्तान टाइम्स –1963 नवम्बर 19, 20

घुर्ये जी0ए0 –कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन बम्बई ।

गुहा उमा –1965 कास्ट एमंग रूरल बंगाल, मुस्लिम मैन इन इण्डिया, रांची

घुर्ये जी0ए0 –1961, कास्ट क्लास एण्ड एक्युपेशन, पापुलर बुक डिपो बम्बई ।

ग्रीन ए0 डब्ल्यु0 – सोशियोलोजी ।

गाडगिल –1961, टू पावरफुल ग्लासेज इन इण्डिया आगरा रिपन एरियाज इन रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, ए0आर0देसाई– द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, बाम्बे ।

घुर्ये गोविन्द सदाशिव –1961, जाति – वर्ग एवं व्यवसाय, पापुलर प्रकाशन बम्बई ।

गुप्ता रघुराज – डिसिजन मेकर्स इन गुरूधाम विलेज प्लानिंग रिसर्च एण्ड सेक्शन इन्स्टीट्यूट प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, लखनऊ

गेड्डी विलियम(ई0डी0) –1964, चैम्बर डिक्शनरी, इलाइड पब्लिशर्स ।

लुईस आस्कर – 1958, विलेज लाइफ इन नार्थन इण्डिया युनिवर्सिटी आफ प्रेस, इलोन्स ।

लिप्सेट एस0एम0 एम ट्रा –1962, यूनियन डेमोक्रेसी डबलडे एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क

लासवेल एच0डी0 –1931, फैशन इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्स द मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क ।

लुईस आस्कर – 1954, ग्रुप डायनामिक्स इन ए नार्थ इण्डियन विलेज प्लानिंग कमीशन, देहली ।

लुईस आस्कर – 1951, लाइफ इन ए मैक्सीकैन विलेज युनिवर्सिटी आफ इलनोइस, अर्बन

लुईस आस्कर – 1955, इन दिस आर्टिकल प्रेजेन्ट कल्चरल इन इण्डिया मैस्को ए कम्प्रेटिव एनालिसिस इन द बुक विलेज इण्डिया एन्थ्रोपोलोजिकल एसोशियेशन, अमेरिकन ।

मार्शल टी0एच0–1964, क्लास सिटीजनशिप एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट डबलडे एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क

मिलब्रेथ ब्लेस्टर डब्ल्यु – 1965, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन शिकागो, रैण्ड एम0सी0 नेलि ।

मिलब्रेथ ब्लेस्टर डब्ल्यू – 1995, पोलिटिकल पार्टीसिपेशन शिकागो रैण्ड, मैकनेलि ।

मिलब्रेथ ब्लेस्टर डब्ल्यू – 1965, पोलिटिकल पार्टीज आफ पार्टीसिपेशन मैकनेलि ।

मर्टन राबर्ट के0 – 1957, सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर ग्लेनिको – तृतीय द फ्री प्रेस

मैकिम मेरियर – 1060, कास्ट रैकिंग एण्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन फाइव रिजन्स आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पूना ।

मिश्र सतीश – 1061, मुस्लिम कम्युनिटीज इन गुजरात, बाम्बे ।

मजुमदार एण्ड मदान – रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया ।

मैकाइवर राबर्ट एम0 –1964, पूअर ट्रान्सफार्मेड, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क ।

मण्डेलवान डेबिड जी0 – 1963, सोशल आग्रेनाइजेशन एण्ड प्लानड कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, इण्डियाज विलेज, (संस्करण – एम0एन0श्रीनिवास) एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई ।

मजूमदार डी0एन0 – 1963, कास्ट एण्ड कम्यूनिकेशन इन इण्डिया विलेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे ।

मुखर्जी आर0के0 – 1961, रूरल सोशियोलोजी इन इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, बाम्बे ।

मजुमदार डी0एन0 – 1963, कास्ट एण्ड कम्युनिकेशन इन इण्डिया विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस,बम्बई

मजूमदार धीरेन्द्र –1960, छोर का एक गांव, एशिया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ।

प्रगति पुस्तिका –विकास खण्ड़ नरैनी (बांदा) – 19.09.2002

प्रसाद डा0 नर्मदेश्वर – 1965, जाति व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन प्रा0लि0 दिल्ली ।

पारसन्स टालकट – 1952, रिलिजियस पर्सप्रेक्टिवस आफ कालेज टीचिंग इन सोशियोलोजी एण्ड साइकोलोजी, न्यू हेवेन द हेजेन फाउण्डेशन ।

प्रभू पी0एन0 – 1985, हिन्दू सोशल आग्रेनाइजेशन पापुलर बुक डिपो, बाम्बे

पाणिक्वर के0एम0 – 1956, हिन्दू सोसायटी एट द क्रास इन्सटीट्यूट आफ पेसिफिक रिलेशन रोड न्यूयार्क ।

पैटर्सन एम0 – जाति और महाराष्ट्र में राजनैतिक नेतृत्व, आर्थिक सप्ताहिक ।

पावेल नार्मन नेवी –1969, जूनियर एण्ड केनिथ प्रेविडी सोशल स्ट्रक्चर एण्ड पोलिटिकल साइन्सेज रिव्यू 3, नं0 3 –4.

रस्तोगी पी0एन0 – 1975, द नेचर एण्ड डायनामिक्स आफ पैक्टोनल कन्फलेक्ट द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई

राम जगजीवन – 1967, प्रेसीडेन्टल एड्स इन दा सेमिनार आर पब्लिक पार्टीसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेन्ट – 3 मई, काशी विद्यापीठ वाराणसी ।

रस्तोगी पी0एन0 – 1963, फैशन सिचयूशन एट ब्राहिमपुर मैन हिम इण्डिया ।

रस्तोगी पी0एन0 – पोलरिजेशन एट ठाकुरपुर द प्रोसेस एण्ड द पैटर्न सोशियोलोजिकल बुलेटिन भाग15.

रेमण्ड फर्थ – 1957, फैशन्स इन इण्डिया एण्ड ओवरसन इण्डियन सोसायटी आफ ब्रिटिश जनरल आफ सोसायटी ।

रोजस राबर्ट रेडफील्ड एण्ड अलफ्रान्सों – 1964, चानकाम ए माया विलेज युनिवर्सिटी प्रेस, शिकागों

साहित्य सीरीज प्रतियोगिता –2001, भारतीय जनसंख्या, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हास्पिटल रोड आगरा ।

स्ट्रन्गार रास – 1956, फिजिकोलोजी आफ इण्डस्ट्रियल कनफलेक्ट जानवेली, न्यूयार्क ।

सिंह योगन्द्र – 1961, ए सर्वे सेलेक्टेड विलेज इन इस्टर्न यू0पी0 द इण्डिया सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स बम्बई ।

रुथ बेनेडिक्ट – 1938, कान्टीन्यूटीज एण्ड डिसकान्टीन्यूटीज इन कल्चरल कण्डीशनिंग सैक्ट्री भाग–1 ।

सक्सेना डा0 आर0एन0– भारतीय समाज तथा समाजिक संस्थायें ।

श्रीनिवास एम0एन0 – 1963, इण्डियन विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई

सिसौदिया जी0एस0 एण्ड ए0एस0 कोलोन – 1965, ए स्टडी इन टू विलेज रियेक्शन टू देयर इलेक्टेड लीडर्स इण्डिया सोशियोलोजिकल बुलेटिन, सोसायटी पब्लिकेशन, यू0पी0 भाग 4, नं0 2, गाजियाबाद ।

श्रीनिवास एम0एन0 – 1967, अनुवादक नेमिचन्द्र जैन – आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली ।

शोकेड मोस – 1968, इमीग्रेशन एण्ड फैशनेलिज्म ब्रिटिश जनरल आफ सोशियोलोजी भाग–19, नं.4

स्ट्रन्गार रास – 1956, फिजिकोलोजी आफ इण्डस्ट्रियल कनफ्लेक्ट जान विले न्यूयार्क

शोकेड मोसे– 1968, इस्मिगेटियन ब्रिटिश जनरल आफ सोशयोलोजी भाग–19, नं04

सेलिगमैन इडविन आर0ए0(ई0डी0) – इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशियल साइन्सेज भाग–6.

स्ट्रन्गार बी0एण्ड ए0 बेल्स – 1960, पासवेल फैशनेलिज्म एन्थ्रोपोलोजिस्ट, अमेरिकन ।

सीजल बर्नार्ड एण्ड ऐलन बिल्स –1960, परवेसिव फैशनेलिज्म एन्थ्रोपोलिजिस्ट, अमेरिकन ।

सीजल एण्ड बील्स – न्यूज द टर्म इन डिसकान्टेस्ट ।

स्पीकर ई0एच0 – 1940, पोक्कुआ ए0 यामुई, विलेज इन एरिजोना, यूनिवर्सिटी आफ शिकागों

सेफर्ड क्लासिक एण्ड पाउला ब्राउन – 1956, फैशनेलिज्म एण्ड आग्रेनाइजेशन चेन्ज एण्ड रिसर्च लेब्रोरेटरी सोशल, प्रोब्लेम्स .

श्रीनिवास एम0एन0 – 1959, द डेमोनेट कास्ट इन रामपुरा, एन्थ्रोपोलिस्ट एल0एक्स0 1 फरवरी, अमेरिकन ।

टालकट पारसन्स– 1942, ऐज एण्ड सेक्स इन दा सोशल स्ट्रक्चर आफ दि यूनाइटेड स्टेटस, सोशियोलाजिकल, रिव्यू 7, अक्टूबर, अमेरिकन ।

टर्नबुल कोलोन – 1961, द फारेस्ट प्यूपिल चार्ट एण्ड बिन्डस, लन्दन ।

टर्नर बी0डब्ल्यू – 1957, स्कीम्स एण्ड कान्टीन्यूटली एण्ड अफ्रीकन सोसायटी मानचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिकन ।

वर्बा सिडनी एण्ड नार्मन नाई – पाटीसिपेशन इन अमेरिकन पोलिटिकल लाइफ, हार्पर एण्ड रो, न्यूयार्क ।

वर्बा सिडनी एण्ड गैब्रिल एलमण्ड – 1963, सिविक कल्चर यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन ।

वर्बा सिडनी एण्ड नार्मन नाई एण्ड निकैण्ड जाइकिम – द मोडस आफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ए कास नेशनल कम्प्रेटिव पोलिटिक्स सर्विसेज नं0 10–13. बावर्ली हिल्स 1971 सेज पब्लिकेशन्स ।

वर्बा सिडनी एण्ड बशीर अहमद – 1977, रेस कास्ट एण्ड पोलिटिक्स कम्प्रेटिव स्टडी आफ इण्डिया एण्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ए बावर्ली हिल्स सेज पब्लिकेशन्स ।

वर्बा सिडनी, बशीर अहमद एण्ड अनिल भट्ट – 1977 रेस कास्ट एण्ड पोलिटिक्स कम्प्रेटिव स्टडी आफ इण्डिया एण्ड द यूनाइटैड स्टेटस ए बावर्ली हिल्स ए सेज पब्लिकेशन ।

वर्मा रामचन्द्र (सम्पादक)–1965 मानक हिन्दी शब्दकोश हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ।

वर्बा सिडनी, नी एण्ड किम जे0 – 1971, डॉ मोडस आफ डेमोक्रेटस पार्टीसिपेशन एक्रास निटोलन कन्फ्रेन्सन, कम्प्रेटिव पोलिटिक्स सर्वे नं0 10 –13, हिल्स सेंग पब्लिकेशन, बरेली ।

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

ग्रामीण परिवेश में गुटबन्दी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(उ0प्र0के बाँदा जनपद में नरैनी विकास खण्ड का एक प्रतीकात्मक अध्ययन)

साक्षात्कार–अनुसूची (गोपनीय)

निर्देशक :

डॉ0 अवधेश चन्द्र मिश्रा
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा पी0जी0कालेज, अतर्रा

शोधकर्ता :

घनश्याम दास
एम0ए0, समाजशास्त्र

01 उत्तरदाता के सम्बंध में सामान्य जानकारी:–

1.1– उत्तरदाता का नाम ....

1.2– पिता/पति का नाम ....

1.3– निवास स्थान / ग्राम का नाम ....

1.4– आयु– (1) 18–27वर्ष (2) 28–37 वर्ष (3) 38–47 वर्ष (4) 48 –57 (5) 58 –ऊपर

1.5– धर्म– (1) हिन्दू (2) इस्लाम (3) सिक्ख (4) ईसाई (5) बौद्ध (6) जैन

1.6– जाति– (1) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय(3) वैश्य (4) पिछडी (5) अनु0जाति (6) मुसलमान

1.7– शिक्षा–(1) निरक्षर (2) साक्षर (3) हाई स्कूल से कम (4) इण्टर (5) स्नातक(6) ऊपर

1.8– पेशा–(1) कृषि पर आधारित (2) व्यापार (3) नौकरी

1.9– मासिक आमदनी–(1) 500–1000 (2) 1000–2000 (3) 2000–3000 (4) 3000–ऊपर

02– उत्तरदाता के पारिवारिक जीवन स्तर से सम्बंधित जानकारी:–

2.1 परिवार का स्वरूप– (1) एकाकी परिवार (2) संयुक्त परिवार

2.2 पारिवारिक सदस्यो की संख्या (1) बालिग....................... (2) नाबालिग ....

2.3 परिवार में शिक्षित सदस्यों की संख्या (1) बालिग.................... (2) नाबालिग.............................

2.4 आवास का स्वरूप –(1) कच्चा (2) पक्का (3) मिश्रित (4) झोपडी

2.5 आवास का स्वामित्व–(1) निजी (2) किराये से (3) सरकारी (4) ग्राम सभा की

2.6 परिवार में अन्य कितने सदस्य अर्थ व्यवस्था में सहयोग करते है –संख्या ....

2.7 अचल सम्पत्ति (भूमि/खेती) हैं– (1) हाँ (2) नही

2.8 परिवार में कुल कितनी भूमि हैं–(1) 5 एकड (2) 15 एकड (3) 25 एकड (4) अधिक

2.9 भूमि का स्वरूप– (1) सिंचित (2) असिंचित (3) बन्जर (4) अन्य

2.10 कृषि से आय छमाही या वार्षिक कितनी हैं ....

2.11 अन्य स्त्रोतो से आय मासिक या वार्षिक कितनी हैं ....

2.12 आर्थिक स्तर– (1)उच्च (2) उच्च मध्यम (3) मध्यम (4) निम्न

03 उत्तरदाता से ग्रामीण गुटबन्दी सम्बन्धी जानकारीः–

3.1 आप गुटबाजी/गुटबन्दी/दलबन्दी पसन्द करते हैं– (1) हाँ (2) नही

3.2 आप गुट का आधार किसे मानते हैं – (1) जाति (2) भू–सम्पत्ति (3) श्रमिक वर्ग (4) स्वार्थ सिद्धि की भावना ।

3.3 विभिन्न प्रकार के समुदायों एवं देश में होने वाले परिवर्तनो के विषय में आप जानकारी रखते हैं– (1) अत्यधिक (2) सामान्य (3) बहुतकम (4) बिल्कुल नही

3.4 गुटबन्दी को सशक्त एवं प्रभावशील बनाने के लिए आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं – (1) धर्म एवं जाति (2)राजनीतिज्ञों को (3) उच्च शिक्षित (4) उच्च आर्थिक प्रस्थिति एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को (5) सरकारी सेवा प्राप्त लोगो को (6) अन्य लोगो को

3.5 आपके के समुदाय/दल/गुट के प्रति संस्तरणात्मक स्तर कैसा हैं –
(1) अत्यधिक (2) सामान्य (3) बहुत कम (5) बिल्कुल नही

3.6 गुटबन्दी या गुटबाजी के क्या आसार आपके सामने आयें हैं –(1) समाज सशक्त हों रहा है (2) संघर्ष बढ रहा हैं (3) स्वस्थ्य प्रतियोगिता हो रही हैं (4) सामाजिक विघटन हो रहा हैं (5) बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं (6) ग्रामीण एवं सामाजिक विकास हो रहा हैं ।

3.7 गुटबन्दी अथवा गुटवाद कों आप किस समय सक्रिय या सशक्त समझते हैं –
(1) जातीय संघर्ष के समय (2) चुनाव के अवसर पर (3) दुसरे गुटों के स्पर्धा के समय (4) झगडें एवं मुकदमों के अवसर पर ।

3.8 विरोधी गुटों के सदस्यो से आप क्या महसूस करते हैं –(1) अविश्वास का प्रस्ताव (2) जान माल का खतरा (3) खुले अपमान का भय (4) परिवार के अन्य सदस्यों को खतरा

04– उत्तरदाता सें ग्रामीण गुटबन्दी का जाति पर प्रभाव सम्बन्धी जानकारीः–

4.1 आप गुटबन्दी को जाति व्यवस्था का आधार मानते हैं –(1) हाँ (2) नही

4.2 गुटबाजी प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चजातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता हैं –
(1) हाँ (2) नही

4.3 निम्न जातियों द्वारा संगठित होकर गुटबन्दी करना उचित हैं (1) हाँ (2) नही

4.4 आपके गाँव में कौन सी जाति अत्यधिक प्रभावशाली जाति हैं –
(1) ब्राम्हण (2) क्षत्रिय (3) वैश्य (4) पिछडी जाति (5) अनु0जाति (6) मुसलमान

4.5 प्रभावशाली जातियाँ किन कारणों सें प्रभावशाली मानी जाती हैं –(1)उच्चजातीय प्रस्थिति (2) अत्यधिक जातीय जनसंख्या (3) उच्च शिक्षित (4) उच्च आर्थिक प्रस्थिति (5) प्राचीन दबदबा बना रहने सें (6) उच्च स्तरीय राजनैतिक संगठन (7) अन्य कारण

4.6 जातिगत गुटबन्दी से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास सम्भव हैं – (1) हाँ (2) नही

05– उत्तरदाता सें ग्रामीण गुटबन्दी के प्रति राजनैतिक अभिरूचि सम्बन्धी जानकारी :

5.1 आप राजनैतिक घनिष्ठता या लगाव रखते हैं– (1) हाँ (2) नही

5.2 वर्तमान राजनैतिक गतिविधियों के विषयों में आपकी रुचि कैसी हैं– (1) बहुतकम (2) अत्यधिक (3) सामान्य (4) बिल्कुल नही

5.3 आप विभिन्न प्रकार के राजनैतिक दलों से परिचय रखते है –
(1) बहुत कम (2) अत्यधिक (3) सामान्य (4) बिल्कुल नहीं

5.4 आप अपने गुट के सदस्यों के प्रति राजनैतिक प्रभावोत्पादकता रखते है –
(1) अत्यधिक (2) बहुत कम (3) सामान्य (4) बिल्कुल नहीं

5.5 आप राजनैतिक चुनाव में मतदान का प्रयोग करते है –
(1) नियमित रूप से (2) कभी–कभी (3) कभी नहीं

5.6 आप राजनैतिक आन्दोलनों से सम्बन्धित गतिविधियों में भाग लेते है –
(1) अत्यधिक सक्रियता पूर्वक (2) सामान्य रूप से (3) बहुत कम (4) कभी नहीं

5.7 आप राजनैतिक सहयोगात्मक क्रिया–कलापों में भागीदारी रखते है –
(1) अत्यधिक (2) सामान्य (3) बहुत कम (4) कभी नहीं

06– उत्तरदाता से ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था सम्बंधी जानकारी –

6.1 आप अपने गाँव के नागरिकों के समस्याओं के निदान के सन्दर्भ में विशिष्ट जनों से सम्पर्क किया करते है –
(1) हाँ (2) नहीं

6.2 समस्याओं के निदान हेतु अधिकतर किन विशिष्ट जनों से सम्पर्क किया करते है –
(1) स्थानीय (2) जनपदीय

6.3 विशिष्टजनों से सम्पर्क बनाने के लिये आप "मध्यस्थ" की आवश्यकता महसूस करते है–

(1) हाँ (2) नहीं

6.4 आवश्यकता पडने पर मध्यस्थ व्यक्तियों को आप खोज लेते है –

(1) आसानी से (2) आसानी से नहीं (3) बिल्कुल नहीं

6.5 यदि आप विशिश्ट जनों से सम्पर्क स्थापित नही करते है : तो उसके क्या कारण है –

(1) विशिष्ट जनों को दोषी मानते है (2) परिस्थिति या कारणवश

(3) आप स्वयं सम्पर्क नहीं कर पाते

6.6 निर्बलों एवं पीडितो के लिये आप क्या सहायता करते है –

(1) आर्थिक सहायता (2)निजी परिश्रम एवं पैरवी (3)शिक्षा व्यवस्था (4) सरकारी सहायता

(5) आवास निर्माण में सहायता (6) दान के रूप में सहायता (7) संधर्ष में सहायता

(8) नौकरी या रोजगार दिलवाना (9) केवल सहानुभूति रखते हैं ।

6.7 समाज के विरोधी तत्वों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया –

(1) यथोचित न्याय (2) घृणा का व्यवहार (3) कानूनी कार्यवाही (4) कठोरता का व्यवहार

(5) सामान्य व्यवहार (6) सामाजिक विरोध (7) समझाना–बुझाना (8)कुछ नहीं करेंगे

6.8 प्रशासनिक संस्थाओं में पैरवी करना या पैरवी कराने का कार्य आप उचित समझते है –

(1) हाँ (2) नहीं

6.9 आप घूस/रिश्वत खोरी के माध्यम से पैरवी करते या कराते है –

(1) हाँ (2) नहीं

6.10 ग्रामीण जन कल्याण के प्रति आप क्या करते है –

(1) गाँव में शिक्षा व्यवस्था करना (2) गांवों में त्यौहारों और मनोरन्जन की व्यवस्था

(3) धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था (4) असहाय एवं अनाथों की सहायता

(5) दंगल, खेलकूद, मेला, प्रदर्शनी लगवाना (6) महिला विकास एवं साक्षरता कार्यक्रम

(7) दवा–दारू एवं चिकित्सालय की व्यवस्था (8) किसान, खेतिहर मजदूर आन्दोलन

(9) सरकार के विरूद्ध आन्दोलन (10) पंचायत घर की व्यवस्था करना

(11) ग्रामीणों को नौकरी व रोजगार की व्यवस्था (12) कोई कार्य न करना

6.11 गुटबन्दी में अधिकतर किस आर्थिक स्तर के सदस्य पाये जाते है –

(1) उच्च (2) मध्यम (3) निम्न (4) जानकारी नहीं

नोट : आपके द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी को गोपनीय रखा, जायेगा तथा कहीं किसी भी प्रकार से आपके विरूद्ध प्रयोग (इस्तेमाल) नहीं किया जायेगा ।

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘